खण्ड-371, अंक-10
सोमवार, 21 श्रावण, शक संवत् 1907
(12 अगस्त, 1985 ई0)

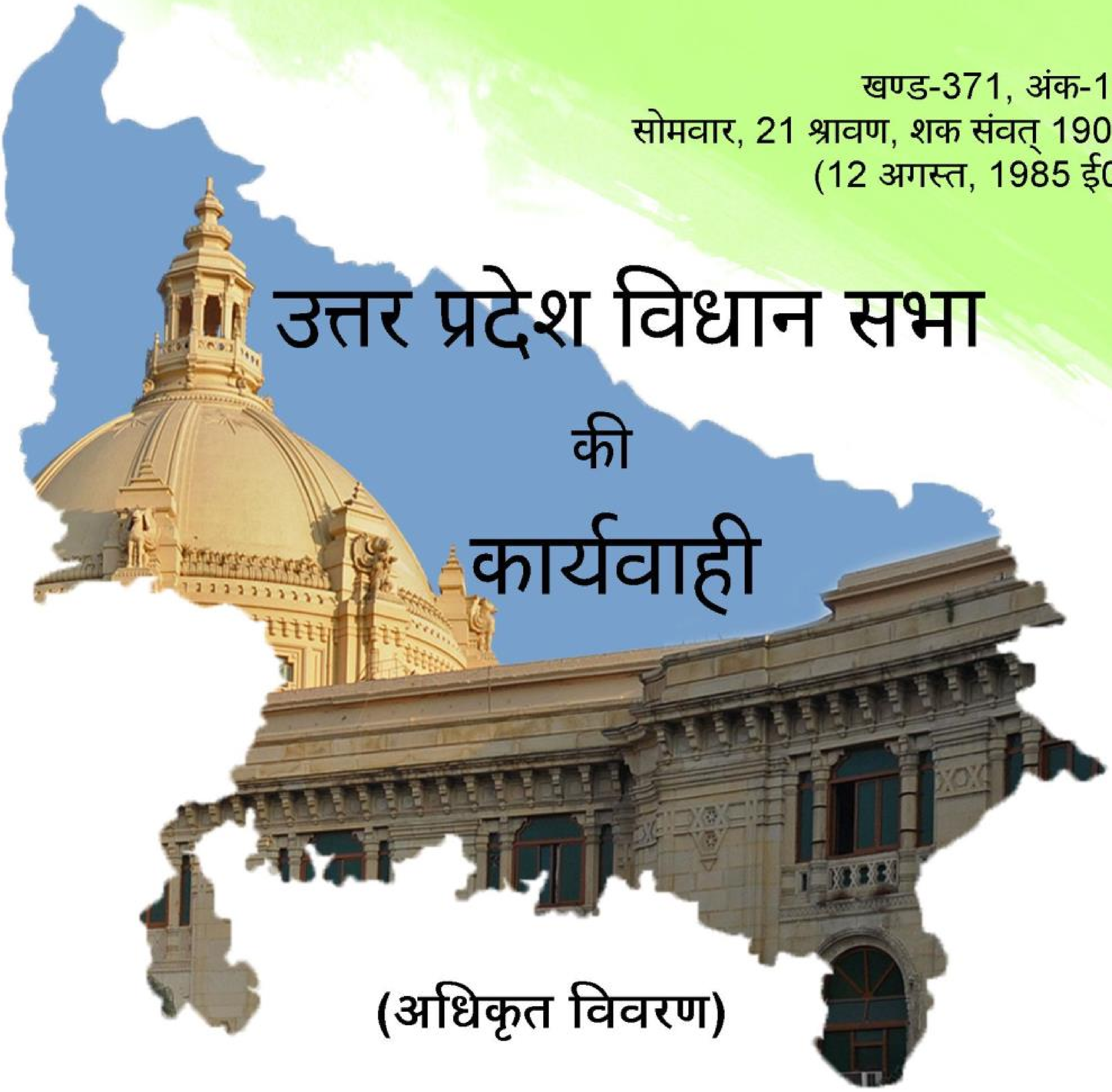

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 371 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	1—2
प्रश्नोत्तर ..	3—68
के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न ..	68—71
...ो तहसील सम्भल, जिला मुरादाबाद निवासी श्री चन्द्रपाल रस्तोगी की निर्मम हत्या किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	72
...ोनी मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपया बकाया होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	72
37वीं वाहिनी पी0 ए0 सी0 कानपुर में जवानों की चल रही भर्ती में घोर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	73
मथुरा जनपद में अतिवृष्टि से जल प्लावन एवं अनेक बीमारियां होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना ..	73
फैजाबाद जनपद में बढ़ती हुई डकैतियां एवं हत्या की घटनायें होने एवं पुलिस की निष्क्रियता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	74
फतेहपुर सीकरी क्षेत्र आगरा में खनन कार्य बान्द होने से हजारों मजदूरों में बेकारी होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	74
फिरोजाबाद, आगरा में पशुओं की अनेकानेक बीमारियों तथा दवाओं के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना ..	75
औचित्य के प्रश्न की सूचना ..	75
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ्स (देय धनराशियों की वसूली) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	75
उत्तर प्रदेश नगर महापालिकाओं का (भवनों का मूल्यापकर्ष) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	76
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (बारहवां संशोधन) नियमावली, 1984 । (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	76
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के वर्ष 1966-67 से 1976-77 तक के स्थिति पत्रक एवं प्रतिवेदन । (सदन के पटल पर रखा गया) ..	76
5 जून, 1985 को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित बिक्रीकर से संबंधित पांचों विज्ञप्तियों को सदन के पटल पर न रखे जाने पर आपत्ति ..	76
वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां । (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	77

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन और दुग्ध संघ केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1984 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	78
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1985 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	78
कानपुर नगर में गंगा बैराज बनाये जाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गयी) ..	79
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	79—88
1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मागों पर मतदान अनुदान संख्या-18 ग्राम्य विकास विभाग, अनुदान संख्या-30 पंचायती राज विभाग तथा अनुदान संख्या—82 क्षेत्रीय विकास विभाग (स्वीकृत) ..	88—142
नियम 51 के अंतर्गत सूचनाएं ..	143
उत्तर प्रदेश में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त होने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	143—153
नत्थियां ..	154

संसद पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 12 अगस्त, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :

अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ
अमरनाथ सिंह, श्री	फतेहपुर
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच
ओमवती, श्रीमती	बिजनौर
ओसान सिंह श्री	इटावा
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
कृष्ण कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा0	आगरा
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर
गेन्दा देवी, श्रीमती	बस्ती
जयदीप सिंह बरार, श्री	बरेली
जय नरायण शर्मा, श्री	मेरठ
डूंगर सिंह, श्री	हमीरपुर
तिलक सिंह, श्री	अलीगढ़
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
देवेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
नरेन्द्र सिंह, कुंवर	सहारनपुर
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं
बृजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
भगवती प्रसाद, चौधरी	मिर्जापुर
भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महाबीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री	वाराणसी
रघुवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रजनीकान्त, श्री	वाराणसी
रणजीत, श्री	देवरिया
रमाकान्त, श्री	आजमगढ़
राज बहादुर, श्री	जौनपुर
राजेन्द्र गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राम नरेश, श्री	मैनपुरी
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
रीना कुमारी, श्रीमती	मुरादाबाद
लोकेन्द्र दत्त सकलानी, श्री	टिहरी गढ़वाल
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर

विधान सभा

विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
बीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
हर नारायन सिंह, श्री	रायबरेली
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हर्षवर्धन, श्री	गोरखपुर
हितेश कुमारी, श्रीमती	बुलन्दशहर

विधान सभा उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 12 अगस्त, 1985

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में सांसद, सदस्य, विधान सभा और विधान परिषद् को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किये जाने की मांग

****1—श्री मित्रसेन—**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की बैठक जिसमें माननीय सांसद, सदस्य, राज्य सभा, विधान सभा एवं विधान परिषद् भाग लेते हैं उसकी अध्यक्षता हेतु जनपद के जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है ? क्या सरकार सिद्धान्त इस नीति से सहमत है ? यदि हां, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

जी हां ।

शासन के निर्णय अनुसार जिला स्तर विभिन्न समितियों की अध्यक्षता गैर-सरकारी व्यक्ति करते हैं । किन्तु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का गठन भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार है और अधिकांश धनराशि इन अभिकरणों को भारत सरकार द्वारा ही प्राप्त होती है अतः विशिष्ट गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के निरन्तर अनुश्रवण तथा कार्यदायी संस्थाओं से समन्वय हेतु जिलाधिकारी को संस्था का अध्यक्ष भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार बनाया गया है । अभिकरणों की सदस्यता एवं अध्यक्षता के बारे में भारत सरकार के परामर्श एवं सहमति से ही विचार किया जा सकता है ।

श्री मित्र सेन—

अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में चाहा था कि क्या गैर सरकारी संस्थाओं की अध्यक्षता गैर सरकारी जनप्रतिनिधि करेंगे और इस सिद्धान्त से क्या सरकार सहमत है, इन्होंने लिखा है कि जी हां । इसलिये इन्हें मान लेना चाहिए कि समितियों की अध्यक्षता सरकारी अधिकारी करेंगे तो कोई बात नहीं वरना केन्द्र सरकार को लिखा जाये ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें ।

श्री मित्र सेन—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात से सहमत है कि जनप्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता सरकारी व्यक्ति करें ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रश्न के मूल उत्तर में कह दिया गया है कि शासन के निर्णयानुसार जिला स्तर की विभिन्न समितियों की अध्यक्षता गैर

सरकारी व्यक्ति करते हैं किन्तु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का गठन भारत सरकार ने किया है और भारत सरकार के परामर्श से, उनके निर्देशों से उसका अध्यक्ष जिला अधिकारी होता है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मन्त्री जी को जानकारी है. कई बार मा0 अध्यक्ष की ओर से इस बात के निर्णय लिये गये हैं कि विधायकगण कभी भी ऐसी समितियों के अध्यक्ष नहीं बनेंगे जिनकी अध्यक्षता सरकारी अधिकारी करें। ग्राम्य विकास अभिकरण सेन्ट्रली स्पांसर्ड संस्था है, तो क्या एक नीति के तहत कोई भी विधान सभा सदस्य यदि उसकी अध्यक्षता करें, तो जिला अधिकारी हो या कोई अधिकारी हो उसकी अध्यक्षता में नहीं बैठ सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए क्या आपने केन्द्र सरकार से इस बात का आग्रह किया है कि वह अपनी नीति में परिवर्तन करे या परामर्श दिया है कि इसकी अध्यक्षता जनप्रतिनिधियों से करायी जाये. अधिकारियों से नहीं।

मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)—

श्रीमन्, शासन का सामान्य विचार तो उत्तर के प्रथम भाग में निहित है। जहां तक उत्तर प्रदेश शासन का दृष्टिकोण है वह यही है कि साधारणतः अध्यक्षता गैर सरकारी प्रतिनिधियों को ही करनी चाहिए। ग्राम्य विकास अभिकरण एक विशेष प्रकार का अभिकरण है। इसकी अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही परिकल्पना की गयी है।

एजेंसी मुख्यतः एक्जीक्यूटिव एजेंसी है, यह मात्र निर्णय लेने वाली एजेन्सी नहीं है। यह उसको लागू करने वाले कार्य की भी एजेंसी है यह जहां पर बहुदलीय जिले हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं वाले लोग हैं, वहां एक्जीक्यूशन में भी एजेंसी की ज्यादा अपेक्षा की जाती है। जो स्कीमें इसमें बनायी जाती हैं वह वित्तीय संस्थाओं के पास भी जाती हैं, बैंकों के पास भी जाती हैं। तो आशा की जाती है कि जो निर्णय हो, जो एजेंसी द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं हैं, उन्हें यह भली प्रकार कार्यान्वित करे। इसीलिए अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है। भारत सरकार ने इस बारे में कई बार विचार भी किया था, किन्तु कार्य के हित में और समन्वित विकास के हित में यह तय किया गया कि जिलाधिकारी ही इसको समन्वित और कार्यान्वित करे।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मुख्य मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में ग्राम्य विकास अभिकरण के अतिरिक्त जिलास्तरीय जितनी दूसरी समितियां हैं, उनमें भी निर्णय होता है और कार्यान्वित होता है। दोनों दायित्व उन समितियों का है। यही दायित्व ग्राम्य विकास अभिकरण का है, पर मान्यवर, उस समितियों की अध्यक्षता गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा कराई जा रही है, तो इस ग्राम्य विकास अभिकरण की अध्यक्षता भी गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा कराने के लिए मुख्य मन्त्री जी क्या केन्द्रीय सरकार को अपनी संस्तुति भेजेंगे ?

श्री नारायन दत्त—

अगर सदन की ऐसी अनुज्ञा है, तो उसमें फिर मैं एक बार चर्चा कर लूंगा।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि आम तौर से यही नीति है कि पब्लिक के रिप्रेजेन्टेटिव ही समितियों की अध्यक्षता करेंगे, लेकिन, मुख्य मन्त्री जी को अब मौका नहीं है, पर हमको तो अवसर मिलता है, अन्य भी बहुत सी ऐसी समितियां हैं, जिनकी अध्यक्षता कलेक्टर करते हैं। इतना ही नहीं, आज भी आप जांच करा लें, कलेक्टर के तख्ती और आवास आदि पर जो शब्द लिखा है वह शब्द "जिलाधीश" लिखा है, जिलाधिकारी नहीं। तो जहां जिलाधिकारी के बजाए जिलाधीश लिखा जाएगा, वहां पर आप यह उम्मीद करते हैं कि हमारी अध्यक्षता में वह बैठेंगे ? हमें याद है कि एक जिलाधीश तो वहां से अपना दौरा लगाकर चला गया, जब उनको मालूम हुआ कि मेरी, एक वरिष्ठ विधायक की अध्यक्षता में बैठक होगी।

श्री नारायन दत्त—

अगर कहीं अब भी "जिलाधीश" शब्द का प्रयोग हो रहा है तो यह उचित नहीं है। मैं एक बार फिर इस बारे में निर्देशित करूंगा। ईश्वर का अंश तो किसी पद पर निहित नहीं है, यों हर एक व्यक्ति में ईश्वर का अंश विद्यमान है।

(अन्य कई सदस्यों द्वारा प्रश्न हेतु खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

कितने विस्तार से यह बात हो गई। आपके भावना के अनुसार बात हो गई और मुख्य मन्त्री जी ने भी कह दिया है। अब आपको क्या प्रश्न करना बाकी है। हमारे साथी ही कहते हैं कि आप इतना मौका प्रश्न करने के लिए दे देते हैं, तो कम से कम आप इस आधार पर ही कृपा करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मुख्य मन्त्री और ग्राम्य विकास मन्त्री के उत्तरों में मैंने इस विषय पर विरोधाभास पाया है। मुझे ऐसा लगा कि मुख्य मन्त्री जी केन्द्रीय सरकार के प्रवक्ता हैं और ग्राम्य विकास मन्त्री जी हम लोगों के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं, तो क्या मुख्य मन्त्री जी स्पष्ट आश्वासन देंगे कि जनतान्त्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए और डिसेन्ट्रलाईज्ड सरकार के ध्येय को सामने रखते हुए केन्द्रीय सरकार को लिखेंगे कि इस तरह की इस आदरणीय सदन की भावना है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो मुख्य मन्त्री जी कह ही चुके हैं, वह आपकी भावना के अनुसार करेंगे।

मेरठ विश्वविद्यालय (20वां संशोधन) प्रथम परिनियमावली, 1985 संबंधी शिक्षा अनुभाग-10 की अधिसूचना

**2—श्री राजेन्द्र गुप्त (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा अनुभाग (10) द्वारा संख्या 2864/15-10-85-9-(11)-84, लखनऊ, 31 मई, 1985 को जारी अधिसूचना मेरठ विश्वविद्यालय (20वां संशोधन) प्रथम परिनियमावली, 1985, जो कि सरकारी गजट उत्तर प्रदेश असाधारण भाग-4, खण्ड (क) सामान्य परिनियम शुक्रवार, 31 मई, 1985 को प्रकाशित है उसे 9 सितम्बर, 1980 को प्रवृत्त हुई समझे जाने का क्या कारण है ? अर्थात् 31 मई, 1985 को जारी यह सूचना

9 सितम्बर, 1980 से लागू समझे जाने का क्या कारण है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री सिब्ते रजी)—

दिनांक 31 मई, 1985 को जारी उल्लिखित अधिसूचना दिनांक 9 सितम्बर, 1980 से लागू समझी जाने का कारण यह है कि इसमें जिस मूल परिनियम का संशोधन किया गया है वह दिनांक 9 सितम्बर, 1980 को ही प्रवृत्ति किया गया था।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, श्री एम0 आर0 सिद्दीकी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*1—श्री अशोक बाजपेयी (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के वर्तमान मुख्य अभियन्ता पद पर गत वर्ष 1984 के बजट सत्र में 3 मार्च, 1984 को कटौती प्रस्ताव के अन्तर्गत विधान सभा में विधायक श्री जटाशंकर सिंह द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि श्री एम0 आर0 सिद्दीकी ने अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल लखनऊ की हैसियत से वर्ष 1980-81 से मार्च, 1983 तक जो कार्य कराये हैं उनमें लगभग 2.5 करोड़ (ढाई करोड़) का घपला है तथा सैकड़ों अनियमित नियुक्तियों का भी आरोप लगाया गया था ? यदि हां, तो उक्त शिकायतों के बावजूद इन्हें किस आधार पर मुख्य अभियन्ता नियुक्त किया गया ? क्या सरकार इस प्रकरण की अविलम्ब जांच कराकर इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां, इस आशय के आरोप माननीय विधायक श्री जटाशंकर सिंह द्वारा विधान सभा में दिनांक 3 अप्रैल, 1984 को लगाये गये थे।

श्री एम0 आर0 सिद्दीकी को मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के पद पर चयनोपरान्त शासनादेश सं0 5048/84-38-1-84, दिनांक 8-6-84 द्वारा नियमित किया गया। चयन के समय इनके विरुद्ध कोई विभागीय/सतर्कता जांच नहीं चल रही थी। चयन समिति की संस्तुति के अनुसार ही इन्हें मुख्य अभियन्ता के पद पर चयनित किया गया था।

भू-राजस्व की धनराशि को ग्राम सभाओं को दिये जाने सम्बन्धी कथित घोषणा

*2—श्री सरदार सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1984 के अन्त में शासन द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि जिस गांव से राजस्व के रूप में जो पैसा वसूल होगा वह उसी गांव के विकास में व्यय हेतु ग्राम सभाओं को दे दिया जायेगा (तुम्हारा पैसा तुमको वापस योजना) ? यदि हां, तो उस योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है ? ग्राम सभाओं को पैसा आवंटन का आधार क्या रहेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

शासन द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी कि जिस गांव से राजस्व के रूप में जो पैसा वसूल होगा वह उसी गांव के विकास में व्यय हेतु ग्राम सभाओं को दे दिया जायेगा बल्कि राज्य सरकार को भू-राजस्व से होने वाली आय से क्षेत्र समितियों के माध्यम से ग्राम सभाओं को योजनान्तर्गत विकास कार्यों के लिए सामान्य आकार के विकास खण्डों को 3 लाख रुपये तथा बड़े आकार के विकास खण्डों को 4.50 लाख रुपये के हिसाब से 27.54 करोड़ रुपये एवं ऊर्जीकृत गांव में रास्तों पर विद्युत प्रकाश की व्यवस्था हेतु 2.03 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को दिये गये हैं। योजना की रूपरेखा तथा गांव सभाओं को धनराशि के आवंटन का आधार संलग्न है।

*3—श्री राजेन्द्र गुप्त—

[दिनांक 26-7-85 को सदन में वक्तव्य होने के कारण निरस्त]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

भारत नेपाल सीमा गोरखपुर के रतनपुर इण्टर कालेज में नेपाली लड़कियों का प्रवेश एवं उनके परीक्षा [illegible] स्थानान्तरण

*1—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री हर्षवर्धन—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित गोरखपुर जिले के रतनपुर इण्टर कालेज में भारी संख्या में नेपाली लड़कियों का नाम भरकर उन्हें अन्तिम वर्ष की परीक्षा दिलायी जा रही है? क्या यह सच है कि उनका परीक्षा केन्द्र इण्टर कालेज नौतनवां (गोरखपुर) में रखा गया था और परीक्षा शुरू होने की पहली रात को परीक्षा केन्द्र बदलकर पुनः रतनपुरा कर दिया गया? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में और किस सक्षम अधिकारी के आदेश से परीक्षा केन्द्र बदला गया?

श्री सिच्चे रजी—

रतनपुरा (गोरखपुर) स्थित विद्यालय में पंजीकृत हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट परीक्षा (1985) की क्रमशः 101 व 10 नेपाली छात्राएं थी। इन छात्राओं का परीक्षा केन्द्र राजकीय बालिका इण्टर कालेज, नौतनवां, गोरखपुर निर्धारित था। प्रश्नगत बालिकाओं को स्वकेन्द्र पर परीक्षा में बैठने के आदेश सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने दिये, जिसका कार्यान्वयन जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर द्वारा 20 मार्च, 1985 को किया गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, माननीय मन्त्री जी ने जो अभी बताया 110 व 10 नेपाली छात्रायें पढ़ रही हैं, वह सूची गलत है। मेरी जानकारी को सही मान कर, जो नेपाली लड़कियां हैं उनका भारतीय पता देकर उनका एडमीशन हो रहा है। माननीय शिक्षा मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि हाई स्कूल में प्रवेश कक्षा 8 पास करने के बाद किया जाता है तो जिनका आपने सन्दर्भ दिया है उनको विद्यालय में प्रवेश कब दिया गया और वह कक्षा

नोट—*छापी नहीं गयी।

8 कहां से पढ़ी हुयी हैं ? यह जवाब दे दें।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, आवेदन-पत्र के अभिलेखानुसार सभी नेपाली छात्राओं का प्रवेश सीधे कक्षा 10 में प्रधानाचार्य द्वारा लिया गया है तथा इण्टर की 10 में से 6 छात्राओं का प्रवेश कक्षा 12 में सीधे लिया गया है। इसके कारण, संदिग्ध परीक्षार्थिनियों व अर्हता न होने की वजह से (सी0 पी0 श्रेणी) के अन्तर्गत नतीजा निरस्त किया जाता है, वह कर दिया गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, शिक्षा संहिता में स्पष्ट है कि जब तक कोई छात्र या छात्रा कक्षा 8 पास नहीं कर लेता तब तक एडमीशन हाई स्कूल में नहीं हो सकता। मेरी निश्चित जानकारी है कि इन छात्राओं से 2-2 हजार रुपये प्रधानाचार्य और प्रबन्धक ने लिये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद् और डी0 आई0 ओ0 एस0 का आदेश था, मान्यवर, रात को 12 बजे परीक्षा केन्द्र को चेंज किया गया है। लड़कियों का स्कूल 7 कि0 मी0 दूर है। तो शिक्षा सचिव और डी0 आई0 ओ0 एस0 का पत्र पढ़कर तारीख और सन्दर्भ बतायें जिसके अनुसार रात को मुनादी करवा कर सबेरे सेन्टर चेंज किया गया उनको नकल करवाने के लिये ?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न साफ नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, सेक्रेटरी माध्यमिक शिक्षा परिषद् का पत्र जिसमें सेन्टर परिवर्तन के लिये लिखा था और जिला विद्यालय निरीक्षक का पत्र जिन्होंने उसको इक्जीक्यूट किया था के पत्र का सन्दर्भ लें, किस तारीख का पत्र है और उसका नम्बर क्या है ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, इन छात्राओं के नियमित प्रवेश और उनकी अर्हता के सम्बन्ध में स्थलीय जांच जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा हो रही है। मान्यवर, आप जानते हैं कि लड़कियों को स्व-केन्द्र पर परीक्षा देने का प्राविधान माध्यमिक शिक्षा परिषद् . .

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष—

पहले प्रश्न का उत्तर तो आ जाने दें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं पत्र संख्या जानना चाहता हूं। सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् तथा जिला विद्यालय निरीक्षक का पत्र संख्या क्या है ? वह बता दें।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, बालिकाओं को कोई कठिनाई न हो, इसलिए स्वकेन्द्र की सुविधायें दी जाती हैं। परीक्षा केन्द्र करीब 9 किलो मीटर दूर था, इसलिए 15 मार्च, 1985 को सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने उस असुविधा को देखते हुए उस केन्द्र को बदलने की इजाजत दी। 4-5 दिन के बाद वह पत्र वहां पर पहुंच गया, 21 मार्च, 1985 से वह बालिकायें अपने उस केन्द्र पर बैठी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैंने तो केवल यह पूछा है कि सचिव महोदय का आदेश पत्र संख्या क्या है, वह माननीय शिक्षा मन्त्री जी बता दें।

श्री अध्यक्ष—

जब एक ही प्रश्न पर आप सप्लीमेन्ट्री करते रहेंगे, तो कहां तक माननीय मन्त्री जी जबाब देते रहेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैंने पत्र संख्या पूछा है, वह माननीय मन्त्री जी बता दें।

श्री अध्यक्ष—

आप माननीय शिक्षा मन्त्री के कक्ष में चले जाइयेगा, वह आपकी कठिनाई दूर करा देंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं आपके कक्ष के अलावा किसी के भी कक्ष में नहीं जाता हूं। मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

मैं किसी मन्त्री को उत्तर के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, परीक्षा केन्द्र बदलने का एक धंधा शिक्षा विभाग का हो गया है। मान्यवर, पैसा लेकर परीक्षा केन्द्र बदले जाते हैं और पैसा लेकर परीक्षा में नकल कराई जाती है। मान्यवर, यह व्यापक रूप से शिक्षा विभाग में चल रहा है। क्या माननीय शिक्षा मन्त्री इस चीज को रोकने के लिए कोई उपाय सोच रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

(घोर व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, यह इसी से सम्बन्धित है।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, इस पर माननीय शिक्षा मन्त्री जी से आश्वासन दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सुखपाल पाण्डे आप अपना प्रश्न दोहरा दीजिए ?

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, क्या माननीय शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे . . .

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप ही के दल के सदस्य मुझसे कहते हैं कि आप इतने सप्लीमेन्टरी दे देते हैं कि मेरे सवालों का नम्बर ही नहीं आता। स्वर्गीय बनारसी दास जी की रूलिंग आप देखें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय शिक्षा मंत्री से यह अनुरोध किया है कि वह आपको बुलाकर विस्तार से समझा दें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, जैसा कि माननीय ओझा जी ने बताया कि पैसा लेकर, नकल कराने के उद्देश्य से परीक्षा केन्द्रों का परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से प्रदेश के अन्य कोनों में भी नकल कराने के लिए पैसा लेकर, प्रधानाचार्य नकल कराते हैं। इस परम्परा को खत्म करने के लिए कोई उपाय करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, जहां-जहां से इसकी शिकायत मिलती है, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद् पूर्ण रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही करता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय ओझा जी, मैं आपसे इतनी दफा अनुरोध कर चुका हूं आप बैठ जायें।

(शोर)

शिक्षा मंत्री जी, माननीय ओझा जी को बुलाकर देख लें।

(शोर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

पहले आप शिक्षा मंत्री जी से मिल लें, फिर मैं इसको देखूंगा।

(शोर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, या तो आप मंत्री जी से उत्तर दिलवा दें या फिर प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दीजिए।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, ओझा जी के सवाल का जवाब नहीं आया है मैं चाहूंगा कि अगर मंत्री जी जवाब न दे पायें तो इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द कर दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रेवती रमण सिंह जी मैं ओझा जी से अनुरोध कर चुका हूं कि वह शिक्षा मंत्री जी से मिल लें।

(शोर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, आप मिलने की परम्परा बन्द कर दीजिए या तो आप हमें अपने कक्ष में बुलायें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आप हमारे कक्ष में आ जाइयेगा।

चाचा नेहरू बाल मन्दिर हाई स्कूल आंवला बरेली में श्री आफताब अहमद खां की अध्यापक पद पर नियुक्ति तथा योग्यता

*2—श्री कमल किशन पाण्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चाचा नेहरू बाल मंदिर हाई स्कूल आंवला (बरेली) में किसी ऐसे अध्यापक का अंग्रेजी स्नातक वेतनक्रम में नियमितीकरण दिनांक 1-2-80 से किया

गया है, जो कि उक्त तिथि तक अंग्रेजी विषय में स्नातक था ही नहीं ? यदि हां, तो तब किस नियम के आधार पर यह वेतनक्रम दिया गया एवं इस सम्बन्ध में कितने शिकायती-पत्र विभाग/शासन को अब तक प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी—

चाचा नेहरू बाल मन्दिर हाई स्कूल, आंवला (बरेली) में एक अध्यापक श्री आफताब अहमद खां, जो बी0 एस-सी0, बी0 एड0 योग्यताधारी थे, को स्नातक वेतनक्रम में 1-2-80 से जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली द्वारा नियमित किया गया। श्री खां द्वारा एम0 ए0 अंग्रेजी में 1981 में उत्तीर्ण किया गया बताया गया है।

इस सम्बन्ध में पांच शिकायती-पत्र प्राप्त हुए जिन पर निदेशालय स्तर के अधिकारी द्वारा जांच करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री कमल किशन पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि जिस तारीख को श्री खान को नियमित किया गया था, उस तारीख में उनके पास अंग्रेजी में कोई डिग्री नहीं थी, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि डी0 आई0 ओ0 एस0 से किस बात की इन्क्वायरी करा रहे हैं ? और उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

श्री खान स्नातक वेतनक्रम में नियमितीकरण में पूर्व से अधिकारी थे। इसलिए उनका नियमितीकरण 1-2-80 को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया गया। दूसरी बात कही गई कि वह अंग्रेजी में स्नातक नहीं थे, लेकिन जहां तक स्नातक वेतनक्रम देने का सवाल है वह पूर्ण रूप से सटीक है और आपने कहा कि कौन सी जांच की जा रही है ? तो जांच इसी मुद्दे पर की जा रही थी और की गई है, लेकिन इसे प्रबन्ध तन्त्र उच्च न्यायालय के सामने लेकर चला गया है, जिससे यह मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। इसमें तकनीकी गलती जरूर हुई है, लेकिन अनियमितता इसमें कोई नहीं हुई है।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा क्यों नियमित किया है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अंग्रेजी स्नातक नहीं होगा, अंग्रेजी अध्यापक के पद पर उसका नियमितीकरण कैसे हो सकता है ? किस आधार पर उसका नियमितीकरण किया गया ? जब वह उस तारीख को स्नातक ही नहीं था ?

श्री सिब्ते रजी—

जैसा मैंने स्पष्ट किया तकनीकी गलती जरूर है। डी0 आई0 ओ0 एस0 के जरिये जांच हो रही है, जो दोषी पाया जायेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। जैसा मैंने अर्ज किया याचिका की सूरत में उच्च न्यायालय में यह विचाराधीन है, इससे ज्यादा कहना जनहित में नहीं होगा।

[दिनांक 12 अगस्त, 1985 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

श्री नबी हसन, जियो हाइड्रोलोजिस्ट, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*1—श्री सरदार सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि 24-4-84 को श्री अनीस अंसारी, विशेष सचिव, क्षेत्रीय विकास द्वारा श्री नबी हसन जो केवल जियो हाइड्रोलाजिस्ट हैं और एक्स कैडर अधिकारी हैं, के पास इंजीनियरिंग की डिग्री न होते हुए भी अधीक्षण अभियन्ता पद पर प्रोन्नति के आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो क्यों और कैसे ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के दो शिकायती पत्र मुख्य सचिव को दिनांक 2-6-84 को प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो शासन ने उन पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्री नबी हसन, जियो हाइड्रोलोजिस्ट, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, उत्तर प्रदेश को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर तदर्थ प्रोन्नति के आदेश शासन द्वारा दिनांक 21-4-84 को जारी किये गये थे। श्री नबी हसन जियोलोजी अर्हता के अधिकारी हैं। इनकी प्रोन्नति अधीक्षण अभियन्ता के पद पर कार्य की आवश्यकता को देखते हुए कार्यहित में की गयी है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव को सम्बोधित दो शिकायती पत्र दिनांक 2-6-84 प्राप्त हुए। जिनके सम्बन्ध में आवश्यक जांच की गयी। शिकायत मुख्यतः श्री नबी हसन की प्रोन्नति के सम्बन्ध में थी। तदर्थ प्रोन्नति कार्यहित में की गई और किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गई।

श्री सरदार सिंह—

अध्यक्ष जी, इससे बड़ा घपला और इससे बड़ी अनियमितता प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में नहीं हुई होगी। तदर्थ अध्यापकों को हटा दिया गया उनका नियमितीकरण नहीं किया। दूसरी तरफ जो व्यक्ति इंजीनियर नहीं हैं, उसको इंजीनियर के पद पर नियुक्त कर दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि उसी विभाग में या दूसरे विभाग में इस पद हेतु काबिल इंजीनियर नहीं थे। संविधान की धारा 16 (1) के अनुसार इसका विज्ञापन होना चाहिए, अखबार में निकलना चाहिए, आवेदन पत्र मांगे जाने चाहिए और उसके बाद इन्टरव्यू होना चाहिए। क्या यह सब चीजें की गईं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, यह भू-जल सर्वेक्षण विभाग नया संगठन है। पहले यह सिंचाई विभाग के अंतर्गत था। इस संगठन में विभिन्न विभागों के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर बुलाये गये हैं। नबी हसन भारत सरकार के केन्द्रीय जल परिषद् से प्रतिनियुक्ति पर आये थे। प्रतिनियुक्ति पर आने के बाद उनसे पूछा गया कि आप यहां रहना चाहते हैं या अपने मूल विभाग में जाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा मैं यहीं रहना चाहता हूं। इस पर उनका संविलयन किया गया। इस सम्बन्ध में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस प्रोन्नति के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

इसके लिए चयन समिति बनायी गई थी ? अगर बनाई गयी थी तो उसके सदस्य कौन-कौन थे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

इस संगठन में प्रतिनियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र आये और उसको प्रतिनियुक्ति पर लिया गया । प्रतिनियुक्ति पर आने के बाद आप्शन लिया गया कि इस विभाग में रहना चाहते हैं या मूल विभाग में जाना चाहते हैं ।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, सवाल साधारण सा है । प्रतिनियुक्ति पर लेने के नियम हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि डाक्टर की ट्रेनिंग न किये हो, इंजीनियर की ट्रेनिंग न किये हो, इंजीनियर और डाक्टर के पद पर नियुक्त किया जा सकता है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, विभाग में दो पद थे सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर के लेकिन इस विभाग में केवल इन्जीनियर ही काम नहीं करते बल्कि इंजीनियर के अलावा हाइड्रोलाजिस्ट, जियोफिजिसिस्ट और रसायन शास्त्र के विशेषज्ञ भी काम करते हैं और इनकी संख्या करीब-करीब बराबर है । कार्य की अधिकता को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि एक पद पर साइंटिस्ट रखा जाय और एक पद पर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रखा जाय । वहां पर नबी हसन सीनियर थे, इनको कार्य के हित में सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर के पद पर रखा गया । यह पदनाम भी बदलने की कोशिश की गयी । शासन ने निर्णय लेने पर विचार किया कि यह पदनाम बदल दिया जाय परन्तु वहां के एक कर्मचारी ने स्टे आर्डर ले लिया कि पदनाम न बदला जाय वरना पदनाम बदल गया होता और माननीय सदस्यों को यह भ्रम न होता कि इंजीनियर के पद पर साइंटिस्ट कैसे प्रमोट कर दिया गया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि वहां पर साइंटिस्ट क्यों पोस्ट किया गया और न सुप्रीम कोर्ट के स्टे आर्डर से ही मतलब है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अधीक्षण अभियन्ता सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर का पद टेक्निकल होता है, जब तक कि यह पद परिवर्तित नहीं हो जाता तब तक अधीक्षण अभियन्ता की जगह पर क्या नान-टेक्निकल को एप्वाइंट किया जा सकता है ? मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि अधीक्षण अभियन्ता के पद पर क्या किसी नान-टेक्निकल आदमी की नियुक्ति की जा सकती है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, जैसा कि मैंने बताया कि इस संगठन में, जो भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन है इसमें केवल इन्जीनियर ही कार्यरत नहीं हैं । इसमें और भी विभिन्न लोग हैं । हाइड्रोलाजिस्ट भी हैं । दो पद जो सृजित थे सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर के उनमें आवश्यकता एक ही पद पर सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर की थी और एक पद पर साइंटिस्ट की थी तो इस आवश्यकता को देखते हुए एक पद पर साइंटिस्ट रखा गया । वह पदनाम जिससे

भ्रम पैदा हो रहा है वह किसी कर्मचारी ने स्टे आर्डर ले लिया कि पदनाम न बदला जाय ।

श्री शत्रुरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि ग्रामीण विकास विभाग में भूगर्भ शास्त्री या रसायन शास्त्री या भौतिक शास्त्री जो वैज्ञानिक हैं क्या उनको किसी अभियन्ता के पद पर रखने का या किसी अभियन्ता को भूगर्भ शास्त्री, रसायन शास्त्री या वैज्ञानिक के पद पर रखने के लिए आदेश जारी किया गया है या नहीं ? किस आदेश से एक हाइड्रोलाजिस्ट को एक इन्जीनियर के पद पर रखा गया है ? क्या इसके सम्बन्ध में कोई आदेश शासन द्वारा जारी किये गये हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, इन्जीनियर का काम साइंटिस्ट नहीं कर सकता और साइंटिस्ट का काम इन्जीनियर नहीं कर सकता, यह सच है । उसका पदनाम बदलने की कोशिश की गयी । शासन ने यह अनुभव किया कि दो पद जो सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर के हैं उनमें एक पद पर सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर को रखा जाय । कोई किसी दूसरे के पद पर रखने का प्रश्न नहीं था ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं यह देख रहा हूं कि इस विभाग में कई ऐसे एप्वाइन्टमेंट हुए जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं थी । मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से इसकी जानकारी है, लेकिन पता नहीं यहां पर ये क्यों परेशान हैं, यहां पर उसको स्वीकार नहीं करते । एक दिन इटावा के ऐसे ही एक मामले के लिए 45 मिनट सदन को स्थगित करना पड़ा जिसमें बिना डिग्री के एक इंजीनियर बना था । मान्यवर, यह परम्परा गलत पड़ती जा रही है और संविधान की मूल भावना की उपेक्षा होती जा रही है । अतः मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज दीजिए ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, बताया तो कि किसी इंजीनियर के पद पर हाइड्रोलाजिस्ट की नियुक्ति नहीं की गयी है । लेकिन चूंकि पदनाम सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर है, इसलिये माननीय सदस्य को भ्रम है । उस पद का नाम बदलने पर विचार किया गया था, लेकिन उस पर स्टे हो गया ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, यह बहुत गलत परम्परा है । इसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति को नहीं देंगे तो गलती हो जायेगी । एक तरफ इन्होंने 17 हजार शिक्षकों को बाहर कर दिया और कह दिया कि उनको विनियमित नहीं किया जायेगा और दूसरी तरफ गलत एप्वाइन्टमेंन्ट हो गया है, मंत्री जी स्वयं जानते हैं, तो इनको दोहरा मापदण्ड नहीं चलाना चाहिए । इसको आप प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज दीजिये, पूरी चीज स्पष्ट हो जायेगी । यह कहते हैं कि कार्यहित में नियुक्ति की है, तो जनहित तो सुना है लेकिन कार्यहित कहीं नहीं सुना ।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर बात है । जहां मान्यवर, आप बैठे हैं आपके हाथ

में पूरे प्रदेश का हित होता है। आज इस प्रकार कोई इंजीनियर बन सकता है तो कल को मान्यवर, यह हो सकता है कि किसी इंजीनियर को डाक्टर के पद पर नियुक्त कर दें या डाक्टर को इंजीनियर बना दें। यह परम्परा कि किसी को भी डाक्टर बना दें या इंजीनियर बना दें, तो इससे प्रदेश चलने वाला नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस मामले को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को दे दें, जिससे छानबीन हो जाय और सही स्थिति का पता लग जाय।

श्री नारायन दत्त—

श्रीमन्, मैं सम्मानित सदस्य बुलन्दशहर से आग्रह करूंगा कि जो नियुक्ति की है, उसे देखें। यह सही है कि नियुक्तियां स्थायी आधार पर ही होनी चाहिए और तदर्थ प्रोन्नति कम से कम होनी चाहिए। श्रीमन्, कभी-कभी काम के हित में शासन अनुभव करता है कि जब लोक-सेवा आयोग से कहीं कोई कठिनाई होती है तो तदर्थ नियुक्ति की जाती है। माननीय सदस्य देखेंगे कि यह कोई बड़ी अनियमितता नहीं है, जिससे चिंतित होना चाहिए, जियो हाइड्रोलाजिस्ट का अर्थ क्या होता है, जियो हाइड्रोलाजिस्ट यानी जो भूगर्भ में जल सर्वेक्षण करें। श्री नबी हुसैन भारत सरकार में केन्द्रीय ग्राउन्ड वाटर बोर्ड में सन् 1973 में जूनियर हाइड्रोलाजिस्ट थे और यह देखते हुए कि इन्होंने जियोलाजी की थी भूगर्भ जल संगठन के अधिकारियों का मिला जुला विभाग है। इसमें विभिन्न अनुशासन के लोग कार्यरत हैं। यह जियो हाइड्रोलाजिस्ट थे, इसमें जियोलाजी सबजेक्ट भी आता है। इसीलिए इसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि यह अनर्ह है। यह ज्येष्ठतम अधिकारी हैं। मान्यवर, इन्हें 19 वर्षों का भूगर्भ सर्वेक्षण अनुसंधान का अनुभव प्राप्त है। माननीय नेता विरोधी दल ने इस सम्बन्ध में प्रश्न किया है अगर कोई अनियमितता उन्होंने पायी है तो वे लिखकर भेज दें मैं उसे देख लूंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, इसी विभाग में यही नहीं तमाम उदाहरण हैं, कई मामले इस सदन में प्रकाश में आ चुके हैं। मान्यवर, इस तरह से यह गलत परम्परा होगी। अगर मान लिया जाय कि थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन है भी, जब उस शैक्षिक योग्यता के लोग एवलेबिल हैं तो मांग की गयी होती कहीं विज्ञापित किया गया होता। दूसरी जगह से मांग भी नहीं की। नान टेक्नीकल आदमी को प्रोन्नत कर दिया है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द कर दें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, यह संगठन 1970 में बना था। भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन—इसमें जैसा कहा गया कि यह नया विभाग था। इसमें विभिन्न अनुशासन के लोग काम करते हैं। 50 परसेन्ट के करीब साइंटिस्ट हैं और 50 परसेन्ट के करीब इंजीनियर्स हैं। दो पद सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर के क्लास वन के थे। कार्य हित में संगठन ने देखा कि दोनों पर इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है एक पर इंजीनियर की जरूरत है एक पर साइंटिस्ट की जरूरत है। जो दूसरा पद था, उस पर जियो हाइड्रोलाजिस्ट नबी हसन सीनियर मोस्ट थे साइंटिस्ट, उनको प्रोमोट किया

गया । फिर यह हुआ कि एक साइंटिस्ट रख रहे हैं इसलिए इनका पदनाम बदल लिया जाय उसका निर्णय लिया गया लेकिन एक कर्मचारी कोर्ट से स्टे ले आया कि अभी पदनाम न बदला जाय । मान्यवर, शासन को इस बात का अधिकार है कि अगर दो पद हैं तो एक को सरेंडर भी कर सकते हैं । कोई ऐसी अनियमितता नहीं हुई है । मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि पदनाम चूंकि सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर रखा गया है इसलिये माननीय सदस्यों को भ्रम है ?

श्री अध्यक्ष—

चूंकि इसमें माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता सदन दोनों के विचार सामने आये । मैं चाहूंगा कि माननीय श्री सरदार सिंह जी और माननीय मन्त्री जी इस मामले को मेरे कक्ष में ले आयें और मैं इसे देख लूंगा । क्योंकि कभी-कभी अनुभव और क्वालिफिकेशन को भी देखा जाता है । यदि मैं देखने के बाद मुनासिब समझूंगा तो प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज दूंगा वरना नहीं भेजूंगा ।

प्रदेश में बेरोजगार बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थी

***2—श्री राम आसरे वर्मा—**

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को जो इस समय बेकार बैठे हैं, सेवा में लेने के लिए शासन ने कौन सी नीति निर्धारित की है ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)—

प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 के प्रावधानों के अनुसार की जाती हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, यह सबको मालूम है कि इस नियमावली के तहत नियुक्तियां की जाती हैं । पूरे प्रदेश में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की कतार सी लगी हुई है, जिससे उनके सामने बेरोजगारी खड़ी होती जा रही है । इन लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार ने क्या रास्ता अपनाया है । पूरे प्रदेश में कितने बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी हैं, और कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, यह प्रश्न सूचना के लिए है इसलिए इस पर सूचना एकत्रित करके बता दिया जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आप हमें संरक्षण दें । मैंने अनुपूरक प्रश्न किया और मंत्री जी ने उत्तर दिया कि सूचना एकत्रित की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी ने कह तो दिया कि सूचना एकत्र करने की आवश्यकता है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, इस प्रश्न को आप स्थगित कर दें । जब इसकी पूरी सूचना एकत्रित हो जायेगी तो आप इसे टेक-अप कर लें । मंत्री जी को एक हफ्ते का समय इस पर दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

कितने बेरोजगार हैं और कुल संख्या कितनी है, इसमें तो काफी समय लगेगा और उसके बाद ही उत्तर आ सकेगा ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, हर जिले में इसकी सूचना रहती है ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, चूंकि यह जिले की सर्विस है । माननीय सदस्य ने नियमों के तहत प्रश्न पूछा है । प्रत्येक जिले से सूचना इकट्ठी करनी पड़ेगी । एक जिले की बात तो है नहीं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी दर-दर की ठोकरें खाकर घूम रहे हैं । 1972, 73, 74 के अभ्यर्थी पड़े हुए हैं । रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं । उन बेरोजगारों के बारे में सरकार क्या कर रही है, यह मेरा सीधा प्रश्न था । इनकी संख्या कितनी है ? माननीय मंत्री जी ने कहा कि सूचना नहीं है । हो सकता है कि किन्हीं कारणोंवश सूचना एकत्र नहीं कर पाये हों । जबकि सूचना एकत्र की जानी चाहिए थी । मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी के पास इसकी सूचना है । फिर भी हर जिले में इसकी सूचना बनी होती है । जिले में इसकी भी सूचना होती है कि कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष—

15 दिन के बाद अपने आप आ जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

सवाल की अहमियत को देखते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें एक हफ्ते का समय दें 15 दिन का नहीं । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस पर कुछ कंसीडर करें ।

श्री अध्यक्ष—

15 दिन के बाद यह आयेगा । यह प्रश्न स्थगित किया जाता है ।

अल्मोड़ा, प्राइमरी विद्यालय, कल्कीया रजवार में अध्यापकों की कमी

*3—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी विद्यालय कलकीया रजवार, पत्रालय चित्तौड़ खाल, विकास खण्ड स्याल्दे (अल्मोड़ा) में 86 छात्र हैं और जनवरी, 83 से सितम्बर, 84 तक एक ही अध्यापक विद्यालय में है, जिससे छात्रों की शिक्षा पर कुप्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त एक अतिरिक्त अध्यापक की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

प्राइमरी पाठशाला कलकीया रजवार, पत्रालय चित्तौड़ खाल, जनपद अल्मोड़ा में दिसम्बर, 83 से एक अध्यापक कार्यरत है ।

जी हां, शीघ्र व्यवस्था की जा रही है ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से और जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों की

भावना है काफी लोग बेरोजगार पड़े हैं, एक विद्यालय में 84-85 छात्र हैं उनको एक अध्यापक पढ़ा रहा है, तो ऐसे कौन से कारण या परिस्थितियां हैं कि दूसरे अध्यापक की नियुक्ति नहीं हो सकती जबकि अल्मोड़ा में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों की बहुतायत है और काफी लोग बेरोजगार पड़े हैं ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

वहां दो अध्यापक नियुक्त थे, एक का स्थानान्तरण हो गया, दूसरे की व्यवस्था कर दी जायेगी ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

स्थानान्तरण हो जाता है तो क्या उसके स्थान पर नियुक्ति नहीं हो सकती थी, दो-दो, चार-चार साल हो गये ?

श्री अध्यक्ष—

नहीं । आप बैठें ।

पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार, बस डिपो में बसों का अभाव

*4—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उ0 प्र0 राज्य परिवहन निगम द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत बसों के अभाव एवं उनकी खराबी के कारण कई राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बस सर्विस नियमित नहीं चलायी जाती हैं जिससे जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार कोटद्वार डिपो में बसों के अभाव को दूर करने तथा त्रुटिपूर्ण बसों की मरम्मत करने अथवा उनके स्थान पर नई बसें भेजने की दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है और कब तक समस्या का समाधान होने की संभावना है ?

परिवहन मंत्री (राजकुमार संजय सिंह)—

पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के लिए परिवहन निगम द्वारा कोटद्वार डिपो से 36 बसों के चलाने का प्राविधान है जिसमें से 32 बसें इस समय कार्यरत हैं ।

गढ़वाल अंचल में अपनी सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से परिवहन निगम द्वारा इस वर्ष 50 नयी पर्वतीय बसों को दिये जाने का प्रस्ताव है । इसमें से 9 बसें उपलब्ध करायी जा चुकी हैं ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मंत्री जी ने स्वयं अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि कुछ बसें बहुत खराब हैं । मेरा स्वयं का अनुभव है, बता रहा हूं, पिछली बार भी आया, जो बसें इस समय कार्यरत हैं, उनमें चलने में छाता लगा कर 2 बार में आया हूं । इसी, बरसात में पौड़ी से कोटद्वार आया हूं छाता लगा कर । तो मैं जानना चाहता हूं कि जो शेष 50 बसें हैं वे कोटद्वार डिपो को देने का कष्ट करेंगे ?

राजकुमार संजय सिंह—

मैंने अर्ज किया कि 85-86 में 50 बस दे रहे हैं और वर्ष के अन्त तक जितनी समुचित आवश्यकता है, पूरी कर दी जायेगी ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

जिनमें छाता लगा कर जाना पड़ता है उनको रिप्लेस करने के आदेश दे दें ।

उनके बदले में दूसरी बसें भेजने की व्यवस्था कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

85-86 में ऐसी बसें दे दी जायेंगी जिनमें छाता लगाने की जरूरत नहीं होगी ।

(हंसी)

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, क्या आपने निर्देश दे दिये हैं कि जिन बसों में माननीय विधायक चलें उसमें छाता लगा कर चलें ?

राजकुमार संजय सिंह—

माननीय सदस्य को अगर छत पर बैठ कर चलने की आदत है तो छाता लगा कर चलना ही पड़ेगा ।

(हंसी)

*5—श्री मित्रसेन—

[दिनांक 17-7-85 को अल्पसूचित तारांकित प्र0 सं0-1 द्वारा उत्तरित]

*6—श्री किरन पाल सिंह—

[दिनांक 15-7-85 को ता0 प्र0 सं0-9 द्वारा उत्तरित]

पिथौरागढ़-दिल्ली मार्ग पर हापुड़ में बस दुर्घटना एवं घायल व्यक्तियों का मुआवजा

*7—श्री कमल किशन पाण्डेय—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-7-82 को पिथौरागढ़-दिल्ली मार्ग में हापुड़ के निकट राजकीय परिवहन निगम की बस संख्या यू0 टी0 एफ0 9643 दुर्घटना-ग्रस्त हुई थी ? क्या यह सच है कि इसमें घायल व्यक्तियों को शासनादेश संख्या 279 (ए) 3-13 डब्लू/81, दिनांक 25-7-82 एवं जिलाधिकारी, गाजियाबाद के पत्र सं0 604 दिनांक 7-12-82 द्वारा मुआवजे के स्वीकृति के बावजूद अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या तत्काल उक्त मुआवजे की धनराशि को दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

राजकुमार संजय सिंह—

जी हां । दिनांक 7-12-1982 को जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा तीन घायल व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दिये जाने की संस्तुति डिपो मैनेजर, टनकपुर को भेजी गयी थी । शासनादेश संख्या 2791प/30-3-13-डब्लू/81, दिनांक 25-7-1981 के अन्तर्गत ऐसे विषयों पर कार्यवाही परिवहन आयुक्त द्वारा की जानी थी । जिलाधिकारी गाजियाबाद से प्रस्ताव 9-7-1984 को प्राप्त हुआ । चूंकि तीनों व्यक्ति पूर्ण अथवा आंशिक विकलांग की परिभाषा में नहीं आते थे अतः उक्त शासनादेश के अंतर्गत उनको सहायता नहीं दी जा सकी है ।

श्री कमल किशन पाण्डेय—

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या घायलों को कोई कम्पन्सेशन नहीं दिया जायेगा ? क्या केवल परमानेंट डिसएबिलिटी पर ही दिया जा सकता है ?

राजकुमार संजय सिंह—

मान्यवर, शासनादेश में है कि जब तक पूर्ण रूप से घायल न हो, कोई कम्पन्सेशन नहीं दिया जायेगा ।

श्री गौरी शंकर भइया—

पिछले 3-4 वर्ष से जो पूर्ण रूप से क्षति-ग्रस्त हो गये हैं और जिन्होंने क्षतिपूर्ति के लिये आवेदन-पत्र दिया है, पूरे प्रदेश में, क्या यह सत्य है कि अनावश्यक रूप से विलम्ब करके किसी का भी पेमेण्ट नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या शीघ्र निपटारे के आदेश देंगे ?

राजकुमार संजय सिंह—

मेरी जानकारी में ऐसा कोई भी विलम्ब नहीं होता है। कोई स्पेसिफिक जानकारी हो तो सूचित करें, शीघ्रता करेंगे।

श्री सुखपाल पाण्डे—

जिनका सर टूट गया हो, हाथ से घायल हो गये हों, लेकिन टूट कर अलग न हुआ हो, क्या ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति के निर्देश देने की कृपा करेंगे ?

राजकुमार संजय सिंह—

पहले ही निवेदन किया है कि डाक्टर की रिपोर्ट होगी कि डिसएबिल्ड हैं तो अवश्य कम्पन्सेट किया जायेगा।

जिला परिषद् के कर्मचारियों की पेंशन

*8—श्री राजेन्द्र गुप्त (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषदों के उन कर्मचारियों को जो 1-1-71 से पूर्व सेवा निवृत्त हुए हैं उन्हें पेंशन दिया जाना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सहारनपुर, राष्ट्रीय कन्या जूनियर हाई स्कूल बोंगला की अध्यापिका, श्रीमती रानी गुप्ता का प्रशिक्षण

*9—श्री राम सरन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के अधि-नियम (ग्रांट इन एड) के अन्तर्गत जन-पद सहारनपुर में कितने कन्या जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं जिनमें 10 वर्ष से कार्यरत अध्यापिकाओं को विभागीय नियमों के अनुसार ट्रेनिंग नहीं दी गयी और न ही पत्राचार ट्रेनिंग द्वारा ट्रेन्ड कराया गया ? यदि हां, तो क्यों ? ऐसी अध्यापिकाओं को कब तक ट्रेन्ड तथा ट्रेन्ड ग्रेड दिला दिया जायेगा ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

केवल राष्ट्रीय कन्या जूनियर हाई स्कूल बोंगला में 10 वर्ष से कार्यरत एक अध्या-पिका श्रीमती रानी गुप्ता अप्रशिक्षित हैं। उनके प्रशिक्षण के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण प्रशिक्षण संबंधी कार्य-वाही नहीं हो सकी।

प्रबंधतंत्र द्वारा सूचित किया गया है कि अध्यापिका को वर्ष 85-86 में प्रशिक्षण हेतु भेजा जा रहा है। अध्यापिका के प्रशि-क्षित होने पर उन्हें ट्रेन्ड ग्रेड देना संभव हो सकेगा।

श्री राम सरन—

मैं जानना चाहता हूं कि इसके अलावा गुरु नानक कन्या हाई स्कूल, सहारनपुर की मोहन बाला गुप्ता हैं, उनका भी ऐसा ही मामला है, क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है ? यदि नहीं, तो क्या

जानकारी प्राप्त करके विभाग से जांच करायेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, इसमें सूचना की जरूरत है।

श्री राम सरन—

क्या मेरी निजी जानकारी के आधार पर सूचना मंगा कर सूचित करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

इसको दिखवा लेंगे, अगर अनियमितता हुई होगी तो देखेंगे।

चौधरी जवाहर सिंह इण्टर कालेज, मुतियानी, इटावा के छात्रों को वितरण न किया गया गणित प्रथम प्रश्न-पत्र

*10—चौधरी महाराज सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि चौ0 जवाहर सिंह इण्टर कालेज, मुतियानी, जनपद इटावा में 21-3-85 को गणित प्रथम प्रश्न पत्र के पर्चे कितने विद्यार्थियों को नहीं दिये गये ? यदि हां, तो वह किस विद्यालय के छात्र थे और संख्या कितनी थी ? उन पर शासन ने व माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? अगर नहीं की तो क्यों ? व्यवस्थापक और प्रबन्धक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और जो छात्रों का एक वर्ष बर्बाद हुआ है उसकी जिम्मेदारी किन लोगों पर है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

चौधरी महाराज सिंह—

मान्यवर, सूचना बहुत पहले दी जा चुकी है। छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है, इसलिये आज ही रखकर जवाब दें।

मान्यवर, इसमें 182 छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है। उन 182 छात्रों को जानबूझ कर आपसी राजनीति के कारण प्रश्न-पत्र नहीं दिया गया, जिसके कारण से वे लड़के अनुत्तीर्ण घोषित हो गये। मैंने इसके संबंध में इसके पहले भी शिक्षा मंत्री जी को लिख कर दिया था कि इसके जरिये से यहां कोई भी घटना घटित हो सकती है, लेकिन मंत्री जी ने लगता है कि कोई जांच ही नहीं करायी यदि करायी होती तो आज वे ऐसा उत्तर न दे रहे होते।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कर रहे हैं या घटना को बतला रहे हैं ?

श्री चौधरी महाराज सिंह—

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर आना चाहिये।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जानबूझ कर उस परीक्षा केन्द्र पर 182 परीक्षार्थियों को गणित का पेपर नहीं दिया गया जिसके कारण उनका परीक्षाफल प्रभावित हुआ आप देखें कि इस प्रश्न को पूछे जाने की तिथि 22-5-85 है। अब तक इसका उत्तर आ जाना चाहिये था लेकिन दोषी अधिकारियों को बचाने के लिये अभी तक इस सवाल का उत्तर नहीं आया है। इस प्रश्न को मैं स्थगित कराकर 15 दिन में उत्तर मंगाने के पक्ष में नहीं हूं बल्कि मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को आप प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सुपुर्द कर

दें जिससे कि अच्छी तरह से प्रश्न की छानबीन हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—

यह जो जवाब आता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है, इसका जवाब 15 दिन में दुबारा आ जाता है । इसका 15 दिन में फिर उत्तर आ जायेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने संबंधित विभाग के अधिकारी से प्रश्न पूछा ही होगा तो इस प्रश्न के संदर्भ में उस अधिकारी ने जो उत्तर दिया होगा उसे मंत्री जी यहां पढ़ कर सुना दें । वह चाहे अन्तरिम उत्तर हो, चाहे संक्षिप्त उत्तर हो, चाहे आधा ही उत्तर हो कुछ तो उनके पूछे जाने के संदर्भ में उन्हें उत्तर मिला ही होगा, कृपया सदन में उसे ही बताने की कृपा करें ?

श्री अध्यक्ष—

आप दोनों सदस्य खड़े हुए हैं । मैं आप दोनों की बातों को सुन रहा हूं । आपसे अनुरोध है कि आधा-तीहा उत्तर से कोई फायदा तो है नहीं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मंत्री जी के इस उत्तर से हम सन्तुष्ट नहीं हैं । यदि मंत्री जी आधा-तीहा ही उत्तर बतला देंगे तो उससे सदस्यगण सन्तुष्ट हो जायेंगे या ये यही बतला दें कि हमारी बात का कोई उत्तर ही नहीं आया है । जरा हम लोगों को भी तो पता चले कि आपकी कार्यपालिका किस तरह से काम कर रही है ? या यह ही बतला दें कि यह उत्तर आया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, इन 182 लड़कों को परीक्षा के लिये प्रश्न पत्र जानबूझ कर नहीं दिये गये जिसके कारण वे 182 लड़के सारे के सारे अनुत्तीर्ण हो गये । मां-बाप ने जिन लड़कों को पढ़ाया-लिखाया, पैसा खर्च किया, उनको परीक्षा के समय जानबूझ कर प्रश्न-पत्र नहीं दिये गये और इसलिये वे सब के सब फेल हो गये । मैंने इस संबंध में माननीय मंत्री जी को पहले लिखा था और आज यह बात सवाल के रूप में भी यहां उठायी गयी है । मेरा पत्र जो मंत्री जी को गया था उस संबंध में जरूर उन्होंने कुछ न कुछ जांच करायी होगी । यहां मंत्री जी यही बतला दें कि कौन से अधिकारी से वे जांच करा रहे हैं ? यदि अभी तक जांच नहीं करायी है तो क्यों नहीं करायी है ? कोई तो स्पष्ट उत्तर आना चाहिये, यदि स्पष्ट उत्तर नहीं आता है तो वे बेचारे लड़के जिनका कि साल बर्बाद हो गया है, कहां जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल, आप स्वयं अनुभवी हैं और जानते हैं कि जब एक प्रश्न का जवाब दिया जाता है कि "सूचना एकत्र की जा रही है" तो खुद ब खुद 15 दिन के अन्दर उसका जवाब फिर से आ जाता है । यदि उस समय भी मंत्री जी जवाब नहीं दे पायेंगे तो फिर देखा जायेगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, यहां पर आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन सवाल यह है कि 182 लड़के फेल हो गये उनके लिए सरकार कोई उपाय सोच सकती है, पर्चा दिला सकती है ?

श्री अध्यक्ष—

शिक्षा मंत्री इस मामले को देख लें। 15 दिन के अन्दर जो भी कमियां हैं, आपका उत्तर नहीं आ रहा है या उसमें आपको कुछ निर्णय लेना है और जब 15 दिन के बाद जवाब फिर आये तो यह जवाब नहीं आना चाहिए।

(तारांकित प्रश्न संख्या 11 पुकारे जाने पर)

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय बदन सिंह जी आपसे भी कहना पड़े, यह बड़े दुख की बात है। मैंने अपना निर्णय दे दिया है।

श्री बदन सिंह—

[x x x]

श्री अध्यक्ष—

यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री बदन सिंह—

[x x x]

श्री अध्यक्ष—

बदन सिंह जी, कहीं पर यह नियम है, प्रश्नों के समय में आप ऐसी बात उठा सकेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

व्यवस्था के रूप में तो उठा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न के समय में व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

निजी नर्सरी एवं मान्टेसरी स्कूलों के छात्रों की फीस

*11—श्री राम नाथ मुंशी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जब निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है तो 10 से 15 रुपया तक फीस लेकर प्राथमिक शिक्षा देने वाले व्यावसायिक नर्सरी, मान्टेसरी आदि स्कूलों को खोलने तथा मान्यता देने की दोहरी व्यवस्था का क्या औचित्य है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

निजी प्रबंधतंत्र द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों/कक्षाओं (कक्षा 1 से 5) के छात्रों से अधिकतम 15 रुपया फीस लिये जाने की व्यवस्था 1 जुलाई, 1975 से करने का औचित्य यह था कि इन स्कूलों/कक्षाओं में शिक्षण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो सके और साथ ही उनके शिक्षकों/कर्मचारियों को भी वही वेतनादि प्राप्त हो सकें जो बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों के समकक्ष शिक्षकों/कर्मचारियों को देय हों। एक जुलाई, 1975 से ही नये प्राइमरी स्कूलों को मान्यता देना भी बन्द कर दिया गया था परन्तु नये प्राइमरी स्कूलों को खोले जाने की बढ़ती हुई मांग के परिपेक्ष्य में मान्यता पर रोक लगाये रखना उचित नहीं समझा गया और शैक्षिक सत्र 1981-82 से प्राइमरी स्कूलों की मान्यता पर रोक समाप्त कर दी गई।

श्री राम नाथ मुन्शी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब

टिप्पणी—[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क है और आपके प्रशिक्षित पचीसों हजार शिक्षक बेकार पड़े हैं, इस दोहरी व्यवस्था से क्या गांवों में रहने वाले उन गरीब परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पायेगी और जो शिक्षित प्रशिक्षित बैठे हुए हैं, उनको रोजीरोटी कभी मिल पायेगी ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

शासन के द्वारा शिक्षा व्यवस्था की जा रही है, उसके अनुसार जितने विद्यालय खुलेंगे, उनके अनुसार उनकी नियुक्ति होती रहेगी ।

श्री राम नाथ मुन्शी—

मान्यवर, मैं इसी प्रश्न के माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री ने 15 रुपये फीस की स्वीकृति देकर दोहरी शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी लेकिन मान्यवर यह शिक्षा व्यवस्था शिक्षा की दृष्टि से न लागू करके यह व्यवसाय की दृष्टि से लागू की गयी है जिसके माध्यम से गांवों में एक दोहरी नीति पैदा हो गयी है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न कर लीजिए ।

श्री राम नाथ मुन्शी—

अब गरीबों को सही शिक्षा नहीं मिलेगी क्या यह नीति संविधान के अनुकूल है, यह उसके सिद्धान्तों का पालन करती है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं है ।

श्री राम नाथ मुन्शी—

मैं इस प्रश्न को फिर पूछ रहा हूं ।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि निःशुल्क शिक्षा की नीति से अलग हटकर निजी प्रबंध तंत्र द्वारा संचालित स्कूलों के कारण देहाती क्षेत्रों में हर प्राइमरी पाठशाला के निकट मान्टेसरी विद्यालय चल रहे हैं, जिसके कारण आपके बेसिक विद्यालय सूने पड़े हैं, क्या शासन इस पर पुनर्विचार करने के लिये तैयार है ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न आपका साफ नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि शासन ने निःशुल्क शिक्षा नीति से हटकर, मान्टेसरी स्कूलों की व्यवस्था कर दी है, जहां पर 10 रु0 से 15 रु0 की फीस ली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बेसिक स्कूलों के पास फर्जी मान्टेसरी स्कूल चल गये हैं और आपके स्कूल फर्जी होते चले जा रहे हैं तो क्या माननीय मंत्री जी इस नीति पर फिर से विचार करेंगे ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और भरसक प्रयास किया जाता है कि शिक्षा अच्छे ढंग से संचालित हो ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो आपने मान्टेसरी स्कूलों को मान्यता दे दी है वहां पर 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक फीस ली जाती है तो क्या सरकार उन स्कूलों

पर कोई अंकुश लगायेगी जिससे कि वह अधिक फीस न ले सकें ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, यह निश्चय किया गया है कि 15 रुपये से अधिक फीस वह नहीं ले सकते हैं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि वहां पर अधिक फीस ली जाती है, 50 रु0 तक फीस ली जाती है ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, वही कहावत है कि भैंस के आगे बीन बाजे और भैंस खड़ी पगुराय । मंत्री जी प्रश्न को समझ नहीं पा रहे हैं और जवाब जो दे रहे हैं वह दूसरा दे रहे हैं । अगर माननीय मंत्री जी उत्तर न दे सकें तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहें कि वह उत्तर दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसका औचित्य यह था कि इन स्कूलों में शिक्षण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो सके और साथ ही उनके शिक्षकों को भी वही वेतन आदि प्राप्त हो सके जो बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों के समकक्ष शिक्षकों को देय हो, मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देवरिया . . .

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न कर लीजिये, देवरिया ले जायेंगे तो कैसे काम चलेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, कानवेंट स्कूलों में वेतन का भुगतान बहुत कम किया जा रहा है और देवरिया का कान्वेन्ट स्कूल इसका उदाहरण है, क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ? वहां पर 100 रु0 से 120 रु0 वेतन दिया जा रहा है ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें यह साफ कहा गया है कि 10 रु0 से 15 रु0 के शुल्क की व्यवस्था है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं और मेरी निजी जानकारी है, मेरी बच्ची पढ़ती है 25 रु0 फीस ली जाती है, तो जो विद्यालय अधिक फीस ले रहे हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

नियमों की अवहेलना होती होगी तो कार्यवाही अवश्य की जायेगी ।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, यह सवाल नीति का है । मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं, इसमें प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं है । जहां तक प्राइमरी एजूकेशन का सवाल है, शासन भी और विपक्ष भी इस बात के लिये प्रयत्नशील रहा है कि वह निःशुल्क होनी चाहिए और है भी । यही शासन की नीति भी है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस नीति को शासन ने बदल दिया है ? क्या उन स्कूलों को भी मान्यता दी जा रही है जो 15 से 20 रुपये लेते हैं ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, कोई नीति बदलने का सवाल ही नहीं है।

देवरिया-देसही देवरिया मार्ग, देवरिया महुआडीह मार्ग, देवरिया-गौरी बाजार मार्ग पर बस संचालन की मांग

*12—श्री रणजीत—

(अनुपस्थित)

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय जनता की सुविधा के लिए देवरिया से देसही देवरिया, देवरिया से महुआडीह, भटनी-दादन तथा देवरिया से गौरीबाजार तक लोकल बसों को चलाने के आदेश दिये जायेंगे या जहां एक दो बसें चल रही हैं वहां पर बसों की संख्या में वृद्धि की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह—

देवरिया से देसही-देवरिया मार्ग पर प्रतिदिन 3 अप व 3 डाउन देवरिया से महुआडीह-भटनी-पाटन होते हुये हैतिमपुर मार्ग पर 3 अप व 3 डाउन एवं देवरिया से गौरी बाजार मार्ग पर 5 अप व 5 डाउन सेवायें वर्तमान में संचालित की जाती हैं। प्रति बस यात्रियों की वास्तविक संख्या को देखते हुये और बसों का लगाया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

बाराबंकी, विकास खण्ड मवई के अन्तर्गत न्यू सिलाई मशीन की प्रशिक्षण संस्था के प्रशिक्षार्थियों की संख्या

*13—श्री बैनी प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 4966/38—6 आई0 आर0 डी0 127/84 दि0 20-9-84 द्वारा ट्राइसेम योजना में अधिकतम 10 प्रशिक्षार्थियों को एक संस्था में प्रशिक्षण देने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड मवई में न्यू सिलाई मशीन की प्रशिक्षण संस्था में 50 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ? यदि हां, तो शासनादेशों की अवहेलना करने वाले कौन-कौन जिम्मेदार व्यक्ति हैं और क्या सरकार शासनादेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं।

सन्दर्भित शासनादेश द्वारा ट्राइसेम योजना में दस प्रशिक्षार्थियों की अधिकतम सीमा दस्तकारी/शिल्पकारों (मास्टर क्राफ्ट्समैन) के लिये निर्धारित की गयी है न कि किसी प्रशिक्षण संस्था हेतु। अतः जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड मवई में न्यू सिलाई मशीन के प्रशिक्षण दिये जाने में शासनादेशों की अवहेलना तथा अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

परिवहन विभाग, केन्द्रीय कार्यशाला कानपुर द्वारा एयर कूल्ड बसों का निर्माण

*14—श्री यदुनाथ सिंह (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मन्त्री को ज्ञात है कि वर्ष 1981 में राज्य सड़क परिवहन निगम की कानपुर स्थित केन्द्रीय कार्यशाला परिसर में एअर कूल्ड बसों का निर्माण किया गया था ? यदि हां, तो कितनी बसें बनायी गयीं और इनमें कितनी

लागत आयी और आजकल कितनी बसें सड़कों पर चल रही हैं तथा गत तीन वर्षों में इनसे कितनी आय हुई और इनके रख रखाव पर कितना खर्च आया ? क्या यह सही है कि इन बसों में पुराने वाटर पम्प लगाये गये ? यदि हां, तो कितने रुपये के पम्प खरीदे गये तथा इनकी खरीद के लिए कौन जिम्मेदार है ?

राजकुमार संजय सिंह—

जी हां। वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में केन्द्रीय कार्यशाला कानपुर में 38 बसों का निर्माण किया गया। सभी चेसिस पर कुल बाडी इत्यादि बनाने का खर्चा रु0 37.24 लाख हुआ। बसों में एयर कूल व्यवस्था प्रयोगात्मक रूप से की गयी थी जो कुछ समय बाद विफल रही। ये सभी बसें वैसे अब भी चल रही हैं। केवल इन्हीं बसों द्वारा ही, आय तथा इनके रख रखाव का विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं है। अनुसंधानिक रूप से डिस्पोजल के फ्यूज पम्पों में आवश्यक परिवर्तन कर वाटर पम्प के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यह पम्प रु0 85 से रु0 120 मूल्य तक के क्रय किये गये थे। इस पूरे प्रयोग के लिए किसी अधिकारी का व्यक्तिगत दोष नहीं था।

श्री बांके लाल रावत, खण्ड विकास अधिकारी, नौहझील का स्थानान्तरण

*15—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि बी0 डी0 सी0 नौहझील क्षेत्र विकास समिति नौहझील ने दिनांक 10-7-84 को एक प्रस्ताव क्षेत्र विकास अधिकारी नौहझील, जिला मथुरा के खिलाफ पारित किया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

श्री बांके लाल रावत, खण्ड विकास अधिकारी, नौहझील का स्थानान्तरण कर 24-7-1985 को कार्यमुक्त कर दिया गया है। उनके विरुद्ध पारित प्रस्तावों के सम्बन्ध में जिला पशुधन अधिकारी, मथुरा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कुशल पाल सिंह—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी एक भ्रष्ट बी0 डी0 ओ0 को बचाने के लिये सदन को गुमराह कर रहे हैं और गलत सूचना दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछली 10 तारीख को 20 सूत्री कार्यक्रम की बैठक में वहां पर विधायक जी भी मौजूद थे और मन्त्री जी भी मौजूद थे, उसमें डी0 डी0 ओ0 मथुरा ने कहा था कि मकानों के बारे में जो शिकायतें की गई थीं, वह सही पायी गई थीं। सन् 82 से लेकर आज तक एक भी मकान नहीं बना है।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कर लें।

श्री कुशल पाल सिंह—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी उस भ्रष्ट बी0 डी0 ओ0 के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्रीमन्, जांच अधिकारी नियुक्त हो गये हैं। उनकी रिपोर्ट आने पर यदि शिकायत सही पायी गई, तो अवश्य कार्यवाही की जायेगी। कोई बचाया नहीं जायेगा।

श्री कुशल पाल सिंह—

मान्यवर, मुझे ज्ञात हुआ है कि रिपोर्ट एक हफ्ते पहले भेज दी गई है और मन्त्री जी कह रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं आयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, शासन स्तर पर प्राप्त नहीं हुई है। यदि जांच रिपोर्ट आ गयी होगी, तो मैं उसको दिखवा लूंगा और उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महराजगंज, सुल्तानपुर के भवन का निर्माण

*16—श्री मुईद अहमद—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महराजगंज, जनपद सुल्तानपुर के भवन का निर्माण पिछले वित्तीय वर्ष में निर्धारित परिव्यय में कटौती के कारण नहीं हो सका था जबकि उक्त विद्यालय को खुले हुए लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं ? ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता को देखते हुये मौजूदा वित्तीय वर्ष में उक्त विद्यालय के भवन निर्माण की व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां। पिछले वर्ष भवन निर्माण के लिए भूमि भी उपलब्ध नहीं थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में परिव्यय के अभाव में भवन निर्माण की व्यवस्था सम्भव नहीं हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, मैं इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा संशोधित रूप में देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है।

जी हां, पिछले वर्ष भवन निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध नहीं थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में परिव्यय के अभाव में भवन निर्माण की व्यवस्था सम्भव नहीं हो सकेगी। प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मैंने पिछले सत्र में भी प्रश्न किया था तब भी यही जवाब आया था कि परिव्यय में कटौती के कारण भवन बनाना सम्भव नहीं है। फिर दुबारा जब सवाल किया, तो वही जवाब आया है कि भवन की व्यवस्था सम्भव नहीं है। दोनों बार यही जवाब आया है। मेरा अनुरोध है कि परिव्यय के अभाव में कब तक यह भवन नहीं बनेगा ? कब तक परिव्यय का अभाव रहेगा और कब तक यह भवन बन जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, जहां तक यह बात है कि परिव्यय का अभाव कब तक चलेगा, यह परिकल्पित लगता है लेकिन जहां तक वित्तीय संसाधनों का प्रश्न है वह स्थिति करीब-करीब वैसी ही है। सातवीं योजना के प्रथम वर्ष में इस बात की कोई

सम्भावना नहीं है। भविष्य में या आगे आने वाले वर्ष में यदि वित्तीय सुविधा मिलेगी, तो निश्चय ही इस पर वरीयता के आधार पर विचार करेंगे।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, वहां पर एक विद्यालय खोल दिया गया और भवन नहीं बनाया गया। एक छप्पर में प्राइवेट एरेन्जमेन्ट के तहत यह विद्यालय चल रहा है, तो क्या मानवीय दृष्टिकोण से या नैतिकता की दृष्टि से जो विद्यालय खोला जा चुका है उसमें दूसरी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं जैसे दफ्तर के लिये जगह नहीं है बच्चों के पढ़ने के लिए जगह नहीं है उनके भविष्य का प्रश्न है, तो इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से वहां भवन बनवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आपका कहना है कि भवन बनवायेंगे या नहीं।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं कि विद्यालय वहां पर खुल चुका है और बगैर भवन के वह चल रहा है। तो मानवता के दृष्टिकोण से और नैतिकता के नाते विशेष परिस्थितियों में वहां पर भवन बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, प्रत्येक मामले में मानवीय दृष्टि हम रखते हैं किन्तु वित्तीय संसाधन हमारे रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं। जैसा मैंने अर्ज किया जैसे ही वित्तीय संसाधन दुरुस्त होंगे और भी बहुत सारे विद्यालय जहां इमारतें नहीं हैं वहां के लिए भी विचार करेंगे।

विधान सभा क्षेत्र, सरोजनीनगर, लखनऊ का राजकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल

*17—श्री शारदा प्रताप—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, जिला लखनऊ में कितने शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल चलाये जा रहे हैं, उनमें से कितने लड़कों के स्कूल हैं तथा कितने लड़कियों के हैं ? क्या उक्त क्षेत्र में वर्ष 1985-86 में नये हाई स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कितने ?

श्री सिब्ते रजी—

केवल बालकों का एक राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले की प्राइमरी पाठशालाओं में उर्दू अध्यापक तथा संस्कृत अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

*18—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि प्राइमरी पाठशालाओं में संस्कृत तथा उर्दू अध्यापकों की की जाने वाली नियुक्ति से सम्बन्धित शासन द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर बस्ती जनपद में 26 संस्कृत तथा 180 उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति चुनाव द्वारा की जानी थी तथा उपरोक्त

टिप्पणी—प्रश्न संख्या 17 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

पदों के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती के कार्यालय में दो बार साक्षात्कार लिये जाने के बाद भी अभी तक संस्कृत तथा उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई ? यदि हां, तो नियुक्तियां न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूं द्वारा अनौपचारिक शिक्षा हेतु लालटेन एवं स्लेट की खरीद

*19—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अनौपचारिक शिक्षा के सम्बन्ध में वर्ष 84-85 में लालटेनें, स्लेटें, मानचित्रों का क्रय किया है ? यदि हां, तो उन पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है एवं इनकी दरें क्या-क्या हैं ? क्या यह भी सही है कि लालटेनों के क्रय हेतु सुधीर एण्ड कम्पनी, कानपुर को सरकार द्वारा आदेश दिये गये थे परन्तु बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूं द्वारा यहां से क्रय न करके गोपीराम शर्मा एजूकेशनल स्टोर, देहली से लालटेन खरीदी गयी जिसमें 28.50 पैसा प्रति लालटेन का भुगतान किया गया है जबकि सुधीर एण्ड कम्पनी कानपुर की दर 15 रु0 प्रति लालटेन की दर है ? इसी तरह स्लेटों के क्रय हेतु सुधीर एण्ड कम्पनी, कानपुर जो कि विभागीय आदेशानुसार स्टेट कान्ट्रेक्ट द्वारा सप्लायर है उनसे न लेकर श्री पृथ्वीराज, आगरा से स्लेटें खरीदी गयी हैं, इसी तरह मानचित्र क्रय हेतु टेंडर मांगे गये और 8.50 पैसे प्रति टेंडर सबसे कम रेट आने के बावजूद एजूकेशनल सप्लायर, लखनऊ से 12 रु0 प्रति मानचित्र खरीदे गये ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मामले की पूर्ण जांच करके पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी एवं दोषी अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के डिग्री कालेजों के अध्यापकों के स्थायीकरण की मांग

*20—श्री विजय सिंह राणा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डिग्री कालेजों में अध्यापकों की तदर्थ नियुक्तियों के सम्बन्ध में शासन ने क्या निर्णय लिया है ? शासन तदर्थ अध्यापकों को स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय ले रहा है ? यदि हां, तो इन अध्यापकों को कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

शासन ने इस सम्बन्ध में 22 जून, 1985 को एक अध्यादेश जारी किया है ।

अध्यापकों को स्थायी करने का प्रकरण कालेज के प्रबन्धतंत्र के अधिकार क्षेत्र में है, शासन इससे सम्बन्धित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को स्वीकृत पेन्शन, पारिवारिक पेन्शन सामूहिक बीमा योजना

1—श्री शारदा प्रताप—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु तत्कालीन शिक्षा मन्त्री द्वारा कतिपय आश्वासन वर्ष 1982 और 1984 में दिये गये थे ? यदि हां, तो शिक्षा मन्त्री द्वारा दिये गये आश्वासनों के सम्बन्ध में अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं मृत्यु तथा सेवा निवृत्तिक आनुतोषिक स्वीकार किया गया। कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पत्नी को सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों में बी0 एड0 के प्रवेश हेतु 10 अंकों का वेटेज दिया गया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी 25,000 रु0 की सामूहिक बीमा योजना स्वीकृत की गई।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के फैजाबाद डिपो के प्रबन्धक, श्री करण सिंह के विरुद्ध जांच रिपोर्ट एवं स्थानान्तरण

2—श्री राज किशोर—

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि श्री करण सिंह, प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश, परिवहन निगम, फैजाबाद डिपो ने कल-पुर्जों की लोकल पर्चेज में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया था, जिसकी जांच रिपोर्ट श्री जे0 एन0 सिंह, उप मुख्य लेखाधिकारी आडिट उ0 प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ ने दिनांक 31-7-84 को प्रेषित की थी तथा उसी जांच के आधार पर श्री करण सिंह को आरोप-पत्र दिया गया था और स्थानान्तरण खुर्जा डिपो कर दिया गया था ? यदि हां, तो उन्हें पुनः फैजाबाद डिपो में तैनात करने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार इनका स्थानान्तरण फैजाबाद डिपो से अन्यत्र करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह—

फैजाबाद क्षेत्र में कल पुर्जों के क्रय में अनियमिततायें करने की एक शिकायत पर परिवहन निगम के उप मुख्य लेखाधिकारी (सम्परीक्षा), श्री जे0 एन0 सिंह द्वारा छानबीन की गयी थी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित अधिकारी जिनमें श्री करन सिंह, डिपो प्रबन्धक भी शामिल हैं, के विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही करने के उद्देश्य से जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी द्वारा विभिन्न दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र तैयार कर लिये गये हैं और आगे कार्यवाही चलेगी।

श्री करन सिंह, डिपो प्रबन्धक को पिछले वर्ष अन्य वार्षिक स्थानान्तरणों के साथ किया गया खुर्जा के लिये स्थानान्तरण अवश्य स्थगित कर दिया गया था। अब दिनांक 11 जुलाई, 1985 को श्री सिंह का स्थानान्तरण बलिया कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के श्री प्रभात शास्त्री, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, गोण्डा के विरुद्ध जांच

3—श्री राज किशोर—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामेश्वर पाठक, मण्डलीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस एकीकरण समिति, मण्डल फैजाबाद ने दिनांक 25-1-85 को प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 परिवहन निगम टेढ़ी कोठी, लखनऊ को इस आशय का कोई पत्र प्रेषित किया था कि श्री प्रभात शास्त्री सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, गोण्डा कर्मचारियों को आतंकित करने के लिए एक गैंग बनाये हैं ? क्या यह सही है कि इस गैंग के सदस्यों पर भ्रष्टाचार सम्बन्धी कई प्रकरण इनके सेवाकाल में प्रकाश में आये ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उप क्षेत्र, गोण्डा के इन व्यक्तियों का स्थानान्तरण फैजाबाद क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह—

श्री रामेश्वर पाठक, मण्डलीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस एकीकरण समिति, मण्डल फैजाबाद का दिनांक 25 जनवरी, 1985 का पत्र परिवहन निगम में प्राप्त होना प्रतीत नहीं है। श्री प्रभात शास्त्री के विरुद्ध इस आशय की कोई स्पष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि वे कर्मचारियों को आतंकित करने के लिए कोई गैंग बनाये हुये हैं।

श्री प्रभात शास्त्री के विरुद्ध कुछ अन्य स्रोतों से प्राप्त परिवादों पर जांच निगम द्वारा करायी जा रही है।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों एवं प्रधानों के रिक्त पद

4—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या माध्यमिक शिक्षा आयोग इनके जल्दी भरने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सिब्ते रजी—

उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों के पदों की रिक्ति के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग में प्राप्त अधियाचनानुसार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है—

प्रधानों की संख्या	152
अध्यापकों की संख्या	1892
योग . .	2044

प्रधानों के पदों की पूर्ति हेतु आयोग द्वारा पद विज्ञापित कर दिये गये हैं।

शिक्षकों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1985 के परिप्रेक्ष्य में अवशेष रिक्तियों का अधियाचन जनपदीय शिक्षा अधिकारियों से आयोग द्वारा मांगा गया है।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं की प्रति नियुक्ति

5—श्री कल्याण सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में सिंचाई विभाग से प्रति नियुक्ति पर आये अभियन्ताओं की प्रोन्नतियां की

गयी है ? यदि हां, तो क्या इन प्रतिनियुक्ति के सभी अभियन्ताओं का विधिवत् रूप से इन विभाग की सेवाओं में संविलियन हो चुका है और क्या इन्हें इस विभाग के सेवा संवर्ग में सम्मिलित कर लिया गया है और क्या इस विभाग में इनकी ज्येष्ठता निर्धारित कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो प्रोन्नतियां करने का आधार क्या है ? क्या इन प्रतिनियुक्त अभियन्ताओं को इनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और यह कार्यवाही कब तक पूर्ण कर दी जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां। भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में प्रतिनियुक्ति पर श्रेणी-1 में कार्यरत 3 अभियन्ताओं के संविलियन के सम्बन्ध में उनके द्वारा दायर याचिका माननीय लोक सेवा अधिकरण के विचाराधीन है। अन्य 5 प्रतिनियुक्ति पर पूर्व में कार्यरत अवर अभियन्ताओं का संविलियन किया जा चुका है। जिनमें से 3 सिविल अवर अभियन्ताओं के संविलियन किये जाने के प्रकरण का पुनः परीक्षण किया जा रहा है। इन संविलियन किये गये अभियन्ताओं की संगठन में ज्येष्ठता अभी निर्धारित नहीं की जा सकी है। संगठन में पात्र अभियन्ता उपलब्ध न होने के कारण इन अभियन्ताओं को तदर्थ प्रोन्नतियां कार्यहित में प्रदान की गई है। संगठन में प्रोन्नति के लिये उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध होने पर तथा जिन अभियन्ताओं का संगठन में संविलियन नहीं होगा उनको उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

क्षेत्र समितियों में राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति एवं क्षेत्र समिति की बैठक में भाग लेने का अधिकार

6—श्री पूरन सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या किसी क्षेत्र समिति विशेष के अन्तर्गत कार्यरत राजस्व कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे क्षेत्र समिति की बैठकों में भाग लें ? यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों को यह भी निर्देश है कि वे क्षेत्र समिति व उसके प्रमुख के सुझावों का अनुपालन करें ? यदि नहीं तो ऐसे कर्मचारियों का क्षेत्र समिति की बैठकों में भाग लेने का क्या औचित्य है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

ग्राम्य विकास अभिकरण, लखीमपुर खीरी के कर्मचारी श्री आर0 के0 खरे एवं श्री ए0 यू0 खान की प्रतिनियुक्ति

7—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आयुक्त कृषि उत्पादन ग्राम्य विकास उ0 प्र0 ने अपने पत्र सं0 जी0 ओ0 0555/स्था-2/डी-6/ल0 म0/84 दिनांक 21 मार्च, 85 द्वारा जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम विकास अभिकरण में प्रधान लिपिक एवं लेखा लिपिक के पद पर प्रतिनियुक्त श्री आर0 के0 खरे एवं ए0 यू0 खान को उनके मूल विभाग को प्रत्यावर्तित करने का निर्देश जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला ग्राम्य विकास अभिकरण लखीमपुर खीरी को दिया था ?

यदि हां, तो उसका पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखीमपुर खीरी से पूछताछ की जा रही है ।

नेशनल गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल बाराबंकी की मान्यता एवं भूमि का मामला

8—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नेशनल गर्ल्स हा0 से0 स्कूल बाराबंकी को इन्डावमेन्ट के रूप में प्लाट नं0 12, 34, 38, 72, 768, 769, 1125 व 1126 स्थित ग्राम नेवला करसंडा परगना नवाबगंज तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी प्लेज करके स्कूल की मान्यता हाई स्कूल तक प्राप्त की गयी ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि इस समय भी स्कूल के नाम है ? यदि नहीं, तो शिक्षा विभाग ने विद्यालय के प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की और क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ के अवकाश प्राप्त प्राथमिक शिक्षकों की बकाया धनराशि

9—श्री भगौती सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में कितने ऐसे प्राथमिक शिक्षक हैं जिनको सेवा मुक्त हुए 6, 7 वर्ष बीत चुके हैं किन्तु अभी तक उन्हें पावनों का भुगतान नहीं किया गया है ? क्या सरकार ऐसे अध्यापकों का ब्याज सहित उनका भुगतान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

10—श्री त्रिलोक चन्द्र—

[दिनांक 29-7-85 को अतारांकित प्रश्न संख्या 129 द्वारा उत्तरित]

11—श्री यदुनाथ सिंह—

[दिनांक 29-7-85 को अतारांकित प्रश्न संख्या 114 द्वारा उत्तरित]

फरीदपुर (बरेली) में बस स्टेशन की स्थापना की मांग

12—श्री नत्थू लाल विकल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र फरीदपुर (बरेली) में परिवहन निगम को बस स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में मई, 85 में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी क्षेत्रीय जनता की सुविधा के लिए उक्त बस स्टेशन बनाये जाने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह—

माननीय सदस्यगण का 4 अप्रैल, 1985 का एक पत्र अवश्य प्राप्त हुआ है । मई, 85 का ऐसा कोई पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया ।

फरीदपुर (बरेली) में वर्तमान बस स्टेशन एक किराये के भवन में स्थापित है । स्टेशन की आय को देखते हुए फिलहाल वहां पर निगम द्वारा अपना बस स्टेशन बनाये जाने का विचार नहीं है ।

सी0 ए0 एस0 इण्टर कालेज, फरीदपुर बरेली को डिग्री कालेज बनाये जाने की मांग

13—श्री नत्थू लाल विकल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको सी0 ए0 एस0 इन्टर कालेज फरीपुर बरेली एवं कन्या इन्टर कालेज को डिग्री कालेज बनाये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 12-4-85 का कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

दिनांक 12-4-85 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय प्रश्नकर्ता महोदय का एक पत्र दिनांक 2-5-85 शासन को प्राप्त हुआ है।

इण्टर कालेज के प्राचार्य/प्रबन्धक को निर्धारित प्रपत्र भेजकर सूचना मांगी गई है। प्राप्त होने पर सोशल/सर्विसेज इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड की बैठक में विचार किया जायगा।

प्रश्न नहीं उठता।

14—श्री बेनी प्रसाद—

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

15—श्री शतरुद्र प्रकाश—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 135 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गोण्डा के ग्राम सकरा सकरी व सड़नी मड़नी में प्राइमरी स्कूल की स्थापना सम्बन्धी जे0 ई0 तथा ठेकेदार के विरुद्ध शिकायती-पत्र

16—श्री किरन पाल सिंह, श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के विकास खण्ड पचपेड़वा के ग्राम सकरा सकरी व सड़नी मड़नी में आर0 ई0 एस0 गोण्डा द्वारा कोई प्राइमरी स्कूल न बनवाने तथा जे0 ई0 तथा ठेकेदार इम्तियाज अहमद के विरुद्ध विभाग का सामान तथा नकद धनराशि गबन करने के बावत श्री रजवन्त सिंह ने दिनांक 9-5-85 को सचिव ग्राम्य विकास को कोई शिकायती-पत्र दिया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

उक्त शिकायती-पत्र टेक्निकल आडिट सेल, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के द्वारा जांच करायी जा रही है। जांच कार्यवाही प्रगति में है।

श्री बाबू सिंह चौहान, प्रधानाचार्य, समर इण्टर कालेज, रामपुरा, जालौन का प्राविडेण्ट फण्ड

17—श्री जौहरी लाल त्रिवेदी—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री बाबू सिंह चौहान अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य समर सिंह इन्टर कालेज, रामपुरा जिला जालौन को प्राविडेन्ट फण्ड का भुगतान नहीं किया गया है ? क्या यह भी सही है कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा चेक दी गयी थी और विद्यालय के

लिपिक की लापरवाही के कारण चेक टाइम बार्ड हो गयीं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा फण्ड भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय पशु चिकित्सालय हैवलक रोड, लखनऊ का कथित निरीक्षण एवं कम्पाउण्डर तथा स्टाकमैन का कथित स्थानान्तरण

18—श्री विनोद कुमार—

क्या पशुधन मन्त्री को जानकारी है कि वर्ष 1984 में राजकीय पशु चिकित्सालय हैवलक रोड, लखनऊ का तत्कालीन पशुपालन राज्य मन्त्री (श्री संजय सिंह) ने निरीक्षण किया था तथा उक्त अस्पताल के कम्पाउन्डर तथा स्टाकमैन को तत्काल स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया था जिसके कारण कम्पाउन्डर का रायबरेली तथा स्टाकमैन का जिला खीरी में स्थानान्तरण हुआ था ? यदि हां, तो दोनों कर्मचारियों के स्थानान्तरण रोके जाने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार है ?

पशुधन मन्त्री (श्रीमती बेनी बाई)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

गोरखपुर-देसही-शाहबाजपुर मार्ग पर बस का संचालन

19—श्री रणजीत—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के गोरखपुर डिपो की गोरखपुर से बखामीर-छपर (जिला देवरिया) तक चलने वाली बस का स्टापेज 6 कि0 मी0 और दक्षिण की तरफ ग्राम सभा शहबाजपुर तक बढ़ाने के लिए शासन के आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय प्रबंधक गोरखपुर के कार्यालय पत्र सं0 जी0 आर0 ओ0 पी0/12-11/906/बी/84, दिनांक 10-10-84 द्वारा जो पत्र डिपो इंचार्ज, ए0 आर0 एम0 गोरखपुर डिपो को लिखा गया था उसकी प्रतिलिपि क्या है व उनके तथा शासन के आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है तथा उस बस का स्टापेज कब तक बढ़ा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह—

प्रश्नगत पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। दिनांक 10-7-85 से गोरखपुर देसही- शाहजहांपुर होते हुए देवरिया तक दो अप और दो डाउन बस सेवायें संचालित कर दी गयी हैं। प्रश्नगत बस सेवा विलम्ब से संचालित करने के बारे में आवश्यक जांच अलग से की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 154 पर)

अकबरपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत जाफरगंज विकास खण्ड की स्थापना की मांग

20—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर विकास खण्ड जनसंख्या के अनुसार लगभग दो विकास खण्ड के बराबर है ? यदि हां, तो अकबरपुर तथा जाफरगंज दो विकास खण्ड बनाने का प्रश्न क्या शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

जी नहीं। वर्तमान समय में नये विकास खण्डों का सृजन प्रस्तावित नहीं है।

अब्दुल सलाम मुस्लिम गर्ल्स इण्टर कालेज, मुरादाबाद की अध्यापिकाओं को सेलेक्शन ग्रेड

21—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अब्दुल सलाम मुस्लिम गर्ल्स इण्टर कालेज मुरादाबाद में 6 अध्यापिकाओं को सेलेक्शन ग्रेड अभी तक क्यों नहीं दिया गया जबकि मुरादाबाद के अन्य कालेजों में सभी अध्यापिकाओं व अध्यापकों को मिल चुका है ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्नगत विद्यालय की 6 अध्यापिकाओं को सेलेक्शन ग्रेड देने का प्रकरण प्रबन्धाधिकरण के स्तर पर लम्बित है। मुरादाबाद द्वारा प्रबन्धक को इन प्रकरणों मुरादाबाद द्वारा प्रबन्धक को इन प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

गोरखपुर, स्वावलम्बी इण्टर कालेज, बिशुनपुरा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों का पी0 एफ0 एकाउन्ट

22—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या शिक्षा मन्त्री जांचकर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में स्थित स्वावलम्बी इन्टर कालेज बिशुनपुरा के वर्तमान शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों के पी0 एफ0 की धनराशि जी0 पी0 एफ0 में अब तक स्थानान्तरित नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

देवरिया, बिशुनपुरा-चरियांव बुजुर्ग-पड़री-मठ—चौरखरी—देवतहा मार्ग पर मिट्टी का कार्य

23—श्री किरनपाल सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड गौरी बाजार जनपद देवरिया में खाद्यान्न योजना वर्ष 79-80 में ग्राम बिशुनपुरा से चरियांव रोड तथा ग्राम चौरखरी से देवतहा रोड पर मिट्टी डालने का कार्य हुआ था वह स्वीकृत था या नहीं और मजदूरों को मजदूरी क्यों नहीं दी गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां। विकास खण्ड गौरी बाजार जनपद देवरिया में खाद्यान्न योजना वर्ष 79-80 में ग्राम बिशुनपुरा से चरियांव बुजुर्ग होते हुए पड़री मठ तथा चौरखरी से देवतहा रोड पर जो मिट्टी डालने का कार्य हुआ था वह स्वीकृत था। बिशुनपुरा से चरियांव रोड पर मजदूरी का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। चौरखरी से देवतहा रोड पर मजदूरों की मजदूरी के भुगतान के बारे में आवश्यक जांच के बाद निर्णय संभव होगा।

श्री बी0 पी0 शर्मा, अंग्रेजी प्रवक्ता, किसान इण्टर कालेज, सरैया, सीतापुर का निलम्बन

24—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे

कि श्री बी0 पी0 शर्मा, अंग्रेजी प्रवक्ता किसान इण्टर कालेज सरैंया, सीतापुर कितने दिनों से निलम्बित हैं तथा क्या श्री शर्मा को निलम्बन भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि श्री शर्मा को कितनी बार तथा किन कारणों से किस अधिकारी द्वारा निलम्बित किया गया ? क्या निलम्बन का अनुमोदन उच्च अधिकारियों से कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उप संभागीय परिवहन कार्यालय, सीतापुर के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

25—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 टी0 ओ0 कार्यालय सीतापुर में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो कि एक ही स्थान पर दस या उससे भी अधिक समय से तैनात हैं ? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह—

उप संभागीय परिवहन कार्यालय सीतापुर में श्रेणी-3 के दो तथा श्रेणी-4 का एक कर्मचारी 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि से तैनात हैं ।

श्रेणी-3 के दोनों कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है । शासन की नीति के अनुसार श्रेणी-4 के कर्मचारी को जनपद के अन्दर ही स्थानान्तरित किया जाता है । अतः श्रेणी-4 के प्रश्नगत एक कर्मचारी को सीतापुर से नहीं हटाया गया है ।

किसान इण्टर कालेज, सरैंया, सीतापुर की इण्टर कक्षा में अंग्रेजी के छात्र

26—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान इण्टर कालेज सरैंया, सीतापुर में इण्टर की कक्षा में अंग्रेजी के कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं ? क्या यह सही है कि इण्टर की कक्षा में कोई भी छात्र अंग्रेजी का नहीं है ? यदि हां, तो वहां पर अंग्रेजी प्रवक्ता के पद का क्या औचित्य है ? क्या सरकार अंग्रेजी प्रवक्ता को दूसरे विद्यालय में समायोजित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

27—श्रीमती शारदा देवी—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त] ।

वाराणसी मण्डल के हाई स्कूलों को स्वीकृत अनुदान

28—श्री दीप चन्द्र—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31-3-85 को वाराणसी मण्डल में कितने हाई स्कूल ऐसे हैं जो अनुदान सूची में नहीं हैं तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने विद्यालयों को अनुदान देने की व्यवस्था है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

29—श्री राम सजीवन—

[6 वें सोमवार के लिए स्थगित] ।

कन्या जूनियर हाई स्कूल, महोखर, जिला बांदा की परिचायिका श्रीमती रामरती की पुनर्नियुक्ति सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

30—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कन्या जूनियर हाई स्कूल महोखर, क्षेत्र बड़ोखरखुर्द जिला बांदा में नियुक्त परिचायिका श्रीमती रामरती ने किन-किन तिथियों में शासन/निदेशालय व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा को पुनः नियुक्ति के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र दिये यदि हां, तो जांच का कार्य किस अधिकारी को सौंपा गया तथा उन्होंने किस तिथि को अपनी जांच आख्या प्रस्तुत की ? क्या यह सही है कि बेसिक शिक्षा परिषद् बांदा के शिविर सहायक ने उक्त आवेदन-पत्रों को दबा दिया है ? यदि हां, तो सरकार ने उसके निलम्बन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा परिषद्, बांदा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति

31—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् बांदा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? क्या सरकार ने उन अधिकारियों के निलम्बन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है, जिन्होंने वर्ष 80-81, 81-82 में अवैधानिक रूप से नियुक्तियां की हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फैजाबाद मण्डल में पेयजल कूपों का निर्माण

32—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 78-79 एवं 79-80 में फैजाबाद मंडल में पेयजल कूप योजना के अंतर्गत कितने कूप (कुएं) बनने के लिए धनराशि स्वीकृत हुई थी ? आज तक कितने कुएं बन गये हैं और कितने अधूरे हैं ? अधूरे कुएं रहने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

फैजाबाद मण्डल के 6 जनपदों में वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के लिए क्रमशः 3,022 तथा 686 पेयजल कूपों के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत हुई थी ।

स्वीकृत कूपों में से क्रमशः 3,014 तथा 684 कुएं अब तक बन चुके हैं और 10 कूप अधूरे हैं ।

सम्बन्धित कर्मचारियों की उदासीनता के कारण उल्लिखित कुएं अधूरे रहे इन अधूरे कूपों को पूरा कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

भूमि संरक्षण इकाई गण्डक समादेश, कप्तानगंज के सहायक स्व0 परमहंस सिंह की ग्रेच्युटी, जी0 पी0 एफ0 तथा पेन्शन का भुगतान

33—श्री राम जनम—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 परमहंस सिंह, भू0 पू0 प्राविधिक सहायक, भूमि संरक्षण इकाई गंडक समादेश कप्तानगंज द्वितीय (विघटित) जनपद देवरिया के आश्रित परिवार को मरणोपरान्त समस्त क्लेमों का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उनकी धर्मपत्नी जोशीला सिंह ने नौकरी हेतु कृषि निदेशक, उ0 प्र0 एवं प्रशासक, गंडक समादेश को प्रार्थना-पत्र दिया है परन्तु अभी तक नौकरी नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

स्व0 परमहंस सिंह की पेन्शन, ग्रेच्युटी सामान्य भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित बीमा के क्लेमों का भुगतान नहीं हुआ है क्योंकि इनके भुगतान के आदेश पत्र महालेखाकार उ0 प्र0 इलाहाबाद से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि, स्व0 सिंह के मृत्यु के पूर्व के वेतन तथा उनके अर्जित अवकाश के बदले में वेतन आदि का भुगतान उनकी पत्नी श्रीमती शीला सिंह को किया जा चुका है। स्व0 परमहंस सिंह की पत्नी श्रीमती शीला सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर उन्हें गंडक समादेश परियोजना में नौकरी दे दी गयी है और वह दिनांक 5-6-85 से राजकीय सेवा में कार्यरत हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद्, बस्ती के ठेकेदार, श्री हरी सिंह की अवशेष धनराशि का भुगतान

34—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बेसिक शिक्षा परिषद् बस्ती द्वारा सन् 1982 में स्टोर से सामानों की ढुलाई वि0 खंडों तक पहुंचाने का ठेका श्री हरी सिंह ठेकेदार को दिया गया था ? यदि हां, तो ठेकेदार ने ढुलाई करके किराये के लिए बीजक 18,938 रुपये का दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि ठेकेदार को चेक नं0 14/1605 दि0 30-8-85 द्वारा आंशिक भुगतान किया गया है और शेष धन का भुगतान अभी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

कालविन इण्टर कालेज, महमूदाबाद, सीतापुर के अध्यापक स्व0 शिव स्वरूप सिंह की बकाया जी0 पी0 एफ0 की धनराशि

35—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कालविन इण्टर कालेज, महमूदाबाद (अवध) जिला सीतापुर में सेवारत रहते 16-12-81 को दिवंगत हुए एक अध्यापक (श्री शिव स्वरूप सिंह) के आश्रितों को अब तक उनकी पारिवारिक पेन्शन, जी0 पी0 एफ0 तथा सी0 पी0 एफ0 अवशेष वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

जिला विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार भुगतान की स्थिति निम्नवत् है—

पारिवारिक पेन्शन प्रकरण मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, षष्ठ मंडल, लखनऊ को स्वीकृति हेतु भेजा गया है जिसका भुगतान स्व0 सिंह के परिवार के सदस्यों को पेन्शन स्वीकृत होने पर शीघ्र कर दिया जायेगा ।

उनके जी0 पी0 एफ0 की धनराशि रुपये 2,854.20 का चेक दिनांक 9-8-85 को विद्यालय प्रबन्धक को भुगतान हेतु दे दिया गया है ।

उनके सी0 पी0 एफ0 तथा वर्ष 1979 में पुनरीक्षित वेतन के अवशेष के भुगतान की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है ।

नियोजन एवं विकास कार्मिक संघ, के कोषाध्यक्ष, श्री नन्द किशोर पाण्डेय का पत्र

36—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें नियोजन एवं विकास कार्मिक संघ, उ0 प्र0 के कोषाध्यक्ष (नन्दकिशोर पांडेय) द्वारा हस्ताक्षरित जो पत्र माननीय मुख्य मंत्री को सम्बोधित था उसकी प्रतिलिपि दि0 12 से 15 जून, 85 के बीच मिली है ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

पत्र में इंगित मुख्य आठ मामलों में कार्यवाही अपेक्षित थी । उनमें से तीन मामलों पर अंतिम आदेश निर्गत हो चुके हैं और अन्य विषयों पर तत्परता से कार्यवाही की जा रही है ।

नगरपालिका, लखीमपुर खीरी का जीर्ण-शीर्ण भवन

37—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका लखीमपुर खीरी ने अपने अभियन्ता की निरीक्षण आख्या के आधार पर यह घोषित कर दिया है कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा नगरपालिका लखीमपुर खीरी में जो प्राइमरी पाठशाला चलाई जा रही है उसका भवन अत्यधिक खराब हो गया है तथा किसी भी समय गिर सकता है और इसकी सूचना शिक्षा अधीक्षक, लखीमपुर खीरी को अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, लखीमपुर खीरी ने अपने पत्र दि0 18 अगस्त, 84 द्वारा भी कर दी है ? इसके बाद भी अभी विद्यालय उसी जर्जर भवन में चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विकास खण्ड अनूपशहर के ग्राम विकास अधिकारी, श्री छत्तर सिंह वर्मा व श्री परशुराम का निलम्बन

38—श्री किरन पाल सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के वि0 खं0 अनूपशहर में दो ग्राम विकास अधिकारी श्री छत्तर सिंह वर्मा एवं श्री परशुराम वर्ष 1984 में निलम्बित हुए थे ? यदि हां,

तो इनके खिलाफ क्या आरोप थे ? क्या निलम्बन से पूर्व लगाये गये आरोपों की जांच कर ली गयी थी ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त दोनों ग्राम विकास अधिकारियों को 3 माह के अन्दर पुन: पदारूढ़ कर दिया गया था ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड अनूपशहर के दो ग्राम विकास अधिकारी सर्वश्री छत्तर सिंह वर्मा एवं परशुराम को अपर जिलाधिकारी (विकास), बुलन्दशहर के आदेश संख्या 4100/स्था-2 एवं संख्या 4101/स्था0-2, दिनांक 29-10-84 द्वारा निलम्बित किये गये थे। इनके विरुद्ध अनधिकृत रूप से जनता से धन-राशि लिये जाने तथा हरिजनों से अच्छा व्यवहार न होने के आरोप थे। चूंकि आरोप गंभीर थे और क्षेत्र के संबंधित ग्राम सभाओं के प्रधानों द्वारा लगाये गये अत: शिकायत प्राप्त होने पर ही निलम्बित कर दिया गया। निलम्बित ग्राम विकास अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई से कराई जा रही है। जांच अधिकारी की अनुशंसा पर उक्त निलंबित दोनों ग्राम विकास अधिकारियों को अपर जिलाधिकारी (विकास), बुलन्दशहर के कार्यालय आदेश संख्या 4651/स्था0-1, एवं आदेश संख्या 4652/स्था0-1, दिनांक 21-12-84 द्वारा अंतिम रूप से पदारूढ़ कर दिया गया था।

आगरा मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र, भरतौनी द्वारा मत्स्य बीज का कथित उत्पादन

39—श्री विजय सिंह राणा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जनपद में मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र, भरतौनी पर वर्ष 84-85 में कुल कितने मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ है और यहां कुल वार्षिक व्यय क्या है ? इस केन्द्र पर कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या यह केन्द्र ग्राम सभा की जमीन पर स्थापित है ? यदि हां, तो यह जमीन किन शर्तों पर ली गयी तथा उन शर्तों का परिपालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेनी बाई—

मत्स्य प्रक्षेत्र से अत्यधिक सीपेज होने के कारण मत्स्य बीज पैदा नहीं किया जा सका।

वार्षिक व्यय रु0 7,260 है। एक मछुआ पदस्थ है किन्तु उससे अन्य विभागीय कार्य लिये जाते हैं। शासन ने विज्ञप्ति संख्या यू0 ओ-307/एक-क-65, दिनांक 24-4-65 द्वारा ग्राम समाज की भूमि पुन: अपने अधिकार में लेकर मत्स्य विभाग को दे दिया।

मत्स्य विभाग को भूमि बिना शर्त दी गयी थी अत: शर्तों के परिपालन का प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान की प्रदेशीय कार्यकारिणी समिति की बैठक

40—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय अध्यापक प्रतिष्ठान कल्याण कोष की अन्तिम बैठक कब हुई थी और अब अगली बैठक कब होने जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी—

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान की प्रदेशीय कार्यकारिणी समिति की पिछली

बैठक दिनांक 25 जुलाई, 1984 को हुई थी।

अगली बैठक की तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है।

शारदा सहायक कमाण्ड परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ के कर्मचारी स्व0 प्रेम चन्द्र गुप्ता की ग्रेच्युटी, पेंशन तथा जी0 पी0 एफ0 की अवशेष धन-राशि का भुगतान

41—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि स्वर्गीय प्रेम चन्द्र गुप्ता, ज्येष्ठ लिपिक, शारदा सहायक कमाण्ड परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ की मृत्यु सेवाकाल में दिनांक 22 जून, 1983 को हो गयी थी ? क्या यह सही है कि उनकी विधवा को अभी तक ग्रेच्युटी, जी0 पी0 एफ0 तथा पारिवारिक पेन्शन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों एवं भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्री प्रेम चन्द्र गुप्ता की मृत्यु दिनांक 21-6-83 अपराह्न में सेवा काल में हुई।

स्व0 प्रेम चन्द्र गुप्ता की विधवा पत्नी को जी0 पी0 एफ0 का भुगतान किया जा चुका है तथा पेन्शन के भुगतान के आदेश जारी हो चुके हैं। ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में महालेखाकार द्वारा आदेश पारित किये जा चुके हैं, जिस पर तत्काल संहायत्ता के रूप में दी गयी धनराशि का समायोजन के बारे में महालेखाकार से स्थिति स्पष्ट करायी जा रही है। महालेखाकार से सूचना प्राप्त होते ही ग्रेच्युटी के भुगतान के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

भोजपुरी संस्थान की स्थापना संबंधी प्रस्ताव

42—श्री विक्रमादित्य पाण्डे—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि भोजपुरी भाषा के उत्थान के लिए बिहार सरकार जैसी भोजपुरी अकादमी बनाने की योजना पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सम्प्रति भोजपुरी अकादमी बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं को दिया गया अनुदान

43—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 83-84 में प्रदेश के किन-किन शिक्षा संस्थाओं को कितना-कितना अनुदान दिया गया है, कुल कितने प्रार्थना-पत्र आये थे, उनमें से कितने को नहीं दिया गया ?

श्री सिब्ते रजी—

विवरण की सूची संलग्न है।

43 शासकीय महाविद्यालय तथा 122 अशासकीय महाविद्यालय के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए।

88 अशासकीय महाविद्यालय को नहीं दिया जा सका।

छापी नहीं गयी।

शिक्षा विभाग की धनराशि का आवंटन एवं व्यपगत धनराशि

44—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी तथा श्री कल्यान सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85 में शिक्षा विभाग की किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई और वर्ष के अन्त में किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि व्यपगत हो गयी ? व्यपगत होने के कारण क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री विश्वनाथ सनातन धर्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विश्वनाथ गली, वाराणसी के प्रधानाचार्य श्री शिवदत्त शुक्ल की सेवा समाप्ति सम्बन्धी अपील

45—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की सेवा समाप्ति से सम्बन्धित अपील के कितने ऐसे सम्बन्धित मामले हैं जो पिछले 9-10 वर्षों से उप शिक्षा निदेशक, पंचम मंडल, वाराणसी के कार्यालय में अनिर्णीत पड़े हुए हैं तथा ऐसे अनिर्णीत मामले में वेतन भुगतान भी नहीं किया जा रहा है ? क्या इनमें श्री विश्वनाथ सनातन धर्म उ0 मा0 विद्यालय, विश्वनाथ गली, वाराणसी के प्रधानाचार्य श्री शिवदत्त शुक्ल के सेवा समाप्ति से सम्बन्धित कोई अपील भी 9-10 वर्षों से अनिर्णीत पड़ी है ? यदि हां, तो उसका निर्णय करने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सम्बन्धित अधिकारियों को टेलेक्स व पत्र द्वारा उत्तर भेजने हेतु स्मरण कराया गया है ।

तुलसीदास इण्टर कालेज, गोरखपुर के अध्यापक, श्री रामानन्द पाण्डेय की सेवा समाप्ति

46—श्री किरन पाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि तुलसीदास इण्टर कालेज, गोरखपुर में सहायक अध्यापक श्री रामानन्द पाण्डेय जिनकी नियुक्ति 1-10-75 को हुई थी को उक्त इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य ने अपने पत्र दिनांक 19-5-79 के द्वारा कालेज की सेवाओं से निकाल दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार श्री रामानन्द पाण्डेय को उक्त कालेज में अपने पद पर फिर से बहाल करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रकरण रिट संख्या-18508/82 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

रिफाहे-आम इण्टर कालेज, खुर्जा, बुलन्दशहर में शारीरिक शिक्षक (पी0 टी0 आई0) के पद के सृजन की मांग

47—श्री किरन पाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि रिफाहे-आम इण्टर कालेज, खुर्जा, जनपद बुलंदशहर में अल्पसंख्यकों की रजिस्टर्ड एवं सरकार से मान्यताप्राप्त संस्था है एवं जिसमें विद्यार्थियों की संख्या लगभग एक

हजार हैं, मैं अभी तक इस संस्था में शारीरिक शिक्षक (पी0 टी0 आई0) का पद सृजित नहीं हुआ है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? शारीरिक शिक्षक का पद कब तक सृजित कर दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां,

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण । मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक से प्रस्ताव प्राप्त होने पर शिक्षा निदेशक द्वारा मामले का परीक्षण करना सम्भव होगा ।

एस0 एस0 बी0 इण्टर कालेज, हापुड़, गाजियाबाद के छात्र श्री संतोष कुमार त्यागी की हिन्दी प्रथम प्रश्न-पत्र में अनुपस्थिति

48—श्री किरन पाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री संतोष कुमार त्यागी पुत्र श्री प्रहलाद सिंह त्यागी, अनुक्रमांक 48885 वर्ष 1977 को इण्टरमीडिएट की परीक्षा में एस0 एस0 बी0 इण्टर कालेज, हापुड़, जनपद गाजियाबाद के संस्थागत छात्र के रूप में परीक्षा केन्द्र राजकीय दीक्षा विद्यालय, हापुड़ में सम्मिलित हुए थे तथा अकारण ही इनको सामान्य हिन्दी के प्रथम प्रश्न पत्र में अनुपस्थित दिखा दिया गया था ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या यह सही है कि श्री संतोष कुमार त्यागी सामान्य हिन्दी के प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे ? यदि हां, तो उक्त प्रश्न पत्र में उनके प्राप्तांक कितने थे ?

श्री सिब्ते रजी—

श्री संतोष कुमार त्यागी पुत्र श्री प्रहलाद सिंह त्यागी अनुक्रमांक 48885 वर्ष 1977 की इण्टर परीक्षा में राजकीय दीक्षा विद्यालय हापुड़ केन्द्र से सम्मिलित हुए थे ।

श्री त्यागी सामान्य हिन्दी प्रथम प्रश्न-पत्र की परीक्षा में अनुपस्थित थे । परिणाम स्वरूप परीक्षाफल निर्माण करते समय दोनों सारणीयकों ने उन्हें प्रथम प्रश्न पत्र में अनुपस्थित अंकित किया था ।

यह सही नहीं है कि उन्होंने सामान्य हिन्दी प्रथम प्रश्न-पत्र की परीक्षा दी थी । अतः उक्त प्रश्न पत्र के प्राप्तांक बताने का प्रश्न नहीं उठता ।

सदस्य विधान सभा, श्री यदुनाथ सिंह का हाई स्कूल परीक्षा सम्बन्धी पत्र

49—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1499 दिनांक 8-8-84 वर्ष 1984 की हाई स्कूल परीक्षा के संबंध में मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्नकर्ता का संदर्भित पत्र मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है । यदि माननीय सदस्य पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की कृपा करें, तब आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

बाराबंकी के अध्यापक, श्री रघुनन्दन प्रसाद पाठक की प्राइमरी स्कूल में नियुक्ति एवं उनकी शैक्षिक योग्यता

50—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी ने वर्ष 1982 में श्री रघुनन्दन प्रसाद पाठक,

सहायक अध्यापक (प्राइमरी) की नियुक्ति संस्कृत शिक्षक (सीनियर बेसिक) के पद पर की थी ? यदि हां, तो इनकी शैक्षिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा इण्टरमीडिएट है ? यदि नहीं, तो क्या इण्टरमीडिएट के समकक्ष अन्य योग्यता है ? यदि हां, तो परीक्षा का नाम क्या है तथा सर्टीफिकेट देने वाली संस्था का नाम क्या है ? क्या यह शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा प्रदत्त उत्तर मध्यमा प्रमाण-पत्र प्राप्त है जो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है ।

श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका, जूनियर बेसिक विद्यालय (कन्या), ओबरी, बाराबंकी के वेतन का अनियमित भुगतान, स्थानान्तरण और चिकित्सा अवकाश

51—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के 1ले सोमवार के अता0 प्र0 सं0 85 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी भी अध्यापिका/अध्यापक का वेतन बिना किसी अधिकार-पत्र के किसी भी अन्य विद्यालय में तैनात अध्यापक को भुगतान करने हेतु दे सकता है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

52—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका, जू0 बे0 वि0 (कन्या), ओबरी, बाराबंकी कब से वर्तमान विद्यालय में कार्यरत हैं ? इन्होंने कब और किस आदेश के तहत इस विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया था ? इसके अतिरिक्त यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इसके पूर्व यह किस विद्यालय में कार्यरत थी ? इस विद्यालय में स्थानान्तरण क्या प्रशासनिक आधार पर किया गया था ?

श्री सिब्ते रजी—

श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका ने उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका के आदेश सं0 1278/80-81, दिनांक 25-11-80 के आधार पर दिसंबर, 1980 में प्रश्नगत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया था ।

इसके पूर्व यह प्राइमरी पाठशाला सफेदाबाद में कार्यरत थीं ।

जी हां ।

53—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के 1ले सोमवार के अता0 प्र0 सं0 86 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति के पूर्व ही क्या संबंधित अध्यापिका ने चिकित्सा-प्रमाण-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवाकर जमा

कर दिया था ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो चिकित्सा अवकाश किस आधार पर स्वीकृत किया गया ? यदि बिना सी0 एम0 ओ0 के काउन्टरसाइन के ही अवकाश स्वीकृत होना था तो अवकाश तुरन्त स्वीकृत न कर दो वर्ष बाद क्यों स्वीकृत किया गया ?

श्री सिब्ते रजी—

अपूर्ण सूचना प्राप्त होने के कारण सूचना पुनः मांगी जा रही है।

54—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

प्रथम सत्र 83 के 1ले सोमवार के अता0 प्र0 सं0 25 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामान्य नियमों के अनुसार क्या कार्य करने के बाद ड्यूटी पे भी रोकी जा सकती है ? यदि नहीं, तो नवम्बर, 80 के कार्य दिवसों का वेतन संबंधित अध्यापिका को क्यों नहीं तुरन्त भुगतान किया गया ? दो वर्ष बाद ड्यूटी पे के भुगतान का क्या औचित्य है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं।

अध्यापिका ने प्रश्नगत अवधि की उपस्थिति आख्या प्रधानाध्यापक एवं क्षेत्रीय निरीक्षिका से सत्यापित कराकर विलम्ब से प्रस्तुत किया था जिसके कारण कार्यअवधि का वेतन समय से भुगतान करने में विलम्ब हुआ है।

तत्कालीन श्री ओम प्रकाश मिश्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी

55—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओम प्रकाश मिश्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी ने अपने कार्यकाल में बाराबंकी जनपद में कुल कितने तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां कीं ? क्या यह सत्य है कि इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति का कोई अभ्यर्थी नियुक्त नहीं किया गया ? इसके अतिरिक्त क्या यह भी सत्य है कि यह सब नियुक्तियां बिना सेवायोजन कार्यालय के माध्यम के सीधे की गयी हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

तृतीय श्रेणी में 5 तथा चतुर्थ श्रेणी में 8 जी हां।

जी हां।

श्री ओम प्रकाश मिश्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति की कार्यवाही

56—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओमप्रकाश मिश्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी ने अपने कार्यकाल (जनपद बाराबंकी) में कुल कितने अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्तियां कीं ? इन नियुक्तियों में कुल कितने अभ्यर्थी बाह्य जनपद के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित थे तथा कितने बाराबंकी जनपद के ? क्या यह भी सत्य है कि बाह्य जनपद के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति के बाद अपने गृह जनपदों को स्थानान्तरण कराकर चले गए हैं ? यदि हां, तो क्या यह कार्यवाही नियमानुसार है ?

श्री सिब्ते रजी—

जांच करायी जा रही है।

बेसिक शिक्षा परिषद्, बाराबंकी में श्रीमती शान्ति मिश्रा, गृह शिल्प अध्यापिका की नियुक्ति

57—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसंबर, 83 जनवरी, 84 में बेसिक शिक्षा परिषद् बाराबंकी के अन्तर्गत गृह शिल्प शिक्षिका (सीनियर बेसिक) के पद पर श्रीमती शान्ति मिश्रा, बाहरी अभ्यर्थी जिसने वाह्य जनपद से बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण वर्ष 1980 में किया था, की नियुक्ति अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) ने कर ली है ? यदि हां, तो क्या बाराबंकी जनपद में कोई अन्य अभ्यर्थिनी उपलब्ध नहीं थी ? यदि थी, तो इसकी नियुक्ति न कर श्रीमती शन्ति मिश्रा की नियुक्ति का क्या आधार है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

जी हां थी, किन्तु चयन समिति द्वारा श्रीमती शान्ति मिश्रा को उपयुक्त पाया गया इनके चयन के नियमों का पालन किया गया है अथवा नहीं, इसकी जांच कराई जा रही है।

तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी, श्री ओम प्रकाश मिश्रा द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति

58—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी श्री ओम प्रकाश मिश्र ने अनियमित रूप से धनार्जन हेतु वाह्य जनपद के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इन बाहरी अभ्यर्थियों की मेरिट नियुक्ति हेतु तैयार की गयी सूची में ऊपर दिखलाई ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की जायेगी ? क्या इसकी भी जांच की जायेगी कि नियुक्ति हेतु जो मेरिट सूची बनायी गयी वह सेवा नियमावली के अनुरूप थी ?

श्री सिब्ते रजी—

जांच कराई जा रही है।

59—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओम प्रकाश मिश्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिन बाह्य जनपद के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अनियमित रूप से जनपद बाराबंकी में अपने कार्यकाल में की, उनमें से लगभग सभी का स्थानान्तरण सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद के द्वारा उन अभ्यर्थियों के मूल निवास गृह जनपद में करवा दिया ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच मंत्री जी करायेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

मामले में जांच कराई जा रही है।

60—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बाराबंकी, जूनियर बेसिक विद्यालय ओबदी की वेतनावली की जमाबन्दी तथा अध्यापिका श्रीमती कमला देवी के वेतन का श्री सतीश कुमार को भुगतान

61—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 8वें सोमवार के अता0 प्र0 सं0 3 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा

करेंगी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार प्रधानाध्यापक को वेतनावली एक सप्ताह के अन्दर यानी कि दिनांक 13-11-79 तक कार्यालय में जमा कर देनी चाहिए थी ? यदि हां, तो वेतनावली दिनांक 22-11-79 को कार्यालय में जमा करने का क्या औचित्य था ? क्या उपरोक्त कार्यवाही बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार है ?

श्री सिब्ते रजी—

तत्समय निर्देशों के अनुसार वेतनावली प्रत्येक माह की दस तारीख तक जमा कर देनी चाहिए थी ।

श्रीमती कमला देवी के अवकाश पर निर्णय न होने के कारण ऐसा किया गया ।

प्रश्न नही उठता ।

62—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के 1ले सोमवार के अता0 प्र0 सं0 85 के उत्तर के संबंध में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका को अगस्त, 79 का वेतन श्री सतीश कुमार, सहायक अध्यापक द्वारा प्राप्त करा दिया गया है ? इसका क्या कोई प्रमाण कार्यालय में है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

अपूर्ण सूचना प्राप्त होने के कारण सूचना पुनः मांगी जा रही है ।

प्राइमरी पाठशाला, सफेदाबाद, बाराबंकी के अध्यापकों के मध्य तनाव और वेतनावली

63—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के वर्ष 1983 के प्रथम सत्र के 8वें सोम के अता0 प्र0 सं0 3 के उत्तर के क्रम में शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्णित विद्यालय का वातावरण दूषित होने एवं अध्यापकों के मध्य विवाद एवं आपस में तालमेल न होने की सूचना बेसिक शिक्षा अधिकारी को किस माध्यम से और कब प्राप्त हुई तथा इसकी पुष्टि हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में वातावरण दूषित होने के क्या-क्या कारण एवं कारक बताए गए तथा उन बताए गए कारणों को दूर करने हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही की गई ?

श्री सिब्ते रजी—

प्राइमरी पाठशाला सफेदाबाद के अध्यापकों द्वारा लिखित शिकायती-पत्र दिनांक 29-8-80 के द्वारा प्रश्नगत सूचना प्राप्त होने पर क्षेत्रीय सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका से मामले की जांच कराई गई । अध्यापकों में आपसी कहासुनी के कारण वातावरण तनावपूर्ण था जिसके फलस्वरूप प्रशासनिक आधार पर दो अध्यापिकाओं का स्थानान्तरण किया गया ।

64—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के वर्ष 1983 के प्रथम सत्र के 8वें सोम के अता0 प्र0 सं0 3 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापक को वेतन वितरित कर वेतनावली जमा करने के निर्देश लिखित दिये थे ? यदि हां, तो क्या यह निर्देश केवल माह अक्तूबर के वेतन के लिये ही दिये थे ? यदि नहीं, तो माह नवम्बर का भी वेतन पूर्व की भांति ही निर्देशों के साथ क्यों नहीं दिया गया ?

श्री सिब्ते रजी—

अपूर्ण सूचना प्राप्त होने के कारण सूचना पुनः मांगी जा रही है ।

65—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के वर्ष 1983 के प्रथम सत्र के 9 वें सोम के अता0 प्र0 सं0 3 के उत्तर के क्रम में शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने वेतन वितरित कर वेतनावली एक सप्ताह के अन्दर उप विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा करने के निर्देशों के अनुपालन में प्रधानाचार्य ने वेतनावली एक सप्ताह के अन्दर जमा कर दी ? यदि नहीं, तो प्रधानाध्यापक के विरुद्ध निर्देशों की अवहेलना के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? सम्बन्धित अध्यापिका के अवकाश पर निर्णय दिनांक 21-11-79 को हो जाने के बाद ठीक दूसरे दिन दिनांक 22-11-79 को वेतन बैंक में जमा करना, क्या विद्यालय का वातावरण दूषित होना सिद्ध होता है ?

श्री सिब्ते रजी—

अपूर्ण सूचना प्राप्त होने के कारण सूचना पुनः मांगी जा रही है।

बस्ती जिले की प्राइमरी पाठशालाओं और जूनियर बेसिक पाठशालाओं के मृत अध्यापकों के आश्रितों को सेवा में रखे जाने की मांग

66—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में प्राइमरी पाठशालाओं तथा जू0 हा0 स्कूलों (पुरुष तथा महिला) के कुल कितने प्रधानाध्यापक तथा सहायक अध्यापकों, जिनकी मृत्यु सेवा काल में ही हो गयी है, के आश्रितों को अभी तक शासनादेश के आधार पर उनके योग्यतानुसार सेवा में नहीं रखा गया है ? क्या मंत्री जी ऐसे सभी आश्रितों को तुरन्त नियमानुकूल सेवा में रखे जाने हेतु आदेशित करने का कष्ट करेंगे और इसकी सूचना में सम्पूर्ण सूची को सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। सूचना प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित अधिकारी को लिखा गया था, इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है।

उन्नाव जिले के विकास क्षेत्र, असोहा के हरिजनों को बैल की गोई हेतु दिया गया ऋण

67—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत विकास क्षेत्र असोहा में हरिजनों को वर्ष 84-85 में बैल गोई के ऋण स्वीकृत होने और चेक मिलने के महीनों बाद भी उन्हें बैल गोई क्रय नहीं करायी गई ? यदि हां, तो सरकार द्वारा हरिजनों के साथ इस तरह उपेक्षा व परेशान करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद उन्नाव के विकास क्षेत्र, असोहा में वर्ष 1984-85 में 95 हरिजन परिवारों को विभिन्न बैंकों से ऋण स्वीकृत किया गया था एवं चेक जारी की गई थी। समस्त परिवारों को बैल गोई क्रय करा दी गई है। किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

आजमगढ़ जिले के जूनियर हाई स्कूलों को क्षतिपूर्ति अनुदान का भुगतान

68—श्री विष्णु देव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1982-83 व 83-84 और वित्तीय वर्ष 84-85 में आजमगढ़ जनपद के किन-किन जूनियर हाई स्कूलों को क्षति-पूर्ति का भुगतान अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

वित्तीय वर्ष 1982-83 में 107, वर्ष 83-84 में 120 तथा वर्ष 84-85 में 161 जूनियर हाई स्कूलों के क्षतिपूर्ति अनुदान का भुगतान नहीं हुआ है। इनमें से वर्ष 82-83 के 80, वर्ष 83-84 के 91 तथा वर्ष 84-85 के 135 विद्यालयों से क्षतिपूर्ति अनुदान हेतु मांग पत्र प्राप्त न होने के कारण भुगतान की कार्यवाही नहीं की जा सकी। शेष विद्यालयों के प्रकरण शिक्षा निदेशालय को स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं। स्वीकृति प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रश्नगत विद्यालयों की सूची लम्बी होने के कारण संलग्न नहीं की गई है। माननीय विधायक महोदय उसे मेरे कार्यालय कक्ष में देख सकते हैं।

प्राइमरी पाठशाला, दियरा, सुल्तानपुर के स्वर्गीय प्रधानाध्यापक श्री राजनाथ शर्मा के आश्रित को नौकरी दिये जाने की मांग और जीवन बीमा एवं जी0 पी0 एफ0 की धनराशि का भुगतान

69—श्री अवधेश राय शास्त्री—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि स्व0 राजनाथ शर्मा, जो प्राइमरी पाठशाला दियरा, सुल्तानपुर में प्रधानाध्यापक थे, की ड्यूटी के दौरान दिनांक 11-10-82 को मृत्यु हो गयी और अभी तक उनके आश्रित पुत्र को नौकरी नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो स्व0 शर्मा के आश्रित पुत्र श्री हरीश चन्द्र शर्मा को कब तक नौकरी दे दी जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सूचना प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित अधिकारी को लिखा गया था और उसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है।

70—श्री अवधेश राय शास्त्री—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि स्व0 राजनाथ शर्मा जो प्राइमरी पाठशाला, दियरा, सुल्तानपुर में प्रधानाध्यापक थे, की ड्यूटी के दौरान दिनांक 11-10-1982 को मृत्यु हो गयी और अभी तक उनके जीवन बीमा और फण्ड की पूर्ण धनराशि का आधा ही भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और अवशेष धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। सूचना प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित अधिकारी को लिखा गया था इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है।

हरदोई, बी0 एन0 इण्टर कालेज, भगवन्त-नगर की अवैध प्रबन्ध समिति

71—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के बी0 एन0 इन्टर कालेज, भगवन्तनगर, मल्लावां की अवैध

रूप से गठित प्रबन्ध समिति के विरुद्ध उप शिक्षा निदेशक के आदेश के बावजूद भी भंग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

कथित प्रबन्ध समिति को मान्यता नहीं दी गयी है ।

मैनपुरी, प्राइमरी पाठशाला, फरिहा के श्री सुनहरी लाल प्रधानाध्यापक का कथित अवशेष वेतन

72—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी के वि0 क्षे0 खैरगढ़ के प्रा0 पा0 फरिहा के श्री सुनहरी लाल, प्रधानाध्यापक का अवशेष वेतन 1972 से पूर्व का बकाया है ? क्या यह सच है कि 1972 से पूर्व का वेतन शिक्षा परिषद् को भुगतान करने के सम्बन्ध में राजाज्ञा पत्र संख्या मु0 वि0 अधि0 जि0 परि0/493/ए/3765 तारीख 27 अगस्त, 1977 को हुई है ? यदि हां, तो अब तक प्रश्नगत अध्यापक को वेतन का अवशेष धन भुगतान करने में विलम्ब का कारण क्या है ? क्या इस सम्बन्ध में श्री बाबू सिंह यादव, भू0 पू0 एम0 एल0 ए0 की सूचना दिनांक 6-9-83 प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? और उसका क्या परिणाम हुआ ? क्या शासन द्वारा प्रश्नगत अध्यापक को भुगतान कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

नियमानुसार कोई अवशेष वेतन देय नहीं है ।

कोई अवशेष देय न होने के कारण विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । अध्यापक को नियमानुसार देय अवशेष वेतन का भुगतान किया जा चुका है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में उर्दू अध्यापकों का साक्षात्कार

73—श्री अफजाल अंसारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उर्दू अध्यापकों का वर्ष 1984-85 में बेसिक शिक्षाधिकारियों द्वारा प्रदेश भर में जो साक्षात्कार लिए गये हैं उनकी नियुक्ति कब तक हो जायेगी ? उक्त पदों की नियुक्ति में विलम्ब का क्या कारण है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । प्रश्न में संपूर्ण प्रदेश की सूचना वांछित होने के कारण समय का लगना स्वाभाविक है ।

फैजाबाद, जूनियर हाई स्कूलों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों की क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान

74—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त प्राइवेट जूनियर हाई स्कूलों को पिछले कई वर्षों से छात्राओं तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के छात्र/छात्राओं से सम्बन्धित सरकार से मिलने वाली क्षतिपूर्ति की धनराशि नहीं मिली है जिसके कारण सम्बन्धित विद्यालयों के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है ? यदि हां, तो विलम्ब के लिए दोषी लोगों को दण्डित

करने तथा सम्बन्धित सभी विद्यालयों को क्षतिपूर्ति की बकाया धनराशि शीघ्र दिलाने के लिए सरकार क्या कर रही है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

सम्बन्धित अधिकारियों से सूचना प्रतीक्षित है। शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश को निर्देश दे दिये गये हैं कि जिन मान्यताप्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं हुआ है उन्हें शीघ्र नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा मामले में अनावश्यक विलम्ब के लिए यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाया जाय तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही भी करें।

बाराबंकी जिले के विकास क्षेत्र देवा व बंकी की प्राइमरी पाठशालाओं एवं जूनियर हाई स्कूल के भवन

75—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड देवा व बंकी में कितने प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं जिनकी अपनी इमारतें नहीं हैं ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर पढ़ाई कैसी होती है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितनी स्कूली इमारतें ऐसी हैं जिनकी मरम्मत वर्षों से न होने के कारण खतरनाक स्थिति में हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

बाराबंकी के विकास खण्ड देवा में 2 जूनियर हाई स्कूल तथा 18 प्राइमरी स्कूल एवं बंकी में 6 जूनियर हाई स्कूल तथा 22 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनके अपने भवन नहीं हैं।

वहां पर पढ़ाई किराये के भवन में, पंचायत भवन, मंगनी के भवन में, पेड़ों के नीचे तथा अध्यापकों द्वारा जनसहयोग से बनाये गये छप्परों के नीचे होती है।

प्रदेश में मकतबों को एड दिये जाने की मांग

76—श्री कुतुबुद्दीन हुसैन अंसारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस प्रकार एड केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय शिक्षा विभाग को प्राइमरी विद्यार्थियों के शिक्षार्थ उनकी तादाद को जोड़ कर देती है और प्रान्तीय सरकार उपरोक्त प्राइमरी स्कूलों के मैनेजमेन्टों को देती है उसी प्रकार मकतब के बच्चों को उनकी तादाद को जोड़कर मकतब के मैनेजमेन्ट को भी एड देने की सरकार कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

प्राइमरी विद्यालयों को छात्र संख्या के आधार पर कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। अतः इस आधार पर मकतबों को अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता।

हाई स्कूल परीक्षा केन्द्र, खरगपुर सरैया, इटावा के परीक्षार्थी श्री राम लड़ैते एवं श्री मुन्ना लाल का परीक्षाफल

77—चौधरी महराज सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1984 में हाई स्कूल परीक्षा केन्द्र खरगपुर सरैया, जनपद इटावा के अनुक्रमांक 765265 व 765228 क्रमशः मुन्ना लाल व राम लड़ैते का परीक्षाफल न घोषित

करने का क्या कारण है ? इसका उत्तरदायित्व जिन अधिकारियों पर है, उनके खिलाफ शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

परीक्षार्थी रामा लड़ते अनुक्रमांक 765228 तथा मुन्ना लाल अनुक्रमांक 765265 के परीक्षाफल पूर्ण करके सम्बन्धित विद्यालयों को भेजे जा चुके हैं ।

बांदा के जूनियर हाई स्कूल, बखारा, परसौंजा, शिवरामपुर के चपरासियों का वेतन

78—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के चित्रकूट ब्लाक के अंतर्गत जूनियर हाई स्कूल, बखारा, परसौंजा, पुरवातरौंहा व शिवरामपुर के चपरासियों के वेतन का भुगतान जुलाई सन् 1983 से अभी तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो वेतन भुगतान न करने के क्या कारण हैं ? और उनका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सूचना प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित अधीकारियों को लिखा गया था इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है ।

आजमगढ़ के मकतब इस्लामियां की ग्रान्ट

79—श्री मो0 मसूद खां—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में मकतब इस्लामियां को जो ग्रान्ट दी जाती थी 84-85 में दी गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं । पूर्व में दी गई सहायता का आय-व्ययक लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण ग्रान्ट नहीं दी गयी ।

सुल्तानपुर के जगदीशपुर-सिदुरवा मार्ग के निर्माण की मांग

80—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम रसूलपुर विकास खण्ड बाजार शुकुलपुर जिला सुल्तानपुर में जगदीशपुर बाजार शुकुल पक्के भोग स्कूल (नया भवन) के निकट से ग्राम सिदुरवा तक सड़क बनाये जाने की योजना स्वीकृत हो गयी है ? यदि हां, तो आज तक सड़क न बनने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम एवं जिला योजना के अन्तर्गत यह मार्ग स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सुल्तानपुर, ग्राम रसूलपुर में कन्या जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की मांग तथा स्कूल में बैठने व पानी की व्यवस्था की मांग

81—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर विकास खण्ड बाजार शुकुल जिला सुल्तानपुर में जिसकी आबादी लगभग 5000 है, लड़कियों को प्राइमरी शिक्षा के बाद आगे की शिक्षा के लिए सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस ग्राम सभा में एक जूनियर कन्या

हाई स्कूल खोलने पर विचार करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

यह सम्बन्धित जिले की बेसिक शिक्षा समिति के निर्णय पर निर्भर करता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

82—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर विकास खण्ड बाजार शुकुल जिला सुल्तानपुर में स्थित नवनिर्मित स्कूल में अध्यापकों, बच्चों को बैठने तथा पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो अब तक उसकी व्यवस्था न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सूचना प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित अधिकारी को लिखा गया था । इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है ।

नेशनल इण्टर कालेज, पिण्डरा, वाराणसी में समाजशास्त्र के प्रवक्ता के पद के सृजन की मांग

83—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इण्टर कालेज, पिंडरा, जिला वाराणसी में समाजशास्त्र प्रवक्ता के पद सृजन हेतु शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने उप निदेशक, शिक्षा पंचम मंडल, वाराणसी से कुछ जानकारी मांगी थी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उप निदेशक, शिक्षा वाराणसी ने पत्र संख्या प्रशासन आयोग/15648-49 दि0 16-3-85 तथा पृष्ठांकन संख्या प्रशासन/2732 दिनांक 10-5-85 के द्वारा तथ्यों को भेज दिया है ? इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

जी हां ।

वित्तीय स्वीकृति के अभाव में पद सृजन करना सम्प्रति संभव नहीं हो पा रहा है ।

शिक्षा विभाग में द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों एवं एस0 ई0 एस0 राजपत्रित अधिकारियों के रिक्त पद

84—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा विभाग में द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों तथा एस0 ई0 एस0 के राजपत्रित अधिकारी के कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं ? इन पदों के रिक्त रखने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार प्रोन्नति के हकदार अर्ह अभ्यर्थियों की प्रोन्नति हेतु कोई विचार कर रही है ? यह रिक्तियां कब तक भर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

शिक्षा विभाग में द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के 174 तथा एस0 ई0 एस0 राजपत्रित अधिकारियों के 85 पद विभिन्न तिथियों से रिक्त हैं ।

ये पद सेवा निवृत्ति, स्थानान्तरण, पदभार ग्रहण न करने एवं संबंधित संवर्गों में चयनित अधिकारियों की सूची समाप्त हो जाने जैसे कारणों से रिक्त रह गये हैं ।

जी हां ।

चयन की अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद रिक्तियां तदर्थ रूप से भरी जा सकेंगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 महालेखाकार कार्यालय में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के जी0 पी0 एफ0 लेखे का त्रुटिपूर्ण रखरखाव और शिक्षकों की अवकाश प्राप्ति की आयु साठ साल किये जाने की मांग

85—श्री राम सजीवन—

क्या सरकार को जानकारी है कि महालेखाकार उ0 प्र0 इलाहाबाद के कार्यालय में जी0 पी0 एफ0 लेखा का रख रखाव त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण रहने के कारण शिक्षा विभाग के कर्मचारियों में व्यापक रूप से असन्तोष है ? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भांति उनके सम्बन्धित कार्यालय में लेखा की व्यवस्था कराने में सरकार को क्या कठिनाई है ? क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में महालेखाकार उ0 प्र0 इलाहाबाद से अथवा केन्द्रीय सरकार से कोई पत्र व्यवहार किया है ? यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था । उसके बाद दिनांक 25 जुलाई, तथा 30 जुलाई को अनुस्मारक भी भेजे जा चुके हैं ।

86—श्री राम सजीवन—

क्या सरकार को जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार ने अपने शिक्षकों की अवकाश प्राप्ति की आयु 58 साल से 60 साल तक करने के आदेश जारी कर दिये हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार भी अपने शिक्षकों के अवकाश प्राप्ति की आयु 60 वर्ष करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

शिक्षा विभाग के पर्वतीय संवर्ग में नियुक्तियां, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण

87—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत पर्वतीय संवर्ग बनाया गया है ? इस संवर्ग में नियुक्तियां, पदोन्नति, स्थानान्तरण के सुचारु रूप से चलाये जाने हेतु समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के पूर्ण कठोरता से पालन करने हेतु शासन ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां । प्रश्न विचाराधीन है ।

शिक्षा विभाग का दिनांक 25 नवम्बर, 1980 का शासनादेश का लक्ष्य विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया

88—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि शासनादेश सं0 9299/15-2-80-27(37)/79, दिनांक 25 नवम्बर, 1980 का मुख्य लक्ष्य विकेन्द्रीयकरण प्रक्रिया को तेज कराना था ? यदि हां, तो इसे अब तक किस-किस प्रकार लागू किया गया है ? इसे सभी राजपत्रित पदों हेतु कब

तक क्रियान्वित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

विचाराधीन हैं।

उत्तराखंड, पर्वतीय जिलों में सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों की एल0 टी0 ग्रेड में प्रोन्नति तथा शिक्षा विभाग के शासनादेश दिनांक 16 नवम्बर, 1984 का स्थगन

89—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या यू0 सं0 नियुक्ति-एल0 टी0/7803-608/16-11-1984 द्वारा उत्तराखण्ड (पर्वतीय जनपदों) में जनपदवार सी0 टी0 ग्रेड से एल0 टी0 ग्रेड में कितनी पदोन्नतियां की गयीं तथा कितनी इस वर्ष की जानी हैं ? यदि नहीं, तो शासनादेश अनुपालन न करने हेतु कौन दोषी हैं ? उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सी0 टी0 से एल0 टी0 ग्रेड में पदोन्नति जनपदवार नहीं होती।

गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत 126 एवं कुमायूं मंडल के अन्तर्गत 25 पदोन्नतियां की गयी हैं।

निश्चित नहीं हैं।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रसंगागत आदेश दिनांक 16-11-84 को स्थगित कर दिया गया हैं। अतः अग्रेतर पदोन्नतियां नहीं की जा रही हैं। इसके लिए कोई दोषी नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

90—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात हैं कि सहायक शिक्षा निदेशक सेवायें (1) के आदेश संख्या यू0 सं0-नियुक्ति एल0 टी0/7803-608/16-11-1984 के कार्यान्वयन पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 5-2-1985 को स्थगनादेश जारी किया गया था ? यदि हां, तो इस स्थगन आदेश को तुरन्त निरस्त कराने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका के विरोध करने तथा स्थगन आदेश निरस्त करने हेतु प्रति शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया हैं।

शिक्षा विभाग का शासनादेश दिनांक 25 नवम्बर, 1980 का क्रियान्वयन

91—श्री काशी सिंह ऐरी—

उपरोक्त स्थगन आदेश शासनादेश सं0 9299/15-2-80-27 (37)/79, दिनांक 25 नवम्बर, 1980 पर लागू न होने पर इसके क्रियान्वयन न करने के क्या कारण हैं ? इसे शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करने हेतु सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

विचाराधीन हैं।

पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूलों के अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों का वेतनमान

92—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि शासनादेश सं0 ख-1/532/65/15 दिनांक 30 नवम्बर, 1968 के अनुसार राजकीय हाई स्कूलों के सहायक अध्यापक/प्रधानाचार्यों का वेतनमान रु0 100—180 के स्थान पर रु0 80—125 हो गया था ? इस विसंगति से जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के कितने अध्यापक/प्रधानाचार्य अभी भी प्रभावित हैं ? कितने व्यक्ति इसी परिवर्तित वेतनमान के अंतर्गत सेवा निवृत्त हो गये ? सरकार ने इस विसंगति को दूर करने के लिए क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था। दिनांक 15-7-85 एवं 30-7-85 को अनुस्मारक भेजे जा चुके हैं।

पिथौरागढ़, अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों के अध्यापक एवं प्रधानाध्यापकों के रिक्त पद

93—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्रमशः जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में क्रमशः सी0 टी0, एल0 टी0, प्रवक्ता तथा प्रधानाचार्यों के कितने पद दिनांक 1-5-85 को रिक्त थे ? इनमें से कितने पद क्रमशः दो तीन या इससे अधिक वर्षों से रिक्त हैं ? छात्रों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन पदों पर अतिशीघ्र नियुक्तियां करने के लिए क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जनपद पिथौरागढ़/अल्मोड़ा में राजकीय हाई स्कूल व इण्टर कालेजों में दिनांक 1-5-85 को प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों के रिक्त पदों की स्थिति निम्नवत् थी—

	पद का नाम	रिक्त पदों की सं0 अल्मोड़ा	पिथौरागढ़
1.	प्रधानाचार्य, इं0 कालेज	13	13
2.	प्रधानाचार्य, हाई स्कूल	20	16
3.	प्रवक्ता	77	66
4.	एल0 टी0	81	68
5.	सी0 टी0	5	10
		196	173
	कुल ..		369

प्राप्त सूचना अपूर्ण है। पुनः सूचना प्राप्त की जा रही है।

प्रधानाचार्य के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही की जा रही है। प्रवक्ता एवं एल0 टी0 वेतनक्रम के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निदेशालय स्तर पर विज्ञापन निकाला गया है। सी0 टी0 वेतनक्रम के रिक्त पदों की पूर्ति मण्डलीय स्तर पर की जा रही है।

पिथौरागढ़ के राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेज, के अध्यापकों, प्रधानाचार्यों की ज्येष्ठता सूची

94—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेज गंगोलीहाट, पीपलकोट बेरीनाग (जनपद पिथौरागढ़) के अध्यापकों को विद्यालय के प्रधानाचार्यों की भांति उसी दिन से ज्येष्ठता व स्थायीकरण नहीं दिया गया, जबकि रा0 इण्टर कालेज नारायणनगर (पिथौरागढ़) में अध्यापकों को उनके प्रधानाचार्यों के साथ ही ज्येष्ठता दी गयी है ? शासन ने इस विषय पर तुरन्त क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा गया था। उसके बाद दिनांक 15, 24 तथा 30 जुलाई, 1985 को अनुस्मारक भी भेजे जा चुके हैं।

पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी के सेवानिवृत्त अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक

95—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत पांच वर्षों की अवधि में सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ चमोली, उत्तरकाशी में वर्षवार क्रमशः ऐसे कितने अध्यापक व प्रधानाध्यापक थे, जिन्होंने उपरोक्त जनपद में विगत पांच वर्षों की अवधि में सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में सेवा निवृत्ति प्राप्त की ? इनमें सबसे कम अवधि में सेवा निवृत्त होने वाले कौन-कौन थे ? वे कहां से स्थानान्तरित होकर वहां पहुंचे थे और कितने दिनों में स्थानान्तरित हो गये ?

श्री सिब्ते रजी—

पूरी सूचना एकत्र की जा रही है। प्रश्न में तीन जनपदों के बारे में सूचना चाही गई है इस कारण समय लग रहा है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा (पर्वतीय सेल) अनुभाग के शिक्षण एवं निरीक्षण शाखा पदों के संवर्गों का विकेन्द्रीकरण

96—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश शिक्षा (पर्वतीय सेल) अनुभाग के पत्रांक सेल/760-100/154 (2)/81-82 दिनांक 4-1-82 द्वारा माध्यमिक शिक्षा के कतिपय शिक्षण एवं निरीक्षण शाखा में पदों के संवर्गों का विकेन्द्रीकरण तथा अलग पर्वतीय संवर्ग बनाये जाने की शासकीय योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? कब तक यह कार्य पूरा करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था। उसके बाद दिनांक 15-7-85 एवं 30-7-85 को अनुस्मारक भी भेजे जा चुके हैं।

माध्यमिक शिक्षा के शिक्षण एवं निरीक्षण शाखा के पदों के संवर्गों का विकेन्द्रीकरण

97—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि राजाज्ञा सं0 9299/15-2-80-27 (37)/79, दिनांक 25 नवम्बर, 1980 द्वारा माध्य-

मिक शिक्षा के कतिपय शिक्षण एवं निरीक्षण शाखा के पदों के संवर्गों का विकेन्द्रीकरण तथा अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) तक के पदों के पर्वतीय क्षेत्र के अलग संवर्ग बनाने के आदेश पारित किये हैं ? इस संदर्भ में उत्तराखण्ड (पर्वतीय आठ जनपदों) में जनपदवार कुल किस-किस कर्मचारी श्रेणी ने क्रमशः पर्वतीय व मैदानी संवर्ग का चुनाव किया ? इस प्रकार जनपदवार कितने पद रिक्त रहे ? उन्हें क्रमशः कब तक भरा जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

शेष बिन्दुओं पर सूचना एकत्र की जा रही है । संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था । दिनांक 15-7-85 तथा 30-7-85 को अनुस्मारक भी भेजे जा चुके हैं ।

पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा के हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों के अध्यापकों का नियमितीकरण

98—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में क्रमशः 1979 से लगातार हाई स्कूल व इंटरमीडिए कालेजों में कार्यरत क्रमशः कितने अध्यापकों का अभी तक नियमितीकरण नहीं किया गया है ? इन्हें कब तक नियमित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था । उसके बाद दिनांक 15, 24 तथा 30 जुलाई को अनुस्मारक भी भेजे जा चुके हैं ।

बांदा के भवन विहीन प्राइमरी स्कूल

99—डा0 सुरेन्द्रपाल वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 1982-83 में कितने भवन विहीन प्राइमरी विद्यालयों के भवन बनवाने की स्वीकृति शासन ने प्रदान की थी ? इनमें से कितने भवन नरैनी विधान सभा क्षेत्र के थे ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि कितने भवन बन चुके हैं कितने बनने को शेष हैं ? उन्हें कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सूचना प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा गया था इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है ।

फैजाबाद में बेरोजगार बी0 टी0 सी0 अध्यापक

100—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में कुल कितने बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक मौजूद हैं और उन्हें कब तक नौकरी उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सूचना प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा गया था इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है ।

जनपद फैजाबाद, में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित भवन विहीन प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूल

101—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित कुल कितने प्राइमरी पाठशालायें और जूनियर हाई स्कूल हैं और उनमें से कितने विद्यालय भवन विहीन हैं जिनके छात्र/छात्रायें खुले आसमान में पढ़ते हैं और कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनके भवन इतने जर्जर हैं कि जीवन का खतरा मोल लेकर ही उनके नीचे बैठा जा सकता है ? यदि हां, तो भवन विहीन विद्यालयों के भवन का कब तक निर्माण करा दिया जायेगा और जर्जर भवनों को गिराकर उनके स्थान पर नये भवनों के निर्माण हेतु सरकार की क्या योजना है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। सूचना प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है।

देवरिया, बापू इण्टर कालेज, सलेमपुर के प्रधानाचार्य के पद पर श्री प्रकाश सिन्हा की नियुक्ति

102—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रकाश सिन्हा की नियुक्ति बापू इण्टर कालेज सलेमपुर, देवरिया में प्रधानाचार्य के पद पर करते समय शिक्षा सचिव के गोपनीय अर्ध शासकीय अध्यादेश 3882-2958/75-76 दिनांक 15-9-75 तथा नवीन नियुक्ति अनुच्छेद-2 का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो नियुक्ति का औचित्य क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानाचार्य श्री प्रकाश सिन्हा के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय से याचिका संख्या 1525/76 का निर्णय उनके विरुद्ध हो चुका है तथा प्रबन्ध समिति द्वारा दाखिल याचिका संख्या 176-ए/76 खारिज हो चुकी है फिर भी श्री सिन्हा को वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ? जबकि श्री सिन्हा द्वारा दाखिल याचिका संख्या 2056/77 भी 1979 में ही खारिज हो चुकी है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। संबंधित अधिकारी को अर्धशासकीय पत्र द्वारा उत्तर भेजने हेतु स्मरण कराया गया है।

103—श्री राम आसरे वर्मा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

वाराणसी जिले में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थी

104—श्री राज किशोर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षणार्थियों की 1970-71 की नियुक्ति पूरी क्यों नहीं हुई और वर्ष 1970-71 तथा उसके बाद की अवधि की बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षणार्थियों की नियुक्ति के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? अब तक कितनी नियुक्तियां की जा चुकी हैं और कितने बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षणार्थियों की नियुक्ति शेष है ?

श्री सिब्ते रजी—

जनपद वाराणसी में वर्ष 1970-71 के सभी बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की तथा वर्ष 71-72 के प्रशिक्षित अभ्य-

र्थियों में से अब तक 69 अभ्यार्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है। जनपद में 2803 बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु शेष हैं। इनकी नियुक्ति भी यथासमय उपलब्ध रिक्तियों में की जायगी।

प्रतापगढ़, सीनियर बेसिक विद्यालय उतरास के प्रधान अध्यापक, श्री गिरीश प्रसाद पाण्डेय एवं अध्यापक, श्री राम नारायण मिश्र की अनुपस्थिति

105—श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि सीनियर बेसिक विद्यालय उतरास, विकास खण्ड मंगरारा, जनपद प्रतापगढ़ के प्रधान अध्यापक गिरीश प्रसाद पाण्डे तथा सहायक अध्यापक, श्री राम नारायण मिश्र मास मार्च, अप्रैल तथा 3 मई, 85 तक विद्यालय में एक दिन भी उपस्थित नहीं हुए ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो उक्त महीनों में उपस्थिति पंजिका में तिथिवार उनके हस्ताक्षर हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

प्राप्त सूचना अपूर्ण है अतः सूचना पुनः एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में उर्दू मीडियम स्कूल (मकतबे इस्लामिया) की मान्यता एवं सहायता

106—श्री शफीकुर्रहमान वर्क—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में कुल कितने उर्दू मीडियम स्कूल (मकतबे इस्लामिया) हैं और उनमें से कितने मान्यता प्राप्त हैं और कितनों को सहायता (एड) दी जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। चूंकि प्रश्न में पूरे प्रदेश की स्थिति ज्ञात की गई है अतः पूर्ण सूचना एकत्र होने में समय लगेगा।

प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में छात्रों एवं अध्यापकों का अनुपात और छह वर्ष एवं चौदह वर्ष की आयु के बालकों व बालिकाओं की अनिवार्य शिक्षा

107—श्री राम नाथ मुंशी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपने राज्य की प्राथमिक शिक्षा में छात्रों और शिक्षकों का क्या अनुपात निर्धारित किया गया है ? निर्धारित अनुपात के अनुसार प्रदेश में कितने प्राथमिक शिक्षक चाहिए और कितने इस समय में कार्यरत हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है।

108—श्री रामनाथ मुंशी—

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच कितने बालक या बालिका शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और कितने नहीं ? उपर्युक्त आयु के जो बालक प्राथमिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं उनको अनिवार्यता शिक्षा देने की कोई योजना शासन में विचाराधीन है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। प्रश्न में पूरे प्रदेश की सूचना चाही गई है इस कारण समय लग रहा है।

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल एवं मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शुल्क दर

109—श्री राम नाथ मुंशी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 7 तथा कक्षा 8 के लिए शुल्क रेट अलग और हाई स्कूल तथा मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के लिए शुल्क रेट अलग हैं ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां । बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के पूर्व बेसिक शिक्षा का संचालन स्थानीय निकायों द्वारा किये जाने एवं उन्हीं के द्वारा अलग-अलग शुल्क दरों के निर्धारण के फलस्वरूप पूर्व प्रचलित शुल्क बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में लिया जा रहा है ।

इलाहाबाद, प्राथमिक शिक्षकों की प्राविधायी निधि का लेखा जोखा

110—श्री रामनाथ मुंशी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद के प्राथमिक शिक्षकों की प्राविधायी निधि का लेखा जोखा वर्ष 1972 से उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है तथा अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सूचना प्राप्त करने के लिये संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है ।

महिला विद्यालय इण्टर कालेज, लखनऊ के कर्मचारियों/अध्यापिकाओं के अवशेष डी0 ए0 का भुगतान

111—श्री सरदार सिंह—

द्वितीय सत्र 1983 के 1ले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 149 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शेष कर्मचारियों के एरियर का भुगतान अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं ? विलम्ब के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा एरियर का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार रिकर्ड उपलब्ध न होने के कारण केवल तीन शिक्षिकाओं के एरियर का भुगतान होना शेष है । रिकर्ड उपलब्ध न कराने की जिम्मेदारी प्रबन्धाधिकरण की है । भुगतान कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

सुल्तानपुर के ग्राम रसूलपुर की प्राइमरी स्कूल में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की मांग और भवन निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग

112—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में नव-निर्मित प्राइमरी स्कूल में उर्दू अध्यापक की नियुक्ति नहीं की गई ? यदि हां, तो क्या इस स्कूल में अविलम्ब एक उर्दू शिक्षक की नियुक्ति करने पर विचार करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

ग्राम रसूलपुर, विकास खंड जगदीशपुर, जिला सुलतानपुर में नवस्थापित प्राइमरी स्कूल में उर्दू अध्यापक की नियुक्ति नहीं की गई है । जनपद में प्राइमरी विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिये 30-7-85 की तिथि साक्षात्कार हेतु प्रस्तावित है । उसी के बाद कार्यवाही की जायगी ।

113—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में प्राइमरी स्कूल के नवनिर्मित भवन में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है ? क्या इसकी जांच करा कर दोषी व्यक्तियों के विरुध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

जांच कराई गयी तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ।

सुल्तानपुर के ग्राम बाहरपुर के प्राइमरी स्कूल का भवन

114—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर, विकास खण्ड सुल्तान बाजार, जिला सुल्तानपुर में प्राइमरी स्कूल का कोई अपना भवन नहीं है जिसके कारण बच्चों की शिक्षा सुचारु रूप से नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो इस ग्राम में 1985-86 में स्कूल भवन का निर्माण कराने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारी को लिखा गया था और इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है ।

देवरिया, भाटपाररानी, मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज के प्राचार्य, श्री राम नमन मिश्र द्वारा बी0 एड0 का अध्ययन

115—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज, भाटपाररानी, देवरिया के प्राचार्य, श्री राम नयन मिश्र ने बी0 एड0 की उपाधि ली है ? यदि ली है, तो कब ? बी0 एड0 की डिग्री लेने की अवधि में क्या अवकाश लिये हैं ? क्या यह सही है कि उन्होंने एक दिन भी अवकाश लिये बिना उक्त डिग्री प्राप्त कर ली है ? यदि ऐसा है, तो क्या यह डिग्री वैध है ? यदि नहीं है, तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी—

जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीराम नयन मिश्र ने वर्ष 1970-71 में बी0 एड0 की उपाधि ली । श्री मिश्र ने मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज, भाटपाररानी, देवरिया में उक्त अवधि में प्रातःकालीन पाली में अंग्रेजी प्रवक्ता पद पर अध्यापन किया । प्रथम पाली में अध्यापन के पश्चात् सीवान महाविद्यालय सीवान (बिहार) में उपस्थित होकर उन्होंने बी0 एड0 का अध्ययन किया । बी0 एड0 अध्ययन की अवधि में उन्होंने अवकाश नहीं लिया ।

इस संबंध में आदेश कर दिये गये हैं कि शिक्षा निदेशक प्रकरण को स्वयं देखें और यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

प्रतापगढ़, सीनियर बेसिक विद्यालय, उतरास के कर्मचारी, श्री मातादीन एवं श्री राम मूर्ति सिंह के वेतन तथा बकाये का भुगतान

116—श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीनियर बेसिक विद्यालय, उतरास, विकास खण्ड मगरारा, जनपद प्रतापगढ़ के परिचारक एवं जल वाहक मातादीन तथा परिचारक चौकीदार राममूर्ति सिंह का वेतन तथा एरियर क्रमशः 4338.00 व 5071.00 रु0 का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त भुगतान को कब तक कराया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दोनों व्यक्तियों के वेतन तथा एरियर का भुगतान कर दिया गया है। जहां तक दर्शायी गई धनराशि के भुगतान का प्रश्न है, अवधि अंकित न होने के कारण वास्तविक स्थिति बताना संभव नहीं है।

प्रदेश की प्राइमरी पाठशालाओं में उर्दू अध्यापकों के पद

117—हाजी मोहम्मद हयात—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के प्राइमरी स्कूलों में उर्दू शिक्षकों के कितने स्थान हैं ? इस समय कितने स्थानों पर नियुक्तियां हैं और कितने स्थान रिक्त हैं ? यदि रिक्त हैं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। प्रश्न में पूरे प्रदेश की सूचना चाही गयी है इस कारण समय लग रहा है।

प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल एवं प्राइमरी स्कूलों की भूमि से प्राप्त आय

118—श्री विजय सिंह राणा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष सचिव, उ0 प्र0 शासन के पत्रांक 3200-ग/33-3-147, दिनांक 5 जून, 1976 के सन्दर्भ में प्रदेश में प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों के साथ जो भूमि सम्बद्ध हैं उससे होने वाली आय जो जिला परिषद् के खाते में जमा हैं के संबंध में निर्णय लिया था कि विद्यालय भवन एवं भूमि से होने वाली आय को जिला परिषदों के लेखा में अलग से विधिवत् जमा किया जाय ताकि यह धनराशि सम्बन्धित विद्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सुरक्षित रहे ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या जिला परिषद् इस आय को सम्बन्धित विद्यालयों की आवश्यकताओं पर व्यय कर रही है अथवा नहीं ? यदि हां, तो यह कार्य कब से चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। प्रश्न में पूरे प्रदेश के बारे में सूचना चाही गयी है इस कारण समय लग रहा है।

किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बरगदही, गोरखपुर के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध अनियमितता सम्बन्धी आख्या

119—श्री काजी कलीमुर रहमान—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर

ने किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बरगदही, पोस्ट गुलरिहा बाजार, जनपद गोरखपुर के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध उक्त विद्यालय में व्याप्त गंभीर अनियमितताओं के आधार पर मार्च, सन् 1983 में नियमानुसार उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर मण्डल की सेवा में कोई नोटिस का प्रारूप तैयार कर भेजा था ? यदि हां, तो उस मामले पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं । विद्यालय के प्रबंधाधिकरण के विरुद्ध नोटिस का प्रारूप नहीं बल्कि वेतन वितरण अधिनियम, 1978 के अंतर्गत प्रबंधतंत्र को अतिक्रमण करने के संबंध में एक आख्या मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर द्वारा दिनांक 11 मार्च, 1983 को भेजी गई थी । मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर से इस संबंध में कृत कार्यवाही की सूचना प्राप्त नहीं है ।

गोरखपुर, किसान जूनियर हाई स्कूल, चड़राव की फर्जी मान्यता

120—श्री काजी कलीमुर रहमान—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर ने अपने पत्र दिनांक 30-4-83 द्वारा सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद को, किसान जूनियर हाई स्कूल चड़राव, जनपद गोरखपुर की फर्जी स्थायी मान्यता के प्रत्याहरण हेतु अपनी संस्तुति भेजी थी ? क्या यह सही है कि संबंधित विद्यालय के पास भूमि भी नहीं है ? यदि हां, तो इस मामले पर बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां । विद्यालय के पास भूमि होने या न होने की सूचना उपलब्ध नहीं हो पायी है । इस विद्यालय की मान्यता वापस लेने का प्रकरण मूलरूप में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर को सचिव, उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा परिषद् के पत्र दिनांक 17-7-85 द्वारा इस निर्देश के साथ वापस कर दिया गया है कि वे नियमानुसार मामले में शिक्षा निदेशक के माध्यम से कार्यवाही पूरी करायें ।

विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ के सीनियर बेसिक स्कूलों के लिये स्वीकृत अनुदान

121—श्री शारदा प्रताप—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, जिला लखनऊ में कितने ऐसे सीनियर बेसिक स्कूल हैं जिनके अपने भवन नहीं हैं ? वर्ष 1984-85 में इनमें से कितने स्कूलों के भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया था ? कितने स्कूलों के भवन बन गये हैं और कितनों के नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

एक ।

कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में बेरोजगार बी0 टी0 सी0 अध्यापक

122—श्री शारदा प्रताप—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ में कितने बेरोजगार बी0

टी0 सी0 ट्रेण्ड अध्यापक हैं और उनमें से सरकार ने अभी तक कितने अध्यापकों को रोजगार प्रदान किया है ? रोजगार न मिलने वाले अध्यापकों को सरकार कब तक रोजगार का अवसर प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्या उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का प्राविधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है ।

सरोजनीनगर, लखनऊ के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूलों की स्थापना की कथित स्वीकृति

123—श्री शारदा प्रताप—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, जिला लखनऊ में वर्ष 1984-85 में कितने नये प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल खोलने की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी ? क्या सभी विद्यालय खुल गये हैं तथा उनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति हो गई है ? यदि नहीं, तो क्या शासन शीघ्र ही अध्यापकों की नियुक्ति करेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जूनियर हाई स्कूल, बंथरा, लखनऊ के अध्यापक, श्री विद्याधर दीक्षित का स्थानान्तरण

124—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल बंथरा, लखनऊ के सहायक अध्यापक, श्री विद्याधर दीक्षित द्वारा स्कूल में अनियमितता तथा अनुशासनहीनता के कारण स्कूल का वातावरण दूषित है ? क्या उनका स्थानान्तरण बंथरा से अन्यत्र किये जाने हेतु श्रीमती शारदा देवी, विधायिका का पत्र दिनांक 14-5-85 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सिब्ते रजी—

श्री विद्याधर दीक्षित जूनियर हाई स्कूल बंथरा, लखनऊ से स्थानान्तरित हो चुके हैं । सम्प्रति वे जूनियर हाई स्कूल बदैया (माल) में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं ।

प्रदेश में बेरोजगार बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या

125—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापकों की संख्या क्या है ? क्या उन्हें तत्काल रोजगार देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारी को लिखा गया था और इसके बाद तार भी भेजा गया है ।

श्री गांधी आश्रम मटौंध, बांदा इन्चार्ज, श्री सुदर्शन द्वारा श्री कन्हैया लाल को देय ऋण एवं अनुदान का गबन

126—श्री देव कुमार यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम मटौंध, जिला बांदा के निवर्तमान इंचार्ज (श्री सुदर्शन) के द्वारा स्नातक बेरोजगार युवक श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री भोला प्रसाद यादव, निवासी ग्राम तिन्दवारा, विकास खंड बड़ोखर खुर्द, जिला बांदा के साथ वर्ष 1980-81 के दौरान जालसाजी व धोखाधड़ी करके ऋण एवं अनुदान में मिलने वाले रुपयों को गबन कर लिया है, जिसकी वसूली वर्ष 84 तहसील बांदा द्वारा किये जाने की सूचना के पश्चात् श्री यादव ने 7-6-84 एवं 4-4-84 को माननीय मुख्य मंत्री सहित अध्यक्ष खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ आदि को तत्काल वसूली रोकने आदि का शिकायती प्रार्थना-पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त धांधली से सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध कार्यवाही तथा कर्ज माफी के संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला परिषद् बांदा से पूर्ण सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

(12 बजकर 20 मिनट पर)

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि हमारा जो प्रश्न संख्या 17 था उसका मुझे उत्तर ही नहीं मिला । मेरे आज लिस्ट में, 4 प्रश्न हैं लेकिन एक का भी उत्तर मुझे नहीं मिला है ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मुईद साहब का प्रश्न था कि क्या मानवीय दृष्टि से भवन बनाने के लिए विचार करेंगे । मैं तो कहता हूं कि जो नियम बना हुआ है हाई स्कूल या जूनियर हाई स्कूल को मान्यता देने के लिए इतने कमरे अवश्य होने चाहिये । तो माननीय मन्त्री जी जो जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल खोलते हैं जैसे व्यक्तिगत स्कूलों के लिए नियम है कि इतने कमरे होने चाहिये । तो क्या यह नियम सरकारी स्कूलों के लिए खोलते समय नहीं होता है । क्या यह नियम प्राइवेट स्कूलों के लिए ही लागू होता है ।

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य प्रश्नों के सम्बन्ध में संतुष्ट नहीं हैं वे कृपा करके मेरे कक्ष में मुझसे मिल लें मैं देखूंगा कि क्या हो सकता है ।

श्री मुईद अहमद—

यह मेरा प्रश्न है जब प्राइवेट संस्थाओं के लिए सारे नियम लागू किये गये हैं, तो सरकारी स्कूलों में यह नियम क्यों नहीं लागू किये जाते । प्राइवेट में अगर कोई एक विषय और खोलना चाहता है, तो उसके लिए अलग से कमरे की आवश्यकता होती है । यहां पर तो बिल्डिंग ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने व्यवस्था दे दी है।

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, मेरा आज प्रश्न 23 और 26 है जिसके उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं है फिर भी जबाब आ जाता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। पिछले सोमवार को जब बनारसी दास जी के निधन के कारण सदन स्थगित हो गया था उस दिन भी शिक्षा विभाग से यही जबाब आया और आज भी यही आया है। आपका संरक्षण चाहते हैं आप व्यवस्था दें कि क्या इस सत्र में इसका जबाब आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

15 दिन के अन्दर खुद ब खुद इसका दुबारा जबाब आयेगा।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, 15 दिन बाद फिर जवाब आ जाये कि सूचना एकत्र की जा रही है, तो उसका क्या होगा।

श्री अध्यक्ष—

उस पर विचार अवश्य करेंगे।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, यह प्रश्नों का समय महत्वपूर्ण है, मेरा निवेदन है कि इसमें आप कड़ा रुख अख्तियार करें क्योंकि आपकी नर्मी मन्त्रि परिषद् के सदस्यों की ढील का कारण बन गयी है। मैं समझता हूं कि प्रश्नों के जरिये यह साबित हो जाता है कि मन्त्रियों की अपने विभाग के अधिकारियों पर कितनी पकड़ है। मान्यवर, सदन को अहसास हो गया है कि मन्त्रियों की पकड़ विभाग के अधिकारियों पर नहीं है और आप भी मंत्रियों पर पकड़ नहीं रखेंगे, तो वह भी अधिकारियों पर पकड़ नहीं रखेंगे। मान्यवर, आज एक सवाल तारांकित प्रश्न संख्या 10 पर है जिसमें इटावा में 182 विद्यार्थियों का परीक्षाफल रोक दिया गया।

मान्यवर, 22 मार्च को सवाल किया गया था और अप्रैल, मई, जून, जुलाई बीत गया और अगस्त चल रहा है। चार महीने हो गये हैं, इटावा से सवाल का जवाब मांगा गया है, इनके पास सारी सुविधायें हैं जैसे टेलीग्राम, टेलीप्रिंटर लेकिन मन्त्री जी उसके जवाब में कहते हैं कि सूचना की आवश्यकता है। मान्यवर, अल्प सूचित तारांकित प्रश्न का जवाब 3-4 दिन या एक हफ्ते में सचिवालय से आना चाहिये किन्तु उनका जवाब 1-1 महीने हो जाता है और जवाब देते हैं कि सूचना की आवश्यकता है। मुझे जानकारी मिली है कि सदन में एक मिनट का 4 हजार रुपये खर्च होता है। मान्यवर, जब यह पहले से लिखकर लाते हैं कि सूचना की आवश्यकता है, तो सदन के पटल पर क्यों रखते हैं, पहले ही उसको स्थगित कर दें। मान्यवर, आप निर्देश दें कि जिस दिन जिस मंत्री का सवाल होगा, सूचना की आवश्यकता है, तो 9 बजे तक उन मंत्रियों को बुला लें और पहले परीक्षण कर लें कि सूचना की आवश्यकता सही में है कि नहीं या टाल-मटोल किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जा रहा है। इसलिये विद्यार्थियों के भाग्य का फैसला कब तक होगा ?

आपने 15 दिन का व्यवस्था दे दिया, नियमों के मुताबिक तो 15 दिन आयेंगे नहीं अल्पसूचित तारांकित प्रश्न को स्थगित कर देंगे, तो तारांकित में आयेगा, तारांकित को स्थगित कर देंगे, तो और नीचे चला जायेगा, इसलिये वरीयता अपने आप में खंडित होती है। मैं समझता हूं कि यह सरकार के जो मन्त्री हैं उनकी कार्य प्रणाली से हम सन्तुष्ट नहीं हैं और कोई भी मन्त्री अपने विभाग से आपके नियम के अनुसार जवाब मांगने में सक्षम नहीं हैं, यह साबित हो गया है क्योंकि हम एक यदि सवाल कर दें कि अध्यक्ष या मुख्य मन्त्री के बारे में कि वह किस गाड़ी से जाते हैं, तो सम्बन्धित मन्त्री जवाब देंगे कि सूचना की आवश्यकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि विधान सभा का पैसा क्यों बरबाद किया जा रहा है, विधान सभा के नियमों की अवहेलना क्यों की जा रही है। प्रश्नों का जवाब एक से चार महीने बीत जाने पर भी आता है कि सूचना की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया यहां कभी नहीं रही है. इसलिये इससे बढ़कर शर्म और लज्जा की बात दूसरी नहीं हो सकती है। इसलिये साफ है कि नौकरशाही मन्त्रि मंडल के अंकुश में नहीं रह गयी है। मैं चाहूंगा कि आप इस सम्बन्ध में कोई कड़ी व्यवस्था दें।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं भी कहना चाहता हूं। आज की कार्य सूची में पृष्ठ 19 पर अतारांकित प्रश्न संख्या 45 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह प्रश्न मई मास में दिया गया है और 9-5-85 से आज तक कार्य सूची में 4 बार प्रकाशित हो चुका है और चारों बार में उसका उत्तर नहीं आया है। पहली बार में उत्तर आया है—'सूचना एकत्र की जा रही है', दूसरी बार में उत्तर आया है—"सूचना एकत्र की जा रही है", तीसरी बार आया है—टेलेक्स के द्वारा सूचना एकत्र की जा रही है। आज की कार्यसूची में अतारांकित प्रश्नों की संख्या 126 है, उनमें 55 सवाल ऐसे हैं, जो मई मास में यहां दिये गये हैं, लेकिन 55 के 55 यहां पर 2-2, 3-3 बार आ चुके हैं और हर बार उत्तर है, सूचना एकत्र की जा रही है। इसका कारण जानने के लिए मैं आपका ध्यान आज की कार्यसूची की पृष्ठ संख्या 19 के 45वें नम्बर के सवाल पर आकर्षित करना चाहूंगा कि सूचना एकत्र करने का उत्तर क्यों दिया जाता है। मान्यवर, मैं प्रश्न संख्या 45 पढ़ना चाहूंगा—'क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की सेवा समाप्ति से सम्बन्धित अपील के कितने ऐसे सम्बन्धित मामले हैं जो पिछले 9-10 वर्षों से उप शिक्षा निदेशक, पंचम मंडल, वाराणसी के कार्यालय में अनिर्णीत पड़े हुये हैं तथा ऐसे अनिर्णीत मामले में वेतन भुगतान भी नहीं किया जा रहा है ? क्या इनमें श्री विश्वनाथ सनातन धर्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विश्वनाथ गली, वाराणसी के प्रधानाचार्य श्री शिवदत्त शुक्ल की सेवा समाप्ति से सम्बन्धित कोई अपील भी 9/10 वर्षों से अनिर्णीत पड़ी है ? यदि हां, तो उसका निर्णय करने में इतना बिलम्ब क्यों हो रहा है।"

मान्यवर, वाराणसी मण्डल में पांच जिले आते हैं उप शिक्षा निदेशक कार्यालय के अन्तर्गत। अपीलों के मामले बहुत थोड़े होंगे इन पांच जिलों से सम्बन्धित और ऐसी अपीलों के मामले तो और भी थोड़े होंगे जो पिछले 9-10 वर्षों से अनिर्णीत पड़े हों। पर उनके मामले में भी 3-3 महीने लग रहे हैं और सूचना नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष—

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक मिनट में इतने हजार रुपये खर्च होते हैं, तो किस नियम में आप यह कह रहे हैं। फिर भी जहां ऐसा विषय उठाते हैं, मैं आपकी बात सुन लेता हूं और कहता हूं कि उसका उद्धार हो जाएगा। तो आप किस नियम में यह बोलते हैं?

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

आपकी अनुमति से मैंने बोलना शुरू किया है। प्रधानाचार्य शिवदत्त शुक्ल जी के मामले में प्रबन्धक का डिप्टी डायरेक्टर एजूकेशन कार्यालय पर ऐसा दबाव है कि अगर मन्त्री जी खुद जाकर सूचना लाना चाहेंगे तो मुश्किल से उत्तर मिलेगा। मान्यवर, उत्तर दिलवा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह एक व्यक्तिगत मामला है। आप कृपया बैठ जाइये।

श्री रविन्द्र नाथ तिवारी—

प्रश्नों के सम्बन्ध में जो व्यवस्था के सवाल उपस्थित होते हैं, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं नियमों में व्यवस्था है कि यदि 15 दिन तक मन्त्री जी उत्तर न दें तो उनका एक स्पष्टीकरण आना चाहिए और फिर आपकी पीठ से व्यवस्था है कि उस पर फिर समय नहीं दिया जाएगा। प्रश्नों का सही और समय पर उत्तर पाना हमारा विशेषाधिकार है। यदि मन्त्रीगण बार-बार उसकी उपेक्षा करते हैं, तो यह हमारे विशेषाधिकार का हनन है। यह कार्य सदन के सामने और आपके पूरे संज्ञान में होता है, तो मेरा निवेदन है आज न सही किसी और दिन, लेकिन आप इस विषय पर एक निश्चित व्यवस्था दें। अभी मध्य प्रदेश में यह व्यवस्था हुई है और आप भी इस बात की व्यवस्था कर दें कि यदि मन्त्री जी जानबूझकर सही और समय से कोई सूचना न दें तो उसे सदस्य के विशेषाधिकार का हनन समझा जाया करेगा। आप यह निर्देश दें कि भविष्य में यह नहीं होगा और होगा तो विशेषाधिकार के हनन के रूप में लिया जाएगा।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

बदन सिंह जी बैठिये। मैं जो कह रहा हूं वह सुनिये।

प्रश्नों के सिलसिले में, नियम 300, 301 तथा नियम 56 के सिलसिले में, मैंने आज नेताओं की बैठक बुलायी है। उस बैठक के बाद जो भी उसमें इस विषय के बारे में समस्या या उसका हल निकल सकेगा वह आपके सामने रखा जायेगा। लिहाजा मेरा अनुरोध है कि कृपा करके नियमों के अन्तर्गत जो समय सदन का है वह समय ऐसी चीजों में न लें। मैंने जैसा अनुरोध किया है आज नेताओं की बैठक में जो इस सिलसिले में तय होगा वह आपके सामने रखा जायेगा।

शिक्षा मन्त्री (श्री सिब्ते रजी)—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण के बारे में कहना है।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

बदन सिंह जी आप कृपा करके बैठें।

एक सदस्य—

मान्यवर, इधर भी आपका ध्यान जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

सिरसी तहसील सम्भल, जिला मुरादाबाद निवासी श्री चन्द्रपाल रस्तोगी की निर्मम हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत आज 22 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं जिनमें से मैंने 7 स्वीकार की हैं। यह सूचनायें जो मैंने स्वीकार की हैं, मा0 शफीकुर्रहमान वर्क, मा0 श्रीप्रकाश, मा0 देव कुमार यादव, मा0 सरदार सिंह, मा0 अकबर हुसैन बावर, मा0 बदन सिंह और माननीय रघुबर दयाल वर्मा की हैं।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क—

मान्यवर, आपके माध्यम से श्री चन्द्रपाल रस्तोगी की निर्मम हत्या की दुर्घटना व परिवार को जान से मारने की धमकी के सम्बन्ध में जानकारी सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। श्री अभयपाल रस्तोगी जो कि सिरसी, तहसील सम्भल, जिला मुरादाबाद के निवासी हैं और शासन से मान्यता प्राप्त पत्रकार और सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके भाई श्री चन्द्रपाल रस्तोगी की निर्मम हत्या दिन दहाड़े सायं 5 बजे 11 जून, 85 को चाकू मारकर कर दी गयी। इस हत्याकांड में श्री कीर्तिपाल उनके लड़के युद्धवीर व अजयवीर और उनका नौकर सम्मिलित हैं जिसकी रिपोर्ट थाना मैनाठेर में कराई गयी लेकिन मुलजिमान ने जेल से छूटकर आने के बाद श्री अभयपाल रस्तोगी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दीं, जिससे स्थिति बहुत गम्भीर हो गयी है और हर समय उनकी जान-माल का खतरा पैदा हो गया है। श्री अभयपाल रस्तोगी ने कांड से पहले कई एफ0 आई0 आर0 सुरक्षा हेतु दर्ज करायी थीं व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र भी दिये थे, जिस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये इस पर उचित कार्यवाही व वक्तव्य की मांग करता हूं।

चीनी मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपया बकाया होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्रीप्रकाश—

मान्यवर, उ0 प्र0 में गन्ना किसानों का वर्ष 84-85 सत्र तक लगभग 26

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करोड़ रुपया चीनी मिलों पर देय है। उ0 प्र0 शासन की तरफ से इस धन के भुगतान हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे किसानों को खेती व अन्य संसाधन जुटाने में धन के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मिलों से किसानों को होने वाली विभिन्न परेशानियों से किसानों में असन्तोष व्याप्त है। गन्ना किसानों के संगठनों में समय-समय पर गन्ना पर्ची वितरण प्रणाली सरल बनाने, दोहरी मूल्य प्रणाली समाप्त करने, राज्य की बीमार घोषित 43 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण करने, दो सीजनों में लगातार काम करने वाले चीनी मिल मजदूरों को स्थायी करने, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पर्ची बंधक रखकर किसानों को ऋण की सुविधा देने तथा देश भर में गन्ना फसली बीमा योजना लागू करने तथा मिलों पर किसानों के सभी प्रकार के बकाया धन के तत्काल भुगतान करने का आग्रह सरकार से किया है, परन्तु सरकार द्वारा इन सुझावों को न मानने से प्रदेश के गन्ना किसानों में क्षोभ एवं सरकार के प्रति अविश्वास की भावना व्याप्त हो गयी है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

37वीं वाहिनी पी0 ए0 सी0, कानपुर में जवानों की चल रही भर्ती में घोर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सदन और सरकार का ध्यान एक बहुत गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, कानपुर में प्रदेश की 37वीं पी0 ए0 सी0 बटालियन में जवानों की चल रही भर्ती में गम्भीर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार बरता जा रहा है। प्रत्याशियों से 3 हजार से लेकर 5 हजार रुपये तक रिश्वत ली गयी है। भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले जवानों पर लाठी चार्ज कराया गया है, जिसके फलस्वरूप कई लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये हैं। भ्रष्टाचार बरतने वालों की इस कार्यवाही से प्रदेश की जनता में गम्भीर असन्तोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर सरकार से तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।

मथुरा जनपद में अतिवृष्टि से जल प्लावन एवं अनेक बीमारियां होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरदार सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मथुरा जनपद में अतिवृष्टि के कारण जल-प्लावन की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इस समस्या के कारण जनपद के लोगों व मवेशियों के अन्दर नाना प्रकार के रोग फैल गये हैं और लगातार मौतें हो रही हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्रों का गांव कारब सोहरा, सोंख खेड़ा, बचावर, जुगसना, वल्टीकरी, नगला अर्जुन, नगला हरी, नगला लोका, अलीपुर, किशनपुर, पन्नापुर, मन्करपुर बसेला आदि गांवों में जल प्लावन एवं बीमारियों ने विकराल रूप धारण कर लिया है। लोग गांव छोड़-छोड़कर नहरों एवं पक्के राजमार्गों पर आ गये हैं। खरीफ की फसल की बुवाई न होने के कारण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चारे की समस्या भी पैदा हो गयी है। इस वर्ष सिंचाई विभाग ने नालों की सफाई के लिए पैसा नहीं दिया है, इस कारण नालों की सफाई न होने के कारण नाले भी अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। प्रशासन मूकदर्शक की तरह यह सब देख रहा है। सरकारी देयों की वसूली जोरों से चल रही है और उत्पीड़क तरीके वसूली में अपनाये जा रहे हैं। पूरे जनपद में त्राहि-त्राहि और हाय-हाय मची हुई है।

सम्मानित सदन एवं आपके माध्यम से सरकार से अविलम्ब आवश्यक राहत कार्यों की पुरजोर मांग करता हूं।

फैजाबाद जनपद में बढ़ती हुई डकैतियां एवं हत्या की घटनाएं होने एवं पुलिस की निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन बाबर—

मान्यवर, फैजाबाद जनपद में पिछले कई महीने से नित्य पड़ने वाली डकैतियों, हत्याओं, चोरियों और बाल अपहरण की घटनाओं से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, कोई भी व्यक्ति अपने को सुरक्षित नहीं समझ रहा है। ग्रामवासी रात जागकर व्यतीत कर रहे हैं। नगर के लोग अपने बच्चों को विद्यालय भेजने और वहां से जीवित वापस आने के लिए चिंतित हैं। फैजाबाद अंचल का पूर्वी व दक्षिणी भाग सबसे अधिक प्रभावित है। 10/11 अगस्त, 85 की रात में ग्राम चन्दनपुर थाना अकबरपुर में डकैती में एक कालेज के अध्यापक एवं उनके घर के एक अन्य व्यक्ति जान से मारे गये। अगस्त, 85 के प्रथम सप्ताह और जुलाई, 85 के पूरे महीने भर बेवाना और मालीपुर थाना में डकैतियों की भरमार रही है। निरीह लोग लूटे और जान से मारे जा रहे हैं। फैजाबाद नगर में मासूम बच्चों का अपहरण हो रहा है और खबर यह मशहूर है कि बालकों के सर का गिरोह विदेशों में व्यापार कर रहा है, पुलिस और अपराधियों के बीच साठ-गांठ है और उन्हें सत्ता दल का संरक्षण प्राप्त है। मैं माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए फैजाबाद जनपद के उच्च पुलिस अधिकारियों और सम्बन्धित थानाध्यक्षों को इस जनपद से हटाकर उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फतेहपुर सीकरी क्षेत्र, आगरा में खनन कार्य बन्द होने से हजारों मजदूरों में बेकारी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बदन सिंह—

मान्यवर, जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के पुरातत्व विभाग के ऐतिहासिक भवनों की सुरक्षा हेतु उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में खनन कार्य बन्द था लेकिन अब हाल में ही इस क्षेत्र के 4-4, 5-5 कि0 मी0 दूर ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण पहाड़ों पर खनन कार्य रोक दिया गया है। इस खनन कार्य के रोक देने से 15-16 हजार मजदूर बेरोजगार हो गये हैं, जिससे उनके आश्रित लाखों व्यक्तियों के लिए रोजी-रोटी का सवाल भयंकर रूप-धारण कर गया है और साथ ही करोड़ों रुपये की राजस्व, सेल्सटैक्स और रेलवे भाड़े के रूप में होने वाली आय को गम्भीर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्षति पहुंची है। इस पत्थर उद्योग के कम होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों को प्राप्त होने वाले पत्थर रुकावट से 4-5 गुना अधिक मूल्य चुका देने पर भी पत्थर प्राप्त नहीं हो सकेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गिट्टी, पत्थर व चक्की का पत्थर देने का मुख्य स्रोत रुक गया है। इससे क्षेत्र के लाखों प्राणियों में हाहाकार मचा हुआ है और वे क्षुब्ध होकर आन्दोलन पथ पर आने को बाध्य हो गये हैं।

माननीय सदन के संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि इस क्षेत्र का बन्द किया हुआ खनन कार्य खुलवाकर और पहाड़ों की पूर्ववत नीलामी करके क्षेत्र में बेरोजगारी को खत्म करने की व्यवस्था करें।

फिरोजाबाद, आगरा में पशुओं की अनेकानेक बीमारियों तथा दवाओं के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद के ग्राम नगला दया (चन्दबार) में गत तीन दिन पूर्व एक घण्टे के अन्तराल में घुर्रका नामक छूत बीमारी से 20 दुधारु कीमती भैंस दवाओं के अभाव में मर गयीं पशु चिकित्सालय से दवायें और टीका उपलब्ध नहीं हुये। एक दिन पूर्व इसी बीमारी से दो भैंस पहाड़पुर, एक भैंस नगलाउदी और पांच-पांच भैंस उसमानपुर, रामदासपुरा शंकरपुर मड़ुआ में एक साथ घुर्रका से मर गयी। टीका व दवा पशु अस्पताल से नहीं मिली।

समूचे क्षेत्र में खेती के पशुओं में खुरपका, गलाघोटू और घुर्रका की बीमारी जोर से फैल रही है, जिससे किसानों में भारी भय और बेचैनी पैदा हो गयी है। खेती का कामकाज ठप हो गया है डाक्टर दवाओं के नाम पर सैकड़ों रुपया जबरन किसानों से वसूल कर रहे हैं।

अस्तु माननीय सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना से आकृष्ट करते हुए पशु चिकित्सालय, फिरोजाबाद में दवायें तुरन्त उपलब्ध करावें और डाक्टरों को भेजकर किसानों के पशुओं की रक्षा करें।

औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत एक सूचना प्राप्त हुई है श्री सरदार सिंह और श्री किरनपाल सिंह जी की जिसको मैंने अस्वीकार कर दिया है।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ्स (देय धनराशियों की वसूली) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983†

*संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से मुस्लिम वक्फ अनुभाग की अधिसूचना संख्या 2122/बावन-82 (1)-72-रा0-6, दिनांक 16 जून, 1983 द्वारा प्रकाशित

†छापी नहीं गयी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ्स (देय धनराशियों की वसूली) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983 जो दिनांक 6 अप्रैल, 1984 एवं 11 सितम्बर, 1984 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उ0 प्र0 मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1960 की धारा 78 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिकाओं का (भवनों का मूल्यापकर्ष) नियमावली, 1983†

*संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नगर विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या 461/11-7-27 के 1982 दिनांक 2 फरवरी, 1984 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश नगर महापालिकाओं का (भवनों का मूल्यापकर्ष) नियमावली, 1983 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायतराज (बारहवां संशोधन) नियमावली, 1984†

ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मन्त्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पंचायतीराज अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 390-क/33-1-295-जी-83, दिनांक 11 मार्च, 1985 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश पंचायतराज (बारहवां संशोधन) नियमावली, 1984 को विलम्ब के कारणों सहित संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1907 की धारा 110 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के वर्ष 1966-67 से 1976-77 तक के स्थिति पत्रक एवं प्रतिवेदन††

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री गौरीशंकर)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के वर्ष 1966-67 से 1976-77 तक के स्थिति पत्रकों एवं प्रतिवेदनों को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 63 की उपधारा (5) (क) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

5 जून, 1985 को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित बिक्रीकर से सम्बन्धित पांचों विज्ञप्तियों को सदन के पटल पर न रखे जाने पर आपत्ति

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, 5 जून को सरकारी असाधारण गजट प्रकाशित हुआ है। उसमें बिक्रीकर के सम्बन्ध में पांच विज्ञप्तियां हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापी नहीं गयी।

††छापे नहीं गये।

विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0 2-3711/दस-6(1) 85 उ0 प्र0 अधि0 15-48-आदेश-85, 5 जून, 1985, विज्ञप्ति सं0 एस0 टी0 2-3712/दस-6(1)/85 उ0 प्र0 अधि0 15-48 आदेश-85, 5 जून, 1985 विज्ञप्ति सं0 एस0 टी0 2-3713/दस-6(1)/85 उ0 प्र0 अधि0 15-48 आदेश-85, 5 जून, 1985, विज्ञप्ति सं0 एस0 टी0 संख्या-2.3714/दस-6(1)/85 उ0 प्र0 अधि0 15-48/आदेश-85, 5 जून, 1985 तथा विज्ञप्ति सं0 एस0 टी0 2-3715/दस-6(1)/85, उ0 प्र0 अधि0 15-48 आदेश-85, 5 जून, 1985।

इसमें मान्यवर, एस0 टी0 2-3711/एस0 टी0-2, 3712 हैं, इसी प्रकार एस0 टी0 2,3713 भी मौजूद हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि यह पांचों उत्तर प्रदेश बिक्री-कर से सम्बन्धित हैं। इसके अनुरूप राज्यपाल के आदेश के अनुसार 6 जून से कार्यवाही शुरू हो गई। आदेश निर्गत हो गये। राज्यपाल ने जो संशोधन किया है, उनको लागू कर दिया गया है। मेरी आपत्ति यह है कि 5 विज्ञप्तियां एक ऐक्ट के लिये 5 जून को प्रकाशित हुई हैं। मान्यवर, आप एजेन्डे को देखिये 7, 8, 9 तीन को माननीय मुख्य मन्त्री जी रखने वाले हैं, 2 को नहीं। यह गलत काम है। एक ऐक्ट के तहत यह पांचों विज्ञप्तियां सरकारी गजट में प्रकाशित हुई हैं। मान्यवर, उन पर कार्यवाही शुरू हो गई। उनको न रखना इस पर मेरी आपत्ति है। इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

संसदीय कार्य मन्त्री जी।

*संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुक्म सिंह)—

राज्य मन्त्री जी मौजूद हैं। वह जवाब देंगे।

वित्त तथा नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

5 सूचनायें जो हैं, आपके [illegible] दी गई हैं, क्रमानुसार लिया जा रहा है। कुछ दिन में उनको लिया जायेगा।

श्री कौशिक रमाशंकर—

एक ऐक्ट से सम्बन्धित हैं।

*श्री शत्रुरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने निर्देश दिया संसदीय कार्य मन्त्री को, मान्यवर, जब आप किसी माननीय सदस्य या मंत्री को इशारा करेंगे, कोई बात कहने के लिये, वह कहें न कहें लेकिन यह नहीं कह सकता है, यह जवाब इनसे मांग लें। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जवाब न देते या यह कह सकते थे सूचना की आवश्यकता है, लेकिन यह नहीं कहना चाहिये था कि उनसे पूछ लें। यह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है, यह आपके आदेशों की अवहेलना है।

श्री अध्यक्ष—

मुझे राज्य मंत्री को बुलाना चाहिये था। था।

वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां†

वित्त एवं नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग 2 की दिनांक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापी नहीं गयी।

5 जून, 1985 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-3711/दस-6 (1)-85 उत्तर प्रदेश अधि0 15-48 आदेश-85, दिनांक 5 जून, 1985 को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर एक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से (वित्त बिक्रीकर) अनुभाग-2 की दिनांक 5 जून, 1985 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-3712/दस-6 (1)/85 उत्तर प्रदेश अधि0 15-48 आदेश-85, दिनांक 5 जून, 1985 को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर एक्ट, 1948 की धारा 3-घ की उपधारा (8) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2 की दिनांक 5 जून, 1985 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-3713/दस-6 (1)/85 उ0 प्र0 अधि0 15-48 आदेश-85, दिनांक 5 जून, 1985 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर एक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो प्रश्न उठाया था, उसका उत्तर माननीय मन्त्री जी ने दे दिया माननीय कौशिक जी प्लीज आप बैठ जायं।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन और दुग्ध संघ केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1984†

*पशुधन मन्त्री (श्रीमती बेनी बाई)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दुग्ध विकास अनुभाग की अधिसूचना संख्या 1818/बारह-दु0 वि0-3 (31)-84, दिनांक 29 अगस्त, 1984 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन और दुग्ध संघ केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1984 जो दिनांक 17 सितम्बर, 1984 को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि विधान सभा का दिनांक 10 मार्च, 1985 को विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1985†

*संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से संसदीय कार्य अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या

---

†छापी नहीं गयी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1755 सं/17—1-85-149-84, दिनांक 15 जुलाई, 1985 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1985 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत 13 सूचनायें प्राप्त हुई, वह इस तरह से हैं—

1- कुंवर रेवती रमण सिंह
श्री विक्रमादित्य पाण्डेय
2 -श्री जनार्दन प्रसाद ओझा
श्री रघुवर दयाल वर्मा
श्री गौरी शंकर भइया
श्री अशोक बाजपेई
श्री विष्णु देव
श्री श्रीप्रकाश
श्री हर्ष वर्धन
श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी
श्री मैनेजर सिंह
श्री राम गोविन्द चौधरी
3—श्री देव कुमार यादव
4—श्री राज किशोर सिंह
श्री राम आसरे वर्मा
श्री राम पाल वर्मा

गोरखपुर में सुन्दरपुर थाने के अन्तर्गत 4 व्यक्तियों की हत्यां।

यूनियन कार्बाइड के गेट पर अनशन।

तदेव

बेसिक शिक्षकों की गिरफ्तारी।

कानपुर नगर में गंगा बैराज बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री अध्यक्ष—

सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री आर0 एन0 पाठक—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कानपुर नगर में गंगा बैराज बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह कुशवाहा आदि निवासीगण, कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

5--श्री सरदार सिंह
श्री लक्ष्मी नरायण चौधरी — कानपुर में गैस रिसाव से खतरा।
श्री हरेन्द्र सिंह
श्री मुस्त मन्द अली खां
श्री कुशलपाल सिंह

6--श्री कल्यान सिंह — तदेव
श्री रुद्र प्रताप सिंह
श्री किशन लाल

7--श्री मनोहर लाल — राजकीय इण्टर कालेज चमोली के छात्र के परीक्षाफल के बारे में।

8--श्री लक्ष्मी नरायण
डा0 बंगाली सिंह — मथुरा में बाढ़ व जल-प्लावन।
श्री सुरेन्द्र सिंह
श्री जगवीर सिंह
श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी

9--श्री गौरी शंकर भइया — मिर्जापुर में पुलिस कर्मियों द्वारा बलात्कार।

10--श्री शारदा प्रताप — लखनऊ की सड़कों में पीला ईंटा लगाने के सम्बन्ध में।

11--श्री माता प्रसाद पाण्डेय — बस्ती जनपद के न्यायालय में सब-इंस्पेक्टर द्वारा अनुचित कार्यवाही।

12--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा — संस्कृत अध्यापकों द्वारा क्रमिक अनशन।

13--श्री सुखपाल पांडे — थानाध्यक्ष हरैया द्वारा ज्यादती।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, अभी 3-4 दिन पहले इसी सदन में सिंहपुर नरसंहार के बारे में चर्चा हुई। अब मान्यवर, गोरखपुर में भगवानपुर के एक ही परिवार के चार व्यक्तियों की हत्या कर दी गयी। पति पत्नी और दो बच्चों को निर्ममता से मार दिया और भाग गये। यह घटना दिन दहाड़े शाम के समय हुई। यह हत्या मान्यवर छः आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने जिनका आपराधिक इतिहास रहा है, उन्होंने सरे-शाम हत्या की उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मेरा आग्रह है कि इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गयी है। इसी सिलसिले में मान्यवर, आप देखें, एक नहीं अनेक घटनाएं हुई हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे गम्भीर मामले पर पूरे सदन में चर्चा करा दें ताकि इन तमाम घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पहले सिंहपुर में और फिर भगवानपुर में होने का मुख्य कारण यह है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग खुले आम बन्दूक, कारबाइन, रिवाल्वर आदि लेकर घूमते हैं और पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इसी कारण से उनको जगह जगह संरक्षण प्राप्त है और पूरे प्रदेश में विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर केवल सरकार का ध्यान आकृष्ट न करें बल्कि ऐसे अहम मसले पर चर्चा अवश्य करा दें।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, जिस घटना की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है इसमें मान्यवर, राम रतन लोनिया नाम के एक व्यक्ति ने जिसका आपराधिक इतिहास रहा है, स्वयं अपने बड़े भाई के परिवार को, जब वह बरामदे में सो रहा था, मार दिया। क्या कारण था, इसकी छानबीन की जा रही है। लेकिन यह एक परिवार से सम्बन्धित मामला है और ऐसे एक मामले को लेकर पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था का आंकलन करना सही नहीं होगा। वहां गांव में पुलिस तैनात कर दी गयी है और वहां कोई असुरक्षा का वातावरण नहीं व्याप्त है। अपराधी को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य का कहना है कि रोज रोज इस तरह की एक नहीं अनेक घटनाएं होती हैं।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य उधर बैठते हैं, तो उनको कुछ तो कहना है, कहेंगे। इस प्रदेश की आबादी साढ़े बारह करोड़ है और 57 जिले हैं, फिर भी कानून व्यवस्था की स्थिति माननीय सदस्य जब इधर बैठते थे, उस समय से कहीं अच्छी है।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, पूरा श्रेय इन्हीं को है।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मैं मंत्रीजी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्रीजी का जवाब है कि अपराधी को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस तैनात कर दी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, 7 तारीख की घटना है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, आज बारह तारीख है। ये उसको गिरफ्तार नहीं कर पाये हैं।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, यह सगे भाइयों का मामला है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, माननीय सदन और सबकी भावना यह है कि इस तरह के अपराधियों से सख्ती से निपटा जाय। मैं समझता हूं कि आप इस पर विशेष ध्यान देंगे।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

यहां यूनियन कार्बाइड के गेट पर मजदूर संघ के श्री रमा शंकर जी अनशन कर रहे हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय श्रम मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं। यह कितनी शर्म और लज्जा की बात है। यह सारे संघर्ष की शुरुआत केवल इसलिये हुई कि दो तीन मजदूर जाकर स्टाफ कैन्टीन में चाय पी लिये। मान्यवर, यह हमारे संविधान के मूल भावनाओं के प्रति खुली चुनौती है। उन मजदूरों को सस्पेन्ड कर दिया गया कि वे स्टाफ कैन्टीन में चाय पीने क्यों गये। मान्यवर, यह सिद्धान्त की बात है कि जब तक किसी संस्थान की हड़ताल इललीगल नहीं हो जाती तब तक वहां लाक-आउट नहीं हो सकता। मैनेजमेंट ने वहां लाक-आउट कर दिया। उन सारी समस्याओं को लेकर 58 मीटिंग्स डिप्टी लेबर कमिश्नर स्तर पर हो चुकी हैं। 7 लेबर कमिश्नर के यहां कानपुर में हो गयी हैं। 5 लेबर सेक्रेट्री और श्रम मन्त्री जी के यहां हो चुकी हैं। दो मुख्य मंत्री जी के यहां बैठकें हो चुकी हैं। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

मान्यवर, डा0 लोहिया ने अमेरिका जाकर संघर्ष किया कि काले गोरे का भेद नहीं होगा। माननीय लाल बहादुर शास्त्री को अशोका होटेल में इसलिए नहीं जाने दिया गया था कि वे पजामा पहने हुए थे। मान्यवर, आप देखें कि वे संभ्रांत आदमी, भले ही मजदूर थे, स्टाफ कैन्टीन में जाकर चाय पीने पर यह सजा दी गयी है। मान्यवर मामला यूनियन कारबाइड का नहीं रह गया है, उत्तर प्रदेश हिन्द मजदूर सभ और तमाम मजदूर संगठनों ने यह चेतावनी दी है कि वे इस सम्बन्ध में अनशन करेंगे और यह भी कहा जा रहा है कि न्यायोचित मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उत्त प्रदेश बंद की भी नोटिस देंगे। रात्रि 12 बजे यह तय कर लिया गया है कि कल इस नगर के काफी मजदूरों का समू अनशन पर बैठेगा। मान्यवर, आज 7 दिन हो गये हैं वहां की स्थिति नाजुक होती जा रही है अनशन पर बैठे लोगों की हालत चिंताजनक है। मजदूर आंदोलित हैं क्या इन मिल मालिकों के लिये कोई कानून है या नहीं, नियमावली है य नहीं ? या जब चाहेंगे लाक आउट क देंगे। मान्यवर, कभी इधर के लोगों क उधर बैठने का मौका मिला, तो ऐसे मैनेजमेन्ट के लोगों की जगह मिल में न होकर, कैद में होती। मान्यवर, संविधान की मूल भावनाओं की हत्या हो रही है आदमी-आदमी में भेद भाव बरता जा रह है। ऐसे मैनेजमेन्ट को रहने का अधिका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मामला यूनियन कारबाईड का नहीं है, मामला उमा शंकर मिश्र का नहीं है, मामला 900 मजदूरों का नहीं है, मामला पूरे उत्तर प्रदेश के मजदूरों के हितों का है। यह सदन की संज्ञान में आ चुका है। माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी इसे अपने स्तर से देखें आज ही 3 बजे से वार्ता होने वाली है लेबर सेक्रेट्री ने कहा भी था कि मांगें न्यायोचित हैं, लेबर सेक्रेट्री ने अपने कुछ फैसले से मैनेजमेंट को अवगत भी करा दिया है लेकिन, कोई भी उसे नहीं मान रहा है। मुख्य मंत्री की बात तक नहीं मानी जा रही है। मान्यवर, वह कौन सी ताकत है जो शासन के ऊपर काम कर रही है? मैं विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि सदन के अन्य सारे कार्य रोककर इस पर अविलम्ब चर्चा करा दें। सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी, श्रम मंत्री जी को बुलाया जाय।

मान्यवर, इस संदर्भ से हटकर एक बात और कहना चाहता हूं।

मान्यवर, जब आप नियम 56 के अंतर्गत सूचना को स्वीकार करते हैं तो संबंधित मन्त्री को यहां पर उपस्थित रहना चाहिए और वह उस सूचना पर सामयिक आश्वासन दें। लेकिन न तो यहां पर श्रम मंत्री हैं और न ही मुख्यमंत्री जी यहां पर हैं। संसदीय कार्य मन्त्री जी तो तोते की रट की तरह एक ही जवाब देंगे। मैंने संविधान की हत्या की बात कही है, इसलिए आप यहां पर श्रम मंत्री और मुख्य मंत्री जी को बुलायें। जब तक यहां पर श्रम मंत्री जी नहीं आ जाते, तब तक के लिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस सदन की कार्यवाही रोक दें। इस पर आप चर्चा करवायें।

*श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, यह यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री न केवल लखनऊ के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए चुनौती बन गई है। इनके प्रबन्धकगण मजदूरों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रबन्धकगण उत्तेजनापूर्ण कार्यवाही करके हमारे प्रदेश में औद्योगिक अशान्ति पैदा करना चाहते हैं। एक श्रमिक नेता जो कई दिनों से अनशन पर हैं, की स्थिति काफी गम्भीर है। मान्यवर, कल 50 से ज्यादा श्रमिक संगठनों ने इकट्ठा होकर, जैसा माननीय श्री ओझा जी ने कहा है, यह कहा है कि यदि इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो न केवल लखनऊ बन्द होगा बल्कि पूरे प्रदेश में औद्योगिक अशान्ति होगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आज की सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करवा दें जिससे यह मालूम हो जायेगा कि इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के ऊपर वे कौन सी शक्तियां हैं, जो हमारे जन-जीवन को अस्त-व्यस्त करना चाहती हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई भाषण करना नहीं चाहता हूं। यह प्रश्न बहुत ही गम्भीर है। इस कांग्रेस की हुकूमत ने भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। आज एक साधारण श्रमिक को इसलिए मुअत्तल कर दिया जा रहा है क्योंकि वह स्टाफ कैन्टीन में चाय पी लिया। यह तो फिर अंग्रेजों की औलाद आ गई है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय श्रम मंत्री जी ने कोई आदेश दिया है, श्रम सचिव ने कोई आदेश दिया है लेकिन यूनियन कार्बाइड के अधिकारी उसका पालन नहीं कर रहे हैं। क्या ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अधिकारी अपने को कानून और नियमों के ऊपर समझ रहे हैं। यह बहुत ही अहम मसला है, इस पर आप चर्चा करवा दें।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जिस गम्भीर प्रश्न की ओर माननीय श्री ओझा जी ने ध्यान आकर्षित कराया है तथा जिसके पक्ष में माननीय श्री देव कुमार यादव और श्री मैनेजर सिंह जी ने भी कहा है कि श्रमिकों के जीवन-मरण का सवाल है। इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि है। मैं आपकी आज्ञा से एक मिनट में रखना चाहूंगा। इस अधिष्ठान में 3 मजदूर संगठन हैं और उनके अलग-अलग रजिस्ट्रेशन हैं और अलग-अलग काम करते हैं लेकिन कुछ मांगों को लेकर ये तीनों एकट्ठा हुए और एक मांग पत्र दिया। इस बीच में तनाव पैदा हो गया, तालाबन्दी कर दी गई। उसके दौरान वे फैक्ट्री प्रेमिसेज में घुस गये जिसमें कैन्टीन भी शामिल है। इसको अनुशासनहीनता मानते हुए 3 लोगों को निलम्बित कर दिया गया लेकिन जहां तक श्रम विभाग का प्रश्न है, तो यहां पर जो डिप्टी लेबर कमिश्नर हैं, उनके प्रयास से 48 बैठकें हो चुकी हैं, तीन बैठकें मुख्य मंत्री के स्तर से की गई और इन प्रयासों से एक समझौते के नजदीक पहुंच गये। एक हजार की धनराशि दे दी गई, वातावरण सुधर गया। उसके बाद फैक्ट्री चालू की गई, काम शुरू हो गया लेकिन फिर अनशन की कार्यवाही शुरू की और इसके कारण तनाव पैदा हो गया। आज फिर उच्चतम स्तर पर एक बैठक आयोजित की गई है तनाव की स्थिति को देखते हुए। इसलिए स्थिति को समाप्त करने का प्रयास है और मैं समझता हूं कि आप के सहयोग, सदन के निर्देश से तमाम-तमाम प्रकरण का समाधान हो जायगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं आप को बता दूं जो 3 लोगों का निलम्बन हुआ, यह आपकी सूचना सही नहीं है, निलम्बन के बाद ही तालाबन्दी की गई। उसके बाद तनाव उत्पन्न हो गया। तीन मजदूरों के कैन्टीन में चाय पीने के बाद ही यह प्रकरण शुरू हुआ।

(व्यवधान)

स्थिति की गम्भीरता को मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया, तो मैं जानना चाहता हूं, सारे प्रदेश के मजदूर कल सड़क पर आ जायेंगे, शासन क्या चाहता है? इनका अनशन कब टूटेगा, कुछ आश्वस्त करेंगे?

श्री हुकुम सिंह—

मैंने आश्वस्त किया कि आज 12 तारीख है, आज बैठक हो रही है, मैं आपका सहयोग चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि इस मसले क जल्द से जल्द निपटाया जाय।

श्री राज किशोर सिंह—

बेसिक शिक्षकों की ओर से यहां 12 जुलाई से आमरण अनशन चल रहा है ये जो शिक्षक संघ के कर्मचारी हैं वे इण्टर कालेजों से सम्बन्धित हैं। उनको वेतन अधिनियम के अनुसार वेतन तथा अन्य सुविधायें नहीं मिल रही हैं 12 जुलाई को ज्योति शर्मा आमरण

अनशन पर बैठीं, जब उनकी हालत चिन्ताजनक हो गई तो पुलिस उन्हें उठा ले गई और जेल में डाल दिया। उसके बाद गौतम शर्मा बैठे। मुख्य मन्त्री जी, शिक्षा मंत्री जी से बात हुई लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। तदुपरान्त आन्दोलन तेज हो रहा है। आमरण अनशन पर बैठे लोगों की हालत खराब हो रही है।

[एक बजकर 20 मिनट]

लेकिन सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनकी जो मांगें हैं, न्यायोचित हैं। ये वही चाहते हैं जो अन्य बेसिक शिक्षकों को मिलता है, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इनको कोई भी सुविधा नहीं मिलती है, जो प्राइवेट मैनेजमेन्ट है उसके शिकार बनाये जा रहे हैं और वह मनमाने तरीके से इनको 100—150 रु0 तक देते हैं, जिससे इनका जीवन चलना मुश्किल है। पहली से पांचवीं तक के बालकों से 8 रु0 से 15 रु0 तक फीस लेने के लिये इनको मान्यता दे दी है। इस कालेज में दर्जा 6 की फीस माफ है और छठवीं से बारहवीं तक फीस इतनी नहीं है 6, 7 या 8 रु0 है, जबकि छोटे-छोटे बच्चों से 15 रु0 लिया जाता है, यह बहुत ही अन्यायपूर्ण है। आप निर्देश दें कि शिक्षा मन्त्री और मुख्य मंत्री इनकी वाजिब मांगों को स्वीकार कर लें। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय है, इसलिये मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा की जाय।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जो सूचना मुझको प्राप्त हुई है इस नियम 56 की सूचना के बाद, उसके अनुसार शासन जानता है और मैं आश्वस्त करता हूं कि पूरा प्रयास किया जा रहा है इन समस्या को सुलझाने का। मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही समस्या का समाधान हो जायगा।

*श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, मेरी सूचना बहुत महत्त्वपूर्ण है। गत वर्ष भोपाल में गैस रिसाव से बहुत से लोगों की जानें गयी थीं। इस सदन में इस बार भी और पिछली बार भी खतरे की बात उठायी गयी लेकिन इस निकम्मी सरकार पर कोई असर नहीं होता। कानपुर केमीकल्स फैक्ट्री में सल्फयूरिक एसिड बनता है। जहरीली गैस के रिसाव से वहां पर लोगों को उल्टी होने लगी और वे कै-दस्त करने लगे। कानपुर के अस्पताल मरीजों से भरे हैं। जो होश में थे उन्होंने जी0 टी0 रोड और अन्य राजकीय मार्गों पर चक्के जाम किये। कम्पनी के प्रभावशाली लोगों से पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह मामला हजारों लाखों लोगों से सम्बन्धित है और अभी कल की ही बात है। पूरा खतरा प्रदेश में है। हमारे मथुरा में भी ऐसी ही फैक्ट्री है, ओखला में भी है और लखनऊ में भी है। यह जो गैस रिसाव हो रहा है, इससे लोग परेशान हैं। जो अन्य फैक्ट्रियां हैं, उसकी गैस का जो रिसाव हो रहा है, वह घरों में भी जा रही है। इस प्रकार, यह प्रश्न अविलम्बनीय है और लोक महत्त्व का है, इस पर सदन में चर्चा हो जानी चाहिये।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, भोपाल का गैस काण्ड हमारे सामने है और उसका दुष्परिणाम भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे सामने हैं। कानपुर में इसकी पुनरावृत्ति होने जा रही है। जो कानपुर में होने जा रहा है, अगर लापरवाही बरती गयी तो जितनी केमिकल्स की फैक्ट्रीज हैं, गैस के रिसाव से जिन्दगी के लिये खतरा बन जायेंगी। प्रश्न केवल कानपुर का नहीं है बल्कि प्रश्न यह है कि पूरे प्रदेश में जहां-जहां पर भी केमिकल्स की फैक्ट्रीज हैं, उनकी नये सिरे से जांच पड़ताल और परीक्षण किया जाना चाहिये ताकि लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ न हो। कानपुर का मसला गम्भीर है, मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा करायी जाय और शासन से भी पूछा जाय कि इसकी रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं। अनेकों लोग बेहोश हैं, लाखों लोगों में पैनिक पैदा हो गया है, घबराहट हो गयी है, लोगों में अपने जीवन के प्रति असुरक्षा की भावना है, शासन क्या करना चाहता है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, माननीय सरदार सिंह ने और माननीय कल्यान सिंह ने जो सवाल उठाया है वह बहुत ही गम्भीर है। इसकी गम्भीरता इसलिये भी है कि वहां पर बहुत से लोग अपना घर छोड़ कर भागने लगे हैं, उनमें असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गयी। इतनी बड़ी भोपाल की घटना के बाद भी प्रशासन सचेत नहीं है और न आपके अधिकारी सचेत हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विषय पर आप सदन की कार्यवाही को रोक कर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा करा दें।

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

जो माननीय सदस्यों ने गम्भीर प्रश्न उठाया है कानपुर की फैक्ट्री के संबंध में तो यह फैक्ट्री 3 सितम्बर, 1983 को चालू हुई थी। इसके सम्बन्ध में एक पत्र भी ईश्यू किया गया था और उसमें कहा गया था कि इस पर कन्ट्रोल करने के लिये व्यवस्था हेतु इंस्ट्रूमेन्ट लगाया जाय। 6 दिसम्बर, 1983 तक जब इसने इंस्ट्रूमेन्ट नहीं लगाया तो फिर जल प्रदूषण नियंत्रण की धारा 144 के अनुसार इस पर मुकदमा कायम किया गया। अभी मुकदमा चल रहा है। इसके रिसाव के बारे में लिखा गया है जिलाधिकारी को कि वे इस संबंध में जांच करके तुरन्त सूचना दें। अभी तक इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है कि कोई वहां पर इससे मृत्यु हुई है।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में अभी कहा कि उस फैक्ट्री को दिसम्बर, 1983 में नोटिस दिया गया था। इस तरह का मामला आज यहां सदन में आया है और इस पर माननीय सदस्यों के विचार भी आये हैं। इसके लिये जैसा कि प्राविधान है कि एक अलग कोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि जल प्रदूषण नियंत्रण यदि इसको नहीं रोक पाता है तो क्या माननीय मंत्री जी इसके लिये स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

जो बात अभी माननीय रेवती रमण सिंह जी ने कही है, वह अपनी जगह है ही लेकिन माननीय सदस्यगणों ने जो बात कही है फैक्ट्री से गैस के रिसाव के

संबंध में मैं तो उसके संबंध में यह बतला देना चाहता हूं कि वह सल्फ्यूरिक एसिड गैस है जो कि एच0 एस0 ओ0 है और हार्मलेस है। इस गैस का धूप में आपरेशन होता है, धूप नहीं थी इसलिये उसकी बदबू फैली जिसके कारण से 4-5 आदमियों की उल्टी हुई। एक भी आदमी वहां के अस्पताल में दाखिल नहीं हुआ। बदबू से उल्टी होने की बात प्रकाश में आयी थी। किसी भी आदमी के अस्पताल में दाखिल तक होने की बात प्रकाश में नहीं आयी है।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बड़े हल्के से बात को कह दिया जबकि मान्यवर, वह कारखाना एच0 एस0 ओ0 का है जिससे औद्योगिक बहिस्राव भी होता है। आपके द्वारा उस कारखाने को 1983 में लाइसेन्स दिया गया उसके बाद ट्रीटमेन्ट प्लान्ट शोधक यंत्र नहीं लगाया तब आपने जल प्रदूषण नियंत्रण की धारा 144 के अन्तर्गत उसे नोटिस दे दिया है, न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। लेकिन सरकार के पास वैधानिक प्राविधान है और सरकार सक्षम है उस पर कार्यवाही करने के लिये। अगर कारखाने के मालिक ने अभी तक ट्रीटमेन्ट प्लान्ट नहीं बैठाया है तो आप उसका लाइसेन्स क्यों नहीं कैंसिल कर देते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बह करके तो बहुत खतरनाक हो सकती है। खेतों में बह गयी तो खेत चौपट हो जायेंगे इससे आदमियों की आंखों भी खराब हो जायेंगी। दो साल हो गये हैं और अभी तक उन्होंने ट्रीटमेन्ट प्लान्ट ही नहीं बैठाया है। आप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आई0 पी0 सी0 को देख सकते हैं कि उसने आपकी शर्तों का पालन नहीं किया है, आप उसके लाइसेन्स को समाप्त कर दें। तो इसमें बहुत से ऐसे प्राविधान हैं, मैं चाहूंगा कि उसकी जानकारी कर लें वर्ना उसके आसपास की फसल बरबाद होने की स्थिति में पहुंच जायेगी।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं सूचना देना चाहता हूं कि फैक्ट्री तुरन्त बन्द हो गयी है, फैक्ट्री बन्द है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य इसलिए चिन्तित हैं क्योंकि भोपाल काण्ड के बाद सभी लोग डरने लगे हैं। कहीं भी थोड़ी सी गैस निकली तो यह डर लगा रहता है कि भोपाल की तरह न हो जाय। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं और माननीय रेवती रमण जी का सुझाव आया था, उस पर विचार करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनायें न हों। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि इस पर एक वक्तव्य सरकार का हो जाय, शेष सूचनाएं मैंने अस्वीकार की।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने से घोर व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मजिस्ट्रेट, पुलिस और वकील तीनों में हाथापाई हुई और इसको आपने स्वीकार नहीं किया।

श्री शारदा प्रताप—

(ईंटा दिखाते हुए) मान्यवर, पीली ईंटें लगाईं।

श्री अध्यक्ष—कोई भी माननीय सदस्य सदन में कोई चीज लायें मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा। आप लोग बैठ जाइये, पहले आप मेरी बात सुन लें।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, पीली ईंटें लगायीं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये, आपकी कोई चीज लिखी नहीं जायेगी।

मैं सुबह इससे पहले आपसे कह चुका हूं कि इस सम्बन्ध में नियम 56, 300, 301 आदि के सिलसिले में मैंने नेताओं की बैठक बुलायी है आज 4 बजे, ताकि आप सब के नेताओं के जो फैसले होंगे उसके हिसाब से जिसमें आपको यह शिकायतें न हों कि हमारी बात नहीं सुनी गयी हमारी समस्या गम्भीर थी, जो वह निर्णय करेंगे, आपके सामने रखा जायेगा। (कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर) गौरी शंकर भइया मैं बड़ी नम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि आप बैठिये।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

सुखपाल पाण्डे जी आप बैठिए।

(मद संख्या 18 पुकारे जाने पर)

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कोई भी माननीय सदस्य कोई ब्रिक कोई स्टोन या इस तरह का सामान, कोई भी सब्सटेंस यहां नहीं ला सकता है और न लाया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—,

मैं यह निर्णय दे चुका हूं और आइन्दा कोई भी इस तरह की चीज नहीं लायी जा सकती है।

श्री सुखपाल पाण्डे—

यह तो सदन की प्रापर्टी हो गयी।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप—मैंने, मन्त्री जी को दे दिया।

(श्री गौरी शंकर भइया के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मेरा निर्णय हो चुका। मैं गौरी शंकर भइया जी से अनुरोध करता हूं कि वह कृपाकर बैठें।

1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 18—ग्राम्य विकास विभाग, अनुदान संख्या 30—पंचायती राज विभाग तथा अनुदान संख्या 82—क्षेत्रीय विकास विभाग

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18—ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,06,17,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30—पंचायती राज विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,55,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82—क्षेत्रीय विकास विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,09,04,000 रुपये से अनधिक धन-स्वीकृत की जाये।

(इस समय 1 बजकर 36 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 शिवानन्द नौटियाल पीठासीन हुए)।

मान्यवर, प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के सर्वांगीण विकास में ग्राम्य विकास विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामों में रहने वाले लघु कृषक, सीमान्त कृषक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्बल वर्ग के लोगों के आर्थिक उन्नयन के लिए विभिन्न योजनाएं चलायी जा रही हैं। इसके साथ ही साथ विभाग का पूरा प्रयास है कि ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा किया जाये और गरीबों को गरीबी की रेखा से नीचे जो हैं उनको ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं इस प्रदेश में चलायी जा रही हैं।

श्रीमन्, आपको विदित होगा कि करीब 4790 से अधिक हमारे गांव हैं और इन गांवों में जो हमारे विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, वह 895 विकास खण्डों की स्थापना के द्वारा चलाये जा रहे हैं, इन्हीं के द्वारा हमारी सारी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और इनके तहत जो विभाग का मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि हम किस प्रकार से ग्रामीण अंचलों में रहने वाले, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उनको साधन मुहैया करावें, तकनीकी ज्ञान दें और उनको संसाधन जो उपलब्ध हैं उनको किस प्रकार से उपयोग करावें जिससे हम उनके जीवन यापन को ऊंचा उठा सकें। श्रीमन्, यह उद्देश्य इस विभाग का है और हमारी विभिन्न योजनायें इस विभाग की चल रही हैं। जैसा कि सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात है और उनको जानकारी है कि प्रमुख दिशा में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना चल रही है, जिसके तहत मैं बताना चाहता हूं कि 6 ठीं योजना काल में 267.24 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में प्रदान किया गया और इसी के साथ ही साथ मान्यवर, 730 करोड़ 76 लाख रुपया गरीबों को उपलब्ध कराया गया। 1985-86 में 68.27 करोड़ रुपया व्यय करने का प्राविधान इस योजना के तहत किया गया है। सबसे बड़ी चीज जो इस वर्ष इस योजना में की जा रही है वह यह है कि 6ठीं योजना के जो लाभार्थी थे, और वह विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये जो गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का कार्यक्रम चलाया गया था और उससे वे ऊपर नहीं उठ पाये थे, उनमें से प्रथम 3 वर्षों में हम उन्हें और अधिक सहायता देकर उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके तहत प्रति विकास खण्ड कुल 770 लाभार्थियों का चयन किया जायेगा

जिसमें 570 लाभार्थी वे होंगे जो विगत छठीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पाये थे, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी और 190 नये लाभार्थियों का चयन किया जायेगा जिन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास किया जायेगा।

दूसरी महत्वपूर्ण नीति जो शासन ने तय की है वह यह कि प्रति विकास खंडों में जिन लाभार्थियों का चयन किया जायेगा उनमें 100 लाभार्थी महिलायें होंगी। इसके लिए 1985-86 में 6. 72 लाख लाभार्थी प्रस्तावित हैं जिसमें 5.04 लाख लाभार्थी पुराने और 1.68 नये लाभार्थी पूरे प्रदेश में होंगे। इस वर्ष प्रदेश ने ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं और इन कार्यक्रमों को चलाने का निर्णय लिया गया है। यह कार्यक्रम प्रदेश के देवरिया, बस्ती, सुल्तानपुर, बांदा और इटावा जिलों के 20 विकास खण्डों में लागू किया जायेगा। इस कार्यक्रम के तहत जिन महिलाओं का चयन होगा उन्हें किस तरह से अतिरिक्त आय उपलब्ध हो, इस पर विचार किया जायेगा। इस तरह से इन पांच जिलों में यह कार्यक्रम लागू किया जायेगा। यूनिसेफ के माध्यम से उनके प्रशिक्षण और उपकरणों के लिए सहायता उपलब्ध है। इन जिलों में क्या योजनाएं चलायी जायं, इसके लिए 5 स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा विकास खण्ड वार प्लान तैयार किया जा रहा है जिससे इन महिला समूहों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके। 1985-86 में 600 महिलाओं को लाभान्वित करने और उनके कार्य संचालन के लिए 20 लाख रुपये का प्राविधान बजट में किया गया है।

मान्यवर, आपको विदित होगा कि ट्राइसेम सन् 1979-80 से एकीकृत ग्राम्य विकास योजना की एक सहायक योजना है। उसे भी प्रदेश में लागू किया गया है। उसके तहत प्रदेश के 18 से 35 वर्ष तक के लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है और प्रशिक्षण के बाद स्थानीय बैंकों से संसाधन मुहैय्या कराकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का विशेष प्रयास किया जाता है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नवयुवकों को जो रोजगार नहीं पा रहे हैं उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार करें। इसके लिए प्रतिवर्ष प्रति विकास खण्ड में 40 प्रशिक्षार्थियों की दर से यह कार्यक्रम चलाया जाता है। छठीं योजना में 1,58,969 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इन प्रशिक्षित व्यक्तियों में से 71,179 लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराये गये। 1985-86 में इस कार्यक्रम को और प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अवस्थान एवं सहायता के लिए 15 लाख रुपये का प्राविधान बजट में किया गया है।

जहां पर ट्राइसेम योजना की ट्रेनिंग दी जाती है वहां पर अगर बिल्डिंग और उपकरणों की आवश्यकता हो तो उसके लिए भी साधन उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष 15 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

श्रीमन्, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, पूर्ण या अर्द्ध रूप से जो बेरोजगारी की समस्या है उसके समाधान के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हमारे विकास खण्डों में चल रहे हैं। इसमें एक तरफ हम रोजगार के साधन मुहैया कराते हैं उसके साथ-साथ दूसरी तरफ स्थायी परि संपत्ति का सृजन भी कराया जाता है। यह योजना भी हमारे प्रदेश में लागू है और यह 1981 से भारत सरकार की 50 प्रतिशत सहा-रुपया आवंटित किया गया। 1985-तक इस योजना के लिए 308.03 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। 1985-86 के लिए प्रदेश सरकार ने 78.84 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है जिसमें से आधी भारत सरकार का हिस्सा है और आधा हमारा हिस्सा रहेगा। इसके साथ हम सस्ते दर पर श्रमिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। यह योजना 6ठीं पंचवर्षीय योजना में चली थी और इस वर्ष भी यह योजना चालू रहेगी।

जैसा माननीय सदन को ज्ञात है कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना भी 1983 से भारत सरकार की शत-प्रतिशत सहायता से इस प्रदेश में चल रही है जिसके तहत जो बेरोजगार परिवार हैं उनका कम से कम एक सदस्य साल में 100 दिन अवश्य रोजगार पायेगा जो कि इस योजना का उद्देश्य है। 1985-86 के लिए 66.14 करोड़ रुपये का परि-व्यय इसमें निर्धारित किया गया है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि इस योजना के तहत हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ है और इस समय भारत में हमारा तीसरा स्थान है। इसमें जो भी परिसम्पत्ति सृजित हुई है उससे बड़ा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है।

मान्यवर, हरिजन, अनुसूचित जाति, जनजाति को आवास उपलब्ध कराने के लिए भी छठीं योजना में प्राविधान किया गया जिसके तहत छठीं योजना में 1,4,66 लाख रुपये के प्रावधान से 90,960 आवास निर्मित किये गये जिनमें से 79,208 आवास अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए उन क्षेत्रों में निर्मित हुए। इसका चयन आई0 आर0 डी0 पैटर्न पर होता है। मैदानी क्षेत्र में 2 हजार रुपये प्रति आवास और 3 हजार रुपया प्रति आवास पर्वतीय क्षेत्र के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसमें 80 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग मैदानी क्षेत्र में और कम से कम 50 प्रतिशत लोग पर्वतीय क्षेत्र में चयनित होते हैं। यह योजना इस वर्ष भी चालू रहेगी और इसमें 13,008 आवासों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 3 करोड़ रुपये का वित्तीय प्राविधान इस वर्ष किया गया है जिसमें से 50 लाख रुपया पर्वतीय क्षेत्रों के लिये होगा।

मान्यवर, सदन को जानकारी देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार के, हमारे युवा प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत सर-कार ने इस वर्ष उत्तर प्रदेश के लिए आर0 एल0 जी0 पी0 योजना के तहत 32 हजार मकान बनाने का लक्ष्य रखा है और 16.96 करोड़ रुपये का परिव्यय उत्तर प्रदेश को आवंटित किया है। यह भी नई योजना है और प्रत्येक विकास खंड में 40 आवास अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बनाये जायेंगे जिसकी लागत 6 हजार रुपये तक होगी। इसके

साथ ही यह भी प्राविधान है कि यदि समूह में भवन बनाये जायेंगे तो प्रति भवन पर 3 हजार रुपये अवस्थापना मद पर खर्च कर सकते हैं, जैसे 10 मकान एक समूह में बने तो 30 हजार रुपये खड़ंजे लगाने, पेयजल और विद्युतीकरण के लिए या रिक्रियेशन हाल बनाने के लिए अतिरिक्त सहायता दी जायेगी । इस प्रदेश में 32 हजार नये मकान अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बनाने का लक्ष्य रखा गया है ।

मान्यवर, शहरी इलाकों में तो आवास-विकास परिषद् द्वारा मकान बनाये जाते हैं जो ऋण या हायर परचेज पर दिये जाते हैं लेकिन देहाती क्षेत्रों, गांवों में यदि कोई मकान बनाना चाहे तो उसके लिए कोई प्राविधान नहीं था । हम आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि पिछले वर्ष मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में भी ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सुविधा देने के लिए ग्रामीण आवास परिषद् गठन करने का निर्णय लिया और यह परिषद् गठित हुई जिसके तहत निर्बल वर्ग को 6 हजार, अल्प आय वर्ग के लिए 16 हजार और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए 25 हजार रुपये का ऋण आसान किस्तों पर दिया जायेगा । इसके अलावा तकनीकी ज्ञान भी दिया जायेगा जिससे कि सस्ते दरों पर भवन का निर्माण लोग कर सकें । इस तरह ग्रामीण अंचलों में जो आवास की समस्या है उसका सामाधान करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है ।

मान्यवर, सभी को विदित है कि हरिजन पेयजल योजना पूरे प्रदेश में चल रही है जिसके अंतर्गत 1985-86 में 230 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है जिसके तहत हैंड पाइप जल निगम द्वारा लगाये जायेंगे । पर्वतीय क्षेत्रों में 250 डिग्गियों का निर्माण कराया जायेगा ।

मान्यवर, प्रदेश में लघु सीमान्त कृषकों की संख्या अधिक है, और इनकी आय को बढ़ाने का कार्य जब तक नहीं करते हैं तब तक उनकी हालत में सुधार नहीं कर सकते और न गांवों का सुधार ही होगा, इसके लिए यह शासन एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के तहत छठीं पंचवर्षीय योजना से विभिन्न कार्यक्रम चला रही है, जिसको सभी जानते हैं, 1984-85 में लघु सिंचाई कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया है कि जो गांवों में रहने वाले हमारे लघु और सीमान्त कृषक हैं उनको सिंचाई के लिए उत्तम साधन जब तक मुहैय्या नहीं कराते तब तक उनके खेतों की उपज नहीं बढ़ सकती है । इस वर्ष से लघु और सीमान्त कृषकों के खेतों में जो बोरिंग होती है, उसमें 3 हजार रुपये तक की मुफ्त में बोरिंग का प्राविधान किया गया है । इसके साथ-साथ लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु 33 1/3 प्रतिशत, 50 प्रतिशत तक पंपिंग सेट क्रय व नलकूप निर्माण पर अनुदान देने का प्राविधान किया गया है, जो अब भी इस समय भी चालू है । इसके साथ ही 40101 फ्री बोरिंग करने का लक्ष्य सीमान्त और लघु कृषकों के खेतों में करने के लिए रखा गया है । इसके साथ दलहन तथा तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए जैसा कि आप सबको विदित है मिनी-किट मुफ्त में दिये जा रहे हैं और उन्हें खाद भी दी जा रही है । इस योजना को भी आगे चालू रखने के लिए प्रति विकास खण्ड 50 लाख रुपया व्यय करने को लक्ष्य रखा गया है और इस वर्ष भूमि विकास पर भी हम ज्यादा

बल दे रहे हैं और इसके लिए प्रति विकास खण्ड 1 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है।

इसके साथ-साथ प्रदूषण रोकने के लिए पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन बनाये रखने हेतु सामाजिक वानिकी पर विशेष महत्व दिया गया है। भारत सरकार भी इस दिशा में सतत् प्रयत्नशील है और हमारे प्रधानमंत्री का बराबर यह निर्देश है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को हम प्रदेश में तेजी से लागू करें। इस हेतु एन0 आर0 ई0 पी0 योजना में पूरे आवंटन का 20 प्रतिशत धन खर्च किया जा रहा है। इस 20 प्रतिशत में से 10 प्रतिशत का आवंटन वन विभाग को इस कार्य हेतु किया गया है और 10 प्रतिशत का कार्य हमने विकास खण्डों, पंचायतों और युवक मंगल दलों के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है। सामाजिक वानिकी का कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है जब प्रदेश की रहने वाली सारी जनता का उसमें योगदान हो। पीपुल पार्टीसिपेशन जब तक नहीं होगा, कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है। इसी दृष्टि से 10 प्रतिशत का आवंटन पंचायतों, विकास खण्डों शैक्षिक संस्थाओं और युवक मंगल दलों के माध्यम से इसे कराने के लिए किया गया है। आप सभी माननीय सदस्यों का भी हम इसमें सहयोग चाहते हैं और इसके लिए हमने आपसे कहा भी है कि आप लोग अपने-अपने क्षेत्र में जाकर एक दिन सामाजिक वानिकी का कार्य करें और जो कार्यक्रम है, उसमें माननीय सदस्य आखिरी वाला पेड़ लगायें। यह नहीं कि जैसे कहीं पांच सौ पेड़ लगने हैं तो एक पेड़ पहला आपने लगा दिया और बाद वाले पेड़ ठीक से नहीं लगाये गये। इसलिए यह सोचा गया है कि आखिरी वाला पेड़ माननीय सदस्य अथवा जिलाधिकारी लगावें। इसके लिए आपको और जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भेजे गये हैं और वह जो भी नेतृत्व करें, आखिरी पेड़ लगायें इसके लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और लक्ष्य रखा गया है कि 10 करोड़ पेड़ इस वर्ष उत्तर प्रदेश में लगाये जायें। सिंचाई विभाग और पी0 डब्ल्यू0 डी0 के अधिकारियों तथा एस0 डी0 एम0 तथा जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो सार्वजनिक स्थल हैं उन पर यदि कोई ग्रामीण पेड़ लगाना चाहते हैं तो उसकी अनुमति उसको दे दी जानी चाहिए और पेड़ों का मालिक जो पेड़ लगायेगा वह होगा और उसे पट्टा उपलब्ध कराया जाय ताकि पेड़ बड़ा होने पर उसका उपभोग करने में कोई कठिनाई न हो। तो पेड़ लगाने के साथ विभाग के अधिकारियों को चाहिए कि वह पेड़ लगाने वाले को पट्टा दें। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी आप कितना समय और लेंगे।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, 15 मिनट में खत्म कर दूंगा। मान्यवर, माननीय सदस्यों के बिना सहयोग के वह सफल नहीं हो सकता इसलिये सहयोग की अपेक्षा करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं।

मान्यवर, आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस का कार्यक्रम तेजी से प्रचारित और

प्रसारित करने की आवश्यकता है। इससे एक ओर जहां ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक लाभ होगा वहां पर हमारी महिलाएं जो गांव में निवास करती हैं, बायोगैस का प्रचार और प्रसार होने से उनके स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए 1985-86 में 29 हजार संयंत्रों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह भी शिकायत प्राप्त होती रही है कि संयंत्र खराब हो जाते हैं, तो उसके लिए शासन ने निश्चय किया है कि हर विकास खण्ड में कम से कम 10 राज मिस्त्रियों को ट्रेनिंग करायी जायेगी ताकि वह इसका रख-रखाव कर सकें। दूसरी तरफ यह भी शासन ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक खराब संयंत्र को ठीक कराने के लिए सहायता दी जाय। 500 रुपये प्रति संयंत्र की आर्थिक सहायता करेंगे जो खराब हैं उनको ठीक कराने के लिए। माननीय नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में बनी सरकार जो हमारे कार्यक्रम चला रही है उनका कार्यान्वयन ठीक से हो रहा है या नहीं इसको वेरीफाई करने के लिए भी इस सरकार ने कदम उठाये हैं।

आपको विदित होगा कि जो हमारा कुटुम्ब रजिस्टर होता था उसमें खाली जन्म मृत्यु के बारे में लिखा जाता था और व्यक्ति का नाम होता था शासन ने निर्णय लिया है कि उसका नाम परिवार रजिस्टर में होगा। उसमें व्यक्ति का नाम, उम्र क्या है, शिक्षित है कि नहीं है उसके पास खेती कितनी है, अगर है तो कितने एकड़ है खेती है तो उसमें से कितनी सिंचित है और कितनी असिंचित है। किस साधन से सिंचित है हमारी विभिन्न परियोजनाओं के जरिये उस परिवार के किसी व्यक्ति को लाभ मिला है या नहीं यह सब चीजें अंकित रहेंगी। जब कोई माननीय सदस्य इसको देखेंगे तो अंदाजा मिल सकेगा कि किस व्यक्ति को किस सन् में कितना लाभ मिला। अक्सर देखा गया है कि इस तरह का चार्ट या रजिस्टर न होने से कभी-कभी एक ही परिवार के कई लोग विभिन्न वर्षों में लाभ ले लेते हैं। लेकिन अब इस रजिस्टर से यह पता लगेगा कि किसको लाभ मिल चुका है और किसको देने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ गांव के लिए एक आर्थिक, रजिस्टर भी बनवा रहे हैं। आर्थिक रजिस्टर में उस गांव का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, कृषि योग्य भूमि कितनी है, पशुधन की संख्या क्या है, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कितनी जनसंख्या है, सिंचाई के साधन क्या हैं। राजकीय नलकूप कितने हैं, पंपिंग सेट कितने हैं, कूप कितने हैं, नहर से कितनी सिंचाई होती है। गोबर गैस संयंत्र कितने हैं, सहकारी समितियों के सदस्यों की संख्या कितनी है और शिक्षा संस्थाएं कितनी हैं इस तरह हर गांव का रजिस्टर तैयार कराया जायेगा। जिससे आने वाले दिनों में हमारी जो विकास की योजनाएं हैं, उनके संबंध में इस रजिस्टर से जानकारी हो सके कि फलां गांव में यह योजना दी जा चुकी है, अब दूसरे क्षेत्र में यह योजना जाने की जरूरत है। इससे माननीय सदस्यों को और शासन को आसानी होगी। इससे बहुत ही बड़ा लाभ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को होगा। विकास खंडों पर हमारे जो सूचना केन्द्र हैं, उनमें जाने से पूरी सूचनाएं हमें नहीं मिल पाती हैं, तो पूरी सूचना रखने के लिए उनको आदेश दिये गये हैं। विकास खण्डों के सूचना केन्द्रों को सुसज्जित करने के लिए

व्यवस्था की गयी है और 15000 रु0 प्रति ब्लाक एलाट किया गया है।

श्रीमन्, इसके साथ-साथ लघु सिंचाई के बारे में जैसा मैंने बताया कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में 33 लाख हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है, जिसके लिए 70 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र का 10 करोड़ रुपया शामिल है। निःशुल्क बोरिंग के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 4,000 रु0 रखा गया है तथा जनजातियों के लिए यह सीमा 5,000 रु0 तक बढ़ाई जा रही है। यह जो प्रतिबन्ध था कि कृषि के अलावा 200 रु0 से अधिक आमदनी जिसकी होगी, उसको लाभ नहीं मिलेगा, तो यह 200 रु0 की सीमा भी हटा ली गयी है। तो जिसकी 200 रु0 से ज्यादा आमदनी होगी, उसे भी इससे लाभ होगा। पठारी और बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जहां बिना मशीन से बोरिंग होती है, वहां सभी कृषकों को 50 प्रतिशत की दर से अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में शतप्रतिशत शासकीय व्यय पर हाई डाम एवं नैनीताल जनपद के ट्राइबल विकास खण्डों में उपयुक्त स्थलों पर आर्टिजन कूपों की व्यवस्था की जा रही है। अभी हमारे ग्रामीण अंचलों में यह जानकारी नहीं है कि किस तरह से हम मशीन लगावें, ताकि अधिक से अधिक पानी उपलब्ध हो, इसका परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि अगर यह मशीन ठीक से लगाई जायें और इन्हें सही तकनीकी ढंग से लगाया जायेगा, तो इससे हम खेतों में अधिक पानी पहुंचा सकते हैं। 3,500 पंपिंग सेटों के सुधार का कार्यक्रम लिया जाना है, इसके लिये भारत सरकार से अनुरोध किया गया है, मुझे आशा है कि भारत सरकार इसके लिए अनुमति दे देगा। जो पंपिंग सेट ठीक नहीं चल रहे हैं, उन्हें ठीक कराया जायेगा। इसके लिए शासन की ओर से अनुदान दिया गया है। एक यह है ग्रामीण अभियंत्रण सेवा।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप संक्षेप कर दीजिए।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

बहुत से कार्यक्रम गांव सभाओं के माध्यम से कराये जा रहे हैं, विकास खण्ड के माध्यम से कराये जा रहे हैं, लेकिन विकास खंडों में अभी तक कोई तकनीकी जानकारी रखने वाले कर्मचारी नहीं हैं। जैसा आप सबको विदित है कि पिछले साल डेढ़ लाख रुपया दिया गया था, ग्राम पंचायत सड़क बना रही है, पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है, लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने से सुचारु रूप से कार्य नहीं चल पा रहा है। शासन ने निश्चय किया है कि खंड विकास अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण में आर0 ई0 एस0 विभाग का एक जूनियर इन्जीनियर उपलब्ध कराया जायेगा, जो आर0 ई0 एस0 विभाग से संबद्ध रहेगा जो जिले के सहायक अभियन्ता हैं डी0 डी0 ओ0, ए0 डी0 एम0 और सी0 डी0 ओ0 के मातहत उनको रखा जायेगा ताकि जो कार्य ग्राम्य विकास खण्ड के जरिये हो रहा है उनका संचालन सुचारु रूप से हो सके। एक लाख रुपये तक का काम क्षेत्र समितियां कर सकती हैं, तो जूनियर इंजीनियर उपलब्ध जब हो जायेगा तो उनके तकनीकी ज्ञान की जो कठिनाइयां होंगी हैं वह नहीं होंगी और कार्य सफलतापूर्वक हो सकेंगे।

हम एक टैक्निकल सेल की स्थापना भी कर रहे हैं। एक टैक्निकल सेल मुख्यालय पर कार्यरत था, लेकिन हमने निर्णय लिया है कि यह मुख्यालय स्तर पर न होकर शासन के अन्तर्गत टैक्निकल सेल होगा और सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर आर0 ई0 एस0 विभाग में नहीं होगा उसको वहां उपलब्ध करायेंगे।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

मान्यवर,, काफी मांग रही है हमारे ग्राम्य विकास अधिकारियों की, माननीय सदस्यों ने भी समय-समय पर चर्चा की है। ग्राम्य विकास विभाग काफी बड़ा विभाग है, लेकिन इसका निदेशालय नहीं है। हमने निश्चय किया है कि आप लोग बजट पास कर देंगे, तो उसके बाद तत्काल शासन ने निर्णय लिया है कि ग्राम्य विकास के निदेशालय की स्थापना प्रदेश में की जायेगी। जिससे हमारी विभिन्न योजना ग्रामीण अंचल तक पहुंच सकें। मान्यवर, पंचायत के बारे में सातवीं पंचवर्षीय योजना में 36.50 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है और पंचायतों के माध्यम से अन्य योजना चालू की हैं। ग्रामीण स्वच्छता को ध्यान में रखकर 12 जनपदों इटावा, एटा, फतेहपुर, आजमगढ़, बांदा, देवरिया, सुल्तानपुर, अल्मोड़ा, गोण्डा, बस्ती, सीतापुर, सहारनपुर में यूनिसेफ की सहायता से लो कास्ट लैट्रिन्स का निर्माण कराया जायेगा। 770 रुपया एक लैट्रिन के निर्माण पर व्यय होगा। इसमें 40 फीसदी यूनिसेफ द्वारा खर्च किया जायेगा तथा 40 फीसदी उत्तर प्रदेश सरकार करेगी।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी अब समाप्त करें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, इससे पहले सबको जानकारी है कि समादेश क्षेत्र कार्यक्रम रहा है। इसमें रामगंगा, शारदा सहायक तथा गंडक परियोजना चल रही है। 160 करोड़ रुपये का सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्राविधान किया गया है। इन परियोजनाओं में धान की पैदावार को बढ़ाने का कार्य इस वर्ष लिया गया है। इसके लिए 33.62 लाख हेक्टेयर में यह कार्य करने का लक्ष्य है। अब तक इस परियोजना में नाली, चकरोड बनाने का ही काम होता था, शारदा सहायक परियोजना, राम गंगा परियोजना एवं गंडक परियोजना में। अब यह कार्यक्रम लिया गया है कि किसानों के खेत पर जाकर उनके खेत की आवश्यकता को देखकर, खाद, बीज, तकनीकी ज्ञान उनको दें। ताकि उनकी पैदावार बढ़ सके। इसके लिए सेमीनार किया जायेगा। इस कार्यक्रम में रुचि लेकर इसको आगे बढ़ावें।

युवा कल्याण प्रादेशिक विकास दल का महत्व है। छठीं पंचवर्षीय योजना में 25 हजार लोगों को प्रशिक्षण एवं वर्दी दी गई है। 32 नई व्यायाम शालाओं की स्थापना की गई है। जैसा आप सबको विदित है वर्ष 85 युवा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए सभी जनपदों में और प्रदेश स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन किया जायेगा। प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ युवक मंगल दल को विवेकानन्द यूथ एवार्ड के रूप में एक लाख रुपये नगद पुरस्कार व चल वैजयन्ती सहायता दी जायेगी। हर जिले में सर्वश्रेष्ठ युवक मंगल दल को 5,000 रुपये नगद पुर-

स्कार एवं शील्ड दी जायेगी । ग्रामीण विकास दल के प्रशिक्षित जवानों की संख्या 25,000 है । इस वर्ष 14,700 जवानों को प्रशिक्षित करने एवं वर्दी देने का लक्ष्य है । इन सेवा दलों की दैवीय आपदा, बाढ़, मेले आदि के समय बहुत आवश्यकता होती है । मैं ज्यादा वक्त न लेकर माननीय सदस्यों की चर्चा को सुनूंगा । जो उनके बहुमूल्य सुझाव होंगे, उनके द्वारा इस विभाग के कार्य-क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा ।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18—ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30—पंचायती राज विभाग के अंतर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82—क्षेत्रीय विकास विभाग के अंतर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं अपने भाषण को दो खण्डों में बांटकर रखना चाहूंगा । पहले खंड में आलोचना बल्कि कहना चाहिए समालोचना और दूसरे खण्ड में सुझाव । मैं प्रयास करूंगा कि अपने भाषण को कम समय में कह पाऊं फिर भी कुछ समय अधिक लग जाय तो मुझे भरोसा है कि आप अनुमति दे देंगे । मान्यवर, आज जो अनुदान प्रस्तुत हुआ है, यह स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण अनुदान है । इसका सीधा सम्बन्ध ग्राम्य जीवन से है और हम जानते हैं कि गांव अगर उठेगा, तो देश उठेगा । माननीय मंत्री जी के भाषण को मैंने बड़े ध्यान से सुना । मैंने इनके पूर्ववर्ती 2 मंत्रियों के भाषणों को भी पढ़ा है । इन तीनों को एक साथ रख लें तो तीनों में कोई मौलिक अन्तर नहीं दिखाई पड़ता । किसी प्रकार की कोई जानदार नयी बात इनके भाषण में सुनने को नहीं मिली है । वही सब घिसी पिटी बातें हैं ।

(2 बजकर 20 मिनट पर)

ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में समस्याओं का जो आयाम है, उसकी ओर न तो शासन का चिंतन है और न किसी समस्या के समाधान के लिए कोई नियोजन । इसीलिए उन्होंने कथित योजनाओं के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि शासन बहुत कुछ करने जा रहा है ग्राम्य विकास के लिए, लेकिन जो परिणाम और परिस्थितियां हैं हमारे सामने, वह इनके भाषण से मेल नहीं खाती हैं । गांधी जी की दरिद्र नारायण की कल्पना है, नेहरू जी का विकासवाद है, दीनदयाल जी की अन्त्योदय की सोच, डा0 लोहिया जी का समाजवादी समाज का विचार और जय प्रकाश नारायण जी की समग्र क्रान्ति की कल्पना । यह सब गांव, गरीब और किसान, झुग्गी-झोपड़ी के रहने वाले इन्सान और काम के लिए तरसते बेरोजगार

नौजवानों के जीवन से संबंधित हैं। उन समस्याओं का समाधान निकाले बिना देश का उत्थान नहीं हो सकता है। समाज का विकास नहीं हो सकता है। मान्यवर, आजादी के पहले एक सपना था कि कोई भूखा नहीं होगा, कोई नंगा नहीं होगा, कोई बेमकान नहीं होगा कोई शोषित और उपेक्षित नहीं रहेगा। लेकिन आज 38 साल के बाद भी हम क्या कर सके हैं। क्या आजादी का सपना पूरा हो सका। मान्यवर, इसमें हमारे सामने कुछ दायित्व हैं। किसी देश के उत्थान के लिए 38 साल की अवधि कम नहीं होती, पूरी अवधि बीत गयी। छः पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो गयीं। खरबों रुपया खर्च हो गया। अरबों रुपये का विदेशी कर्ज लाद लिया। लाखों लोगों का कर्मचारियों और अधिकारियों के नाम का इन्फ्रा स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, लेकिन क्या आज तक हम गांव की तस्वीर बदल पाये ? क्या गरीब की तकदीर बदल पाये ? क्या किसान की जिन्दगी की रूपरेखा को बदल पाये ? क्या गांव की बुनियादी आवश्यकताएं स्वास्थ्य, पानी, सिंचाई और शिक्षा आदि को हम पूरा कर पाये हैं ?

आज हमारे देश के अन्दर 10 करोड़ हाथ नौजवानों के खाली हैं, पूरे प्रदेश में लगभग 2 करोड़ हाथ काम पाना चाहते हैं, क्या उनको हम काम दे पाये हैं। क्या हमने कोई ऐसी सर्वांगीण सुनियोजित योजना का निर्माण किया है, जिससे नौजवानों को काम मिल सके। उनमें से अधिकांश गरीब और बेरोजगार लोग गांवों में रहते हैं, जिस पर आज चर्चा चल रही है। आज उनको उठाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने के प्रस्ताव शासन हमारे सामने प्रस्तुत नहीं कर पाया है, गांवों में आज भी बेरोजगारों की संख्या सबसे ज्यादा है। गरीब और गरीबी की जिन्दगी बिता रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश के अन्दर 51.2 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे जिन्दगी बिताने के लिये मजबूर हो रहे हैं। गरीबी अमीरी की खाई और अधिक चौड़ी हो रही है। सारी योजनाएं केवल 15 प्रतिशत सम्पन्न लोगों के लिये बनती हैं और 85 प्रतिशत लोग केवल जैसे तैसे जी भर रहे हैं। कांग्रेस शासन में ऐसा लगता है कि इस देश और प्रदेश के अंदर 2 समाज पैदा हो गये हैं, दो देश पैदा हो गये हैं, एक 15 प्रतिशत का दूसरा 85 प्रतिशत का। मान्यवर, कैसी विडम्बना है कि एक ओर तो उत्पादन बढ़ रहा है, मैं मानता हूं, इसमें दो मत नहीं हैं, लेकिन यह उत्पादन सरकार के प्रयासों से नहीं बढ़ा है। किसान ने अपने पसीने को माटी में मिलाकर कंचन पैदा किया है और किसान के परिश्रम के आधार पर ही उत्पादन बढ़ सका है। इसमें सरकार का योगदान न के बराबर है। किन्तु कैसी विडम्बना है कि एक ओर उत्पादन बढ़ रहा है और दूसरी ओर कुपोषण की समस्या भी बढ़ रही है। अगर पर्याप्त अनाज पैदा कर लिया गया है तो फिर प्रदेश में कुपोषण कैसे बढ़ रहा है। लेकिन एक तरफ तो आपको नया गेहूं रखने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है और दूसरी तरफ लाखों लोगों के पास दोनों समय के लिए भरपेट भोजन नहीं है। यह विडम्बना क्यों है, यह विसंगति क्यों है ? कारण केवल एक है उत्पादन बढ़ गया लेकिन लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ी। क्रय शक्ति बढ़ती है लोगों को रोजगार देने से। समन्वित विकास के

माने हैं कि उत्पादन बढ़ता है तो खरीदने वालों की शक्ति भी बढ़नी चाहिए। यहां उत्पादन बढ़ रहा है, खरीदने वालों की क्रय शक्ति घट रही है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक नारा दिया था, कांग्रेस के नेताओं ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का, यह इनकी सोच और दिवालियेपन का द्योतक था। नारा लगाना चाहिए था कि बेरोजगारी हटाओ। बेरोजगारी मिटेगी तो गरीबी अपने आप मिट जायेगी।

बीस सूत्री कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन द्वारा शान्तिपूर्ण आर्थिक सामाजिक क्रान्ति लायी जा सकती है। बीस सूत्रीय कार्यक्रम में कोई मतभेद नहीं है। बस आपत्ति है तो वह यह कि उस अच्छे कार्यक्रम का क्रियान्वयन अच्छा नहीं हो रहा है।

सत्ता पक्ष के तमाम मित्र बीस सूत्रीय कार्यक्रम की बात करते हैं, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष में 3/4 ऐसे सदस्य निकल आयेंगे जो 20 सूत्रों में से 10 सूत्र नहीं बता सकेंगे। अगर इन बीस सूत्रीय कार्यक्रम पर सच्चाई से अमल कर लिया जाय तो इस प्रदेश के अन्दर एक ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक क्रांति लायी जा सकती है। लोगों की जिन्दगी सुधारी जा सकती है। किन्तु योजना के अमल का नितान्त अभाव है। आप योजना बनायें हर खेत को पानी देंगे, हर व्यक्ति को रोजगार देंगे। आपने बताया कि आप इतने मकान बनवा देंगे, अमुक चीज दिलवा देंगे, इससे पराश्रित होने की मनोवृत्ति ही बढ़ेगी। उसको स्वावलम्बी बनाना होगा।

मान्यवर, मैं सरकार के नियोजन पर कुछ कहना चाहता हूं। किसी भी सरकार के चरित्र को परखने के लिए मेरी दृष्टि से मोटे-मोटे 8 तत्व होते हैं। सरकार की सोच कैसी है, सरकार की नीयत कैसी है, सरकार की नीति क्या है, सरकार का निश्चय क्या है, सरकार की निगाह क्या है, सरकार का नियोजन क्या है, सरकार की प्राथमिकतायें क्या हैं। और इन सारे नियोजन से, उन प्राथमिकताओं के कारण से लाभ किनको मिल रहा है। इन 8 तत्वों के आधार पर लाभ गरीबों का होता तो यह सरकार गरीब हितैषी होती और, अगर किसानों को लाभ पहुंचता है, तो यह सरकार किसान हितैषी होती, अगर उससे बेरोजगारों को लाभ मिलता, उनको रोजगार मिलता, तो उसके लिए सरकार बधाई की पात्र समझी जाती। परन्तु, 6-6 पंचवर्षीय योजनाओं के बीत जाने के बाद जो परिणाम प्रकट हुए हैं, उसके आधार पर यह सरकार किसान विरोधी है, गांव विरोधी है, गरीब विरोधी है, नौजवान विरोधी है। जब यह कहने जा रहा हूं, अनायास नहीं कह रहा हूं, प्रयास करूंगा कि इन तथ्यों के बारे में सदन में कुछ प्रकाश डालूं। यह वह कसौटियां हैं, जिन पर सरकार की नीति-नियोजन को परखा जा सकता है। सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वह नीति और नियोजन की कसौटी पर देखें कि यह सरकार कैसी है। उपलब्धियां परिणामें तब बताइये सरकार कैसी है लेकिन जो कसौटियां मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, अगर आप जनता का भला चाहते हैं तो इन कसौटियों को सरकार को कसकर देखना होगा। मान्यवर, जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, अगर यह योजनाएं गांव तक पहुंचाई गई होतीं तो गांव का कायाकल्प हो गया होता। संपूर्ण प्रदेश की समस्याओं

के सम्पूर्ण आयाम के पक्ष में जिस प्रकार की नीतियां चाहिए, जिस प्रकार की प्राथमिकताएं चाहिए वैसा सरकार नहीं कर रही है।

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह गांव का देश है, हम इस बात से सहमत हैं लेकिन क्या आप अपनी नीतियों में, नियोजन में, प्राथमिकताओं में कोई आमूलभूत परिवर्तन करने को तैयार हैं। हर 4 में से 3 व्यक्ति गांव में रहता है लेकिन आप 3 रु0 शहरों की ओर देते जा रहे हैं। ग्राम्य विकास की बात की जाती है। यह देश और प्रदेश गांव का है। प्रदेश तभी उठेगा जब गांव उठेगा और गांव उठेगा तब जब किसान उठेगा और किसान उठेगा तब जब खेत में पैदावार उठेगी और पैदावार होगी तब जब खेत में लागत लगेगी और लागत लगेगी तब जब किसान के हाथ में चार पैसे होंगे और पैसे होंगे तब जब जो कुछ खेत में होता है वह चीजें उठेंगी और तब खेत में पैदा होगा कच्चा माल और जब कच्चा माल होगा तो उद्योग धन्धे बढ़ेंगे और जब उद्योग धन्धे बढ़ेंगे तो ऊंचे दाम मिलेंगे और कच्चे माल से रोजगार को क्रय शक्ति मिलेगी। आज प्रदेश जितना पिछड़ा नजर आ रहा है वह इतना पिछड़ा नजर नहीं आता। जब आप हर 4 रु0 में से 3 रु0 शहर पर लगायेंगे तो कैसे होगा विकास, क्या उल्टी गंगा बहेगी। आप कहते हैं कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। हम सुझाव देना चाहते हैं कि योजनाओं का ग्रामीणीकरण किया जाय, फार्मों को औद्योगीकरण किया जाय उद्योगों का श्रमीकरण किया जाय, श्रम का पूंजीकरण किया जाय तो पूंजी का विकेन्द्रीकरण होगा। आपकी तिजोरी में पैसे की कीमत होती है लेकिन पसीने की कीमत कम नहीं होती। पसीने से भी पूंजी बनायी जाती है। बेरोजगारी बढ़ रही है। आपने बता दिया कि हम इतने लोगों को इतना पैसा देंगे, यह रोजगार देंगे, यह प्रशिक्षण देंगे लेकिन आपके पास कोई मास्टर प्लान है। यह एक हजार, दो हजार लोगों को रोजगार देने से समाधान होने का प्रश्न नहीं है। इसके लिए मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। योजनाएं ऐसी बनें जो रोजगार दे सकें और रोजगार ऐसा हो जो उत्पादन दे सके और उत्पादन ऐसा हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और आवश्यकताएं पूरे समूचे समाज की हों। नियोजन के इस सूत्र को अपनाया जाय कि—

इम्प्लायमेन्ट ओरियेन्टेड प्लान्स

प्रोडक्शन ओरियेन्टेड इम्प्लायमेन्ट

नेसेसिटी ओरियेन्टेड प्रोडक्शन

मास ओरियेन्टेड नेसेसिटीज।

क्या आप नीति नियोजन और प्राथमिकताओं में इस प्रकार का आमूल-चूल परिवर्तन करने को तैयार हैं? अगर तैयार नहीं हैं तो इस प्रकार के छोटे-मोटे आंकड़ेबाजी करने से न तो प्रदेश उठेगा और न देश ही।

मान्यवर, गांवों की हालत बद से बदतर हो रही है। आज भी अनेकों योजनाओं का वर्णन किया गया है। कमाण्ड एरिया प्रोजेक्ट्स की चर्चा की गई, उसके लक्ष्यों को बताया गया। इसमें कितनी पूर्ण होंगी और कितनी नहीं होंगी, इस पर मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर एक तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या आप इस प्रदेश को

उठाना चाहते हो और दूसरी ओर वह भी तब जब खेती पर भार बढ़ गया हो। आज खेती पर भार घटने के बजाय खेती पर भार बढ़ गया है। मैं, एक मैगजीन पढ़ रहा था (इण्डस्ट्रीज एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट के चेप्टर एक व पेज 2) उसमें आंकड़े दिये हैं कि 1820 में अमेरिका में 100 आदमियों में से 87 व्यक्ति खेत में काम करते थे। 1985 आते-आते 100 में से 3 व्यक्ति खेत में काम करने वाले रह गये हैं। खेती पर से भार घटा है। इग्लैंड में 1881 में 12.5 प्रतिशत व्यक्ति काम करते थे खेत में, 1985 आते-आते 2.5 प्रतिशत लोग रह गये खेत में काम करने वाले। आंकड़े मेरे पास पूरे हैं वर्षवार हैं, लेकिन मैं अपने प्रदेश व देश के बारे में ही कहना चाहता हूं। भारतवर्ष में 1820 में 100 आदमियों में से 55 व्यक्ति खेत में काम करते थे, 1881 में 74.4 प्रतिशत 1901 में 76.1 प्रतिशत, 1911 में 76.2 प्रतिशत, 1951 में 77 प्रतिशत, 1965 में 73 प्रतिशत और 1985 में खेती में काम करने वाले व्यक्ति 72 से 73 प्रतिशत के आस-पास हैं। यह कैसी प्रगति है और यह कैसा नियोजन है तथा कैसी प्राथमिकताएं हैं। आप खेती का भार कम करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रोक कौन रहा है? यदि आपकी यही नीति रही और यही आपका नियोजन रहा और खेती का भार ऐसा ही बना रहा, तो चाहे आप लाख भाषण दें, प्रदेश पिछड़ता ही जायेगा फिर उसे उठाने के लिए कोई शक्ति काम नहीं कर सकती है।

आप क्या ज्योतिषी हैं?

आप क्या ज्योतिषी हैं?

श्री कल्यान सिंह—

मैं ज्योतिषी नहीं हूं। आपकी सरकार के आंकड़े पढ़कर सुना रहा हूं। यह आंकड़े ही वर्तमान और भविष्य की दिशा का बोध करा रहे हैं कि प्रदेश कहां जा रहा है।

मान्यवर, गरीबी मिटा रहे हैं, इसका बहुत दावा किया जा रहा है। पिछड़ेपन को मिटा रहे हैं, इस सम्बन्ध में मैं इस सरकार के कुछ आंकड़े इस आदरणीय सदन में रखना चाहता हूं। 1961 से 1981 तक एक सर्वेक्षण किया गया। 1961 में उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ 60 लाख 90 हजार खेती की होल्डिंग्स थे, 1981 में यह घटकर 12 करोड़ 96 लाख 60 हजार हो गई। वर्ष 1961 में उत्तर प्रदेश में खेतिहर मजदूर 32 लाख 61 हजार थे, 1981 आते-आते खेतिहर मजदूरों की संख्या 76 लाख 47 हजार हो गई है। क्या कारण है कि एक ओर जोतें घट रही हैं दूसरी ओर खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। निष्कर्ष क्या निकलता है। केवल एक गांव के आदमी की जिन्दगी इतनी दूभर हो गई है कि छोटे-छोटे किसानों की होल्डिंग्स जो थी वह कम होती जा रही है और लोग खेतिहर मजदूर बनते जा रहे हैं। यह सारे आंकड़े मेरे नहीं, आपकी सरकार के हैं। क्या कोई आमूल चूल परिवर्तन अपनी नीतियों में, परियोजनाओं में करने जा रहे हैं। गांव से आज बेरोजगार आदमी शहर की ओर दौड़ रहा है। गांव में काम नहीं, शहरों में मकान नहीं। इंसान फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हैं।

मुख्य मन्त्री जी ने कहा है लगान के 32 करोड़ रुपये की बात। उन्होंने कहा है कि गांव का पैसा गांव की ओर। मैं

कहना चाहता हूं कि 32 करोड़ की थोड़ी सी अनुदान और सहायता, ऊंट के मुंह में जीरा सिद्ध होगा। नारा यह होना चाहिए गांव की आबादी गांव की ओर। जैसे कि पहले नारा दिया था गरीबी हटाओ उसके स्थान पर नियोजन होना चाहिए था बेकारी मिटाओ। अगर ऐसा हो सकेगा तो कुछ भला उत्तर प्रदेश का हो सकेगा।

ट्राइसेम योजना की बात कही है। मैं आपका साहित्य पढ़ रहा था, प्रत्येक ब्लाक में से 6 सौ परिवार और उनमें से 2 सौ परिवारों को कृषि के अतिरिक्त उद्योग धन्धों में लगायेंगे। आपने 1984 में 2143 लोगों को प्रशिक्षण दे दिया है। हम जानना चाहते हैं जिनको प्रशिक्षण दे दिया है उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी? अब क्या है? उनका रोजगार चल पाया या नहीं? कच्चा माल मिला या नहीं? उनके माल की गुणवत्ता कायम हो पायी या नहीं? सरकार का सोचना है कि एक बार कर्जा दे दिया और मान लिया कि उसका विकास हो गया होगा। कभी चिन्ता की कि जिसको आज कर्जा दे रहे हैं वह फिर गरीबी की रेखा से नीचे नहीं आ गया होगा? उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का कोई प्रयास किया? इसकी कोई नीति है? मन्त्री जी जिस विभाग को देखते हैं उसका नाम है समन्वय। लेकिन क्या समन्वय हो रहा है? एक आदमी को कर्जा प्राप्त करने के लिए भी भिन्न-भिन्न प्रकरणों और प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और नाम है एकीकृत ग्राम्य विकास। योजनायें भिन्न-भिन्न लेकिन नाम है एकीकृत ग्राम्य विकास। इसके लिये एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था भी कायम करनी होगी। इसके अभाव में कोई तालमेल नहीं बैठ पायेगा। आज आपके कार्यक्रम चल रहे हैं। लक्ष्य दे दिया जाता है। पूरा करना है। यद्यपि पूरा नहीं होता। लक्ष्य दे दिया, कर्जा बंट गया, बायोगैस प्लान्ट लगना है—गड्ढा खुद गया, ढोल डाल दिया, और मान लिया लक्ष्य पूरा हो गया। जैसे विद्युतीकरण गांव के किसी पत्ते को भी छू लिया, विद्युतीकरण हो गया। खम्भा गड़ा विद्युतीकरण हो गया।

आखिर उन योजनाओं को पूरा करने के लिये जो भी मास्टर प्लान तैयार करना चाहिये था, क्या तैयार किया? सरकार केवल टारगेट निर्धारित कर देती है, बिना यह देखे कि परिणाम और उपलब्धियां क्या हो रही हैं इसलिये टारगेट ओरियेन्टेड नहीं बल्कि "रिजल्ट ओरियन्टेड" स्कीम चाहिये। आपकी स्कीमें आज रिजल्ट ओरियन्टेड नहीं हैं बल्कि टारगेट ओरियेन्टेड हैं। कर्मचारी उल्टे-सीधे आंकड़े देकर कहेगा कि इतना टारगेट पूरा हो गया।

कर्जे की बात है, कर्जा बांटा जा रहा है। यह नहीं देखा जा रहा है कि जिस व्यक्ति को कर्जा दिया जा रहा है, उसकी कैपेसिटी क्या है? वह उस कर्जे का उपयोग कर भी पायेगा या नहीं? उसके पास संसाधन हैं या नहीं? उसको कच्चा माल कहां से मिलेगा? उसके माल की खपत कहां होगी? यह सब कुछ नहीं देखा जाता है। मन्त्री जी जाते हैं, समारोह होता है, ऋण बांटा जाता है, कितनों को मिल पाता है, कितनों को नहीं मिल पाता है, पता नहीं। क्या आप बतायेंगे कि टारगेट ओरियन्टेड की जगह नीड ओरियन्टेड स्कीम बनायेंगे? क्या आपने कभी पता लगाने की कोशिश की कि जो व्यक्ति अपना उद्योग लगा रहा है, उस क्षेत्र में कच्चा माल उपलब्ध है या नहीं है? उसके संसाधन क्या हैं? वह कुछ कर पायेगा या नहीं कर पायेगा? आपको

नहीं पता, लेकिन हम अपनी जानकारी के आधार पर कहते हैं कि अधिकांश पैसे का दुरुपयोग हुआ है।

(श्रीमती कमला साहनी की ओर इंगित करते हुए)

बहन जी, कह रही थीं कि क्या हम ज्योतिषी हैं। लेकिन आपकी सरकार का काम बता रहा है कि 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक कर्जा वसूल होने वाला नहीं है। आज तो अच्छा लगता होगा, कहने में गौरव का अनुभव होता होगा कि कर्जा बांट रहे हैं, लेकिन अगर सर्वेक्षण करायें तो पता चलेगा कि उसका उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि उसका कच्चा माल उपलब्ध नहीं है, इसलिये पैसा बरबाद हो रहा है। नतीजा यह है कि गांव का आदमी कर्जे के चंगुल में फंसता जायगा लेकिन गांव का विकास नहीं होगा।

विकास नहीं बल्कि यह विनाश होने जा रहा है। उनको बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है। सही सोच यह है कि रोटी के स्थान पर रोजी दो। परावलम्बन के स्थान पर स्वावलम्बन की स्थिति पैदा करो। आज वैचारिक परिवर्तन और वैचारिक क्रान्ति की आवश्यकता है, उसके बाद ही आचारिक क्रान्ति आ पायेगी। योजनाओं की निरंतरता के लिये माइक्रो लेविल की प्लानिंग और माइक्रो लेविल मानीटरिंग आवश्यक है। क्या आपके पास इसके लिये कोई मशीनरी है? क्या उस मशीनरी में मिशनरी स्प्रिट से काम करने वाले लोग हैं? और जब तक मान्यवर, यह मशीनरी नहीं होगी तो अच्छा नियोजन, अच्छा क्रियान्वयन और अच्छी मानीटियरिंग नहीं हो पायेगी और उपलब्धियों का सही मूल्यांकन नहीं हो पायेगा।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, अभी तो केवल 20 ही मिनट हुए हैं। यहां आई0 आर0 डी0 पी0 पर विचार किया गया। इसमें प्रदेश का 50 प्रतिशत हिस्सा है और 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार देती है। मैं जानना चाहूंगा मन्त्री जी जब उत्तर देने के लिये खड़े हों तो वे इसका उत्तर जरूर दें कि आई0 आर0 डी0 पी0 और डी0 आर0 डी0 ए0 में जो कुछ भी पैसा केन्द्रीय सरकार से मिलना चाहिये वह उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं मिला, इसका क्या कारण है?

मान्यवर, कारण तो एक ही है कि बाकी प्रदेशों ने जो पैसा खर्चा किया था उसकी मैचिंग ग्रान्ट के रूप में केन्द्र सरकार ने उन्हें ज्यादा पैसा दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश को जितना पैसा खर्च करना चाहिये था, उतना खर्च नहीं किया गया और उसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश को अधिक पैसा नहीं मिला। आप धन का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। आप देखें कि आई0 आर0 डी0 पी0 में आपको कितना धन स्वीकृत हुआ और उसमें से कितना आपने प्रयुक्त किया :—

वर्ष	स्वीकृत धन	प्रयुक्त धन
1978-79	10 करोड़ रु0	4.37 करोड़ रु0
1979-80	22.30 करोड़ रु0	21.38 करोड़ रु0
1980-81	32.14 करोड़ रु0	29.62 करोड़ रु0
1981-82	6229.02 लाख रु0	4873.12 लाख रु0
1982-83	8845.49 लाख रु0	6545.21 लाख रु0
1983-84	10273.40 लाख रु0	7559.11 लाख रु0
1984-85	8667.40 लाख रु0	5859.04 लाख रु0
1985-86	10740.00 लाख रु0	—

यह 1985-86 के लिये सम्भावित आधार पर 10740 लाख रु0 के आंकड़े रखे गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इतना पैसा प्रति वर्ष आई0 आर0 डी0 पी0 योजना के अन्तर्गत स्वीकार किया गया लेकिन खर्च नहीं किया गया जैसे कि मानो इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास का कार्य ही पूरा हो गया हो। क्या इससे भी ज्यादा लज्जा की, शर्म की कोई और बात हो सकती है? आपके अधिकारी, जिन कामों के लिये पैसा स्वीकार किया जाय, उसका पूरा का पूरा उपयोग न कर सकें और दावा यह करें कि हम ग्रामीण विकास का कार्य कर रहे हैं। क्या विकास का कार्य हो रहा है? 1985-86 की जो सम्भावित धनराशि आपने बताई है इसमें भी आप देखें कि विनियोग क्या किया गया है। 10740.00 लाख में से 10 परसेन्ट अवस्थापना पर, 15 परसेन्ट प्रशासनिक सेवाओं पर, 30 परसेन्ट ग्रामीण तथा लघु उद्योगों पर तथा 45 परसेन्ट कृषि, पशुपालन व लघु सिंचाई आदि पर। पूरी धनराशि का 1/4 भाग का पैसा आप प्रशासनिक सेवाओं पर गुलछर्रे उड़ाने के लिये पहले से ही रखे दे रहे हैं, क्या इससे विकास हो पायेगा?

मौज मस्ती उड़ाने के लिए पहले ही आपने तय करके रख लिया है। क्या विकास इससे हो पायेगा? इतना पैसा जब बरबाद किया जा रहा है। डी0 आर0 डी0 ए0 में 6 लाख रुपया प्रति विकास खण्ड के हिसाब से यह देना चाहते हैं और इसमें से 6 प्रतिशत कान्टीजेन्सी के लिए, 15 प्रतिशत अवस्थापना के लिए, इसका मतलब यह होता है कि प्रति विकास खण्ड 36 हजार कान्टीजेन्सी और 90 हजार इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल एक लाख छब्बीस हजार रुपया हो जाता है। इस 1,26,000 रुपये का क्या होगा? इसमें से रेफ्रीजरेटर, पंखे, सोफासेट, टी0 वी0 खरीदे जायेंगे और कार खरीदी जायेगी जो डी0 एम0 के इस्तेमाल में आयेगी। डी0 एम0 तो आज आपने हिन्दुस्तान का परमात्मा बना दिया है महाराजा हो गया है, अब दो कारें रहेंगी कलेक्टर के पास। एक इस योजना, डी0 आर0 डी0 ए0 के अन्तर्गत और एक है ही। एक साहब के लिए और एक मेमसाहब के लिए।

मान्यवर, जिस अन्त्योदय की अभी बात कर रहे थे, मेरे माननीय मित्र, अन्त्योदय योजना चालू की गयी थी 2 अक्तूबर, 1977 से राजस्थान से और बाकी अन्य 5 उत्तरी राज्यों में 1978 से लागू की गयी थी। यह जनता पार्टी की देन है। योजना आयोग के मूल्यांकन संगठन का अध्ययन और निष्कर्ष को कोट कर रहा हूं। उनका कहना है कि इस अन्त्योदय की योजना से 60 से लेकर 88 प्रतिशत तक के गरीब लोगों को, निर्बल लोगों को अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ पहुंचा था। क्या आप अपनी किसी योजना के बारे में ऐसा दावा कर सकते हैं? आपने बस इसे खत्म कर दिया क्यों कि जनता पार्टी ने इसे चलाया था, अगर किसी पार्टी ने ऐसी योजना को चलाया था जिससे गरीबों को लाभ हो रहा था तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए थी। आपने मात्र राजनैतिक कारणों से अन्त्योदय की योजना को समाप्त कर दिया।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, मन्त्री जी को इधर बैठा दीजिए ताकि पीठ की ओर सम्बोधन हो सके।

(लाल बत्ती होने पर)

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, विभाग इसमें 3 हैं और माननीय मंत्री जी ने 55 मिनट लिये हैं। 3-3 विभाग हैं और अभी तो मैं एक भी पूरा नहीं कर पाया। क्षेत्रीय विकास की बात है, मैं केवल एक आकड़ा दूंगा क्षेत्रीय विकास के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिकरणों को पैसा दिया जाता है। मैं उसकी उपलब्धि बता रहा हूं। एक ही आंकड़ा दूंगा। इन्होंने 1984-85 में सिंचन क्षमता का लक्ष्य रखा था 5 हजार हेक्टेयर भूमि का इसमें उपलब्धि हुई उनको 1627 हेक्टेयर भूमि के सिंचन क्षमता के सृजन की। भूमि संरक्षण 1984-85 में 25 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य था और उपलब्धि हुई 11042 हेक्टेयर भूमि की, बनीकरण 10,000 हेक्टेयर भूमि का लक्ष्य था और उपलब्धि हुई 4066 हेक्टेयर की, चारागाह विकास के लिए 5,000 हेक्टेयर का लक्ष्य था और उपलब्धि हुई 1727 हेक्टेयर की। 1985-86 में फिर लक्ष्य रखे गये हैं, लेकिन जो 84-85 में लक्ष्य था, वह पूरा नहीं किया गया है और कुछ घटा बढ़ा कर वही 85-86 में दुहरा दिया है।

1984-85 में भूमि संरक्षण के लिये 25 हजार हेक्टेयर रखा था और अब आपने बढ़ाकर 30,000 हजार हेक्टेयर रखा है। बनीकरण का 10 हजार हेक्टेयर रखा था 1984-85 में और 85-86 में 10,000 हेक्टेयर भूमि का लक्ष्य पुनः रख दिया है। 84-85 में 5,000 हेक्टेयर भूमि में चारागाह विकास का लक्ष्य था और 85-86 में भी 5,000 हेक्टेयर भूमि में चारागाह का लक्ष्य रखा गया है। यह नहीं बताया है कि 84-85 में जितना लक्ष्य था, वह पूरा क्यों नहीं हुआ। यह नहीं बताया कि पूरा हुआ या नहीं। 1984-85 में सिंचन क्षमता का लक्ष्य 5,000 हेक्टेयर भूमि का रखा था, उसे पूरा नहीं किया गया और 1985-86 में उसी लक्ष्य को फिर दुहरा दिया गया है।

मान्यवर, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है और अभी एक घन्टे की चर्चा होगी, उस समय, समय लूंगा, वह समय आज नहीं लेना चाहता हूं। वैसे आर0 ई0 एस0 भ्रष्टाचार का पिरामिड बना हुआ है।

पंचायतीराज के बारे में कहना चाहता हूं, यह तीसरा विभाग है। यह मान्यवर, देश के लिये कोई नयी व्यवस्था नहीं है। इस प्रणाली में स्वायत्तशासी संस्थाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। मान्यवर, अभी तक जिला परिषद् के चुनाव नहीं हो पाये हैं। आप विकास की योजना में जनता की साझेदारी की बातें करते हैं। पंचायतीराज के पायों को कमजोर करके विकास नहीं किया जा सकता है। पंचायतीराज के बारे में बलवन्तराय मेहता रिपोर्ट 1955 को पढ़िये, अशोक मेहता की रिपोर्ट को पढ़िये तो आपको मालूम हो जायेगा, लेकिन आप उस रिपोर्ट को पढ़ना नहीं चाहते हैं। मान्यवर, अभी तक 1800 प्रधानों के स्थान रिक्त हैं, उनका चुनाव नहीं कराया जा रहा है, जिला परिषद के चुनाव नहीं कराये जा

रहे हैं। अगर आप ग्राम्य विकास करना चाहते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो जो स्वायत्तशासी संस्थायें हैं उनको आपको मजबूत करना पड़ेगा। हम ब्लाक स्तर पर बैठकर सारी नियोजन की प्रक्रिया करेंगे तभी आपकी प्लानिंग सफल हो सकती है, लखनऊ में बैठकर अगर आप आदेश भेज देंगे, तो उससे काम नहीं चलने वाला है। मान्यवर पंचायतों के पास कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं और आपने कह दिया कि पंचायतीराज कामयाब हो रहा है। पंचायतों को वैधानिक अधिकार देने की आवश्यकता है, उनके आर्थिक साधन जुटाने की आवश्यकता है।

आप पंचायत उद्योगों की बात करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने उनको कितना ऋण दिया और कितनी ग्राम पंचायतों को ऋण दिया और कितना रुपया व्यय हुआ। कितने उद्योगों की आपने स्थापना की, उनका कितना उत्पादन हुआ और कितने लोगों को रोजगार मिला, इन पर मा0 मन्त्री जी ने कोई प्रकाश नहीं डाला है। कितने उद्योग बन्द हो गये और कितने चल रहे हैं इन सारी चीजों का सर्वेक्षण करने के लिये आपके पास कोई मशीनरी नहीं है और जो पैसा आपने दिया है, वह चला गया, उसका कहीं पर पता नहीं है। मान्यवर, इनके विभाग के कर्मचारियों की सेवाओं में विसंगतियां हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अभी आपको समय और मिलेगा, तब कह लीजियेगा। अब आप समाप्त कीजिये।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, 5 मिनट का समय और दे दें, मैं समाप्त कर दूंगा। मैं मा0 मन्त्री जी को बता देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रादेशिक ग्राम्य विकास एवं समन्वय निदेशालय की घोषणा की है और कहा है कि वह उसकी तत्काल स्थापना करेंगे। मैं मा0 मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि 7 मई, 1985 को मा0 मन्त्री जी ने खण्ड विकास अधिकारी सेवा संघ के वार्षिक अधिवेशन में यह घोषणा की थी कि अगर मैं दिल्ली न गया होता तो जी0 ओ0 लेकर आता जी0 ओ0 कहां गया कहीं यह घोषणा भी उसी तरह की न रह जाये। मान्यवर।

मा0 मंत्री जी से एक और बात कहना चाहता हूं कि आपके यहां पर एडीशनल ए0 पी0 सी0 हैं, वह पार्ट टाइम हैं, उसको पूरे समय का होना चाहिये आज वह जवाहर भवन में बैठते हैं। डेढ़ दो घन्टे बैठते हैं और उस समय अगर कोई विधायक उनसे मिलना चाहे तो नहीं मिल सकता है। उसको 250 रुपया सचिवालय भत्ता दिया जाता है। समन्वय के लिए अलग से एडीशनल ए0 पी0 सी0 चाहिए। मान्यवर, यह विभाग 1952 से है और इसको 33 वर्ष हो गये हैं, लेकिन अभी तक इस विभाग के कर्मचारियों की सेवा नियमावली नहीं तैयार हुई है। उनकी सेवा नियमावली बननी चाहिये। आज 90 प्रतिशत ऐसे ग्राम्य विकास और खण्ड विकास अधिकारी हैं जिनके लिये प्रमोशन के कोई एवेन्यूज नहीं हैं। इसके अतिरिक्त एक और विसंगति है। 50 प्रतिशत आपके बी0 डी0 ओज0 ऐसे हैं जिनका वेतनक्रम 850—1720 रु0 है और 50 प्रतिशत ऐसे हैं जिनको आप 690—

1420 रुपये के वेतनक्रम में रखे हैं। एक ही काम, एक ही पद, एक ही क्वालिफिकेशन लेकिन वेतनक्रम अलग-अलग हैं। यह ऐनामली है। इसे सरकार को समाप्त करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत कर रहा हूं। बाकी जो सुझाव रह गये हैं उन्हें मैं सायंकाल अपने भाषण में रखूंगा।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया। सर्वप्रथम मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण बजट का हृदय से स्वागत करता हूं और उसका समर्थन करता हूं। साथ ही साथ जो माननीय सदस्य श्री कल्याण सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका तहे दिल से विरोध करता हूं। (व्यवधान)। क्योंकि उन्होंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है और उसमें जो उन्होंने उद्देश्य बताया था उसे न रखकर जो भाषण उन्होंने दिया वह ऐसा मालूम हुआ कि वे स्वतः सुखाय योजना के अन्तर्गत अपनी स्पीच दे रहे हैं। मान्यवर, जहां तक इस विभाग की बात है यह सही है कि ग्राम पंचायत, पंचायतराज और ग्राम्य विकास बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग हैं और भारत वर्ष विशेष रूप से इस उत्तर प्रदेश की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक कि ग्राम्य विकास न हो। इसलिये इस विभाग का महत्व और भी बढ़ जाता है। कटौती का प्रस्ताव रखते समय हमारे माननीय सदस्य जो कि एक बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि जब हम भविष्य की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं तो हमें कुछ अपने ऊपर भी सोचना चाहिए। बीच में एक सरकार आयी जिसका नाम लेकर मैं उसका महत्व नहीं बढ़ाना चाहता हूं और जिसके लिये माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको भी अनुभव है कि रोजगार की दृष्टि से एक खाद्यान्न योजना चलायी गयी थी। वह मेरी सरकार द्वारा लोगों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ खाद्यान्न था जिसे जनता सरकार इस्तेमाल नहीं कर सकी थी इसलिये वह योजना चलायी गयी। (व्यवधान)

मान्यवर, जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मैं बड़ी शान्ति से उनकी बात सुन रहा था। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य उसी शान्ति और धैर्य से मेरी बात भी सुनें। मान्यवर, उस खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जो सड़कें बनायी गईं, कच्ची सड़कें बनायी गईं, उनमें इतना भी ध्यान नहीं रखा गया कि कहां पर पुलिया बनेगी, कहां उस पर पानी की निकासी की बात होगी। मात्र खाद्यान्न की खपत करने के लिये सड़कें बनायी गईं। उनका नतीजा यह हुआ कि बरसात में वाटर लौगिंग हुआ और जिक-जैक सड़कें बन गईं। परिणाम यह हुआ कि पौने तीन साल में ही वह सरकार चली गई। उसके उपरान्त स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अक्टूबर 1980 में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को एक योजना का रूप दिया। इस तरह से छठी पंचवर्षीय योजना में यह योजना चलायी गयी। सन् 1980-85 में इस योजना में 100 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा तथा 100 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत हुये। उसके बाद भारत सरकार 165.88

करोड़ रुपये तथा उत्तर प्रदेश सरकार 142.15 करोड़ रुपये कुल 328.03 करोड़ रुपये इस योजना के तहत स्वीकृत किये जिसमें से 95 प्रतिशत से अधिक धनराशि उपयोग की गई।

मान्यवर, छठी योजना के तहत जो यह योजना चल रही थी इसमें एक किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से सस्ते दाम पर खाद्यान्न दिया जाता था और सातवीं योजना में इसे दो किलो सरकार करने जा रही है यह हमारी सरकार ने निश्चय किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के द्वारा ठेकेदारी प्रथा भी समाप्त हुई है और लोगों के रोजगार के साथ-साथ सड़कों का भी निर्माण हुआ है इसमें मजदूरी भी तय कर दी गयी है हमारे यहां 8 रु0 और बुन्देलखण्ड में 9 रु0 मजदूरी देने का प्राविधान किया गया है।

यह खुशी की बात है कि जो धनराशि इस योजना के अन्तर्गत छठी योजना में दी गयी उसका 50 प्रतिशत सड़कों के निर्माण पर, 20 प्रतिशत सामाजिक वानिकीकरण तथा शेष धनराशि पंचायत घर, ट्यूबवेल आदि के निर्माण कार्य के लिए व्यय हुई।

मैं माननीय सदस्य ने जो एक बात कही उससे सहमत हूं उन्होंने कहा कि रोटी के बजाय रोजी देना उचित है। मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं और हमारी सरकार भी इसी पर कटिबद्ध है और एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के तहत ब्लाक स्तर पर आप जाकर देखें रोजी देने का ही काम किया गया है, लोगों को रिक्शा चलाने के लिये रिक्शा दिया गया है, जो मुर्गी पालन का काम करते थे उनको मुर्गी दी गयी, जो सुअर पालन का काम करते थे उनको सुअर दिये गये, यानी सब्सिडी देकर उनको अपना रोजगार चलाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। आप ब्लाक स्तर पर देखेंगे कि रिक्शा चलाने वालों को उसका मालिक बनाया गया है, सिलाई की मशीनें तथा लाउड-स्पीकर दिये गये हैं, इसी तरह से जानवर खरीदने के लिए सब्सिडी दी गयी है। मोची का काम करने वाले को उसे और अच्छी तरह चलाने के लिए पैसा दिया जाता है तो यही हमारी सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को रोजी मिल सके।

हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है। सिद्धान्त रूप में आप भले ही कहते हों लेकिन यथार्थ में स्थिति इसके विपरीत है। आप दिल पर हाथ रखकर देखें आज खेतों में काम करने के लिए मजदूर उपलब्ध नहीं हैं, ढूंढ़ने पर भी नहीं मिलते हैं इसका कारण यह नहीं है कि लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। असलियत यह है कि जो बड़े खेतिहर थे उनकी खेती बिकती जा रही है और जो उनके खेतों में मजदूरी करते थे उनको खेती दी जा रही है, वे जमीन के मालिक बन रहे हैं जिसकी वजह से वह अपने ही खेतों में मशकूर रहते हैं।

श्री राम सरन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वे सारे मजदूर आजकल रिक्शा चला रहे हैं, शहरों में आकर मजदूरी करते हैं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

माननीय सदस्य ने जो बीच में कहा मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है वे लोग अपने

घर पर खेती का काम पहले करते हैं जिस समय खेती का काम होता है उस समय उनके खेत में भी काम होता है और उसके साथ-साथ वे मजदूरी करते हैं जिस तरह की मजदूरी वह चाहते हैं उस तरह की मजदूरी ग्रामीण क्षेत्र में उनको मिलती है। जो लोग जीवनभर रिक्शा चलाते थे और उसके मालिक नहीं बन पाते थे उनको सरकार ने रिक्शा मालिक बना दिया।

माननीय सदस्य ने कहा कि लोगों की क्रय करने की क्षमता घटी है। मैं कहना चाहता हूं कि क्रय क्षमता बढ़ी है आप जाकर देख लें किसी भी जिला मुख्यालय में या किसी बाजार में आप जाकर देख लें जहां पहले एक या दो कपड़े की दुकानें हुआ करती थीं और उनमें उतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी जितनी कि आज उसी जगह पर 20 दुकानें हो गयी हैं और उनमें भीड़ भी ज्यादा रहती है। मान्यवर,, जो लोग खुद पालकी उठाते थे आज उनकी बहू बेटी टैक्सी पर विदा होती हैं। इसलिये उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा है।

मान्यवर, जहां तक प्रजातंत्र और पंचायतराज की बात कही गयी है तो मैं मा0 सदस्य को बताना चाहता हूं कि जब उनकी पार्टी की सरकार, जनता सरकार थी, तो उस समय जिला परिषदों को उन्होंने भंग किया था जो कि चल रहीं थी लेकिन मान्यवर, हमारी सरकार की देन है कि प्रजातांत्रिक ढांचे की बुनियाद जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान, उनके चुनाव हमारी सरकार ने कराये, लेकिन जनता सरकार ने जिला परिषदों को भंग किया था तो आगे बढ़ने की यह क्या बात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, आपके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले मा0 सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह एक बुद्धजीवी व्यक्ति हैं जिसके नाते वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

*श्री मैनेजर सिंह—

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव श्याम सुन्दर (श्री कल्याण सिंह) द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं और श्री श्याम सूरत उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं। मान्यवर, जैसा मा0 मन्त्री का नाम धोखे का है लेकिन शक्ल तो सुन्दर है किन्तु असली श्याम सुन्दर यहां विरोध पक्ष में मौजूद हैं। इसलिये मा0 मन्त्री का जैसे नाम उनका धोखे का है, काम भी धोखे का है और यहां तक इनकी योजनायें भी धोखे की हैं जिसकी चर्चा मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में किया था। यदि इनकी योजनाओं को देखा जाये तो चाहे एकीकृत ग्राम्य विकास योजना हो, भूमिहीन ग्रामीण रोजगार योजना हो, यह सारी योजनायें अच्छी हैं लेकिन उनका लाभ क्या प्रदेश की जनता को मिल रहा है। मैं इस बात के लिये मा0 मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने स्वीकार किया है कि इनकी योजनायें असफल हो गयी हैं। गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिये जिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

योजनाओं का कार्यान्वयन हुआ उसका लाभ असली लोगों को नहीं मिला है और योजनायें ठीक से संचालित नहीं की गयी हैं, इसलिये लाभार्थियों की संख्या न्यूनतम रही है। इसलिये शासन ने उस भूल को सुधार करके यह प्राविधान इस वर्ष के बजट में किया है, जैसा मन्त्री जी ने अभी पहले स्वीकार किया कि 75 फीसदी धन जो इस वर्ष आबंटित हो रहा है वह पुराने उन लोगों को दिया जायेगा जो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ सके। इसलिये मैं मानता हूं कि मन्त्री जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि 75 फीसदी लोग जिनको लाभ पहुंचाने की योजना चलाई गयी वह लोग गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ सके, इसलिये 75 फीसदी योजना में धोखा हुआ जिसको उन्होंने स्वीकार किया।

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आप कोई कमेटी बनायें, सदन की कमेटी बनायें जो विभिन्न जिलों में जायें और वहां एक-दो गांव हर जिले में चुन लें और उनको देखें।

(3 बजकर 20 मिनट पर)

कितने लोग हैं जिनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए विभिन्न योजनाओं में सहायता दी गई है और क्या उससे उनमें आज कोई बदलाव आया है। सहायता ही वास्तविक रूप से नहीं दी गई है और दी भी गई है तो उससे उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। सदन की कोई समिति जाये तो 100 में से 99 लोगों के बारे में यह निष्कर्ष निकलेगा कि वह योजना असफल हो गई 99 लोगों में कोई बदलाव नहीं आया, कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि उनके सामने कठिनाई पैदा हो गई। जो ऋण दिए जाते हैं, उनमें काफी घपला है, उसके बाद के सारे ऋण को कृषि विभाग वाले, पशुपालन विभाग वाले और बैंक वाले लूटमार कर खाये जा रहे हैं। बैंकों द्वारा दिये गये ऋण में सरकार की ओर से जो छूट दिलाई जाती है, वह छूट की रकम तो निश्चित रूप से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की जेब में चली जाती है। मैं हरदेव जी को कहना चाहता हूं कि उनके गांव में जितने लोगों को यह सहायता दी गई है, जितने लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गये उनके बारे में वह बतावें ? आपके भाई आज भी हरिजन मोहल्ले में वैसे के वैसे ही हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। हरदेव जी अपने गांव के हरिजन लोगों का वर्णन करें कि उसमें से कितने उनके भाई गरीबी रेखा के ऊपर उठ गये हैं। क्या आज भी वह गरीबी से दबे हुए नहीं हैं। क्या आज भी वह ऋण में दबे हुए नहीं हैं, क्या वह सामन्ती जुल्म के शिकार आज भी नहीं हो रहे हैं ?

श्री हरदेव—

उसमें आप भी तो शामिल रहे हैं।

एक सदस्य—

इनके यही खूब फर्जी सुअरों की खरीदारी हुई है।

श्री हरदेव—

इसके लिए उनको सजा तो दे दी गई है।

श्री मैनेजर सिंह—

अभी हमारे माननीय सदस्य गोंडा, उपाध्याय जी ने कहा कि गांवों में मजदूर

नहीं मिल रहे हैं। तो मजदूर आपको नहीं मिलेंगे, जब तक उनको पूरी मजदूरी नहीं मिलेगी और आपका सामन्ती रवैय्या बन्द नहीं होगा। भले ही वह रिक्शा चलाकर और शहरों में फुटपाथ पर सोकर अपना जीवन काट लें। हरदेव भाई की भी वाहवाही अब नहीं करेंगे। हमारे उपाध्याय जी ने कहा जो गोंडा के सदस्य हैं कि यहां पर बहुत तस्करी होती है नेपाल से। गल्ला चाहे जितना पैदा हो जाए, वह सारा गोंडा के रास्ते नेपाल पहुंच जाता है। यह चीज उपाध्याय जी को खुद मालूम है और वह इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि जो हमारी कांग्रेस सरकार ने पहले गल्ला जमा किया था, उसका जनता सरकार ने दुरुपयोग किया था। उनको मालूम होना चाहिए कि जनता सरकार के बाद जब पुनः इन्दिरा गांधी सत्ता में लौटी थीं तो उन्होंने कहा था कि दो योजनाएं जनता सरकार की अच्छी हैं, उन्हें हम अस्वीकार नहीं करेंगे। यह हैं खाद्यान्न योजना और अन्त्योदय योजना। उनका यह वक्तव्य था और उन दो योजनाओं का नाम बदलकर भारत सरकार ने दूसरा रख दिया था। उसमें मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि जो दो माँ का प्रतिबन्ध था, उन्हीं को यह लाभ दिया जाएगा, वह प्रतिबन्ध अब हटाया जा रहा है। यह आप ऐसा काम कर रहे हैं, एक बड़े जलाशय में आप एक छिद्र छोड़ रहे हैं, जिससे जलाशय का पानी सारा निकल जाए और पक्षी बिना पानी के मर जाएं। यह योजना चली, युवा कांग्रेस के नेताओं को क्या पता है कि अन्त्योदय क्या होता है, 'अन्त्योदय' शब्द का क्या अर्थ है। यह शब्द पूज्य महात्मा गांधी की देन है। उन्होंने ही इसका इस्तेमाल सामाजिक व राजनैतिक कार्य क्षेत्र में किया था और इस शब्द को जनता राज्य ने पकड़ा था। अन्त्योदय योजना में जो गांव के सबसे गरीब और दबे हुए लोग थे, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनका जीवन सुधारने के लिए यह योजना शुरू हुई थी।

मान्यवर, मैं पंचायती राज के बारे में सुझाव देना चाहता हूं। यह सौभाग्यशाली प्रदेश था पूरे देश में जहां ग्राम सभाओं की स्थापना पहले हुयी। लेकिन अब इस प्रदेश से पंचायती राज का नामोनिशान मिट गया है। मुझे पंचायती राज संस्थाओं में काम करने का अवसर मिला है और स्व0 डा0 जय प्रकाश नारायण और बलवंत राय भाई मेहता जैसे लोगों के सानिध्य में बैठकर मुझे चिंतन और मनन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन आज पंचायती राज संस्थाएं मिट रही हैं। पहले जिला परिषद् का बहुत बड़ा संगठन अंग्रेजी राज के जमाने से था। इसमें कई विभाग थे। अब ग्रामीण अभियन्त्रण अलग खोला गया है यह एक कूयल स्टेट बन गयी है, कुछ अधिकारियों की अय्याशी के लिये और खाने पीने के लिये। आप जिला परिषद् के इंजीनियर्स और जूनियर इंजीनियर्स की संख्या बढ़ा करके इन कामों को करा सकते थे। यह आर0 ई0 एस0 की कंपनी खोलने की क्या आवश्यकता थी। मैं चाहूंगा कि आर0 ई0 एस0 के संगठन को समाप्त करें और जिला परिषद् के माध्यम से सारे कामों को करवायें।

मान्यवर, जो लगान का पैसा वह ग्राम सभाओं को दिया जाय। यह नहीं कि 2 लाख, 3 लाख रुपया ब्लाकों को दे दें। आप साफ आदेश कर दें, लगान का पूरा पैसा ग्राम सभाओं को ट्रांसफर कर दें जिससे वह स्वावलम्बी होकर अपनी योजना बनायें और अपने संसाधन इकट्ठा करें और अपनी स्थिति मजबूत करें। क्षेत्र

समितियों और जिला परिषदों के जो चुनाव हैं उनको भी आप कराइये।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपने कहा कि हम आडिट सेल बना रहे हैं। अभी फिरोजाबाद के बारे में बताया गया कि वहां 200 लोगों ने ग्रामीण रोजगार योजना में फर्जी नामों से ऋण ले लिये। कुटुम्ब रजिस्टर में उनके नाम नहीं थे। वर्मा जी ने शिकायत की तो एस0 डी0 एम0 ने जांच की और कहा कि नाम नहीं हैं। सारे ऋणों का वितरण फर्जी ढंग से किया गया है। तो फर्जी ऋण वितरण करने वालों को आपने दंडित नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं, जैसा कल्यान सिंह ने कहा सारा जनतंत्र अफसरों की मर्जी पर चल रहा है कोई नियम और कानून नहीं है। एक भी बेईमान अधिकारी को आप सजा नहीं दिलवा पायेंगे क्योंकि उनको संरक्षण देने वाला आई0 ए0 एस0 अधिकारी बैठा है। प्रदेश के 90 परसेंट आई0 ए0 एस0 अधिकारी बेईमान हैं और वह राजनीति कर रहे हैं। उनको खुला संरक्षण इस शासन में मिला हुआ है इसलिये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इस विभाग को कृपा करके अपने अनुसार ढालिये और भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कारगर कदम उठायें, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट का मैं समर्थन करता हूं और अपने अनुभवी मित्र माननीय कल्यान सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध भी करता हूं। जब माननीय कल्यान सिंह अपने कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहे थे, उस समय उन्होंने कुछ ऐसी विरोधाभास की बातें कही, जिससे उनके पहले वाक्य पर ही मन होता था कि उनको बधाई दूं। लेकिन उसी के साथ उस बात को वह घुमा देते रहे, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में बीस सूत्री कार्यक्रमों की प्रशंसा की, माननीया श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रस्तुत इस बीस सूत्री कार्यक्रमों की जहां प्रशंसा की, वहीं पर यह भी स्वीकार किया कि उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ा है। यह कहने के बाद कि उत्पादन बढ़ा, उन्होंने यह भी कहा कि क्रयशक्ति घटी। मान्यवर, नीति और नियोजन की एक ओर निन्दा और दूसरी ओर प्रशंसा, परोक्ष रूप से की, आप उठा कर पूरे भाषण को देख लें, पूरे भाषण में इस तरह की विरोधाभास की बातें लगातार माननीय सदस्य ने अपने कटौती के प्रस्ताव में रखा। उन्होंने आई0 आर0 डी0 की बात जब रखा, तो कहा कि बड़ी प्रभावशाली योजना है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि योजना के बारे में उनका मतभेद नहीं है। हां, उस पक्ष में बैठने के कारण मजबूरी है। एक अभ्यास हो गया है कि विरोध के लिए विरोध उन्हें करना है।

(व्यवधान)

मान्यवर, हम लोगों ने शांति के साथ सुना है, विरोधी पक्ष को भी शांतिपूर्वक सुनना चाहिए।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, कल्यान सिंह जो कह रहे थे, वह उनकी मजबूरी है, ये जो कह रहे हैं, यह इनकी मजबूरी है।

(व्यवधान)

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

"नरपति हितकर्ता, द्वेषताम्‌ याति लोके । जनपद हित कर्त्ता, त्यज्यते पार्थिवेन्द्र । इति महति विरोध, वर्तमाने समाने । नृपति जनपदानाम दुर्लभः कार्यकर्त्ता ।"

शासन का और जनता का दोनों के हितों का चिन्तन यह हमारी मजबूरी है । हमारी मजबूरियां हैं कि हम जनता के हितों का चिन्तन करें । हमारी मजबूरी है कि हम शासन के हितों का भी चिन्तन करें । सिर्फ विरोध के लिए विरोध, सिर्फ समर्थन के लिए समर्थन करना मैं समझता हूं कि इस सदन की गरिमा के अनुरूप शायद नहीं है । माननीय सदस्य ने बहुत से तथ्य रखे, मुझे ऐसा लगा कि जैसे इस सदन में विचार देने की अपेक्षा कहीं भाषण दे रहे हैं और उनकी वह लफ्फाजी बातें जो थीं, बहुत सी बातें तो समझ में भी नहीं आ रही थीं कि उनकी मंशा क्या है । एक तरफ तो कहा गया कि गांव का विकास नहीं हुआ, मैं मन की बात कह रहा हूं, मेरे मन में नक्शा खिंच गया कि 45-46 साल पहले गांव में पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था, कोई सवारी नहीं थी ।

(कई सदस्यों के खड़े होने से व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग कृपा करके बैठ जायं ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

गांव का विकास सन् 1948, 50, 60, 70 और 80 के बाद आज 85 में कितना अन्तर है । क्या यह सब कांग्रेस की देन या श्रीमती इंदिरा गांधी की देन नहीं है ? आज इसके कार्यान्वयन के लिए हमारे नवजवान प्रधान मंत्री राजीव गांधी स्वयं जागरूक हैं कि इन योजनाओं का प्रतिफल गांव के उन निरीह लोगों को मिल रहा है या नहीं । इसकी लोग प्रशंसा भी करते हैं । एक प्रधान मंत्री इसके कार्यान्वयन के लिए गांव-गांव देखने के लिए स्वयं जा रहा है, जहां पर आज प्रदेश स्तर का नेता भी नहीं पहुंचा होगा । हमें गर्व है मान्यवर, यह मैं अपेक्षा करता हूं कि और मुझे विश्वास भी है कि इस सदन का कोई भी सदस्य 70, 74 के गांव की तुलना यदि आज करें, तो आज एक अन्तर पावेगा ।

बार-बार विरोध पक्ष से यह कहा जाता रहा है एक चौथायी भाग गांव पर खर्च हो रहा है । मान्यवर, मैं नहीं समझ पाता शायद मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि सिंचाई की सुविधाओं पर या सिंचाई पर जो बजट है वह क्या शहरों पर खर्च होता है । मैं कहता हूं कि यह बजट ग्रामोन्मुख है । ग्रामों की भलाई, छोटे लोगों की भलाई के लिए इस बजट में लक्ष्य रखे गये हैं । छोटे लोगों को उठाने की बात आई है, तो छोटे लोगों को उठाने के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, आई0 आर0 डी0 की योजना, एन0 आर0 ई0 पी0 आदि कई योजनाएं हैं । जहां तक क्रियान्वयन की बात है उसमें मैं समझता हूं कि ऐसा मंत्री विभाग को मिला है जिसके मन में रुचि है । मान्यवर, अगर आर0 ई0 एस0 विभाग की शिकायतें कुछ लोगों ने उनसे की, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो खामियां हैं उनको दूर करके रहूंगा । कमियां और खामियां जो होती हैं वह हर जगह हो सकती हैं । जहां तक नियोजन की बात है, कल्याण सिंह जी भी सहमत होंगे नियोजन की दिशा सही है हर खेत को पानी देने का

इरादा इस बजट में है। मान्यवर, अभी मैं उन बातों पर कह रहा था जिन बातों की तरफ माननीय कल्यान सिंह जी ने इशारा किया था।

मान्यवर, कुछ सुझाव देना चाहता हूं। लगातार पिछले दशक से सोच रहा हूं ग्राम्य विकास के लिए प्रशासनिक परिवर्तन हो। उसमें कुछ मौलिक परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, कभी भी यह नहीं होता है कि दो ब्लाकों में एक बी0 डी0 ओ0 रहा हो, दो जिलों में एक कलेक्टर रहा हो, दो प्रदेशों में एक मुख्यमंत्री हो, लेकिन हमने शायद सोचा नहीं, उस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। सन् 1975 में तत्कालीन ए0 पी0 सी0 श्री कृष्ण नारायण श्रीवास्तव थे, तो मैंने अपने विचार दिये थे। अब मैं उन्हें फिर दोहराना चाहता हूं। एक गांव में एक अधिकारी होना आवश्यक है। वही ग्राम सेवक का कार्य करे, वही पंचायत सेवक का कार्य करे, वही लेखपाल का काम करे। इसी तरह से न्याय पंचायत के स्तर पर एक बात कह रहा हूं मैं दोष नहीं दे रहा हूं। न्याय पंचायत अधिकारी जो बनाया जाये, कोआर्डीनेशन का काम करे ब्लाक और पंचायत के बीच।

मान्यवर, जो ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारी हैं उनको तहसील या पंचायत में किसी न किसी बहाने से बुलाया जाता है। तो इसमें नयी तरह से सोचने की आवश्यकता है। समय की कमी है, जो विचार-बिन्दु मैं दे रहा हूं उस पर माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी विशेष रूप से गौर करेंगे। एक एडीशनल बी0 एल 0डब्लू0, एक अतिरिक्त ए0 डी0 ओ0 (ए0 पी0) की मांग की जा रही है, ठीक नहीं है इसमें नये स्तर से सोचना है कि गांव की तरक्की के लिए किस तरह से पुनर्गठन करें प्रशासन का जिससे गांव का विकास पूरी तरह से हो सके।

पूरे विचार शायद मैं स्पष्ट रूप से नहीं रख सका समय कम दिया है आपने, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने एक अच्छा बजट दिया है और अपेक्षा करता हूं कि जो क्रियान्वयन में कहीं-कहीं गड़बड़ियां हैं इन पर ध्यान दिया जाये। साथ ही अनुरोध करूंगा माननीय कल्यान सिंह जी से कि वह कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और नये परिप्रेक्ष्य में सोचने का वह प्रयास करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं कल्यान सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सरकार की पूरी नीति और इनकी गांव के प्रति कितनी आस्था है, एक उदाहरण से जाहिर हो सकती है। गांव की जो जमीन सरकार एक्वायर करती है, उसको ग्रेडिंग करके ए0, बी0, सी0 श्रेणी में लेती है लेकिन जब वह जमीन सरकार के पास आ जाती है, तो फिर रेट में यूनीफार्मिटी आ जाती है। फिर कोई अंतर नहीं रहता है। गांव के लोगों के प्रति इनकी आस्था किस कदर है। नोयडा में 4, 6, 8 रुपये गज के हिसाब से जमीन सरकार ने लिया। मान्यवर, मुरादनगर में गांव सरना की जमीन एक लाख 11 हजार बीघे ली गई और उसी से मिला हुआ गांव खुर्मपुर की जमीन साढ़े 37 और साढ़े 14 हजार बीघे ली गई है। मान्यवर, नोयडा में 6, 4, 8 रुपये जो जमीन ली गई उसी जमीन को 540 रुपये मीटर बेचा जा रहा है। वहां 37 गांवों की जमीन ली गई। 24 मार्च, 1985 को माननीय

नारायण दत्त तिवारी जी ने ग्रेटर नोयडा की घोषणा की। सिकन्दराबाद तक जाने में 100 गांव की भूमि ली जायेगी।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

ग्राम्य विकास का बजट है।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

गांव के विनाश की बात कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

हर सदस्य को बोलने की स्वतंत्रता है।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

जिन 37 गांवों की जमीन ली गई है। उनके लिये यह तय था कि गांव के रहने वाले लोगों को चतुर्थ श्रेणी की नौकरी में रखा जायेगा लेकिन 37 गांवों में से 124 लोगों को नौकरी दी गई। यह भी तय था कि शिक्षा में प्राथमिकता दी जायेगी। जो स्कूल इम्पोर्ट किये गये, देहली पब्लिक स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल और अजीत प्रसाद जैन स्कूल, इनको एक रुपये मीटर जमीन दी गई लेकिन एक भी बच्चे को दाखिला उन स्कूलों में नहीं दिया गया जबकि 30 प्रतिशत बच्चों के लिए तय था। यह भी तय था कि कामर्शियल एवं रेजीडेन्शियल प्लाट उनको प्राथमिकता पर दिये जायेंगे और उनकी जमीन के हिसाब से दिये जायेंगे। लेकिन उनको कुछ भी नहीं दिया गया। जबकि यह निर्णय 19वीं बैठक में हुआ था। उन लोगों को प्लाट नहीं दिये गये। मान्यवर, उनके भविष्य को खरीद लिया गया वह मजबूर हो गये मजदूरी के लिये लेकिन मजदूरी भी नहीं मिली। आज स्थिति यह है कि वहां पर जो आदमी मिट्टी खोदने जाता है उन्हें चोरी के मुकदमे में जेल भेज दिया जाता है। यह ग्राम का विकास हो रहा है इस सरकार के द्वारा।

नकद पैसा दिया जाता है नोएडा के लिए सारा पैसा दे दिया गया, सारा पैसा खर्च हो गया। आज वह लोग भीख मांगने की स्थिति में हैं। यह मैं 37 गांवों की कहानी बता रहा हूं। मान्यवर, अगर यही स्थिति रही तो सैकड़ों गांवों की यही दशा होगी और आप सब लोगों को वह दुख दर्द भोगना पड़ेगा जो आज हम भोग रहे हैं। हमारा कोई भविष्य नहीं है, कोई सुरक्षा की गारन्टी नहीं है। गांव के प्रति जागने की बात आप बता चुके हैं। जमीन मिलती नहीं है। नोएडा उपनिवेश में सरकारी नौकर दिल्ली से डेपुटेशन पर आते हैं। यहां का कोई नहीं है। वहां गांव टूट रहे हैं। रास्ता नहीं है। डी0 आर0 डी0 ए0 वाले कहते हैं कि हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। उनकी जिन्दगी निश्चित रूप से नर्क की जिन्दगी है। फिर कहते हैं कि गांव का विकास हो रहा है। यह बहुत शर्म की बात है।

श्री महरम सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से माननीय ग्राम्य विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय कल्यान सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। वैसे तो विरोध का ज्यादा इरादा नहीं था लेकिन हर बार वह कटौती ही करते हैं। एक-दो बार कटौती करते, तो विरोध न करता लेकिन वह तो हर प्रस्ताव में कटौती करते हैं इसलिए विरोध करना पड़ा। मान्यवर, माननीय ग्राम्य विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत यह ग्राम्य विकास का बजट सबसे अच्छा है और कटौती के प्रस्ताव में माननीय

कल्याण सिंह जी ने इस बात का कत्तई जिक्र नहीं किया कि उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा कितनी बढ़ी है, रहन-सहन का स्टेटस कितना बढ़ा है। गांव में कितनी पक्की सड़कें बनी हैं, कितने पक्के मकान बने हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोगों को नौकरी मिली है, इसके कोई आंकड़े उन्होंने अपने कटौती के प्रस्ताव में पेश नहीं किये। मान्यवर, कहने और करने में जमीन और आसमान का अन्तर होता है। किसी चीज को कहना आसान होता है लेकिन करने में जितना अन्तर होता है उतना ही अन्तर माननीय कल्यान जी की बात में और हमारे बजट में है। यह सही है कि जितनी आबादी होगी संसाधन उतनी आसानी से नहीं जुटाये जा सकते।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत सी चीजों के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। एक तो मेरा सुझाव यह है कि जिला परिषदों की परामर्शदात्री समिति बनाने के लिए बहुत पहले जी0 ओ0 निकलने को था लेकिन वह आज तक एक वर्ष में क्यों नहीं बन पाया इसलिए मेरी जोरदार मांग है कि माननीय मंत्री जी तुरन्त इस आदेश को जारी करें और जन-प्रतिनिधियों को उसमें बैठकर जिला परिषद् के द्वारा हो रहे विकास कार्यों में प्रतिनिधित्व का अवसर मिलना चाहिये। दूसरा सुझाव यह है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सालयों का बड़ा विकास हुआ है। जिला परिषद् के द्वारा संचालित आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सालय चलाये जा रहे हैं, वह बड़े गैर-जिम्मेदाराना ढंग के मालूम होते हैं और उनका कोई लाभ नहीं है। इसलिये माननीय मंत्री जी से सुझाव है कि जिला परिषद् में जितने चिकित्सालय आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चलाये जा रहे हैं ये या तो उनका स्टेटस बढ़ा कर ऊंचा कर दीजिये जिस प्रकार का राजकीय चिकित्सालय का होता है और यदि नहीं कर पाते हैं तो उसको खत्म कर दीजिये ताकि वहां पर स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सालय की स्थापना हो सके।

तीसरा सुझाव यह है कि ग्राम्य गारन्टी रोजगार योजना के अन्तर्गत जन-प्रतिनिधियों को भी भागीदार बनाया जाय, न कि बी0 डी0 ओ0 और ए0 डी0 एम0 स्तर पर ही सारी सरकारी मशीनरी चयन कर लें। आपके माध्यम से मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि ग्राम सभाओं का डिलिमिटेशन होना चाहिये। यह डिलिमिटेशन 2-3-4 साल के अन्दर समय-समय पर होता रहना चाहिये और अगर कोई अड़चन हो तो दूर की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री बाबू राम यादव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कल्यान सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं आभारी हूं कि आपने उसे समर्थन देने के लिये मुझे समय दिया।

श्री अधिष्ठाता—

आप सबसे अनुरोध है कि आप 5-5 मिनट बोलें।

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, यह ग्राम्य विकास विभाग, जिसके बारे में विकास की बात कही गयी है, माननीय मंत्री जी की बात को मैंने सुना है। जिस विभाग के विकास की बात कही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जा रही है, उसका आज तक निदेशालय ही स्थापित नहीं हो सका है। सदन में इसके बारे में दो बार पहले घोषणा हुई और आज तीसरी बार फिर हुई है। जिस विभाग का कोई कार्यालय नहीं, वह विभाग कैसे चल सकता है। इस विभाग को विधवा विभाग कहा जाय तो अच्छा है, जिसका कोई मालिक नहीं। जिसका कोई मालिक नहीं होता उसकी क्या हालत होती है, आप जानते हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, जिस ग्राम्य विकास की बात कही जाती है, गांव की ओर आप देखें तो रोना आता है। अगर बरसात के मौसम में गांव की कचरा भरी गलियों से कोई माननीय सदस्य निकल जाय तो मैं पारितोषिक देने के लिये तैयार हूं। जहां तक बजट की तारीफ करने वाले सामने वाले माननीय सदस्यों का प्रश्न है उन्हें सत्यता से कोई मतलब नहीं है। उनको केवल हुक्म का पालन करना है।

श्री हरदेव—

कभी-कभी आपके पेट में बदहजमी हो जाती है।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, माननीय हरदेव जी बार-बार बोला करते हैं। हर माननीय सदस्य के भाषण में अपनी बात जरूर कहते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

हरदेव जी के लिये आप सबकी संस्तुति है। वह सूत्र में बोलते हैं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, क्या नूर मंजिल के लिये संस्तुति है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कृपया अपनी बात जारी रखें।

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, जहां तक ग्रामों की दुर्दशा का सवाल है, मैं आपको बता रहा हूं बरसात के मौसम में किसी गांव की गली से गुजरा नहीं जा सकता है, हर जगह कीचड़ भर जाता है। गांवों तक पहुंच मार्गों की समुचित व्यवस्था नहीं है। न वहां रोशनी की व्यवस्था है, न सफाई की व्यवस्था है, न दवाई की व्यवस्था है। 50 फीसदी लोग ऐसे हैं, जिनके लिये ठीक तरह से भोजन की व्यवस्था नहीं है। मंत्री जी कह रहे थे कि हम गांव का विकास कर रहे हैं यह कितना उपहास है गांव के लोगों का। जिस गांव के बल पर सारे हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, उस गांव की अनदेखी की जा रही है, जिसे देखकर हमारा सिर लज्जा से झुक जाता है।

मान्यवर, देश को आजाद हुए 37 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक गांव का मेहतर मनुष्य की टट्टी सिर पर रखकर ले जाता है। उसका कोई विकास नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे सच्चाई पर जायें, वास्तविकता पर जायें और विचार करें कि गांव उजड़ रहे हैं, शहर बस रहे हैं। गांवों का विकास हुआ होता तो निश्चित रूप से शहर के लोग गांव में जाते। लेकिन, आज स्थिति विपरीत है गांव के लोग शहरों में बसने के लिये आ रहे हैं।

मान्यवर, आप देखें कि कुछ बड़े पूंजीपतियों ने किस कदर अपनी संपत्ति में इजाफा कर लिया है। 1978 से 1983 के मध्य में बिड़ला के पास जहां

1171.15 करोड़ की पूंजी थी, बढ़कर वह 2830.94 करोड़ हो गयी है। टाटा के पास 1102.11 करोड़ की पूंजी थी, बढ़कर वह 2692.40 करोड़ की हो गयी है। जबकि गांव की आर्थिक स्थिति देखों तो निरंतर घटती चली जा रही है। गांवों के विकास के नाम पर लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। इस प्रकार धोखा दिया जा रहा है कि अब स्थिति यह है कि खद्दर पहनने वाले बदनाम हो गये हैं। एक वक्त था, जब आंदोलन चल रहा था, आजादी के लिये, एक बहुत बड़े परिवार की महिला ने एक खद्दरधारी व्यक्ति को कुछ गहने दिये और कहा कि इसे घर पर पहुंचा देना। उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे जानती नहीं कैसे यह गहने दे रही हैं। उस महिला ने कहा कि आप खद्दर पहने हुए हैं इसलिये मुझे आपकी नीयत पर भरोसा है। आज मान्यवर, धोखाधड़ी का काम इतना बढ़ गया है, कि खद्दरधारी व्यक्ति बदनाम हो गये हैं। लोग लुटेरे, बेईमान कह कर पुकारते हैं।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्री बाबूराम यादव—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के अधीनस्थ ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग है, इस विभाग के लिए एक तरफ धनराशि आवंटित की जाती है, ग्रामीण अभियंत्रण की सड़क बन गयी। उसकी मरम्मत के लिए कोई धन आवंटित नहीं किया गया। उसका रिजल्ट यह होता है कि वह सड़क 3-4 साल में बरबाद हो जाती है। अगर इस ग्रामीण अभियन्त्रण को धन आवंटित नहीं करते तो इसको समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि जो भी काम गांवों में होता है इसी के द्वारा होता है और वह दो-चार साल में बरबाद हो जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठिये।

(व्यवधान)

*कुमारी कृष्णा रावत—

माननीय अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से मैं अपने प्रान्त की सरकार को और संबंधित विभाग के मंत्री को हार्दिक धन्यवाद देती हूं और इस प्रान्त की जनता को जो बहुत खुशी-खुशी उनको सुनने के लिए तैयार रहती है, कार्यों को देखा है, अपनाया है, लाभ भी उठाया है, मैं बताना चाहती हूं हमारे जो विपक्षी भाई लोग हैं, सदस्य महोदय हैं, उनका एक ही कार्य रह गया है और वह है केवल कटौती करना। हमारी सरकार नम्बर एक पर कार्य करती है और अपने प्रान्त के हर ब्लाक में, हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर घर में उन योजनाओं को लागू करती है। ये जनता के बीच में जायेंगे और कहेंगे कि यह कर लाया हूं लेकिन यहां कटौती का प्रस्ताव करेंगे।

(व्यवधान)

इसमें दो राय नहीं कि यह जनता के हितैषी नहीं हैं। क्या आप मानेंगे कि हमारे मंत्री जी पंचायत राज कितना अच्छा आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन इनके पास न तो गांव की महिलाओं के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए कार्यक्रम हैं न बच्चों के लिए कार्यक्रम हैं न उस क्षेत्र के किसी गांव के लिये कार्यक्रम हैं, केवल कटौती रह गया है। मैं सुझाव देना चाहती हूं, मंत्री जी के माध्यम से, अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से, कटौती की आदत छोड़ कर अपने क्षेत्र की, प्रान्त के लोगों के विकास कार्यों में हम लोगों को सहयोग दें ताकि हम उस कार्य को आगे बढ़ा सकें। इन शब्दों के साथ मैं यह भी बताना चाहती हूं कि मैं गांव की विधायक हूं और गांव के लोगों के बारे में मुझे पूर्ण जानकारी है। मैं बताना चाहती हूं कि 10 साल पहले की बात आप बता सकेंगे–उसके पहले कितनी सड़कें थीं ? लखनऊ कानपुर के लिए हाई वे रोड थी लेकिन हरौनी के लिए नहीं थी। हरदोई रोड . . . .

(व्यवधान)

कितनी सड़कें, पुलिया, ब्रिज बने, किसने बनवाये हैं ? मैं बताना चाहती हूं

(व्यवधान)

हां, एक महिला की बात, विश्व में कोई ऐसी महिला हुई है, यह सारा काम इंदिरा गांधी ने किया है, वह बहादुर प्रधान मंत्री थीं, उसके विकास में आप बराबर शरीक हुए हैं, उसके मकानों में रह रहे हैं लेकिन उस महिला ने अपनी जान न्योछावर कर दी और आप कहते हैं विकास नहीं हुआ . . .

(व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह यहीं के मुख्य मंत्री थे, तो ग्राम सेवकों के खिलाफ यहां प्रदर्शन हुआ था और कितनी महिलायें विलख रही थीं, मैं भी उनमें से एक हूं। हमारे युवा प्रधान मंत्री राजीव गांधी . . .

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है . . . .

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने से व्यवधान)

कुमारी कृष्णा रावत—

एक ट्राइसेम योजना, रोजगार, ग्रामीण, एन0 आई0 पी0 योजना, ये जो योजनायें हैं। इन योजनाओं के माध्यम से विकास हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

श्री राजकिशोर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

इस बजट के अन्तर्गत जो मंत्री महोदय ने भाषण दिया है, उसमें कोई दम नहीं है क्योंकि ग्राम्य विकास के लिये जितनी योजनायें अभी तक चलायी गयी हैं और चल रही हैं और जिसमें इतना धन खर्च किया जा रहा है, उसको देखते हुए विकास नाम मात्र का है। इन दोनों अनुदानों में इन्होंने क्रमशः 2,06,17,52,000 रु0 और 24,55,67,000 रु0 मांग की है, लेकिन जो गांवों में काम हो रहा है उसको देखते हुए लगता है कि यह जो लगभग 3 अरब रुपये का बजट है, उसका आधे से अधिक केवल अधिकारियों, कर्मचारियों और मन्त्रियों के पेट में चला जायेगा, बाकी नाम मात्र का काम होगा। आर0 ई0 एस0 ने जो पंचायत भवन बनाये हैं या कोआपरे-

टिव ने जो भवन बनाये हैं या जो कोई निर्माण कार्य किया है, स्कूल बनाये हैं, उनको बनाने के बाद ही जब बरसात आ जाती है तो सारे कमरे चूने लग जाते हैं और चू रहे हैं, आप जाकर देख आइए। इन्हीं की योजना के अन्तर्गत जन-जातियों के लिये निर्माण किया गया। उनको पता नहीं कैसे जानकारी हुई कि निर्माण कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वे उसमें नहीं रहेंगे। लोगों ने कहा कि सरकार ने मकान बनाकर तैयार किये हैं, क्यों नहीं रह रहे हैं ? लेकिन जब बरसात आई सब मकान ध्वस्त हो गये। लोगों ने कहा कि ये तो बहुत जानकार थे, अगर इसमें रहे होते तो जनजातियों के परिवार वाले सब मर गये होते। दो-दो हजार रु0 दे रहे हैं, इसमें कहीं मकान बनता है ? ब्लाक प्रमुख, जो भ्रष्ट हो गये हैं, वे यह मकान बनवा रहे हैं।

माननीय सदस्य कह रहे थे कि बड़ी सड़कें बनवा रहे हैं और विकास हो गया है। मुझे याद है कांग्रेस के मिनिस्टर साहब थे, कहते थे, बहुत तरक्की कर दी है, औरतें जार्जेट की साड़ी पहन रही हैं, गांव की महिला रसगुल्ला छाप साड़ी पहन रही हैं। एक जमाना था जब आप नंगे चलते थे, फिर कपड़े पहनने लगे, पहले पैदल चलते थे, फिर बैलगाड़ी पर चलने लगे, इसके बाद अंग्रेजों ने रेलें चला दीं इत्यादि-इत्यादि यही कहते चले जाइए। देखना यह है कि बुनियादी तरीके से गांव की जनता का विकास कितना हुआ। आई0 आर0 डी0 से कर्जा बांटते चले जा रहे हैं और गांव का किसान भी कर्जा लेता चला जा रहा है, लेकिन वह कर्जा चुकायेगा कैसे ? यह तो वही बात हुई कि, "ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत्"। ऋण लेने से किसी भी देश का उत्थान हुआ है ? आप विकास के लिये जितना ऋण दे रहे हैं, गांव के अन्दर बैंक वाले उसका 1/3 खा रहे हैं और जो अथोराइज्ड डीलर है वह रद्दी सामान देकर आधा पैसा खा रहा है। ऐसी मैंने बनारस जिले में सैकड़ों शिकायतें डी0 एम0 को लिखकर दी हैं कि सारा रुपया डीलर और बैंक के लोग खा रहे हैं। मेरे पास बहुत सी शिकायतें आयी हैं उन्हें मैं पंचायती राज मंत्री जी को भेजूंगा, उसमें कहा गया है कि हमने ऋण लेने के लिए बैंक में दरखास्तें दीं परन्तु उन्होंने हमको ऋण दिया ही नहीं। तो ग्राम्य विकास के लिये जो सेवायें प्रदान की जा रही हैं उससे लोग लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। इसी तरह से ग्राम्य विकास के अन्तर्गत जो सड़कें बनायी जा रही हैं उसमें तीसरे दर्जे का ईंटा लगाया जा रहा है। आजादी के 37 साल हो गये और यह हाल है और आप कहते हैं कि हमने प्रदेश को स्वर्ग बना दिया, यह गलत बात है आपकी सारी योजनायें नोचनाएं बन कर रह जाती हैं।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, विकास की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। जितना विकास आप आज करेंगे या कल करेंगे उतना ही विकास करना बाकी रह जायेगा। लेकिन जो कुछ कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करते हुए कहा गया उससे लगता है कि जैसे चाहते हैं कि आला दर्जे का, बेस्ट काम नहीं हुआ। अगर हम बेस्ट के ही चक्कर में पड़े रहेंगे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो यह सेकेन्ड और थर्ड बेस्ट भी हमको नहीं मिल पायेगा ।

हमको यह देखना होगा कि हमारा विकास करने का उद्देश्य क्या है । हमारा उद्देश्य है गरीबों को सहारा देना, वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, अपनी आमदनी में बढ़ोत्तरी कर सकें । जितनी भी योजनाएं हैं चाहे वह आई0 आर0 डी0 पी0 हो चाहे वह डी0 आर0 डी0 ए0 हो, यह सारे प्रोग्राम गांव के जीवन को बदलने के लिये, गांव के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये ही हैं ।

मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि हर प्रोग्राम की आलोचना करना मुनासिब है, आलोचना इम्प्रूवमेन्ट की भी होगी, विकास हुआ है तो होगी, नहीं हुआ है तो भी होगी । अच्छी तरह से विकास हो इसके लिए जजबात की जरूरत होती है । हर विकास के दो साइड होते हैं एक तो भौतिक साइड और उपलब्धि कि कितने साधन मुहैय्या किये गये । यह योजना बढ़े कि हर आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो जाय, यही विकास का उद्देश्य है ।

समय बहुत कम है इसलिये अब मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें कहना चाहता हूं कि मंत्री जी, आप सौ-सौ या डेढ़-डेढ़ सौ गांवों का समूह बना दें और सब जरूरतों को वहां पर मुहैया करा दें जैसे कि बच्चों के लिये स्कूल, पशुओं के लिये अस्पताल, पुरुषों के लिये अस्पताल तथा खेल-कूद का सारा सामान वहां मुहैया हो जाय यानी कि वहां पर टाऊनशिप हो जाय तो जो दूरी गांव और शहर के बीच में होती है, वह समाप्त हो जायेगी । और जो आदमी गांव से शहर की ओर भागता है वह बन्द हो जायेगा ।

मैं अपने यहां की बात बतलाता हूं कि मेरा क्षेत्र शहर से 13 मील दूर है । 13 मील चलकर तब आदमी वहां पहुंचता है प्रतापगढ़ । अगर यह व्यवस्था हो जाय जिसका कि पहले कान्सेप्ट था जिसे कि ग्रोथ सेन्टर कहते हैं, इसकी व्यवस्था हर गांव में हो जाय तो यह अच्छा रहेगा ।

वैसे राजनीति में कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है कि यह हो जायेगा और यह नहीं होगा । लेकिन मैं यह जानता हूं कि एक वह भी समय आयेगा जब शहर का आदमी गांव की ओर भागेगा जैसे कि आज उल्टा हो रहा है कि गांव का आदमी शहर की ओर भाग रहा है । शहर में इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ती चली जा रही है कि जहां रहने को मकान नहीं मिलेगा, भीड़ और शोरगुल से आदमी घबरा जायेगा तो वह खुद ब खुद गांव की तरफ जायेगा, यह नेचर की बात है ।

श्री विजय सिंह राणा—

तो इसमें आपका क्या है ?

श्री लाल प्रताप सिंह—

मेरा कुछ नहीं है, यह तो ह्यूमन नेचर की बात है या आपका ही सही मान लेते हैं, लेकिन यह बात अपनी जगह सही है । मैं आपसे निवेदन कर रहा था । दूसरा मैं आई आर0 डी0 ए0 के संबंध में निवेदन करूंगा कि हर जनपद में आप एक स्कूल ऐसा खोलें जिसमें स्किल एक्वायर करें । लोग हुनर एक्वायर करें पोटरी का, कारपेन्टरी का, पिगरी का और इसमें जरूरी है कि कुछ इसमें स्किल एक्वायर करें । हमारे जनपद में ट्रेनिंग सेन्टर हैं इसके लिए जरूरी है कि जो वह ट्रेनिंग देने वाले हैं, उनको भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए । जो बेनीफिसरीज हैं उनसे कह दिया जाय कि वह ट्रेनिंग लें 10 दिन की, 20 दिन की ।

(लाल बत्ती जलने पर)

माननीय अधिष्ठाता महोदय 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। क्या विकास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है यह कहा नहीं जा सकता है। ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत जो आपके स्कूल खुलेंगे तो बहुत ही अच्छी बात हो जायेगी। किसी काम के लिए टारजेट फिक्स करना बहुत आवश्यक है बिना उसके काम नहीं चल सकता है लेकिन उस टारजेट तक पहुंचने के लिए हमें सख्ती से उस पर अमल करना चाहिए। सड़क के बारे में कहना चाहता हूं कि उसकी क्वालिटी की तरफ अवश्य ध्यान दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठिए।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर गांवों का भविष्य बढ़ रहा है कोई इसको रोक नहीं सकता है और विरोधीपक्ष के लोग रोकना भी चाहें तो यह नहीं रोक सकते हैं।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, समय बहुत कम है। मान्यवर आज इस सदन में ऐसे विषय पर बजट प्रस्तुत हुआ है जिससे इस प्रदेश की 75 प्रतिशत जनता का भाग्य निर्धारित है। मान्यवर, थोड़े से कार्यक्रम और थोड़े से क्रियान्वयन के संबंध में आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में जो योजनाएं बताई हैं, योजना बनाना तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उनका क्रियान्वयन किस प्रकार हो रहा है उन पर अंकुश रखना उतना ही आवश्यक होता है। आपका कार्यक्रम ग्रामीण पेयजल योजना है, पहले हरिजन पेयजल कूप और साधारण पेयजल कूप का निर्माण होता था अब जल निगम द्वारा हैंडपम्प लगाये जा रहे हैं। हमारे बस्ती जिले के लिए साढ़े ग्यारह हजार या बारह हजार रुपये एक हैण्ड पाइप के लिए दिया जा रहा है। आपका जो नियम है उसमें ग्राम प्रधान से मीटिंग बुलाकर ग्राम सभा उसके स्थल का चयन करेगा। वास्तव में यह हो रहा है कि जो जल निगम के लोग जा रहे हैं नल लगाने के लिए वह स्वतः अपनी इच्छा से नल लगा रहे हैं, या कहीं प्रधान से मिलकर उनके माध्यम से नल लगा रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी का कोई नियंत्रण उस पर नहीं है। पेयजल योजना में आप यह निश्चित आदेश दें कि एक वर्ष में किस विकास खण्ड में कहां-कहां किन-किन ग्रामों में उनको नल लगाना है उसकी सूची खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध करावें और वह अपने ग्राम्य विकास अधिकारी के माध्यम से ग्राम सभा की मीटिंग बुलाकर स्थल चयन करावें और उसकी सूची जल निगम के कर्मचारियों को दे दें कि किस गांव में कहां नल लगने हैं। दूसरी चीज यह है कि जितनी गहराई तक इसमें पाइप डालने का नियम है वास्तव में उतनी डीप बोरिंग उसमें नहीं की जा रही है और आधा पाइप डालकर बाकी पाइप बेच लिया जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(4 बजकर 20 मिनट पर)

मान्यवर, आवास गृह की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, आपके विभाग द्वारा जो गृह बनाये जाते हैं उनका खर्च 2 हजार रुपया आता है और निगम द्वारा जो बनाये जाते हैं, उनका खर्च 6 हजार रुपया आता है। एक ही किस्म का मकान होता है, एक ही डिजाइन होती है, लेकिन दो विभागों द्वारा अलग-अलग मापदण्ड लगाया जाता है।

मान्यवर, पंचायत भवन के बारे में कहना चाहता हूं, जो पुराने पंचायत भवन हैं, जो उनका नक्शा है वह 20 हजार रुपये में बनता है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी मकान 20 हजार में नहीं बन सकता है। इसका परिणाम यह होता है कि आपकी योजना गलत ढंग से चलती है, और जो सूचना आपको मिलती है, वह सही नहीं मिलती है।

मान्यवर, अब मैं ट्राइसेम योजना के बारे में कहना चाहता हूं, मान्यवर 1981-82 में जितने भी लोग प्रशिक्षित हुये, उनका 51 प्रतिशत लोगों को ऋण वितरित किया गया। ट्रेनिंग का जो आपका टारगेट था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है और जिन लोगों को आप ट्रेनिंग दे चुके हैं, उनमें से 51 प्रतिशत लोगों को ऋण दिया गया है। मेरे यहां पर 3-3 साल से ऋण का कार्य पूरा नहीं हुआ है। आई0 आर0 डी0 और डी0 आर0 डी0 योजना की स्थिति यह है कि बैंक छोटे किसानों के ऋण पत्रों पर विचार नहीं करते हैं और जो बड़े लोग होते हैं उनके ऋण पत्रों पर ही विचार करते हैं और अपना कोटा पूरा कर लेते हैं। मान्यवर, मा0 मैनेजर सिंह जी ने एक बात कही, उससे मैं भी सहमत हूं कि आर0 ई0 एस0 योजना के अंतर्गत कोई भी कार्य नहीं हुआ है, इस विभाग को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। आप बस्ती जिले में जाकर देख लें तो आपको मालूम हो जायेगा कि फण्ड की किस प्रकार से लूट हुई है और काम कुछ भी नहीं हुआ है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि यही स्थिति पूरे प्रदेश की भी होगी। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सीताराम निषाद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर मैं समयाभाव के कारण केवल कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत बैंकों में लाभार्थियों की फाइलें कई महीनों तक पड़ी रहती हैं, अतएव मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि एक महीने में वह फाइलें जरूर निष्पादित हो जायें। दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि जिन लाभार्थियों को पिछले वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत लाभ मिल चुका है, उनका सत्यापन किया जाये कि कितने लोगों को वास्तव में लाभ मिला है। तीसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा दूसरी योजनाओं के कार्यों की देखभाल के लिये जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में (डी0 आर0 डी0 ए0 में) सहायक अभियन्ता और अवर अभियन्ता रखे गये हैं किन्तु काम करने की एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला परिषद् और ग्रामीण अभि-

यन्त्रण सेवा हैं, जिनमें अधिशासी अभियन्ता और अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी होते हैं, जिनको काम सौंपा जाता हैं। यह जो अधिकारी डी0 आर0 डी0 ए0 में नियुक्त किये गये हैं, वह सारे कामों की छानबीन करने के लिये सक्षम नहीं होते हैं, इसलिये मेरा निवेदन हैं कि अधिशासी अभियन्ता और अधीक्षण अभियन्ता स्तर के और अधिकारी इस कार्य के लिये नियुक्त किये जाने चाहिये।

जिला परिषदों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिये उनकी सड़कों के रख-रखाव के लिये धन के आवंटन की आवश्यकता हैं। आर0 ई0 एस0 के अन्तर्गत जिन सड़कों का निर्माण किया गया हैं उनके रख-रखाव के लिये अभी तक कोई धन की व्यवस्था नहीं की गई हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि इस वर्ष उनके रख-रखाव के लिये भी धन की व्यवस्था की जाय। इसी तरीके से खाद्यान्न और अन्त्योदय में जो सड़कें बनाई गई थीं उनकी मेंटीनेन्स न होने के कारण वे बरबाद हो रही हैं। इसलिये उनके रख-रखाव के लिये मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मन्त्री जी धन की व्यवस्था करें जिससे वे सड़कें सुरक्षित रह सकें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं और उसका समर्थन करता हूं।

(श्री विक्रमादित्य पांडेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य केवल सुझाव दें। मंत्री जी सूत्र रूप में आपके सुझाव ग्रहण कर रहे हैं।

श्री विक्रमादित्य पांडेय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, "ग्राम्य विकास दिग्दर्शक" एक पुस्तिका दी गई हैं जिसके पृष्ठ 8 पर विशेष पौष्टाहार कार्यक्रम के बारे में दिया गया हैं, इसमें लिखा हैं कि प्रत्येक लाभार्थी को 30 पैसा प्रतिदिन हम प्रदान करते हैं। यह पैसा किसको प्रदान किया जाता हैं? जो अस्वस्थ बच्चे हैं और जो गर्भवती स्त्रियां हैं, उनकी देखरेख के लिये यह दिया जाता हैं। श्रीमन्, आप कल्पना कर सकते हैं 30 पैसा देकर एक गर्भवती स्त्री को या एक अस्वस्थ बच्चे को भोजन प्राप्त नहीं हो सकता हैं। मैं मन्त्री जी को सुझाव के रूप में दो एक बातें बताना चाहता हूं कि वह तीस पैसा भी कितने लोगों को मिल पाता हैं? वह मिल भी नहीं पाता हैं। 30 पैसा किसी को देना चाहें तो उससे कोई चीज प्राप्त नहीं हो सकती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी कमजोर की मदद करना चाहते हैं तो सही रूप में उसकी मदद करें। मदद दिखाने के लिए न करें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके ग्राम स्तर के जितने भी कर्मचारी हैं, पंचायत सेवक हैं, ग्राम सेवक हैं, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि उन पर ग्राम प्रधान का कोई अधिकार नहीं हैं। अतः वह ठीक से कर्तव्य पालन नहीं करता। अतः उनकी कैरेक्टर रोल इन्ट्री लिखने का अधिकार ग्राम प्रधान को होना चाहिये। उन पर ग्राम प्रधान का नियंत्रण होना चाहिए। जब इस तरह से ग्राम

प्रधान का नियंत्रण हो जायेगा तो यह व्यवस्था काफी सुधर सकती है।

तीसरी बात मैं एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के बारे में कहना चाहता हूं कि इसमें निश्चित रूप से असीम धन खर्च किया जाता है। लेकिन सही लाभ प्राप्त नहीं होता है। आपने जो आंकड़े दिये हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है कि जिस समय आपने इस योजना को शुरू किया था उस समय गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 49 प्रतिशत थी जो आज बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है। आपने गरीबी को दूर करने का बहुत प्रयास किया। बहुत पैसा खर्च किया लेकिन गरीबी कम नहीं हुई बल्कि 11 प्रतिशत और बढ़ गई। इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब है कि आप सही व्यक्ति को पैसा नहीं देते हैं और जो देते भी हैं उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिये आप ऐसी व्यवस्था करें कि सही व्यक्ति को पैसा मिल सके और उसका सही प्रयोग हो सके। आपने कहा कि हम कुटुम्ब रजिस्टर की जगह परिवार रजिस्टर रखेंगे। देखते-देखते मुझे 37 वर्ष हो गये अभी तक कुटुम्ब रजिस्टर नहीं बना और जब आप उसमें फेल हो गये तो कहते हैं कि परिवार रजिस्टर बनायेंगे और फिर कहते हैं कि आर्थिक रजिस्टर बनायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आप बनायें, दृढ़ संकल्प करके बनायें, सही बनायें ताकि सही चीजों की जानकारी हो सके। आज जो भी कार्य ग्राम्य विकास के माध्यम से होते हैं उनकी मेंन्टीनेन्स की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आपने उनको मेन्टेन नहीं किया तो आपके सारे कार्य बेकार हो जाते हैं। उनसे कोई लाभ नहीं हो पाता।

श्री राम नाथ मुंशी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं कि आपने मुझे 2 मिनट बोलने का समय दिया।

श्री अधिष्ठाता—

आप बोलिये तो सही।

श्री राम नाथ मुंशी—

मान्यवर, ग्रामीण विकास के इस बजट में 2 अरब, 61 करोड़ 81 लाख 31 हजार रुपया प्रस्तावित है जो तीन इकाइयों के माध्यम से खर्च किया जायेगा जिनकी 18 उप इकाइयां हैं। मैं अभी माननीय विरोधी सदस्यों का भाषण सुन रहा था उसमें हमारे प्रथम माननीय विरोधी दल के सदस्य ने कहा कि किसी नीति के अन्तर्गत यह योजना नहीं चल रही है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी यह गांवों के विकास की योजना 1952 से लागू की गयी और 985 विकास खण्डों में वितरित करके गांवों का विकास किया गया और धीरे-धीरे तब से लेकर 1977 तक निरन्तर सरकार गांवों का विकास करती आई लेकिन गांवों में उजाला आता गया और सड़कें, स्कूल, चिकित्सालय आदि खुलते गये। गरीबों को रोजगार भी दिया गया, अनेक प्रकार के सिंचाई के साधन जुटाये गये लेकिन 1977 में एक परिवर्तन आया और यहां दूसरी सरकार आई उसका प्रभाव यह हुआ कि उनके 30 महीनों के शासन में ही हमारी वह विकास की योजनायें ठंडी

पड़ने लगीं। सौभाग्य से फिर परिवर्तन हुआ और देश की 64 करोड़ जनता ने फिर से देशभक्त माता इंदिरा गांधी को सम्मान दिया और 1980 में हम पुनः सत्ता में आये। जिसका परिणाम यह हुआ कि हम फिर से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े जिन गांवों में रोशनी नहीं थी, जहां पर मिट्टी के लाल दिये जलते थे उनमें बिजली के बल्ब जलने लगे। जहां पर सिंचाई के साधन नहीं थे वहां पर केवल कुयें थे वहां पर निजी तथा सरकारी ट्यूबवेल लगाये गये नहरें बनाई गयीं। हमारे पूर्वांचल में तथा मेरे गाजीपुर में भी विकास की ज्योति जली, जो बढ़ती ही जा रही है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ। आप बैठिये।

श्री राम नाथ मुंशी—

मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। योजनायें हमारी बन रही हैं (व्यवधान) प्रकाश हमारा गांवों में जा रहा है मैं माननीय सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप सहयोग करें और बीच में कोई काला पटल आकर प्रकाश की किरण को न रोकें। तो गांवों का सर्वांगीण विकास शीघ्र हो जायगा।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें। आप लिखकर माननीय मन्त्री जी को दे दें।

श्री राम नाथ मुंशी—

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। बजट का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

नहीं, अब आप अपने महत्वपूर्ण सुझावों को मन्त्री जी को लिखकर दे दीजिये।

श्री कुशल पाल सिंह—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में जितने फर्जी आंकड़े कागजों में दिये हैं मैं उसके लिए उनको हार्दिक बधाई देता हूं। लेकिन उसमें से कम से कम 40 प्रतिशत भी जमीन पर कार्य दिखाते तो काफी होता। गांवों में चिकित्सा बहुत जरूरी है लेकिन आप देखेंगे कि अस्पताल के नाम की कोई चीज वहां नहीं है आपको 20-20 किलोमीटर तक कोई डाक्टर नहीं नजर आयेगा। अगर माननीय स्वास्थ मन्त्री जी भूल से कोई अस्पताल खोल बैठे हों तो वहां डाक्टर नहीं मिलेगा। हमारे यहां मांट में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बना दिया जो 12 नवम्बर 82 से चल रहा है उसमें कोई चीज आपको नहीं मिलेगी 50 हजार रुपया सालाना उसके नाम पर ग्रांट ले ली जाती है लेकिन एक भी डाक्टर व मरीज वहां पर नहीं है।

मान्यवर जहां तक हरिजनों के लिए मकान और दुकान बनाने की बात है वह गांव से दूर बनाये जाते हैं जिसमें लोग जानवर बांधते हैं और लोगों के जाने से पहले ही ज्यादातर वह मकान गिर गये हैं। नौभील ब्लाक में गांव में कुंवा बनाने के लिए पैसा दिया गया लेकिन वह कुंवा नहीं बना। मकान बनाने के लिए, मरहलामुक्खा में मकान बनाने के नाम पर 4-4 हजार रुपया ले लिये गये। आप दो हजार रुपया गरीब को मकान

बनाने के लिए देते हैं यह उनके साथ मजाक है। दो हजार में झोपड़ी भी नहीं बनती है। हमारे मरहलामुक्खा में 6 लोगों को कर्जा दिया गया लेकिन वह लोग गांव में रहते ही नहीं हैं आज तक उनके नाम का कोई आदमी गांव में नहीं है। बी0 डी0 ओ0 सारा रुपया खा गया इसी तरह से मुडलिया गांव में हरिजनों को मकान बनाने के लिए कर्जा दिया गया उसमें एक भी मकान नहीं बना सारा रुपया लेकर बी0 डी0 ओ0 खा गये।

मान्यवर, जहां पानी का सवाल है, हरिजन पेयजल कूप बनाये गये लेकिन वह केवल कागज पर हैं जिसके सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आज नोठ ब्लाक नौहझील गांव में 1982 में एक कुआं बनाया गया, 4 हजार रुपये ले लिये गये लेकिन वह कुआं आज तक नहीं बना है। इसी तरह स्वायल कंजरवेशन विभाग द्वारा नालियां बनायी जाती हैं लेकिन उनके टूटने के बाद कोई मरम्मत की व्यवस्था नहीं की गयी है। इसी तरह जो मकान बनाने के लिये ऋण दिया जाता है उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां मरहला मुक्खा, अड्डा फिरोजपुर, मुडौलिया में आज तक मकान नहीं बनाये गये और फर्जी नामों से कर्जे दिये गये हैं जो लोग कभी उन गांवों में नहीं रहते हैं।

मान्यवर, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना में पैसा दिया गया है लेकिन मस्टर रोल बना दिये जाते हैं और उस पर बी0 डी0 ओ0 हाथ के अंगूठे लगाने के बजाय पैर के अंगूठे लगवाकर पैसा खा जाते हैं। इस तरह हमारे प्रदेश का विकास कागज पर किया जा रहा है।

मान्यवर, मथुरा जिले के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद को 20 सूत्री योजना में प्रथम स्थान दिया गया है लेकिन ईमानदारी से देखा जाये तो हमारे यहां एक डी0 डी0 ओ0 हैं वह इतने बेईमान हैं कि बी0 डी0 ओ0 से मिलकर आधा-आधा रुपया बांट कर खा लेते हैं। मान्यवर, भैंस या बुग्गी क्रय करने हेतु जो पैसा दिया जाता है इसमें योजना का सही लाभ नहीं मिल रहा है और भैंस या बुग्गी कागज पर क्रय किये जाते रहे हैं।

मान्यवर, अन्त में मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि जहां विकास के कार्य किये जाते हैं उनकी एक लिस्ट सम्बन्धित एम0 एल0 ए0 को दी जाये और उनका सत्यापन कराया जाये कि वास्तव में विकास का कार्य किया गया है कि नहीं। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री पूरन सिंह—

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मा0 मन्त्री जी द्वारा रखे ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और अपने सुयोग्य अग्रज श्री कल्यान सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुये कहना चाहता हूं 1980 से पहले ग्राम्य विकास की ओर किसी ने नहीं देखा था और 1980 में तत्कालीन प्रधान मन्त्री राष्ट्र माता स्व0 श्रीमती इन्दिरा गांधी जब सत्ता में आयीं तो उन्होंने गांवों के विकास की ओर ध्यान दिया साथ ही विकास का मुंह गांव की

ओर मोड़ दिया और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जैसे आर0 एल0 जी0 इ0 पी0, एन0 आर0 इ0 पी0, आई0 आर0 डी0 आदि योजनाओं के माध्यम से गांवों के लोगों को लाभ पहुंचाने की चेष्टा किया और अब उनके सुयोग्य पुत्र, वर्तमान प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी ने, आई0 आर0 डी0 योजना द्वारा 600 परिवार प्रति ब्लाक जो लाभान्वित किये जाते थे उसको तिगुना बढ़ाकर अब 1800 परिवारों को लाभ पहुंचाने की योजना बनायी है, इसके लिये मैं मा0 मुख्य मंत्री और मा0 मन्त्री जी को बधाई देता हूं और कहना चाहता हूं कि आज तक उसमें महिलाओं को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था किन्तु अब प्रति ब्लाक प्रति वर्ष 100 महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य बनाया गया है जिसके लिये भी मैं उनको बधाई व धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव मन्त्री जी को देना चाहता हूं कि जब गांव में आई0 आर0 डी0 लोनीज का चयन होता है तो उसमें गांव के प्रधानों को सारे अधिकार होते हैं कि वह आई0 आर0 डी0 के लिए चयनीत करें, लेकिन सुझाव है कि केवल ग्राम प्रधान को ही नहीं बल्कि ग्राम सभा में 5 व्यक्तियों की एक चयन समिति बनायी जाये जो आई0 आर0 डी0 लोनीज के लिये चयन करे।

दूसरा सुझाव है कि जनपदों में जो योजनायें डी0 आर0 डी0 ए0 के माध्यम से लागू होती हैं उनमें ब्लाक प्रमुख व बी0 डी0 ओ0 द्वारा ही योजनायें बनाकर जिलों को भेज दी हैं किन्तु इसमें सुझाव है कि बी0 डी0 सी0 को ही यह अधिकार होना चाहिए कि अपने क्षेत्र की योजनाओं को वह प्रस्तुत करें।

तीसरा सुझाव है कि जिला परिषदों की जो परामर्शदात्री समितियां हैं उनका शीघ्र गठन किया जाना चाहिए चाहे उसमें वर्तमान विधान सभा सदस्य को या मा0 सांसदों को बारी-बारी से अध्यक्ष बनाया जाये।

चौथा सुझाव है कि प्रत्येक गांव सभा और ब्लाकों का पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में जहां से मांग की जाये वहां इनका पुनर्गठन किया जाये चूंकि जैसे हमारे क्षेत्र में 120 ग्राम प्रधानों पर एक ब्लाक है और कहीं 40 ग्राम प्रधानों पर एक ब्लाक है तो इससे भारी असंतुलन होता है, इसलिये इसको संतुलित किया जाये और प्रधानों की हर ब्लाक में संख्या बराबर की जाये साथ ही आर0 डी0 सी0 में डेपुटेशन पर अधिकारी न लेकर उसी विभाग के अधिकारियों को अवसर प्रदान किया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं आपके माध्यम से ब्लाकों की तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आपके ब्लाक और ब्लाक स्तर पर जो कृषि विभाग और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ब्लाक एक साथ काम करते हैं, उस सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि ब्लाक स्तर पर ब्लाक से कृषि विभाग को अलग कर दिया जाए। क्योंकि आपके ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत अधिकारी कृषि के सम्बन्ध में कोई टेकनिकल ज्ञान नहीं रखते हैं। उनकी रुचि केवल इस बात में रहती है कि कहां से ज्यादा कमीशन मिले, कैसा सामान कृषकों को खरीदवाया जाए जिसमें ज्यादा कमीशन मिले। अगर आप अपने विभाग को ब्लाक स्तर पर कृषि विभाग से अलग कर दें और उस विभाग में टेकनिकल कर्मचारियों की नियुक्ति कर दें तो कृषि का विकास अधिक होगा, जो आपके साथ रहने से कृषि विभाग को सम्भव नहीं होगा। आपने न्याय पंचायतों और जिला परिषदों का गठन नहीं किया जबकि आपका प्रदेश में बहुत बहुमत है। आप इसका शीघ्र गठन करवायें। एन0 आर0 ई0 पी0 जो आपके काम हुए हैं, चाहे सड़कें हों, चाहे पुलिया हों, वह बनने के दो-एक महीने बाद खराब हो गयी हैं। इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि एन0 आर0 ई0 पी0 में आप जो काम करवाते हैं, उस काम के मेन्टीनेन्स या रख-रखाव के लिए आपके पास कोई विभाग या बजट नहीं है जो इसको देखे और उसकी जिम्मेदारी ले। इसके साथ आई0 आर0 डी0 में भीषण भ्रष्टाचार है। आपका केन्द्र में भी शासन है और बैंकों में कमीशन चल रहा है तो आप केन्द्र सरकार के माध्यम से यह प्रयास करें कि जो वस्तुओं और ऋण पर बैंक कर्मियों द्वारा कमीशन लिया जाता है उसको रोका जाए।

मैं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के बारे में यह कहना चाहता हूं कि इसमें 70 प्रतिशत भ्रष्टाचार है। अब मैं आपका ध्यान बांदा जनपद के नरैनी और मानिकपुर ब्लाकों की ओर ले जाना चाहता हूं, वहां खम्हौरा अनथुवा मार्ग बना था, उसमें मुश्किल से 10 हजार का मैटेरियल सप्लाई हुआ, लेकिन 1 लाख 10 हजार का पेमेन्ट हुआ। इसी तरह से मानिकपुर क्षेत्र में बांधी रामपुर में एक किलोमीटर की एक सड़क बनी थी, किन्तु उसमें डेढ़ किलोमीटर का फर्जी भुगतान हुआ है। इस तरह से यह आपका विभाग पूरी तरह से भ्रष्ट है। आप इनकी टेकनिकल सेल से जांच करावें। आपके यहां एडीशनल ए0 पी0 सी0 का एक पद है, वह पद अब भी रिक्त पड़ा है। उसमें आप एक ध्येय बनाए हुए हैं कि जो विभाग के अनुभवशील व्यक्ति नीचे से आते हैं, उन्हीं की प्रमोशन पर नियुक्ति होगी, तो ऐसे अनुभवी आदमी आपके पास मौजूद हैं, लेकिन आपने अभी तक एडीशनल ए0 पी0 सी0 की नियुक्ति नहीं की है। अतः अब आप अविलम्ब इस पद पर नियुक्ति करें। पंचायतें निर्जीव पड़ी हैं और प्रधानों की बात पंचायत सेक्रेटरी आदि नहीं मान रहे हैं जिस तरह से आप अपने में गति लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह से प्रधान को आप कुछ अधिकार और पावर दीजिए, ताकि उनका पंचायत सेक्रेटरी, वी0 एल0 डब्लू0 पर नियन्त्रण रह सके और उनमें अपने अन्दर कार्य करने की क्षमता बढ़ सके। ब्लाक स्तर पर निर्बल और असहाय को देने के लिए जो भवन बने हुए हैं, उसमें जो भी कार्य आपने कराये हैं, सबकी आप टेकनिकल जांच करायें। मुझे पक्की जानकारी है कि आपने निर्बल और असहायों को देने के लिए मकान बनवाए हैं वह ज्यादातर धराशायी हो गये हैं। वह टपक रहे हैं बुरी तरह।

"व्यवधान"

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें, आपका समय समाप्त हो गया है। श्रीमती कमला साहनी।

*श्रीमती कमला साहनी—

मान्यवर, मैं ग्राम्य विकास बजट का समर्थन करती हूं और श्री कल्यान सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव की निन्दा करती हूं।

श्री काजी कलीमुर्रहमान—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, सदन में एक ईंटा रखा हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—

इस बारे में व्यवस्था सबेरे हो गई है, अब आप बैठें।

श्रीमती कमला साहनी—

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक स्वप्न देखा था कि हिन्दुस्तान के हर गरीब को, हर हाथ को काम मिले, हर भूखे को खाना मिले उसको कार्यान्वित करने के लिये हमारी सरकार अथक परिश्रम कर रही है, अथक प्रयत्न कर रही है और देश के गांवों में रहने वाले लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ रहे हैं। मान्यवर, इसी के तहत हमारी नेता स्व0 श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम बनाकर देश के ग्रामीण लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। मान्यवर, आज गांव के लोगों को आगे बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, ट्राइसेम योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना जैसी बहुत सी योजनायें चलायी जा रही हैं जिससे गांव के लोगों का विकास हो सके। उनको पेयजल उपलब्ध कराने के लिये, घर बनाने के लिये और उनको आगे बढ़ाने के लिये प्रयास हो रहा है। आप जानते हैं कि हमारे महान लेखक मुंशी प्रेम चन्द ने एक कहानी "सवासेर गेहूं" जो आजादी के पहले की रूपरेखा दिखलाती है उसमें बताया है कि कैसे सवा सेर गेहूं के नीचे गांव का गरीब पिसता चला गया। उसकी पुश्त दर पुश्त मजदूरी करती रही लेकिन आज हमारे देश के गांवों के लोग आगे बढ़ रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्रीमती कमला साहनी—

मान्यवर, मुझे एक मिनट का समय और दे दें। मान्यवर, लेकिन कुछ ऐसी योजनायें लागू हुयी हैं जिनका कार्यान्वयन ठीक ढंग से नहीं होता है। मैं अपने जिले की बात बतलाती हूं। हमारे जिले में सन् 82 में मेरे क्षेत्र में एक गांव दुधावा में 25 हजार रुपये मिट्टी की पटाई में खर्च किये गये। लेकिन न तो पटाई हुयी और न कोई वहां गया और रुपया खर्च कर दिया गया। मैंने इस तरफ माननीय मन्त्री जी का और जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित किया तो ऐसे तमाम काम हैं जो आर0 ई0 एस0 द्वारा किये जाते हैं और वह काम कागज पर होते हैं और सारा पैसा बरबाद हो जाता है तो माननीय मन्त्री जी आप ऐसे फर्जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काम करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करें ताकि हमारी योजनायें सफल हो सकें।

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि जो मेन्टीनेन्स के काम हैं, आपकी तमाम सड़कें चाहे वह फूड फार वर्क में बनी हैं या किसी योजना में बनी हैं उनका मेन्टीनेन्स नहीं हो पाता है। मेरा सुझाव है कि हर ब्लाक में एक गैंग रखिये जिसमें 10-15 मजदूर परमानेन्ट तौर पर रहें। जब तक ओवरसियर या इन्जीनियर की व्यवस्था न हो तब तक ए0 डी0 ओ0 (एम0 आई0) या आर0 ई0 एस0 के चार्ज में यह लोग रहें और यह गैंग काम करे जो मिट्टी पाटी जाती है वह बह जाती है क्योंकि प्रथम चरण में खड़ंजा नहीं लग पाता है अभी माननीय पूरन सिंह माहरा ने राजीव गांधी की बात कही, मुझे अफसोस है कि उन्होंने अपने पिता का नाम नहीं लिया। श्री गोविन्द सिंह माहरा मिनिस्टर थे, उनके दौर में जितनी सड़कें बनी उतनी सड़कें अगर मन्त्री जी बनवा दें तो मैं बधाई दूंगा। तो अपने बाप को आप भूल गये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री नरेन्द्र देव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत थोड़ी सी बातें कहकर बैठ जाना चाहूंगा। एक तो मैं एन0 आर0 ई0 पी0, आर0 एल0 जी0 पी0 के बारे में सुझाव देना चाहूंगा और यह माननीय मन्त्री जी का विभाग कर सकता है कि जितने खेतिहर मजदूर हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो और उनको एक कार्ड ईशू हो। आप अगर 100 दिन काम देने की बात करते हैं, तो वह कार्ड लेकर जिस दिन मजदूर खाली है, जब वह भूखा मरने की स्थिति में होता है, उस समय ब्लाक पर चला जाय और कहे कि आप हमें 10 दिन का काम एलाट कर दें, मुझे काम चाहिए, आखिर मस्टर रोल बनते ही हैं और रजिस्टर बनते हैं, उसको एक क्रमबद्ध तरीके से कर दीजिए, जिससे असली खेतिहर मजदूर की संख्या भी ज्ञात हो जायगी और उन्हें काम भी मिल जायगा। मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आई0 आर0 डी0 के सम्बन्ध में। आई0 आर0 डी0 में अभी बात चल रही थी, किसी ने कहा भी है, जब तक आई0 आर0 डी0 में बेनीफिशियरी (लाभार्थी) एक काउण्टर से सारी सुविधायें नहीं पायेगा तब तक उसको पूरी तरह लाभ नहीं मिलेगा। जब उसको कई जगह पर दौड़ना पड़ेगा, तो वह लाभ नहीं पा सकेगा। आखिरी बात कहना चाहूंगा, बड़ी तारीफ की कटौती का प्रस्ताव रखते हुए माननीय विपक्षी दल के नेता ने, काम के बदले अनाज की योजना देख लें। काम के बदले अनाज दिया जाता था, उसको न पिसाने के लिए पैसा, न तेल के लिए पैसा और अन्त में वह गेहूं वहां के लोकल बनियों को आधे भाव में बेच कर अपनी मजदूरी, अपना खून बेच कर वह तेल, नमक खरीदता था। इतनी गलत नियोजन और नीति वाली योजना पूरे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विश्व में नहीं बनी होगी। कृपया वह इस पर भी विचार करें।

*श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री का ध्यान उस फण्ड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो ग्रामीण विकास के नाम पर प्रदेश में 30 करोड़ की रकम गांव के बिकास के लिए दी गयी है। माननीय मन्त्री जी इस फण्ड के जरिये गांव का बहुत उद्धार हो सकता था, बहुत से स्कूलों का निर्माण हो सकता था। लेकिन जो मेरी जानकारी है, यहां से सी0 ओ0 ऐसा गया है, जिसके कारण इस धन का उपयोग गांवों में केवल खड़ंजा लगाने के लिए किया जा सकता है। इस रुपये का प्रधान लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और गांव-गांव में पार्टी बन्दी हो गयी है और उसका मकसद पूरा नहीं हो रहा है। आपने सामाजिक वानिकी की बात कही, वह बहुत अच्छी है, लेकिन इक्युलिप्टस का बिना सोच-समझकर लगाना उचित नहीं है। वह पानी का काफी शोषण करता है और बहुत सी जगहों पर पीने के पानी का अभाव हो गया है। हमारे जनपद में अबकी बार ग्रामों में 1200 गांवों में से 900 गांवों में पानी सूख गया। हम आपसे आग्रह करेंगे कि गांव में सड़क, पीने का पानी और अगर बिजली आप उपलब्ध करा दें, तो गांव का विकास हो सकता है। जैसा कि माननीय कल्याण सिंह ने कहा कि गरीबी को हटाओ, मैं कहता हूं कि अमीरी घटाओ। जब तक अमीरी घटायेंगे नहीं, तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपने ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया है, मैं माननीय मन्त्री जी ने जो ग्राम्य विकास विभाग का बजट प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, ग्रामों के विकास के लिए क्या-क्या व्यवस्था हो, इस पर विचार होना है और इस सरकार ने ग्रामों के विकास के लिए क्या-क्या योजनाएं बनाई हैं?

मान्यवर, एन0 आर0 पी0 के द्वारा आई0 आई0 डी0 पी0 के द्वारा और ग्रामीण भूमिहीन गारण्टी योजना के अन्तर्गत तमाम लोगों को इससे लाभान्वित किया गया है। आई0 आर0 डी0 पी0 के द्वारा जितने भी हमारे ग्रामों में लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए तमाम सुविधायें दी गई हैं, जिससे वह गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

जो नीति है वह सरकार की है कि जितने गरीब हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में रह रहे हैं उनको आगे बढ़ाएं और उनका विकास करें। इन योजनाओं के अन्तर्गत हम तरक्की पर हैं पहले के मुकाबले में। अब हम बहुत तरक्की कर चुके हैं ट्रैक्टर आपने देखे होंगे सिंचाई के साधन ऐसे जुटाए गए हैं जिससे हर क्षेत्र में पानी पहुंच रहा है। हर ग्राम के लिए हमने खड़ंजे के लिए तीन-तीन लाख रुपया एक-एक विकास खण्ड में दिया है। इससे पहले कोई भी ऐसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया। *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था नहीं थी मैं समझता हूं कि जो काम हुए हैं उसके लिए आपका समर्थन भी जरूरी है। मैं पुनः अपने मन्त्री जी द्वारा जो प्रस्तावित बजट है उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, आपने जो समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। कांग्रेस के लोगों को ग्राम्य विकास के नाम पर नगर विकास दिखाई देता है। आजादी के बाद से नगर का विकास जिस तरीके से हुआ उसकी तुलना में गांव का विकास पीछे छूट गया है। मैं कहना चाहता हूं कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है ईमानदारी से ग्रामीण विकास के कार्यक्रम पूरे किये जायं विकास खण्डों के क्षेत्रफल बहुत बड़े-बड़े हैं, कई ऐसे विकास खण्ड हैं जहां की आबादी डेढ़ लाख से ऊपर है, तो इन विकास खण्डों का परिसीमन किया जाये। मेरे यहां पथरदेवा के निकट कुछ ऐसे गांव हैं जो कसया ब्लाक में हैं और कसया ब्लाक के निकट के गांव पथरदेवा में हैं जिससे जनता को बड़ी कठिनाई होती है।

दूसरा सुझाव मैं देना चाहूंगा कि इनका विभाग इतना साफ सुथरा विभाग है कि अगर इसमें ईमानदारी से काम किया जाता है तो हम विरोध पक्ष के लोग कटौती के प्रस्ताव के स्थान पर बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव लाते। मैं कहना चाहता हूं कि सारे कार्यक्रम भ्रष्टाचार से ओतप्रोत हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अंतर्गत 50 फीसदी मिट्टी का कार्य हो रहा है। बरसात के दिनों में कार्य आरम्भ कर दिया गया है। मस्टर रोल शुरू हो गये हैं। बाद में देखने में आएगा कि 10 फीसदी काम हुआ और 50 फीसदी काम का पेमेन्ट हुआ इस तरीके के कार्यक्रम जो स्थायी परिसम्पत्ति आयोजित करने की बात है वह हो नहीं पाती है। विकास खण्डों में जो माननीय मन्त्री जी ने प्रस्ताव जूनियर इंजीनियर रखने का दिया है उसको बी0 डी0 ओ0 के अन्तर्गत न रखा जाए क्योंकि उस पर ब्लाक प्रमुख का दबाव पड़ता है। इसलिए उसको जिला प्रशासन से सम्बद्ध करें वैसे उन्होंने यह अच्छा प्राविधान किया है, लेकिन उसको बी0 डी0 ओ0 से अटैच न किया जाए।

श्रीमती पुष्पा सिंघल—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं और विपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं। शायद हम लोग और हमारे विपक्ष के लोग यह भूल गये कि आजादी से पहले गांव की क्या हालत थी आजादी के पहले गांव की क्या हालत थी। गांव के लोग बिजली के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, दिया जलाने के लिये उनके पास पैसा तक नहीं होता था। जो अत्याचार उनके ऊपर अंग्रेजों के होते थे वह आज नहीं होते। आप लोगों की यादगार इतनी कमजोर है कि आप गुलामी के जमाने को भूल गयी हैं। आजादी के बाद गांव का विकास हुआ है। आज की जो हालत है, हमारी सरकार ने सबसे बड़ा काम किसानों की स्थिति सुधारने के लिये यह किया कि जमींदारी उन्मूलन किया। जिससे किसानों को जमींदारों के चंगुल से बचाया गया यह काम हमारी सरकार ने

किया पंडित जवाहर लाल नेहरू के जमाने में किया गया।

(व्यवधान)

गांव का चतुर्मुखी विकास हुआ है। गांव की सामाजिक ,आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार हुआ है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि हमारी सरकार जो कानून पास कर देती है, वह गांव के आदमी तक नहीं पहुंच पाते हैं। उन्को गांव के लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिये। गांव के लोगों को पता नहीं होता कि उनके लाभ के लिए कौन-कौन कानून हमारी सरकार ने बनाये हैं। शिक्षा के लिये हमारी सरकार ने गांवों में बहुत कुछ किया है। लेकिन इसके साथ-साथ हमारे गांवों में बोकेशनल सेन्टर होने चाहिये। क्योंकि गांव का आदमी हाई स्कूल, इण्टर पास करके शहरों की तरफ भागता है। अगर इस तरह के सेन्टर हों तो वह उसमें ट्रेनिंग लेकर गांव में रोजगार कर सकें। इसके साथ ही साथ महिलाओं के विकास के लिये कुछ होना चाहिये। वहां पर ऐसे सेन्टर खोले जायं जिसमें महिलायें सिलाई, कढ़ाई और बुनाई सीख सकें।

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। समय इतना कम है कि केवल इतना कहा जा सकता है कि आज आवश्यकता आंकड़ों पर अकड़ने की नहीं है। मानवता के नाम पर वास्तव में जो कमजोर लोग हैं, गांव में बसे हैं, उनकी सुरक्षा के लिये योजनाओं को ईमानदारी से लागू करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 81 में राजकीय योजना का सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन करने के लिये एक दल का गठन किया गया, उसने जो रिपोर्ट पेश की है, उससे लगता है कि कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। समय की कमी के कारण रिपोर्ट में जो कहा गया उस पर विस्तार से नहीं कहा जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वृहद रूप से भ्रष्टाचार व्याप्त है। जब तक ईमानदारी से इन चीजों को लागू नहीं किया जायेगा, चाहे उधर के लोग हों या इस लोग हों, चाहे कटौती का प्रस्ताव हो, चाहे समर्थन का बजट हो सब बेकार है। माननीय मन्त्री जी इलाहाबाद के रहने वाले हैं, इलाहाबाद की जिला परिषद् में 50 लाख का घोटाला लगातार प्रकाशित हो रहा है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जो भूमिहीन हैं, जो वास्तव में खेतिहर मजदूर हैं, उनके बारे में मेरा सुझाव है कि एक रोजगार कार्यालय खोला जाय, जिसमें नाम दर्ज हो। इन योजनाओं के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर उनको काम दिया जाय। इस विभाग में एक भू जल सर्वेक्षण विभाग है। जल सर्वेक्षण विभाग द्वारा जितने सर्वेक्षण किये गये हों, चाहे पीने के पानी के हों, सिंचाई के हों, नलकूप लगाने के हों।

उत्तर प्रदेश जल निगम नलकूप लगावें, यह सारे के सारे लोग उनसे लेते रहें और सर्वेक्षण के लिए जो पैसा खर्च करें उसका उपयोग किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शिव बख्श सिंह राठौर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि आर0 ई0 एस0 का हमारे यहां जो काम चल रहा है उसका मोहकमा बनाया जाय। उसके मेन्टिनेन्स और रख-रखाव के लिए बजट होना चाहिए। जैसा कि पी0 डब्लू0 डी0 के लिए होता है। ब्लाक में स्कूल और पंचायत घर बनें। हमारी सरकार ने जो लम्बे-लम्बे डग बढ़ाये हैं उससे हमने बहुत तरक्की की है। हिम्मत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी विषय में एक शेर कहना चाहता हूं :—

"हौसले तूफान के सब टूटकर रह जायेंगे,
मेरी कश्ती को जरा लहरों से टकराने तो दो।"

इस हिम्मत के साथ हम बढ़ेंगे तो हमारी धरती पर फूल खिलेंगे और मंजिलें मजबूत हो जायेंगी।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय हरदेव जी, आप पर तो सरस्वती का वास है।

श्री कल्यान सिंह—

सबसे पहले तो मैं अपने सभी माननीय सदस्यों का, जिन्होंने चाहे कटौती के प्रस्ताव पर पक्ष अथवा विपक्ष में बोला है उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। आज सदन में जितनी चर्चा हुई है, चाहे पक्ष की ओर से या विपक्ष की ओर से, अगर सब भाषणों का निचोड़ निकाला जाय तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि हमारे विपक्ष के भाइयों ने तो कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया ही है, सत्ता पक्ष के भी आधे से ज्यादा माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव का ही समर्थन किया है इस लिए टोटल बहुमत तो हमारे कटौती के प्रस्ताव पर ही जाता है। मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी के पास 3 विभाग हैं। एक तो ग्राम्य विकास, दूसरा पंचायती विभाग और तीसरा क्षेत्रीय विकास। इन तीनों का सीधा सम्बन्ध ग्रामीण जनता के जीवन से है, इसलिए इन विभागों को नये सिरे से प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। मेरा पहला सुझाव है कि नियोजन की जो प्रक्रिया चल रही है वह लखनऊ से जिलों में भेज दी जाती है। इस नियोजन की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए और नियोजन का मुख्य स्थान जिला और जिलों के अन्दर के ब्लाक बनाये जाने चाहिए। ग्राम्य विकास के लिए एक सर्वांगीण कार्यक्रम बनाया जाय। एक सांगोपांग कार्यक्रम बनाया जाय जो गांव की आवश्यकताओं और समस्याओं के निराकरण में सक्षम सिद्ध हो सके। एकीकृत ग्राम्य विकास के लिए एकीकृत प्रशासनिक आवश्यकता भी बहुत आवश्यक है। एक ही काम के लिए एक ही व्यक्ति को अनेक एजेन्सीज तक जाना पड़ता है, जिससे बहुत कठिनाई हो रही है।

एक और सुझाव देना चाहता हूं कि क्या इस पर विचार किया जा सकेगा कि एक ग्राम एक कर्मचारी जिसे मल्टी परपज स्कीम कहा जाता है। उसे लागू करेंगे ?

एक ग्राम, एक कर्मचारी का सिद्धान्त अपनाकर, मल्टी परपज स्कीम। माननीय

लोकपति जी जानते हैं, स्वास्थ्य विभाग में पुनर्गठन हो रहा है, वह आपके यहां भी सम्भव हो तो आप भी विचार कर लें। ग्राम्य विकास की दृष्टि से यह आवश्यक है कि प्रत्येक गांव को विकास की मूलभूत इकाई के रूप में माना जाय। और वहां सड़क, सिंचाई, शिक्षा, बिजली, सफाई, स्वास्थ्य, स्वरोजगार आदि की योजनाएं बनाकर प्रत्येक गांव को इकाई के रूप में स्वावलम्बी बनाया जाय। तब कहीं जा करके पूरा प्रदेश स्वावलम्बी राज्य के रूप में विकसित हो पाएगा।

मान्यवर, मेरा एक और सुझाव है कि प्रत्येक ब्लाक को स्वयं में एक परियोजना मान लिया जाय और उस परियोजना को पूरा करने के लिये सारे कामों के लिये एक अधिकारी रखा जाय और बी0 डी0 ओ0 का ओवर आल इंचार्ज बनाया जाय। आज हो यह रहा है कि विभिन्न विभागों के ए0 डी0 ओ0 सीधे बी0 डी0 ओ0 के अन्डर में नहीं हैं और उनके ऊपर उसका कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। ग्राम्य विकास की जो भी योजना बने, बी0 डी0 ओ0 को उसका इंचार्ज बनाया जाय। और जितने भी अन्य अधिकारी हैं, उनको बी0 डी0 ओ0 के अन्डर में रखा जाय।

इसके अलावा जनता की भागीदारी और साझेदारी की आवश्यकता को माननीय मन्त्री जी ने भी स्वीकार किया है। जब तक किसी कार्यक्रम को पूरा करने के लिये जनता की भागीदारी विकसित नहीं की जायेगी, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकेगा। काम चाहे छोटा हो या बड़ा और चाहे जो उद्देश्य हो। जो इसके लिए पंचायतराज को मजबूत बनाया जाय। इसके लिए आवश्यक है कि क्षेत्र समितियों को अधिकार दिये जायं। जिला परिषदों को भी मजबूत बनाया जाय और अधिकार दिये जायं। यह सोपान है आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण का। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी बताएं कि जिला परिषद् के चुनाव अभी तक क्यों नहीं कराए गये। मैं पुनः स्मरण कराना चाहता हूं कि 1800 ग्राम सभाओं के प्रधानों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके चुनाव नहीं हो पाए हैं और वे ग्राम सभाएं खाली पड़ी हैं। उनके चुनाव कराये जांय। फिर जो योजना बनती है वह स्थानीय स्तर पर बनाई जांय और लक्ष्यों का निर्धारण भी स्थानीय स्तर पर किया जाना चाहिये। स्थानीय जनता का पार्टीसिपेशन और जन-प्रतिनिधियों का पार्टीसिपेशन बहुत आवश्यक है क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्या संसाधन हैं, क्या परिस्थितियां हैं, किस प्रकार योजना चल सकती है, इस बात की जानकारी उनको होती है। लखनऊ में बैठकर और जिले में बैठकर यह जानकारी नहीं की जा सकती है। मेरा सुझाव है कि माइक्रो लेवल प्लानिंग और माइक्रो लेवल मानीटरिंग की योजना विभाग की ओर से बने तो प्रदेश का भला हो। जहां तक विभाग के लिये एडीशनल ए0 पी0 सी0 का प्रश्न है, इतने बड़े विभाग के लिये पार्ट टाइम एडीशनल ए0 पी0 सी0 नहीं होना चाहिये। इसके लिये एक फुल प्लेज्ड ए0 पी0 सी0 नियुक्त किया जाय। इसके अतिरिक्त विभाग में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमानों में यदि विसंगतियां हैं, उनको दूर करना चाहिये। ट्रान्सफर के लिये भी एक पालिसी बनावें कि इस तिथि के बाद ट्रान्सफर नहीं होगा। जुलाई में ट्रान्सफर करेंगे तो कौन जाना चाहेगा। उसको बच्चों का दाखिला कराना होता है। पता नहीं आपकी जानकारी में है कि नहीं कि

वाराणसी मण्डल में 26 जुलाई को 122 ट्रान्सफर हुए हैं। उप विकास आयुक्त, मेरठ ने 19 जुलाई को 100 ट्रान्सफर किये हैं, सूची मेरे पास है। यह प्रक्रिया तो मई और ज्यादा से ज्यादा 15 जून तक पूरी कर ली जानी चाहिये कि कहां किसको भेजना है। होता यह है कि इस समय ट्रान्सफर होने से तीन चौथाई अधिकारी तथा कर्मचारी विधायकों के चक्कर लगाते हैं फिर जहां ट्रान्सफर हुआ है वहां का काम नहीं हो पाता है और जहां से ट्रान्सफर हुआ है, उनका भी काम रुकता है। इस सम्बन्ध में विभाग को एक सुनिश्चित नीति बनानी चाहिये।

एक बात की ओर अवश्य ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नियोजन, कार्यान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन इन चारों चीजों को देखने के लिये एक अच्छी मशीनरी का विकास करना होगा। नियोजन के तहत पैसा दिया जा रहा है, कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिये अनुश्रवण की कोई पद्धति नहीं है, मानिटरिंग की मशीनरी नहीं है जो पैसा खर्च हुआ है, जो कार्य हुआ है, उसका मूल्यांकन करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। यदि इन चारों चीजों के लिये किसी प्रभावी मशीनरी का विकास नहीं करते हैं, तो आप यहां से बैठकर कितना ही पैसा दे दीजिये, उतना लाभ नहीं होगा जितना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि इस बात की जानकारी हुई है कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में सिंचाई विभाग के कुछ अभियन्ताओं को प्रतिनियुक्ति पर लिया गया था और वे लोग अभी भी चल रहे हैं। जिसकी वजह से उक्त संगठन अभियन्ताओं में अजीब सी घुटन व्याप्त हो गयी है। जब बाहर से आये अभियन्ताओं की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें आप उनके मूल विभाग, सिंचाई विभाग में, वापस भेज दें ताकि भूगर्भ जल संगठन के जो अभियन्ता हैं, उनको काम तथा प्रोन्नति का अवसर मिले। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए माननीय मन्त्री जी से यह अपेक्षा करूंगा कि जब वे अपना उत्तर दें तो इन बातों पर भी अवश्य कहें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, मैं माननीय कल्यान सिंह जी का इधर और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों का उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया, आभारी हूं कि उन्होंने ग्राम्य विकास के इस बजट पर अपने अमूल्य सुझाव दिये। श्रीमन्, मैं बड़े गौर से सुन रहा था जब कटौती का प्रस्ताव माननीय कल्यान सिंह जी प्रस्तुत कर रहे थे। मान्यवर, आपने भी ध्यान दिया होगा कि बहुमूल्य सुझावों की जो हम अपेक्षा करते थे, वह न देकर माननीय कल्यान सिंह जी ने एक लम्बा चौड़ा भाषण दे दिया और उस भाषण में कहते-कहते कह गये कि यह सरकार 4 रुपये में से 3 रुपये शहर पर खर्च कर रही है और एक रुपया गांव पर खर्च कर रही है। मैं नहीं समझता मान्यवर, कि यह साहित्य माननीय कल्यान सिंह जी को कहां से प्राप्त हुआ। ऐसा तो नहीं कि नागपुर से प्राप्त हुआ हो। माननीय सदस्य को चाहिये कि वे भारत के परिपेक्ष्य में, राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय नारायन दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, इसी परिपेक्ष्य में अध्ययन करके, अगर कोई सुझाव दें तो मैं उनका

बड़ा आभारी होता । आज गांव में सड़कें बन रही हैं, मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग द्वारा माननीय लोकपति जी बैठे हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राईमरी हेल्थ सेन्टर खुल रहे हैं । क्या यह धन गांवों के लिये नहीं जा रहा है । पी0 डब्लू0 डी0 की सड़कें बन रही हैं, क्या यह गांवों के विकास के लिये धन नहीं जा रहा है । प्रदेश में चार बड़े-बड़े खाद के कारखाने लगने जा रहे हैं, क्या गांव के लोग इसका लाभ नहीं उठायेंगे । चाहे जो भी योजना हो, सभी योजनाएं श्रीमन्, गांव से जुड़ी हैं, गांव के रहने वाले निवासियों के लिये हैं । हमारे प्रदेश के रहने वाले 11 करोड़ लोग इन तमाम योजनाओं का उपयोग और उपभोग कर रहे हैं ।

जब बजट पेश हुआ था तो माननीय सदस्यों को याद होगा कि कहा गया था कि पूरे बजट का 51 प्रतिशत सिंचाई विभाग और बिजली पर होगा । क्या यह 51 प्रतिशत आंकड़ों को माननीय कल्यान सिंह जी 1/4 समझते हैं पूरे बजट का ?

(5 बजकर 20 मिनट)

क्या यह किसानों के लिए खर्च नहीं किया जा रहा है ? क्या यह गांवों के विकास के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा बजट और नीतियां गांव की तरक्की और उसके सर्वांगीण विकास के लिए हैं । माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जो कर्जा हम बांट रहे हैं आई0 आर0 डी0 के तहत इसकी वसूली नहीं होगी और इस तरह से सारे रुपये का अपव्यय यह सरकार कर रही है । हमारी सरकार और उसकी नीति व्यापारपरक नहीं है, समाजवादी है, समाजवाद लाना चाहते हैं । गरीब को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का कार्यक्रम चला रहे हैं और इस पर नहीं चला रहे हैं कि मुनाफा कमाना है । माननीय कल्यान सिंह जी जिस दल से सम्बन्धित हैं, सभी जानते हैं व्यापारिक नीति . . . .

श्री कल्यान सिंह—

मेरे दल की क्या नीति है, वह मैंने अपने भाषण में प्रतिबिम्बित की है । मैं भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत नीति पर ही बोला हूं । क्या आप समाजवाद के नाम पर घोषणा करेंगे कि जितना कर्जा दे रहे हैं उसको माफ करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

कर्जा वसूल हो गया या नहीं, इस पर विचार करके जो तमाम लोग गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे हैं, उनके लिए कोई योजना न चलावें, यह बात मेरी समझ में नहीं आती । हम प्रयास कर रहे हैं कि जो कर्जा दे रहे हैं वसूल हो लेकिन किन्हीं कारणों से वसूल नहीं होता तो हम उन योजनाओं को बन्द नहीं करेंगे ।

बेकारी की बात की, दो करोड़ उत्तर प्रदेश में बेकार हैं । बेकारी को दूर करने के लिए हमारी एन0 आर0 ई0 पी0, आर0 एल0 जी0 पी0 की योजनायें चल रही हैं जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं उनको रोजगार मुहैय्या करा रहे हैं । ट्राइसेम योजना चालू कर बेरोजगार जो हैं 18 वर्ष से ऊपर से लेकर 35 वर्ष तक के, उनको प्रशिक्षण देकर संसाधन उपलब्ध करा कर रोजगार की तरफ ले जा रहे हैं । ये सारी योजनाएं बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए ही हैं । लेकिन यह दो

करोड़ की जो संख्या है, यह संख्या तब तक नहीं घटेगी जब तक कि परिवार कल्याण कार्यक्रम को हम उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में लागू नहीं करेंगे। हमारी आबादी बढ़ती जायेगी। कितनी भी योजनायें, कार्यक्रम हम चलावें, लेकिन बेरोजगारी की संख्या में दिन-प्रति-दिन कुछ न कुछ बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि परिवार कल्याण का जो हमारा कार्यक्रम है, इसको लागू कराने में सभी लोग सहयोग दें।

माननीय कल्यान सिंह जी ने कहा कि लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई। मैं केवल 84-85 के आंकड़े देना चाहूंगा। वित्तीय लक्ष्य था 7844 और उपलब्धि हुई 8320 लाख रुपये। 495 लाख मानव दिवस का लक्ष्य था और उपलब्धि हुई 516.70 लाख।

आई0 आर0 डी0 पी0 में 84-85 में 8025 लाख रु0 का वित्तीय लक्ष्य था, उपलब्धि हुई 9337.90 लाख रु0, भौतिक लक्ष्य था 456.34 लाख मानव दिवस सृजित करने का, मानव दिवस सृजित हुए 563 लाख। इस तरह हमने अपने लक्ष्यों से आगे उपलब्धि की है, जो मानीटरिंग की बात कही गयी, "नाबार्ड" और "प्लानिंग कमीशन" ने सर्वे कराया है कि आई0 आर0 डी0 योजना के तहत लाभार्थियों को जो लाभ पहुंचा रहे हैं, उसमें कितने सफल हुए हैं। उनके अनुसार 86 प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लाभार्थियों को लाभ पहुंचा है। इसीलिये जो 7वीं योजना बनायी है, इसमें 3 वर्षों में छठी पंचवर्षीय योजना के लाभार्थी, जो गरीबी की रेखा के नीचे रह गये हैं, उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाया है, उनको फिर से चयनित करें और संसाधन उपलब्ध कराकर उनको अपने पैरों पर खड़ा करके गरीबी की रेखा से ऊपर उठायें, यह कार्यक्रम है।

स्थापन पर व्यय 15 प्रतिशत रखा गया है। जैसी कि आलोचना की कि आई0 आर0 डी0 में स्थापन पर खर्च हो रहा है। यह इसीलिये रखा गया कि जो लाभार्थी हैं, जिनको कच्चे माल की जरूरत है, उपलब्ध नहीं हो पाता, उनके माल की बिक्री का प्रबन्ध करना है, इसी वजह से 15 प्रतिशत स्थापन मद पर रखा गया है जिससे पूरा का पूरा लाभ आई0 आर0 डी0 के लाभार्थियों को हो सके और वह गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें। अनुश्रवण के सम्बन्ध में, जैसा कि मा0 कल्यान सिंह जी ने सुझाव दिया, उसी के तहत आई0 आर0 डी0 के बजट का 10 प्रतिशत प्रशासनिक बजट पर रखा गया है। यह इसी लिये रखा गया है कि अनुश्रवण ठीक से हो। इसीलिये हर जिले में "मानीटरिंग सेल" की स्थापना की गयी है। प्रोजेक्ट इकनामिस्ट और एक असिस्टेंट प्रोजेक्ट आफीसर (मानीटरिंग) इन पदों का सृजन करके हर जिले में नियुक्त किया जा रहा है ताकि योजनाओं का अनुश्रवण होता रहे। हर जिलाधिकारी को 8 अगस्त को आदेश भेजा है कि एक "डायरेक्टरी आफ वर्क्स" तैयार करें, ग्रामवार प्रत्येक मामले में कि लाभार्थी को कितना रुपया दिया गया? उसने क्या काम किया? पूरा रुपया उपयोग हुआ या नहीं? लाभ पहुंचा या नहीं? पूरे जनपद की डायरेक्टरी आफ वर्क्स ग्रामवार तैयार करके परीक्षण के लिये जो अधि-

कारी होंगे, उनको उपलब्ध करायी जायगी। यह जरूर कर रहे हैं कि यह जो डायरेक्टरी आफ वर्क्स है, उसे मा0 सदस्य को भी दूं जिससे कि वह विभिन्न क्षेत्रों में जायं और गांव में जायं तो देखें कि कितना चयन हुआ था और पूरा लाभ हुआ या नहीं ? डायरेक्टरी आफ वर्क्स में दूसरा कालम भी होगा कि एन0 आर0 ई0 पी0 में कौन सी योजना ली ? कितना टारगेट था ? कितना खर्च हुआ ? काम पूरा हुआ या नहीं ? यह पूरा ब्यौरा डायरेक्टरी आफ वर्क्स में रहेगा। उसको तैयार करके सभी मा0 सदस्यों को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा जिससे जब भी आप चाहें उन कामों की समीक्षा कर सकें, देख सकें।

आर0 ई0 एफ0 के बारे में पहले ही बता दिया। अब एक बात कहकर बात समाप्त करता हूं।

मुझे भी जब भी किसी की शिकायतें मिली हैं मैंने उस पर तत्परता से जांच करके कार्यवाही कराने की कोशिश की है। अभी कुछ दिन पूर्व इसी सदन में आर0 ई0 एस0 के 520 लोगों की नियुक्ति का प्रश्न था जिसमें माननीय सदस्यों का कहना था कि उनका चयन ठीक नहीं था, कुछ धांधली हुई है, तो हमने उसमें अब जांच बैठायी है। माननीय मुख्य मन्त्री जी के सलाहकार श्री शीतला शरण इसके जांच अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं वे इसको देखेंगे कि चयन ठीक हुआ है या नहीं हुआ है।

इस तरह से हमने कुछ प्रकरण में जांच के आदेश दे दिये हैं। मैं एक बार पुनः माननीय सदस्यगणों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और माननीय कल्यान सिंह से निवेदन करूंगा कि आपने जो सुझाव दिया है उसके तहत मैंने अपनी बातों को रखा है। यदि आप सही माने में गांवों का विकास चाहते हैं तो एक रुपए में विकास का कार्य कैसे हो सकता है ? इसलिये आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अशोक बाजपेयी—

माननीय कल्यान सिंह ने जो कटौती के प्रस्ताव के समय नियोजन के बारे में बात कही थी कि नियोजन को जिला स्तर पर करने का सुझाव दिया था उसके सम्बन्ध में मा0 मन्त्री जी ने कुछ नहीं कहा है। मैं चाहूंगा कि इस पर वे अपना स्पष्टीकरण दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

इस पर बतला दिया है माननीय मन्त्री जी ने।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय मन्त्री जी ने अभी बतलाया कि उन्होंने श्री शीतला शरण को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि बस्ती जनपद के बारे में और आर0 ई0 एस0 के बारे में हमने और श्री कमाल यूसुफ साहब ने कुछ शिकायतें की थीं, तो क्या बस्ती जनपद में जो कार्य कराये गये हैं आर0 ई0 एस0 को जितना फण्ड दिया गया है, उसकी भी क्या आप जांच करायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

बस्ती जनपद की भी शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उसमें हमने दिखवाया है और उसमें एक असिसटेन्ट इंजीनियर और

एक जूनियर इंजीनियर दोषी पाये गये तो उनको निलम्बित कर दिया गया है। इसके बाद यदि और कोई बात मा0 सदस्य बतायेंगे तो मैं उसे भी देख लूंगा।

श्री बदन सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने अपने बयान के समय जो भावना रखी थी कि ग्राम्य अभियन्त्रण द्वारा जो सड़कें बनायी जा रही हैं उनके मेनटेनेन्स का कोई प्राविधान नहीं है, तो क्या इसके लिए आप कोई प्राविधान करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, मैंने तो अपने भाषण में पहले ही बताया कि जो सड़कें बन रही हैं उनके स्थायी तौर पर रख-रखाव के लिये शासन हर क्षण सजग है और विचार कर रहा है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय मन्त्री जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो आपके दत्तक निगम हैं मण्डलीय विकास निगम, गोरखपुर इसमें गत वर्ष से दो हजार रुपए बाकी हैं। मैंने कई बार इस बात को उठाया तो तत्कालीन मन्त्री, श्री बलराम सिंह यादव ने कहा कि घोषणा कर देंगे और उन्होंने घोषणा कर भी दिया लेकिन आपने लिखा कि जब तक मिल नीलाम नहीं होगी तब तक रुपया देना सम्भव नहीं होगा तो इस सम्बन्ध में मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

इस सम्बन्ध में चर्चा हो गयी है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मन्त्री जी सन् 1981-82 और 1982-83 में फिरोजाबाद में ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कई ऐसे आदमियों को ऋण अनुदान दिया गया जिनके नाम कुटुम्ब रजिस्टर और जिनके नाम वोटर लिस्ट में भी नहीं थे और इस तरह से अनियमितता की गयी है यह जिलाधिकारी की रिपोर्ट जो भेजी है उसमें लिखा गया है। और ये न वोटर लिस्ट में हैं और न कुटुम्ब रजिस्टर में हैं तो क्या उसकी जांच कराकर कार्यवाही करेंगे।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, अवश्य जांच करा लेंगे।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कृषि मण्डी समितियों के द्वारा और खाद्यान्न योजना में जो सड़कें बनायी गयी थी, वहां उनके ऊपर फिर कोई काम नहीं हुआ है तो कम से कम आप प्रदेश स्तर पर हर विधायक के यहां की 4-5 सड़कों को पक्का करा दीजिए जो मण्डी समिति से बनी थी।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

शासन का यह प्रयास है कि जो अधूरे काम हैं, जहां पर मिट्टी का काम हो गया है वह अधूरे काम पूरे हो जाय फिर पैसा बचे तो दूसरे काम पर लगाया जाय।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ग्रामीण अभि-

यंत्रण में सड़कें बनी हैं उनका लेपन नहीं हुआ है, 5 साल पहले सड़कें बनी हैं, वह खराब हो रही हैं तो क्या यह प्राविधान करेंगे कि 5 साल पहले बनी हुई सड़कों का लेपन का कार्य करवायेंगे।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

संसाधन अगर उपलब्ध हो जाय तो मैं सभी सड़कों का लेपन करवा दूंगा।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, मैंने अपने भाषण में कुछ मुद्दे उठाये थे। इनमें से 2 बिन्दु छूट गये हैं जिन पर मन्त्री जी ने प्रकाश नहीं डाला। एक तो यह कि 1800 ग्राम प्रधानों के स्थान रिक्त हैं उनका चुनाव हो, न्याय पंचायतों का गठन हो, जिला परिषदों का चुनाव हो। इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट मन्त्री जी से आश्वासन चाहता हूं, इसमें शासन की क्या नीति है? दूसरा मैंने वेतन की विसंगतियों के बारे में उठाया था। इस बारे में भी मन्त्री जी ने कुछ भी प्रकाश नहीं डाला है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में इस सदन में माननीय मुख्य मन्त्री जी भी कह चुके हैं कि जिला परिषद के चुनाव जहां नहीं हुए हैं, उनको शीघ्र ही कराया जायेगा। प्रश्न के उत्तर में मैंने ग्राम सभा के बारे में जवाब दिया था कि उसका चुनाव कराने का प्रयास किया जा रहा है और विसंगतियां जो हैं उसको भी देख लेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

कल्यान सिंह जी, आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं।

श्री कल्यान सिंह—

सवाल ही नहीं पैदा होता।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18—ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18—ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,06,17,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30 पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30-पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए

आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,55,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82 क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82 क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखा अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,09,04,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

नियम 51 के अन्तर्गत आज दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक सूचना श्री मंजूर सिंह की है जो गंगा नदी के कटाव से बलिया जनपद के कई गांवों को खतरा उत्पन्न हो जाने के सम्बन्ध में है। इस सूचना को स्वीकार किया गया है। दूसरी सूचना श्री दिनेश जौहरी की है जो बरेली एवं हल्द्वानी में मोटर एवं स्कूटरों की चोरी के सम्बन्ध में है। इसको अस्वीकार किया गया है।

उत्तर प्रदेश में बाढ़ से जनजीवन अस्तव्यस्त होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता—

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया)

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री गौरी शंकर)—

[सम्भावित बाढ़ से सुरक्षा एवं प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने हेतु पूर्व तैयारी किये जाने के विस्तृत निर्देश दिनांक 3-5-1985 को समस्त जिला अधिकारियों, मण्डलायुक्तों तथा संबंधित विभागों को निर्गत कर दिये गये थे। इस सम्बन्ध में विभिन्न विभागों द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही निर्देशित की गई :—

1—नगरीय क्षेत्रों में नालों की सफाई के लिए।

2—बाढ़ बचाव कार्य में विशेष रूप से सुसज्जित एवं प्रशिक्षित पी0 ए0 सी0 की कम्पनियों की सेवायें उपलब्ध कराने के लिए।

3—ईंधन व चारे की कमी की समस्या के समाधान हेतु वृक्षारोपण करने के लिए।

4—सस्ते गल्ले की दुकानों पर खाद्यान्नों व अन्य आवश्यक वस्तुओं की सुलभता हेतु।

5—बाढ़ क्षेत्रों में दवाओं/कीटनाशक दवाओं की व्यवस्था हेतु।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

6—पशुओं की चराई हेतु वन खोलना व वन मार्गों को चालू हालत में रखने हेतु।

7—पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा हेतु।

8—पेट्रोलियम पदार्थों, मिट्टी का तेल, डीजल, कुकिंग गैस आदि का पर्याप्त मात्रा में भण्डारण करने के लिए।

9—जमाखोरी को रोकने हेतु।

10—पम्पों की व्यवस्था हेतु।

माह जून, 1985 में प्रदेश में 97.1 मि0 मी0 साधारण वर्षा के विपरीत 64.1 मि0 मी0 वास्तविक वर्षा हुई। माह जुलाई, 1985 में 294.7 मि0 मी0 सामान्य वर्षा के विपरीत 329 मि0 मी0 वास्तविक वर्षा हुई।

दिनांक 10-8-85 तक प्रदेश के 57 जिलों में से 15 जिले अधिक वर्षा, बाढ़, भूस्खलन तथा नौका दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं जिनमें हुई क्षति का विवरण निम्नवत् है—

क्रम सं0	जिले का नाम	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित जनसंख्या	प्रभावित क्षेत्रफल हेक्टेयर में (हे0 में)	प्रभावित कृषिगत क्षेत्रफल की	क्षतिग्रस्त मकानों संख्या	जीवन हानि मनुष्य	जीवन हानि पशु
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुजफ्फरनगर	20	18800	4125	3217	..	..	..
2	गोरखपुर	120	39339	5821	3279	..	5	..
3	बस्ती	119	65726	15907	9556	65	..	..
4	देवरिया	107	28287	4431	3282	19	..	..
5	बहराइच	..	..	..	..	..	2	..
6	पौड़ी गढ़वाल	..	..	..	.	43	1	..
7	मेरठ	15	.	..	.	12	..	..
8	खीरी	..	..	..	..	..	3	..
9	बलिया	55	1657	1421	669	2	1	..
10	मिर्जापुर	..	..	..	..	..	1	..
11	इलाहाबाद	408	314462	41785	25392	1155	1	27
12	आजमगढ़	..	..	..	..	16	5	..
13	चमोली	..	..	..	..	19	..	2
14	मुरादाबाद	3	1345	600	90	69	..	..
15	आगरा	..	..	..	..	228	2	..
	योग ..	847	469616	74090	45485	1628	21	29

उक्त जनपदों में राहत कार्य हेतु 133 नावें तथा 2 मोटर बोट लगाई गयी। 151 बाढ़ चौकियां तथा 133 बाढ़ शरणालय खोले गये। 280 व्यक्तियों एवं 125 पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।

नैनीताल जनपद की गोला नदी में दिनांक 15-7-85 को एक अवरोध उत्पन्न हो गया था परन्तु उससे कोई जीवन हानि नहीं हुई।

पौड़ी गढ़वाल में दिनांक 15 व 16-7-85 की रात्रि को रुद्रप्रयाग में भूस्खलन हुआ जिसमें एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ। दो मनुष्यों को चोट लगी जिसमें से एक की मृत्यु हो गई।

बहराइच में 26-7-85 को घाघरा नदी में एक नाव दुर्घटना हुई जिसमें 2 मनुष्यों की मृत्यु हो गयी।

खीरी में 25-7-85 को घाघरा नदी में एक नाव दुर्घटना हुई जिसमें 3 व्यक्ति डूब गये।

मिर्जापुर में दिनांक 2-8-85 को गंगा नदी में एक नौका दुर्घटना हुई जिसमें 27 व्यक्ति नाव पर सवार थे। बचाये गये 18 में से एक की मृत्यु हो गई। शेष 9 व्यक्ति लापता हैं। अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) द्वारा जांच की जा रही है।

अतिवृष्टि से पौड़ी गढ़वाल में 42, चमोली में 19, आगरा में 228 तथा इलाहाबाद में 1155 मकान क्षतिग्रस्त हुए। बाढ़ से मुरादाबाद में 69 मेरठ में 12, बलिया में 2, बस्ती में 65 तथा देवरिया में 19 मकान क्षतिग्रस्त हुए। घाघरा में कटान के कारण आजमगढ़ जनपद में 12 तथा भारी वर्षा के कारण 4 मकान क्षतिग्रस्त हुए तथा दीवाल गिरने से 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

आगरा में दिनांक 15-16 जुलाई को 2 व्यक्तियों की मृत्यु भारी वर्षा के कारण मकान गिरने तथा पानी में बिजली प्रवाह के कारण हुई। दीवाल गिरने से बलिया में एक तथा इलाहाबाद में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तथा 5 को चोटें आईं। गोरखपुर में 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इलाहाबाद में भारी वर्षा के कारण 27 पशु जीवन हानि हुई और 14 पशुओं को चोटें आयीं। चमोली में भारी वर्षा के कारण 2 पशुओं की मृत्यु हुई।

केवल जमुना की सहायक नदी केन का जलस्तर जनपद बांदा में खतरे के चिन्ह से दिनांक 10-8-85 को 40 से0 मी0 ऊपर था। शेष प्रदेश की सभी नदियों का जल स्तर संकट बिन्दु से नीचे हैं। बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है। वर्षा आपदा बजट से प्रदेश के 57 जनपदों को अभी तक कुल 7.74 करोड़ रुपया राहत कार्यों हेतु आवंटित किया जा चुका है।]

श्री गौरी शंकर भइया—

माननीय मन्त्री जी ने जो बयान दिया है वह बहुत ही लम्बा चौड़ा है और उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि मा0 मन्त्री जी को गलत तथ्य दिये गये हैं। श्रीमन्, कुछ जगहों पर जैसे मिर्जापुर में कई लोग डूब कर मर गये लेकिन मा0 मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें केवल एक आदमी के डूबने का उल्लेख है। इसी तरह से चमोली में भी कई आदमी डूबे हैं लेकिन उसका कोई उल्लेख उनके वक्तव्य में नहीं है। गंगा नदी की स्थिति यह है कि बलिया में वह खतरे के बिन्दु

को पार कर रही होगी और इस सम्बन्ध में कोई भी इन्तजाम नहीं किया गया है। जो तथ्य दिये गये हैं वह भ्रामक हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि मा0 मन्त्री जी अपने इस वक्तव्य को वापस ले लें और माननीय सदस्य अपने जिले की समस्याओं को रख दें, तब उस हिसाब से आप कार्यवाही करें।

श्री मयंकर सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि बहराइच जनपद में जो क्षति-ग्रस्त मकानों की संख्या के बारे में सूचना दी गई है वह गलत दी गई है। विधान सभा क्षेत्र फखरपुर, ब्लाक महसी के ग्राम मुन्सारी में 50 घर घाघरा नदी के कटान में आ गये हैं। यह मेरी निश्चित जान-कारी है। इस सूचना को आप जिला-धिकारी से मंगवा लें और अगर मेरी सूचना गलत हो जाये तो जो आप कहें वह मैं करने को तैयार हूं। मैं स्पष्ट रूप से जानकारी दे रहा हूं कि परगनाधिकारी जो हैं उन्होंने उनको देखा है, तहसील-दार ने देखा है और जो वक्तव्य माननीय मन्त्री जी ने दिया है उसमें यह सूचना है कि एक भी घर नहीं कटा है। इस प्रकार से सदन को गुमराह किया गया है। इस लिये मेरा प्रश्न है कि माननीय मन्त्री जी ने इस तरह की भ्रामक सूचना क्यों सदन में दी है।

श्री गौरी शंकर—

जो वक्तव्य दिया गया है, बहराइच का जो सन्दर्भ माननीय सदस्य ने दिया है, सदन की यह परिपाटी रही है, यदि कोई सदस्य सूचना देते हैं तो उसको सही मानकर हम उसको दिखवा लेंगे। लेकिन ऐसा इरादा नहीं है कि हम जानबूझकर तथ्यों को छिपाना चाहते हैं। मैं आपकी सूचना को सही मानकर इसको दिखवा लूंगा।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो वक्तव्य उन्होंने दिया है जिसमें कहा गया है कि 3-5-85 को निर्देश दे दिये गये हैं, आपने बलिया के बारे में कृपा करके निर्देश दिया कि वहां के तहसीलदार ने 1981-82 में 10 लाख रुपया राहत कार्य में लूटा था जिसकी जांच चल रही है, फिर आपने उन्हीं को निर्देशित किया है कि वह फिर वहां की जनता के पैसे को लूटें। ऐसे कुछ निर्देश आपने फिर उस बेइमान और भ्रष्ट अधि-कारी को दिये हैं जो हरदेव राम की पीठ पर सवार हो गया। (व्यवधान)

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, माननीय वरिष्ठ सदस्य मैने-जर सिंह जी ने दिनांक 3-5-85 के निर्देश का सन्दर्भ दिया है। हमने यह स्थिति विशेष रूप से माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत की है कि सम्भावित बाढ़ से सुरक्षा एवं प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने हेतु तैयारी किये जाने के लिये निर्देश दिये हैं। उसमें यह हवाला दिया है कि क्या-क्या कार्य किये जाने हैं जैसे नालों की सफाई, बाढ़ बचाव कार्य के लिये प्रशिक्षण, पी0 ए0 सी0 कर्मचारियों की सेवायें उपलब्ध करना आदि। इसके लिये निर्देश दिये गये हैं किसी तहसील-दार का सन्दर्भ मस्तिष्क में नहीं था। किसी तहसीलदार या एस0 डी0 एम0 को अलग से निर्देश देने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी माननीय सदस्य ने

जो चिन्ता व्यक्त की है, उसको मैं दिखवा लूंगा।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मैं जानना चाहता हूं कि जो आपने हिदायतें दी हैं उसके चौथे बिन्दु में आपने कहा है कि सस्ते गल्ले की दुकानों पर खाद्यान्नों व अन्य आवश्यक वस्तुओं की सुलभता हेतु आदेश दिये गये हैं। क्या पर्वतीय क्षेत्रों में जो उत्तर प्रदेश के 7/8 जिले हैं जहां वर्षाकाल में आवागमन अवरुद्ध हो जाता है तो क्या माननीय मन्त्री जी ने वर्षाकाल के इन चार महीनों के लिये सारी खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को ब्लाक स्तर पर या अन्य स्थानों पर भण्डारण करने के आदेश दिये हैं ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, माननीय हरीश जी तो स्वयं शासन में रह चुके हैं। उन्हें शासन में रहने का अनुभव है। पहाड़ी अंचल में और सौभाग्य से मान्यवर, आप भी पहाड़ी जनपद से आते हैं, जो पहाड़ी जनपद हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी या परगनाधिकारी को विशेष रूप से निर्देश दिये गये हैं। जहां तक आपने कहा कि राहत कार्य की क्या स्थिति है, 57 जनपदों में 7 करोड़ 74 लाख रुपया राहत कार्यों के लिए पूर्व में ही आवंटित कर दिया गया है और जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।

श्री राकेश धर त्रिपाठी—

इलाहाबाद में बाढ़ को रोकने के लिए कोई कंट्रोल रूम काम कर रहा है या नहीं ?

श्री गौरी शंकर—

जहां-जहां निर्देश दिये गये हैं वहां-वहां काम कर रहे हैं। सभी जगह काम कर रहे हैं। फिर भी यदि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वहां काम नहीं कर रहा है तो इसको दिखवा लेंगे।

श्री राकेश धर त्रिपाठी—

कोई कन्ट्रोल रूम वहां काम नहीं कर रहा है।

श्री गौरी शंकर—

आपकी सूचना को सही मान रहा हूं, मैं इसको दिखवा लूंगा।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है। आगरा के अन्दर जो 15, 16 जुलाई को भारी वर्षा हुई उसमें बताया गया है कि 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 228 मकान गिर गये। लेकिन इसके अतिरिक्त काजीपाड़े नाले में बाढ़ आ जाने से एक आदमी की मृत्यु हो गयी। आपने कहा कि 3-5-85 को स्पष्ट आदेश दे दिये गये थे कि नालों की सफाई कर दी जाय उसके बावजूद काजीपाड़े नाले की सफाई नहीं हुई जिसके कारण पानी भर गया और एक आदमी मर गया। तो जिन्होंने सफाई नहीं की उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, मैंने स्पष्ट निवेदन किया कि 3-5-85 को स्पष्ट निर्देश दिये गये थे जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा उसके अनुरूप कार्यवाही नहीं की गयी है जिसके कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। जो कर्मचारी इस कार्य में दोषी

पाये जायेंगे, जिन्होंने सरकारी नीति का पालन नहीं किया उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी।

श्री सरदार सिंह—

माननीय मंत्री जी का वक्तव्य पढ़ कर हैरत हुई। हमारे मथुरा में बाढ़ कम आती है लेकिन जलप्लावन की समस्या ज्यादा है उसमें मकान भी गिर जाते हैं, बीमारी फैलती है, मवेशियों की भी हानि होती है। अभी 10 तारीख को माननीय मंत्री श्री रघुबीर सिंह भी वहां गये थे वहां पर विधायकों ने भी शिकायत की और जिलाधिकारी ने भी माना कि राहत कार्यों के लिए कोई पैसा नहीं है। इस वक्तव्य में भी मथुरा का नाम नहीं है। तो मेरी जानकारी को सही मानते हुए क्या वहां के लिए अविलम्ब राहत कार्यों के लिए पैसा भेजने की कृपा करेंगे जिससे वहां लोगों की मदद की जा सके। वहां फसल की बुआई नहीं हुई है जानवरों के लिए चारा नहीं है, गरीब आदमियों के लिए राशन मोमबत्ती आदि नहीं है। जिसकी सूचना हमने बार-बार यहां पर नियम 301 में, नियम 56 में आज ही दिया है। तो मेरी जानकारी को सही मानते हुए वहां अविलम्ब राहत भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

माननीय सदस्य सरदार सिंह ने मथुरा के संबंध में चिन्ता व्यक्त की। उनकी भावना का आदर करते हुए विशेष रूप से जो उन्होंने कहा कि इस वक्तव्य में मथुरा का नाम नहीं है मैं मथुरा की अद्यतन स्थिति को बताना चाहता हूं जो खतरे का निशान 165.20 मीटर है

श्री सरदार सिंह—

मैं वाटर लौगिंग की बात कह रहा हूं।

श्री गौरी शंकर—

यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से कम है और वह गिर रहा है आज 12 तारीख को जो फोरकास्ट की है उसमें लेवल 164.780 हो जायेगा। राहत कार्यों के लिए जो 7 करोड़ 74 लाख का उल्लेख किया है वह धनराशि सब जनपदों को पहले ही उपलब्ध करा दी गयी है। माननीय सदस्य की भावना का विशेष रूप से आदर करते हुए मथुरा के बारे में दिखा लूंगा अगर किन्हीं परिस्थितियों में राहत कार्य नहीं प्रारम्भ हुए हैं तो उसे हम देखेंगे।

श्री सरदार सिंह—

हमारे यहां बाढ़ की समस्या नहीं है। नालों की सफाई न होने से जलभराव की समस्या है, जगह-जगह पर पूरे जिले में जल भराव हो गया है।

श्री गौरी शंकर—

जो समस्या पानी भरने के कारण है, उसको मैं दिखवा लूंगा।

श्री लक्ष्मी नारायण—

मान्यवर, श्री सरदार सिंह का क्षेत्र जमुना के उस पार पड़ता है और वाटर लागिंग मेरे क्षेत्र में है। मान्यवर, हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्र से पानी आ गया है। मथुरा में बरका, बुखरारी, खरोंट, सुपाना, साचौली, कोटवन आदि गांवों में बाहर के पानी से वाटर लागिंग काफी अधिक हो गयी है, यमुना के पानी

से यह समस्या नहीं पैदा हुई है। बरका गांव में एक आदमी पानी में डूब कर मर गया, इसी तरह बुखरारी में दो आदमी डूब कर मर गये हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप प्रश्न करें।

श्री लक्ष्मी नारायण—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो पानी हरियाणा से हमारे यहां आ रहा है उसको रोकने के लिए क्या कोई बांध बनाया जायेगा ? हमारे यहां क्या कोई राहत कार्य अविलम्ब कराया जायेगा ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा है कि हरियाणा की तरफ से पानी आ रहा है और वह पानी न आये, तो यह बड़ा कार्य है, दो राज्यों के बीच का मामला है और देखा जायेगा कि दोनों राज्य कितना सहयोग करेंगे ?

मान्यवर, आपने कहा कि पानी भर गया है, माननीय सदस्य उससे चिन्तित हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि सभी गांवों की सूची वह उपलब्ध करा दें और यदि वहां वाटर लागिंग की समस्या है तो राहत कार्य वहां निश्चित रूप से करा दिया जायेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, जो उत्तर दिया गया उसमें लिखा है कि दिनांक 3-5-85 को सारे जिला अधिकारियों/मंडलायुक्तों को आदेश जारी कर दिये गये हैं। तो क्या जानकारी है कि जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों ने जो बैठक बुलाई उसमें सारे जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था और बैठक में इन सभी मुद्दों पर विचार किया गया था। शासनादेश के अनुसार मैं जानना चाहता हूं कि क्या नगरीय क्षेत्रों में नालों की सफाई के लिए, ईंधन हेतु वृक्षारोपण के लिए कोई वित्तीय प्राविधान आपने किया है। चूंकि अभी तक महानगर बनारस, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा में 10-10 दिन से पानी का जमाव है नालों की सफाई नहीं हुई है, प्रदेश के कई जिलों में पानी भरने से मच्छरों का प्रकोप हो गया है, हैजा फैल रहा है जबकि मई में नालों की सफाई के आदेश जारी किये गये थे और आज तक हमारे बनारस में 76 नालों में से 25 नालों की भी सफाई नहीं हो पायी है और वहां पर वाराणसी नगर-पालिका ने इस बारे में वित्तीय संसाधन के बारे में लिखा है ? यदि लिखा है तो कितने के बारे में लिखा है ? और क्या आपने उसके लिए उनको पैसा मुहैय्या कराया है ? और यदि कराया है तो कहां-कहां कराया है और कितनी धन-राशि का कराया है ?

श्री गौरी शंकर—

शतरुद्र प्रकाश जी ने स्वयं कहा है कि मैं अपनी स्पीड को कम कर दूं और मैं उनकी ही स्पीड के अनुरूप चलने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपने काफी देर में एक विस्तृत प्रश्न किया है। यदि मैं जैसा उनकी बात को सही समझ पाया हूं तो प्रयास करूंगा कि उनकी पूरी बात का मैं जवाब दूं। आपने कहा है कि बनारस नगर के बारे में, जिसके बारे में आपका लगाव होना स्वाभाविक है और आप वहां के प्रतिनिधि हैं। तो आपने जो संदर्भ दिया है कि आयुक्तों की

बैठक हुई थी, सारे नालों की सफाई आदि के बारे में इनके सम्बन्ध में कोई अलग से संसाधन दिये जायें, सहायता दी जाये, तो आपके बयान में पहले से ही है कि सारे के सारे विभागों को जो अनुदान मिलता है, उसमें विभागीय कार्यों के लिए पैसा होता है । उससे अपेक्षा की जाती है कि नगर विकास विभाग अपने नालों की सफाई की भी व्यवस्था करेगा । राजस्व विभाग केवल एक प्रोसीजरल विभाग है, जब कोई दैवी आपदा आती है, आपत्ति पड़ती है तो हमारा राजस्व विभाग राहत करने के लिए तब उससे जुड़ता है तथा सहायता और सहायता के उपाय करता है । पहले वह वसूल करता है, तो अब आपत्ति आई, बाढ़ आदि के संकट से निपटने के लिए तो उनको विशेष रूप से बल दिया गया है कि नालों की सफाई आप अवश्य करायें । बनारस में 76 नालों की सफाई नहीं हुई विभाग के निर्देशों के बाद भी । तो निश्चित आप से उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि किन परिस्थितियों में यह कार्य नहीं हुआ । जो धनराशि हमने उपलब्ध कराई थी, उसके विपरीत भी यह कार्य कराया जा सकता था, कुछ तो कराया ही जा सकता था । जो हंसकर, चारे और वृक्षारोपण की बात कही, वृक्षारोपण के कार्य से आज आप बाढ़ नहीं बचा पायेंगे, लेकिन वह लांगटर्म कार्य है, जिससे आगे हम बाढ़ को बचा सकेंगे तो बाढ़ कम आयेगी ।

श्री श्रीप्रकाश—

मेरे आजमगढ़ जनपद में लालगंज तहसील के अंतर्गत यानी बेसों व उदन्ती नामक तीन नदियां बहती हैं, वह तीनों नदियां करीब-करीब अब पट चुकी हैं, जिसके कारण वहां हर साल बाढ़ सबसे पहले आ जाती है । थोड़ा सा भी पानी बरसता है तो बाढ़ आ जाती है, और इस साल वहां करीब-करीब 2 सौ गांव जिलाधिकारी के कथनानुसार प्रभावित हुए हैं और साथ ही 80 परसेंट फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, तो क्या मंत्री जी उन नदियों को गहरा कराने के लिए और जो कस्बे बाढ़ की चपेट में हैं, उनको बचाने के लिए कोई उपाय करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी आप इसको देख लें ।

श्री श्रीप्रकाश—

करीब दो सौ गांव हमेशा प्रभावित होते हैं, किन्तु उधर सरकार का ध्यान अभी नहीं गया है ।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी आप हमें देख लें और नोट कर लें ।

श्री हरीशचन्द्र हरीश जी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को सूचना देते हुए कि बांसी-सूपा मार्ग पर दो पुल थे । बैयर ताल का पानी उनमें से होकर निकल जाता था । इस समय सड़क को सीधी करने के लिए एक सड़क बनायी गयी है जिससे एक पुल को बंद कर दिया गया है । पुराने पुल को बंद कर देने का परिणाम यह हुआ कि हजारों एकड़ खेती भंवर ताल के पानी में डूब गयी है । तो माननीय मंत्री जी इस संकट को देखते हुए इसको दूर करने की दृष्टि से क्या पुल को खुलवा देंगे जिससे कि पानी निकल सके ।

श्री अधिष्ठाता—

आप इसको देख लीजियेगा।

श्री गौरी शंकर—

ठीक है।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, 3-5-85 को जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सारी व्यवस्थायें बाढ़ के सम्बन्ध में पूरी कर ली जायें और पूरे उत्तर प्रदेश में जो सरकार का आंकड़ा है, मरने वालों की संख्या 21 है हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं। हमारा अनुमान है कि मौतें 40—45 के आसपास हुई हैं। जो 3 महीने पहले से व्यवस्था की गयी उस व्यवस्था का परिणाम 21 आदमियों की मौत के रूप में सामने आया। तो क्या आप भविष्य में जो नदियों का स्तर बढ़ा रहे हैं क्या इस तरह के निर्देश दिये हुए हैं कि 20—25 लोग और मर जायें। श्रीमन्, गंगा नदी, आज अखबार में है और रेडियो में भी आया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बलिया के अंदर तेजी से बढ़ रही है और खतरे के बिन्दु से ऊपर चली गयी है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में गंगा, टोंस, मचई नदी बहती है। तो बलिया जनपद के ब्लाक टोहवां, गड़वार, हनुमान गंज दोआबा और बलिया निर्वाचन क्षेत्र के इलाके जो गंगा नदी के पानी की चपेट में हैं, उसमें राशन पहुंचाने की व्यवस्था, नौका लगाने की व्यवस्था और आदमियों तथा पशुओं के लिए दवा तत्काल फ्लड चौकियों तक पहुंचाने हेतु जिलाधिकारी बलिया को निर्देश जारी करने का कष्ट करेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, माननीय सदस्य गौरी भइया ने जो बलिया का सन्दर्भ दिया।

एक सदस्य—

आपके नामाराशी हैं।

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, यह सही है। हम लोगों के पत्र इधर-उधर हो जाते थे एक नाम के कारण तो मैंने अपने नाम के आगे एडवोकेट लगाया। आपके मधुर पत्र कभी-कभी मेरे पास आ जाते थे। तो माननीय सदस्य ने जो बलिया के बारे में कहा, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं।

श्री अधिष्ठाता—

जो गौरी भइया ने कहा उसको आप दिखवा लीजिये।

श्री गौरी शंकर—

ठीक है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य।

श्री कुशल पाल सिंह—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, हरियाणा का पानी मेरे क्षेत्र के 3-4 गांवों में आता है। उसके लिए बंधा बनाने में काफी पैसा खर्च होगा। वहां पर बांसा ड्रेन जो है अगर उसके रिमाडीलंग की व्यवस्था कर दी जाय तो अधिक पानी की समस्या साल्व हो सकती है। मान्यवर, बरका, भुखरारी, सुजावली, बरचावली में पानी भरा हुआ है। वहां पर चारा, अनाज नष्ट हो गया है। 4-4 फीट पानी है तो उन लोगों को किस तरह की सहायता पहुंचायी जायेगी ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा प्रदेश की बहुत सी नदियां ऐसी हैं जिनमें सिल्टिंग हो गयी है। चूंकि प्रदेश के पास संसाधन सीमित हैं इसलिए

यह संभावना नहीं है कि नदियों की खुदाई करवायी जाय। बाढ़ की विभीषिका होती है तो गांव बरबाद होते हैं। जो गांव माननीय सदस्य ने बताये तो कैसे पंपिंग सेट से पानी निकाल कर डाला जा सकता है इसका निदान कर लिया जायेगा। आप विस्तार से पूरी सूची उपलब्ध करा दीजिए।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बाढ़ से सम्बन्धित वक्तव्य दिया है। मान्यवर, वह बाढ़ की सुरक्षा के सम्बन्ध में एक चीज भूल गये। मान्यवर, नदियों के किनारे-किनारे बसे हुए जो नगर हैं, वहां पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, जिससे जन संपत्ति और धन संपत्ति का नुकसान होता है। क्या माननीय मंत्री जी वहां पर प्रकाश की व्यवस्था तत्काल कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

मेरा तो माननीय सदस्य इलाहाबाद से मधुर रिश्ता है। मान्यवर, प्रकाश की व्यवस्था के लिए मिट्टी के तेल आदि की व्यवस्था की जाती है। यदि आपका आशय हो कि बिजली की व्यवस्था हो जाय, तो यह तो हो नहीं सकता। लेकिन मिट्टी के तेल की व्यवस्था करा दी गयी है। कोई विशेष गांव के बारे में माननीय सदस्य कहना चाहते हों, तो वह लिखकर भेज दें, मैं अवश्य व्यवस्था करा दूंगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, इनके आंकड़े बताते हैं कि देवरिया में 107 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बड़ी गंडक जिसे नारायणी नदी कहते हैं, पडरौना तहसील से निकल कर जाती है, वहीं बिहार प्रदेश के मधुबनी ब्लाक के निकट बाढ़ सुरक्षा के लिए रिंग बांध बनाया गया है, जो कट रहा है। मैं कल एस0 डी0 एम0 पडरौना से मिला था, उन्होंने बताया कि वह बांध कट रहा है और थोड़ा पानी और बढ़ने से बांध कभी भी कट सकता है। ऐसी स्थिति में संवरही के आसपास के सैकड़ों गांव भयंकर रूप से बाढ़ग्रस्त हो जायेंगे। ऐसी परिस्थिति में वहां के बचाव कार्य के लिए उत्तर प्रदेश शासन क्या कर रहा है ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि देवरिया शहर में जल जमाव से दीवानी कचेहरी, कलेक्टरी कचेहरी, बस स्टेशन और राघव नगर मोहल्ले में दो फीट पानी अभी लग गया था, जिससे मच्छर आदि का अत्यन्त आतंक है। उस जल जमाव के निकासी के लिए और नाले की सफाई के लिए शासन क्या कर रहा है ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, जो माननीय सदस्य देवरिया ने कहा है, यह सच है कि जनपद देवरिया में 19 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और जो कुछ थोड़े बहुत प्रभावित हुए हैं, उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। आपने संदर्भ दिया है कि कचेहरी में पानी भरा है, इसके लिए कोई निर्देश देने की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए जनपद के अधिकारियों से आदेश उपलब्ध कराया जाता है, वहां पर वह पम्प आदि डाल कर पानी निकालने के लिए पहले से ही व्यवस्था रखते हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ है, तो आप लिखकर भिजवा दीजिए, मैं दिखवा लूंगा।

(श्री गौरी शंकर भइया के नाम पुकारे जाने पर)

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, कोरम भी तो नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कौशिक जी ने कोरम का प्रश्न उठा दिया है, अब माननीय गौरी शंकर भइया, आप बैठ जायं।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी)

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, क्या आइटम नं0 21 नहीं लिया जायेगा ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कौशिक जी ने जो कोरम के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है, तो अब पांच मिनट का समय हो गया है और कोरम पूरा नहीं हुआ है। कोरम के अभाव में अब हम उठते हैं। कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

इसके बाद सदन सायंकाल 6 बजकर 17 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊः आज 12 अगस्त, 1985

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर)।

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक,

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर

पत्र संख्या जी0 आर0 ओ0 पी0—21/1-गो/9060/बी0—84
10 अक्तूबर, 1984

डिपो प्रबन्धक,

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,

गोरखपुर ।

विषय :—बस का स्टापेज 4/5 किमी0 और बढ़ाने के सम्बन्ध में ।

आप के डिपो की जो बस गोरखपुर से बरवामीर छापर जिला देवरिया तक ज है तथा रात्रि में बरबामीर छापर हाल्ट करती है इस बस का स्टापेज और आगे तढ़ाक सहवाजमुन तक करना सुनिश्चित करें । जैसा कि श्री मो0 हसनैन खां ग्राम व पोस्ट देवरिया बुदू खां, जिला देवरिया के प्रार्थना-पत्र परिवहन मंत्री जी की संस्तुति भी नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु दी गयी है जिसे मूलरूप में आपके पास भेजा जा रहा है । कृपया इस सम्बन्ध में जनहित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें । इस सम्बन्ध में दो और सुझाव पत्र संलग्न कर भेजा जा रहा है । कार्यवाही करने के पश्चात् मंत्री जी द्वारा दी गयी संस्तुति प्रार्थना-पत्र इस कार्यालय को कृत कार्यवाही से सूचित करते हुए उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

(ह0) क्षेत्रीय प्रबन्धक

पी0 एस0 यू0 पी0—37 वि0 सभा—1985—815 प्रतियां (लाइनो)

उत्तर प्रदेश विधान सभा